अष्टम माला, खंड 46 अंक 5

सोमवार, 27 फरवरी, 1989
8 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B 60
Date 17/7/89

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 27 फरवरी, 1989/8 फाल्गुन, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
शीर्षक (1)	नीचे से 3	"गोरा शंकर राजहस" के स्थान पर "गौरी शंकर राजहंस पढ़िये।
45	7	सदस्य का नाम "श्री एच0जी0रामुलु" पढ़िये।
56	नीचे से 6	शीर्षक में "जम्मू-क्वमीर" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर" पढ़िये।
84	5	"(म)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
84	नीचे से 10	मंत्री का नाम "(श्रीमती सुमति उरांव)" और "विनरण" के स्थान पर "विवरण" पढ़िये।
99	11	"मालिक" के स्थान पर "मलिक" पढ़िये।
104	नीचे से 2	शीर्षक में "भातर" के स्थान पर "भारत" पढ़िये।
107	नीचे से 1	"गृह मन्त्राल" के स्थान पर "गृह मन्त्रालय" पढ़िये।
132	नीचे से 11	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
134	4	सदस्य का नाम "श्री प्रतापराव बी0 भोसले" पढ़िये।
136	नीचे से 12	शीर्षक में "वदि" के स्थान पर "वृद्धि" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
141	16	"मती" के स्थान पर "श्रीमती" पढ़िये।
153	नीचे से 5	शीर्षक में "फ्रलाईंग" के स्थान पर "फ्लाईंग" पढ़िये
173	17	"पूर्ति विकास" के स्थान पर "पूर्ति विभाग" पढ़िये.
179	18	"लिनिाइट" के स्थान पर "लिग्नाइट" पढ़िये।
180	13	"कोर" के स्थान पर "ओर" पढ़िये।
191	1	शीर्षक में "भर्ती नियय" के स्थान पर "भर्ती नियम" पढ़िये।
214	नीचे से 4	"आलू करने वाले" के स्थान पर "आलू पैदा करने वाले" पढ़िये।
215	नीचे से 8	"उद्योग की" के स्थान पर "उद्योग को" पढ़िये।
216	5	"उपाध्यक्ष महोदव" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये।
218	नीचे से 13	"सभावेदन" के स्थान पर "समावेदन" पढ़िये।
255	नीचे से 16	"दुर्घटनाग्रस्त हो" के स्थान पर "दुर्घटनाग्रस्त होने" पढ़िये।

विषय सूची

अष्टम माला, खंड, 46 तेरहवां सत्र, 1989/1910 (शक)

अंक 5 सोमवार, 27 फरवरी 1989/8 फाल्गुन 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
स्पेन के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—19
* तारांकित प्रश्न संख्या : 62, 63, 67, 79 और 80	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	19—206
तारांकित प्रश्न संख्या : 61, 64 से 66 और 68 से 78	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 567 से 593, 595 से 652, 654 से 658, 660 से 666 668 से 684, 686 से 720 और 722 से 767	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	206—214
नियम 377 के अधीन मामले	214—215
(एक) उत्तर प्रदेश के आलू पैदा करने वाले किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की मांग श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक	214—215
(दो) अध्यापकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन किये जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग श्री जुझार सिंह	215
(तीन) मिर्जापुर-भदोही (उत्तर प्रदेश) में हाथ से बुने कालीनों के उद्योग प्रोत्साहित किए जाने के लिए उपाय किए जाने की मांग श्री उमाकांत मिश्र	215—216
(चार) नेपाल से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थल पर बांधों और जलाशयों का निर्माण किए जाने की मांग ताकि बिहार को बाढ़ से बचाया जा सके तथा दोनों के लाभार्थ बिजली का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके डा० गौरा शंकर राजहंस	216

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

(पांच) विशेषकर उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन योजनाओं के कार्यान्वियन की समीक्षा किए जाने की मांग

श्री मोहम्मद महफूज अली खां 216—217

(छह) कोटा-शिवपुरी राज्य राज मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 से जोड़े जाने की मांग

श्री शान्ति धारीवाल 217

(सात) हिमालय प्रदेश को विकास कार्य के लिए वित्तीत सहायता प्रदान किए जाने की मांग

श्री के० डी० सुल्तानपुरी 218

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 218—280

डा० फूलरेणु गुहा 218—219
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह 219—223
डा० जी० एस० ढिल्लों 223—227
श्री राम प्यारे पनिका 227—231
श्री पी० कुलनदईवेलू 231—236
श्री बिपिन पाल दास 236—242
श्री वृद्धि चन्द्र जैन 243—245
श्रीमती किशोरी सिंह 245—248
श्री हरु भाई मेहता 248—252
श्री आर० जीवरत्नम 252—257
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 257—260
श्रीमती पटेलरमाबेन रामजी भाई मावणि 260—262
श्रीमती बसवराजेश्वरी 262—266
श्री शांताराम नायक 266—270
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश 270—273
श्री जनक राज गुप्त 273—275
श्री जगन्नाथ पटनाजक 275—278
श्री शंकर लाल 278—280

दिनांक 26-2-1989 को 3 अप मंगपुर-हाऊबाग-जबलपुर छोटी लाइन यात्री गाड़ी तथा 413-अप मोकामा-पटना यात्री गाड़ी और 328-डाउन बालापुर-हावड़ा तीव्र यात्री गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में वक्तव्य

श्री महाबीर प्रसाद 255—256

प्रधानमन्त्री द्वारा आज प्रश्न काल के दौरान की गई कतिपय टिप्पणियों को स्पष्ट करने वाला वक्तव्य

श्रीमती शीला दीक्षित 256—257

लोक-सभा

सोमवार, 27 फरवरी, 1989/8 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

स्पेन के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से स्पेन की कांग्रेस आफ डेपुटीज के सभापति महामहिम श्री फैलिक्स पोन्स इराजाजाबल और स्पेन के संसदीय शिष्ट मंडल के माननीय सदस्य जो हमारे सम्माननीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आये हैं, का स्वागत करने में मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य इस प्रकार हैं :—

1. श्री एडुआर्डो मारटीन टोवस, उपाध्यक्ष

2. श्री जोश रेमन केसो, उपाध्यक्ष

3. श्री इनाकी अनाहागस्ती, उपाध्यक्ष

4. श्री कारलोस रूइज डी सोतो, उपाध्यक्ष

शिष्टमंडल 24 फरवरी, 1989 को सवेरे दिल्ली पहुंचा। वे अब विशेष कक्ष में बैठे है। हम अपने देश में उनके सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं और उनके माध्यम से स्पेन के महामहिम नरेश, वहां की सरकार, संसद और वहां की जनता को हार्दिक बधाई देते हैं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : श्री राजकुमार राय—अनुपस्थित

श्री धर्मपाल सिंह मलिक—अनुपस्थित

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रामूवालिया जी, आपका काम खराब हो गया।

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछना है क्या आप इसकी अनुमति दे सकते हैं ?

इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया की विमान सेवाएं

*62. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुई विमान दुर्घटनाओं के कारण गत तीन महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया की विमान सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) देश के भीतर तथा विदेशों के लिए विमान सेवाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया के विमानों की कोई दुर्घटना नहीं हुई है लेकिन इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की घटनाओं और दुर्घटनाओं के कारण कुछ विमानक्षमता की कमी हो गई, कर्मचारियों में कुछ आत्मविश्वास की कमी हो गई और प्रतिकूल प्रचार किया गया, जिस सबका प्रभाव एयरलाइन्स की कार्य-प्रणाली, उड़ानों की समय-पाबंदी और उनके द्वारा अर्जित राजस्व पर पड़ा।

(ग) विमानक्षमता की कमी को पूरा करने के लिए विमान लीज पर लिए गए हैं। आत्म-विश्वास पैदा करने और उनके कार्य-निष्पादन में सुधार करने की दृष्टि से इंडियन एयरलाइन्स ने प्रशिक्षण और रख-रखाव संबंधी कार्यक्रम को तेज करने और अपनी प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। नागर विमानन सैक्टर के अंतर्गत संगठनों के बीच भी अब और अधिक समन्वय है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तुलसीराम जी, आपका काम शुरू हो।

श्री बी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, वैसे मंत्री जी बड़े भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं···

अध्यक्ष महोदय : वैसे तो भले और ऐसे ?

श्री मधु दंडवते : सवाल पूछना चाहिए, भले हैं या नहीं।

श्री बी० तुलसीराम : लेकिन जब से उन्होंने मंत्रालय को संभाला है, तब से पता नहीं इनकी किस्मत खराब है या क्या चक्कर है, तब से कुछ न कुछ गड़बड़ होती जा रही है, हालांकि वह दूसरे पोर्टफोलियो में अच्छे मंत्री साबित हुए। यहां आ करके पता नहीं क्या हो गया खराब हुए या किसी ने खराब कर दिया उनको···

अध्यक्ष महोदय : आप निराशावादी कब से हो गए ?

श्री बी० तुलसीराम : मैं निराश कभी नहीं होता साहब, जब तक आप बैठे हैं वहां।

तो यह तो ये मान लिए हैं कि एक्सीडेंट्स हुए हैं और प्लेन्स के चलने में भी देरी हो रही है। लेकिन उसको सुधारने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? अगर एक घण्टा, दो घण्टे, तीन घण्टे या 5-6 घण्टे डिले प्लेन्स की होती है और अध्यक्ष महोदय, आप भी एक दिन उसको शिकार हुए हैं। (व्यवधान) मैं प्रेजेन्ट था उसमें। गुवाहाटी से दिल्ली हम आ रहे थे तो अध्यक्ष महोदय को भी साढ़े पांच घण्टे वहां पर बैठना पड़ा और वहां के गवर्नर, श्री भीष्म नारायण सिंह को भी बैठना पड़ा। ये गवाह हैं कि मैं उस दिन वहां था और वे भी गवाह हैं, वे भी ना नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अध्यक्ष जी खुद वहां थे। तो इसको सुधारने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? क्या कोई नये उपाय उसको ठीक करने के लिए आप सोच रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : सम्मानित सदस्य ने मेरे प्रति जो सहानुभूति दिखाई है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दुर्घटनाओं के लिए हम सब को दुःख है और बदकिस्मती से इस साल संसार में बहुत हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं, उसके प्रति भी हम अपनी संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। सम्मानित सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो कठिनाई हो रही है उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो हवाई जहाज हैं उनकी संख्या बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पहले तो लीज पर लेकर हम हवाई जहाजों की संख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि खरीदी करने पर उनको लाने में बहुत देरी हो जाती है। लीज पर हवाई जहाज हमने पहले लिए हैं। अभी तीन हवाई जहाज बोइंग कम्पनी के 737 आ गए हैं। स्विस एयर का 737 एक हवाई जहाज हमारे पास आ गया है और दूसरे भी दो हवाई जहाज हम ले रहे हैं। इस प्रकार से हवाई जहाजों की संख्या बढ़ाकर हम जल्दी से जल्दी इस कठिनाई को दूर करना चाहते हैं।

दूसरी बात यह है कि बहुत जगहों पर लोगों को लाने ले जाने के लिए हम हमारे हवाई जहाजों को इस्तेमाल करते थे लेकिन यह देखा गया कि सम्मानित सदस्यों ने सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी हर बार यह बताया है कि आप फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसीज कम करें तो भी काम चलेगा लेकिन उनका वक्त पर चलना जरूरी है। तो आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए हमने फ्रीक्वेंसीज भी कम कर दी हैं। दिन में कम जगहों पर जहां जा रहे हैं वहां तो जा ही रहे हैं लेकिन एक बीक में जहां हम 7 जगह जाते थे वहां 5 जगह या 6 जगह जा रहे हैं और इस प्रकार से भी हमने कैपेसिटी बनाने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे पूरा फर्क पड़ा हो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ा है।

तीसरी बात यह है कि गए साल आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बारिश अच्छी हुई, कृषि के लिए उसका बहुत अच्छा उपयोग होता है, एक तरफ बारिश से हमारे यहां कृषि का उत्पादन बढ़ेगा लेकिन उससे हवाई जहाज चलाने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। तो बारिश का भी उसके ऊपर कुछ असर पड़ा है।

मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि दुर्घटनाओं की वजह से कुछ हमारे लोगों के मन पर जो असर हुआ था, कुछ कांफिडेंस का लास हुआ था, उसको भी हमने रेस्टोर करने की कोशिश की है और वह रेस्टोर हो गया है। दूसरी चीजों में भी हमने देखा है, वह भी हल हो गई हैं। हमारे यहां इंडियन एयर लाइन्स में जो 8 यूनियन्स थीं, उनमें करीब-करीब 6 यूनियन्स के साथ हमारा सेटिलमेंट हुआ है और हम आशा करते हैं कि इसके साथ-साथ इम्प्रूवमेंट हो जायेगा, आपको जो तकलीफ होती थी, वह तकलीफ कम हो जायेगी। मैं यह नहीं कहता कि आपको तकलीफ नहीं हुई या देरी से हमारे हवाई जहाज नहीं चले हैं। चले हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि आपको तकलीफ कम हो और आपको ज्यादा

से ज्यादा सुविधा मिले। मगर एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा और वह यह है कि हवाई जहाज की मांग जो है वह बहुत बढ़ रही है और उसके मुकाबले में हम उतने हवाई जहाज ले सकते हैं या नहीं—यह सवाल है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो काम किए हैं उनका मूल्यांकन आप करें—इतनी ही आपसे हमारी इस्तदुआ है।

श्री बी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि हवाई जहाजों की संख्या बढ़ावेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी बढ़ायेंगे और क्या उसमें आपने हैदराबाद के लिए भी कुछ सोच रखा है? क्या आप हैदराबाद के लिए भी कुछ बढ़ा रहे हैं। मैं आपके नोटिस में एक चीज लाना चाहता हूं, सारा सदन जानता है, अध्यक्ष जी भी जानते हैं और सरकार भी जानती है, यह बात पहले भी उठ चुकी है, हर पैसेंजर के टिकट पर टेलीफोन नम्बर लिखा जाता है, अगर प्लेन लेट हो जाता है तो उनको इन्फार्म करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने लाइफ टाइम में एक भी आदमी का नाम बता दीजिए जिसको आपने टेलीफोन पर इन्फोर्म किया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अब तक की लाइफ में आपने एक आदमी को टेलीफोन पर इन्फोर्म किया हो। मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कह सकता हूं, न मुझे कहनी चाहिए। कभी भी ये लोग नहीं बताते हैं। मैं आपको एक दिन की बात बताता हूं। अध्यक्ष जी, आप मुझे माफ करेंगे, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी बहुत काम है।

श्री बी० तुलसीराम : बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप टेलीफोन पर बताने की बात छोड़िए। जब पैसेंजर टेलीफोन करते हैं, तो टेलीफोन नहीं उठाते हैं, रिसीवर निकालकर रख देते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ चलिए। आप भी जायेंगे, तो आप यहां आ कर कहेंगे कि देख लिया, सब ठीक है। मेरे साथ चलिए, किसी माननीय सदस्य को साथ ले जाइए और स्वयं जाकर देखें कि रिसीवर नीचे रखा हुआ होता है, नम्बर नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : आप ही के सदस्य हैं।

श्री बी० तुलसीराम : पहले तो कभी मिलता नहीं है, अगर मिल भी जाता है तो जवाब बराबर नहीं दिया जाता है। मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक दफा 6.20 बजे जाना था, मैंने पार्लियामेंट के कम्प्यूटर पर 5.25 बजे चैक करवाया, तो कहा कि करैक्ट टाइम है। मैं जब एयरपोर्ट गया, तो वहां लिखा हुआ था कि रात को दो बजे जाएगी। आप बताइए जब प्लेन देर से चलते हैं, तो कम से कम टाइम···

अध्यक्ष महोदय : आप अपना सवाल इंडियन एयरलाइन्स बन जावेंगे।

श्री बी० तुलसीराम : समस्या महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी भी बैठे हुए हैं। थोड़ा सा उनके ध्यान में लाना अच्छी बात है। अगर प्रधानमंत्री जी कहेंगे यह सब ठीक करा देंगे, यह ऐसा कभी नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो मैं दूसरा पूछूंगा नहीं···(व्यवधान)···एक बार आप कह दीजिए, मैं पूछूंगा नहीं।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, क्या मैं माननीय सदस्यों की इन बातों से यह मान लूं कि वह और प्रश्न नहीं पूछेंगे या क्या वह केवल इस विषय पर और प्रश्न नहीं पूछेंगे।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : आप पहले भी कह चुके हैं, सिर्फ इसी सवाल के अन्दर।...(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : अब इतनी छोटी बात के लिए मैं जिम्मेदारी यहां पर लूं। कोई बड़ी बात करें तो मैं भी बात करूं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य का जो दूसरा सवाल है, पैसेंजर्स को सुविधाएं देने के लिए, तो हम ऑटो इनफार्मिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं कुछ जगहों पर और कुछ जगहों पर संख्या बढ़ा देंगे। हम टेलीफोन की संख्या भी बढ़ाकर इन्फार्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने लोगों को बराबर कहते हैं कि ये सारी सुविधाएं पैसेंजर्स को मिलनी चाहिए। अगर कोई गलती हो गई होगी तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से कोशिश भी करते हैं, कहीं गलती हो सकती है। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सिविल एविएशन को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए पूरे तरीके से कोशिश हो रही है। उसके जो महत्वपूर्ण विचार हैं, वे भी हमको प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स को अच्छी ट्रेनिंग देना, मैंटिनेंस देना, हवाई जहाज की संख्या बढ़ाना। उसके बाद जहां तक हो सके मॉडर्नाइज और कम्प्यूटर मशीनों का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें हो रही हैं। उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा, मगर इम्मिडिएटली शुरू होने के बाद इतना बड़ा काम है, पए साल तक मशीनें आने में और बैठने में लग जाते हैं। मैं आपको आश्वास्त करना चाहूंगा कि हम जरूर इसको अच्छा बनाकर आपको बतायेंगे। मगर एक बात सही है कि आपकी डिमांड और आपकी अपेक्षाएं हमारी तरफ से स्काई-हाई है और यह होनी भी चाहिए और उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे, मगर जितने साधन हमारे पास हैं और जितना पैसा है, उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, यह आपसे हमारी विनती है।

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, बगैर चेक सर्टीफिकेट के प्लेन उड़ाते हैं। 23 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस में यह आया है, दिल्ली से त्रिवेन्द्रम वाया गोवा जाने वाले प्लेन को गोवा के इंजीनियर ने पकड़ा और आगे जाने के लिए सर्टीफिकेट नहीं दिया। फिर दिल्ली आकर उसको से गये। अगर इस तरह से इरेस्पोन्सीबिल तरीके से काम करते हैं, तो प्लेन कैसे ठीक रहेंगे। (व्यवधान)

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाया जाना

[अनुवाद]

*63. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का सेवानिवृत्ति की आयु के बाद सेवाकाल न बढ़ाया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय सभी पर समान रूप से लागू किया गया है;

(ग) दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत या भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए ऐसे उन अधिकारियों की संख्या तथा ब्योरा क्या है जिनका सेवाकाल केन्द्रीय सरकार द्वारा 1987, 1988 और 1989 में बढ़ाया गया; और

(घ) इन मामलों में सेवाकाल बढ़ाने का क्या औचित्य है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की आयु के बाद उनकी सेवावधि में वृद्धि को विनियमित करने वाली केन्द्रीय सरकार की अलग से कोई नीति नहीं है। इस मामले में वे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए मानदण्डों द्वारा शासित होते हैं। इन मानदण्डों के अनुसार सेवावधि में वृद्धि बहुत ही विरल तथा अपवादिक हालातों में मंजूर की जा सकती है।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(घ) चूंकि ये अधिकारी अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त थे अतः उनकी सेवावधि में वृद्धि महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए लोकहित में की गई थी।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति वाले उन सदस्यों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण जिनके कार्यकाल को वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान उनकी अधिवर्षिता की आयु के बाद बढ़ाया गया था

भारतीय प्रशासनिक सेवा :

1987 : 1. श्री आर० के० शास्त्री, भारतीय प्रशासनिक सेवा, की सेवावधि में असम-नागालैंड सीमा विवाद जांच आयोग के एक मात्र सदस्य के पद पर दिनांक 1-2-87 से 31-3-87 तक की दो माह की अवधि के लिए वृद्धि की गई थी।

1988 : कोई नहीं।

1989 : 1. श्री एस० वेंकटारमनन, वित्त सचिव, की सेवावधि में दिनांक 1-2-89 से 31-3-89 तक दो माह की वृद्धि की गई थी।

भारतीय पुलिस सेवा :

1987 : 2. श्री जे० एफ० रिबेरो की सेवावधि में दिनांक 1-6-87 से 31-5-88 तक वृद्धि की गई थी जब वे पंजाब में पुलिस के महानिदेशक तथा महानिरीक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे।

श्री एम० जी० कात्रे, निदेशक, केन्द्रीय अंवेषण ब्यूरो की सेवावधि में 1-11-87 से 31-10-88 तक एक वर्ष की वृद्धि की गई।

1988 : 3. श्री एस० आनंद राम की सेवावधि में इंदिरा गांधी हत्या कांड की जांच के लिए विशेष जांच दल के विशेष आयुक्त के रूप में दिनांक 1-1-88 से 31-7-88 तक सात माह की वृद्धि की गई थी।

श्री जे० एफ० रिबेरो की सेवावधि में दिनांक 1-6-88 से 31-5-89 तक एक वर्ष की वृद्धि की गई और उन्हें पंजाब के राज्यपाल के सलाहकार के रूप में तैनात किया गया।

श्री एम० जी० कात्रे की सेवावधि में दिनांक 1-11-88 से 31-10-89 तक एक साल के लिए वृद्धि की गई थी।

1989 : कोई नहीं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, हमेशा की तरह मन्त्री जी ने एक विशेष वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई अलग से नीति नहीं है कोई पृथक नीति नहीं है यह कहने का उनका क्या अभिप्राय है मैं नहीं जानता केवल एक ही नीति है और तत्पश्चात् वह मापदण्ड और आचरण नियमों आदि की बात करते हैं।

महोदय, जहां तक मैं समझ पाया हूं और जैसा कि इस सदन में कई बार बताया गया है ऐसे विरले और विशेष मामलों पर केवल लोकहित की नीति ही अपनाई जाती है जैसा कि न्यायालयों द्वारा भी व्याख्या की गयी है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी नियमों विशेषतया भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के सेवाकाल को बढ़ाने के नियमों में भी लोकहित की नीति ही अपनायी जाती है अथवा कुछ पक्षपात के भी नियम हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, भाग (क) में जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाने संबंधी कोई नीति थी। मेरा उत्तर यह है, आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारियों के लिए कोई अलग से नीति नहीं है और इनके लिए भी वही मापदण्ड है जो विभिन्न सेवाओं में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने के लिए लागू किया जाता है। प्रश्न पर मुख्य जोर आई० ए० एस० और आइ० पी० एस० अधिकारियों के साथ अलग से व्यवहार करने के बारे में था। मैंने कहा था कोई पृथक नीति नहीं बनाई गई है, आई० ए० एस० और आई०पी० एस० के साथ अलग से व्यवहार नहीं किया जाता।

सेवाकाल में वृद्धि केवल लोकहित को ध्यान में रख कर की जाती है वास्तव में, ये बहुत कम है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम सेवाकाल को तब तक नहीं बढ़ाते जब तक वह लोकहित में न हो और पक्षपात करने द्वेषता करने और तरफदारी करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री अमर रायप्रधान : राजनीतिक हित।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उन्होंने सभापटल पर जो विवरण रखा उसमें उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, श्री एस० जी कात्रे डायरेक्टर, केन्द्रीय जांच ब्यूरों का हवाला दिया है। इनका सेवाकाल 1-11-1987 से 31-10-1988 तक फिर 1-11-1988 से 31-10-1989 तक बढ़ाया गया। मैं जानना चाहूंगा इसमें क्या लोकहित है। इसके अतिरिक्त, जब केबिनेट उप-समिति ने स्वयं एक उत्तराधिकारी को चुन लिया था और जहां तक मुझे याद है अक्टूबर 1987 के अन्तिम सप्ताह तक उनकी नियुक्ति को ठीक समझा गया था तब अन्तिम तीन दिनों में लोकहित की कौन-सी बात थी जिसके कारण इस अधिकारी की सेवा अवधि बढ़ाई गई मैं उन परिस्थितियों के बारे में जानना चाहूंगा।

श्री पी० चिदम्बरम : श्री कात्रे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर थे और जब उनकी सेवा निवृत्ति प्रश्न आया तो सरकार ने उनके सेवाकाल बढ़ाने पर इसलिए विचार किया क्योंकि उस समय बहुत नाजुक मामलों की जांच की जा रही थी और इसलिए भी क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को पहली बार पंजाब में आतंकवादी अपराधों से निपटने का महत्वपूर्ण काम दिया गया था।

यह सच है कि संगठन में नम्बर दो को नियुक्त करने के लिए चुन लिया गया था वास्तव में सी० बी० आई० में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया था और उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृति से कुछ महीने पहले विशेष निदेशक के रूप में कार्य भी किया था। उन्होंने लगभग 34-35 वर्षों तक नौकरी की थी। सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।

जब दबारा 1 नवम्बर 1988 को श्री कात्रे का सेवाकाल जारी रखने का प्रश्न आया तो सरकार ने उनकी सेवा अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया क्योंकि इस समय संगठन में जो व्यक्ति दूसरे स्थान पर था उसने पद ग्रहण कर लिया था और वह इस पद पर केवल कुछ महीने से ही थे और हमने सोचा कि श्री कात्रे का एक वर्ष और सेवारत रहना संगठन तथा लोकहित में होगा क्योंकि जिस अधिकारी और अन्य लोगों ने संगठन में सेवा भार ग्रहण किया है उनको सी० बी० आई० के काम का अनुभव हो जायेगा और वे पद भार संभालने के लिए तैयार थे।

उस अधिकारी ने सी० बी० आई० में वर्षों तक विशेष कार्य किया था उनके कार्यरत रहने के लाभों पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करके ही दोनों निर्णय किये थे, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखा गया था कि कुछ मामले जो अन्तिम चरण पर पहुंच गये थे और जिनकी निगरानी करने की आवश्यकता थी और इसलिए भी कि सी० बी० आई० को पंजाब में ऐसे अपराधों को रोकने और आतंकवादी अपराधों से निपटने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अध्यक्ष महोदय, क्या आप संतुष्ट हैं ? मैंने उस अधिकारी को निदेशक के रूप में नियुक्त करने का हवाला दिया था। अब वे विशेष निदेशक की और बाद की घटनाओं की बात कर रहे हैं। वह सदन से सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान) क्या वह उसे उत्तर दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, प्रोफेसर साहब।

प्रो० मधु दंडवते : मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह श्री के० पी० उन्नीकृष्णन को पहले दिये गये उत्तर को स्पष्ट करेंगे। उन्होंने कहा है कि श्री कात्रे पंजाब में आतंकवादियों जैसे नाजुक मामले की जांच में लगे हुए थे।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है जैसा कि यह आमतौर पर महसूस किया गया है कि उनकी सेवा अवधि इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि वह फेयरफेक्स जैसे बहुत नाजुक मामले की जांच कर रहे थे। क्या आप महसूस करते हैं कि उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी ? क्या आप सदन को विश्वास में लेंगे और हमें बतायेंगे कि उन्होंने उस मामले में कितनी संवेदनशीलता से कार्य किया है।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं नहीं जानता कि 'नाजुक भूमिका' प्रो० मधु दंडवते का क्या अभिप्राय है। किसी एक विशेष मामले के कारण या एक विशेष अपराध या एक विशेष जांच के कारण किसी की सेवा अवधि को बढ़ाया नहीं जाता है। जैसा मैंने कहा है हमें इस तथ्य को कम महत्व नहीं देना

चाहिए कि पंजाब में आतंकवादी अपराध एक गम्भीर समस्या है और सी० बी० आई० को उसका मुख्य उत्तरदायित्व सौंपा गया था। आज सी० आई० बी० एक केन्द्रीय प्राधिकरण है आतंकवादी अपराधों में शामिल लोगों से और इन अपराधों के अभियोजना से निपटती है। बिना सोच मैं आपको बता सकता हूं कि लगभग 12 या 15 गंभीर आतंकवादी अपराध हैं, जिनकी जांच चल रही हैं विभिन्न न्यायालयों में उन पर मुकदमा चल रहा है। वे सब विभिन्न स्तरों पर है।

दूसरे, बहुत से ऐसे मामले सरकार द्वारा सी० बी० आई० को सौंप गये थे जिन पर विभिन्न स्तरों पर जांच हो चुकी थी। उनमें से कुछ काफी नाजुक हैं। नियंत्रण और निर्देश को जारी रखने के लिए अधिकारी के अनुभव का लाभ उठाने के लिए हमने अधिकारी सेवाकाल को बढ़ाने का निर्णय लिया था इनका सेवाकाल फेयरफैक्स या दूसरे कारणों से नहीं बढ़ाया गया था। अपितु इस समय सी० बी० आई० को जो कार्य सौंपा हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए हमने श्री कात्रे की सेवा अवधि को बढ़ाने का फैसला किया था (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : क्या उनका कहना यह है कि और कोई व्यक्ति आतंकवादियों के मामले को कारगर ढंग से निपट नहीं सकता (व्यवधान)

प्रधानमन्त्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि हम महसूस करते हैं कि पंजाब में आतंकवादी अपराध बहुत महत्वपूर्ण है मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की प्रशंसा करता हूं क्योंकि हम जानते हैं उनके घनिष्ठ मित्र कौन हैं या वे किन्हें बचा रहे है और वह सेवाकाल बढ़ाने पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : प्रधानमन्त्री जी किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य क्या है ? (व्यवधान) यह बहुत आपत्तिजनक है। महोदय, आपको स्वयं इस पर आपत्ति करनी चाहिए। (व्यवधान) अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि हममें से जो आपत्ति उठा रहे हैं वे पंजाब के आतंकवादियों से जुड़े हुए है। वह यह आरोप लगा रहे हैं। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : इस प्रकार वह क्या कहना चाह रहे हैं ?···(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं यह कहूंगा कि विपक्ष के सदस्य पंजाब में आतंकवादियों का समर्थन कर रहे है !···हां। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपको उन्हें अपना आरोप वापस ले लेने के लिए कहना चाहिए। ·····(व्यवधान)। इसके लिये आपको कहना चाहिए कि वह इस सभा में बिना किसी शर्त के विपक्ष से माफी मांगे। (व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : इससे आपका क्या अभिप्राय है ? (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : क्या राज्य सभा के विपक्ष के सदस्य ने खालिस्तान की मांग नहीं की है ? इसका क्या अर्थ है ? महोदय, विपक्ष को इसके लिये शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : यह बहुत ही अनुचित है।

श्री राजीव गांधी : महोदय, सच्चाई कभी-कभी बहुत कड़वी हो सकती है। इसका सामना करें। आप क्यों नहीं सच्चाई का सामना करते हैं ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, मैं जालन्धर गया था और आतंकवादियों की उपस्थिति में मैंने खालिस्तान की भर्त्सना की थी। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मुझे माननीय सदस्यों से पूछने दें···अब मैं राष्ट्रीय मोर्चा और जनता दल के सदस्यों से पूछना चाहता हूं, मैं नहीं जानता हूं कि कौन इनके सदस्य हैं और कौन नहीं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने खालिस्तान की मांग करने वाले सदस्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? आपने क्या कार्यवाही की है? (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, इन्होंने सभा का अपमान किया है। मैं पंजाब गया हूं और आतंकवादियों की उपस्थिति में मैंने खालिस्तान की भर्त्सना की और मैंने मांग की है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा का नाम न लें।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, अभिलेख में इसको कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की गयी थी मैंने एक संशोधन प्रस्तावित किया था कि जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं जो धार्मिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं उन्हें निष्कासित कर देना चाहिए। मैंने यह संशोधन प्रस्तावित किया था। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, क्या मैं इसमें सुधार कर सकता हूं?···वसुदेव जी, मैं सिर्फ सुधार करूंगा। मैंने राज्य सभा के किसी सदस्य का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा, 'राष्ट्रीय मोर्चा जनता दल के विपक्ष के एक सदस्य, मैं नहीं जानता हूं वह कौन सदस्य है।'

प्रो० मधु दंडवते : इसका खण्डन किया गया है।

श्री राजीव गांधी : इसका खण्डन नहीं किया गया है इसका विरोध भी नहीं किया गया है। लेकिन महोदय, मैं अपनी बात में संशोधन करना चाहूंगा। मैंने सारे विपक्ष को एक साथ सम्बोधित कर दिया। मैं कहना चाहूंगा कि पी० पी० एम०···(व्यवधान)

वसुदेव जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि मैंने सारे विपक्ष को एक साथ ही सम्बोधित करने की गलती की है। मैं माफी चाहते हुए यह कहता हूं कि सी० पी० एम० भी पंजाब में कांग्रेस की भांति ही कठिन संघर्ष कर रही है। और मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन महोदय, मैं अन्य विपक्ष के प्रति अपने शब्द वापस नहीं लेता हूं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैंने एक संशोधन प्रस्तावित किया था और वह संशोधन स्वीकार कर लिया गया था·····(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उन्हें यह जरूर बता दिया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति राज्य सभा के किसी सदस्य का जिक्र नहीं कर सकता है···(व्यवधान) आपको उन्हें चुप करा देना चाहिए। इस सभा में और राज्य सभा या उसके किसी सदस्य का जिक्र नहीं कर सकता है। यही परम्परा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वह इसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी यह कहा है। उन्होंने ऐसा कहा है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : क्या वे अपने सदस्य को संसद से निष्कासित कर देने के लिए तैयार हैं? [क्या वे उस व्यक्ति से, जिसने खालिस्तान का परामर्श दिया था, संसद से इस्तीफा देने के लिये कहेंगे?

प्रो० मधु दंडवते : किसने यह परामर्श दिया है? किसी ने भी ऐसी सलाह नहीं दी है।

श्री राजीव गांधी : हां।

प्रो० मधु दंडवते : वह उसे उद्धृत क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने इस सभा में एक संशोधन पेश किया था कि जो भी खालिस्तान का समर्थन करेगा, जो हिन्दु साम्प्रदायिकता की बात करेगा, जो सती प्रथा की समाप्ति के विरुद्ध बात करेगा उसे संसद से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए·····

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल है।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया गया है। विपक्ष के सारे सदस्यों पर वे क्यो झूठा आरोप मढ़ रहे हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाईये।

श्री तरुन गोगोई—अनुपस्थित।

श्री सांभाजीराव ककाडे—अनुपस्थित।

श्री पी० कृष्ण राव—अनुपस्थित।

श्री बसुदेव आचार्य—अनुपस्थित।

श्री सैफुद्दीन चौधरी—अनुपस्थित

ठीक है। बैठ जाईये।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप उन्हें अपनी बात वापस लेने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब क्या कर सकता हूं?

प्रो० मधु दंडवते : सदन के नेता सदन में इस प्रकार की गैर-जिम्मेदाराना बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

11.32 म० पू०

[इस समय प्रो० मधु दंडवते और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।]

(व्यवधान)

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : ये लोग खालिस्तान समर्थक के समर्थन में बहिष्कार कर रहे हैं। यह एक गंभीर बात है और हम इसकी निन्दा करते हैं।

राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड

+

*67. **श्री जगन्नाथ पटनायक :**

श्री प्रकाशचन्द्र : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड की भांति एक राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका कार्यालय किस स्थान पर खोला जायेगा; और

(ग) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसके कार्य-कलाप कहां तक सहायक होंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : हमने 1990 तक 2050 लाख यूनिट का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमें इससे लगभग 8,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है। विमान यात्रा में सीटों की वर्तमान कमी और अव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिसके संबंध में मंत्री महोदय ने अभी उत्तर दिया है, क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे कौन से आधारभूत उपाय कर रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इस बात को समझा जाना चाहिए कि पर्यटन के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की भी जिम्मेदारी है। पर्यटन के लिए जिस प्रकार के आधारभूत ढांचे की आवश्यकता है उसका विकास निजी क्षेत्र के उद्योग, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा भी किया जाना है। हमारे पास इस उद्देश्य के लिए अल्पकालिक, मध्यम कालिक और दीर्घकालिक योजनाएं हैं। हम गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम राज्य सरकारों को सहायता दे रहे हैं और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर योजना बना रहे हैं। हमें आशा है कि हम उन लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे जिन्हें हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं।

श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वे समझते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय पर्यटन सेवा की और सभी स्तरों पर विशेषज्ञों का एक विशेष काडर बनाने की आवश्यकता है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : राष्ट्रीय पर्यटन समिति ने इस संबंध में एक सुझाव दिया है। इस सुझाव की जांच हो रही है और इस पर चर्चा हो रही है। यह सुझाव मंत्रिमण्डल के समक्ष भी आएगा और इस संबंध में निर्णय लेने के पश्चात् इस मुद्दे पर कोई निश्चित राय व्यक्त की जाएगी। किन्तु इस समय मैं इसके पक्ष में या विरुद्ध कुछ नहीं कहूंगा। किन्तु ऐसा सुझाव दिया गया है।

प्रो० संफुद्दीन सोज : मैं समझता हूं जहां तक पर्यटन का संबंध है इसके लिए अखिल भारतीय

सर्वेक्षण की आवश्यकता है ताकि मंत्रालय विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को समझ सके। हाल ही में भारत सरकार ने बौद्ध केन्द्रों को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त किया। यह राशि पुलियों, उद्यानों और कुटियों आदि के बनाने के लिए थी। मुझे मालूम हुआ है कि मंत्रालय ने 250 करोड़ रुपये की पूरी राशि उत्तर प्रदेश और बिहार के पर्यटन विभागों को आवंटित करने का निर्णय लिया है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस बात को जानते हैं और इसको महत्व देते हैं कि जम्मू-कश्मीर राज्य में अत्यन्त पुराने और मूल्यवान बौद्ध अवशेष न केवल लेह जिले में हैं परन्तु करगिल जिले में भी हैं। बारामूला जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है एक ऐसी जगह है जहां लगभग 2000 वर्ष पूर्व महान कनिष्क ने चौथा अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें विश्वविख्यात चीनी यात्री, ह्यून सांग ने सम्मेलन में भाग लिया था। उस समय उनके जूते चुराये गए थे। उन्होंने यह बात अपनी यात्रा-विवरण में भी कही है कि जब वह बिहार में गये तो उनके जूते चुराए गए थे।

उश्कर और परिहासपुर में सबसे बहुमूल्य बौद्ध अवशेष हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य को जापान सरकार से प्राप्त पूरे अनुदान का एक तिहाई भाग क्यों नहीं मिला ? ऐसा इसलिए है कि इसके लिए सम्पूर्ण भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए न कोई सर्वेक्षण किया गया है और न ही कोई संगठित प्रयास किये गए हैं। मैं उन 250 करोड़ रुपयों के बारे में पूछना चाहता हूं जो बौद्ध केन्द्रों के विकास के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त हुए उससे जापान के पर्यटक जो कि अत्यन्त समृद्ध हैं, भारत की ओर आकर्षित होंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं मानता हूं कि कश्मीर अत्यन्त सुन्दर है। इसका ऐतिहासिक महत्व है और इसमें बौद्धिक अवशेष भी हैं। किन्तु जो राशि भारत सरकार को प्राप्त हुई है उसे ऐसे क्षेत्रों में खर्च करने के लिए कहा जाए जहां महात्मा गौतम बुद्ध वास्तव में रहे और जहां पर गये। उन्होंने भी यही इच्छा व्यक्त की हैं। आरम्भ में हम वह राशि ऐसे स्थानों पर खर्च कर रहे हैं जहां वह गए और प्रचार किया। तत्पश्चात् यदि कुछ राशि हमारे पास उपलब्ध रहती है तो हम इस पहलू पर भी और ध्यान देंगे और यह राशि उपलब्ध करा सकते हैं।

प्रो० संफुद्दीन सोज : मुझे लेह से सैकड़ों तार मिले हैं। मैं चाहता हूं कि वह इस मामले की जांच करे। यह मंत्रालय की ओर से जापान के शिष्टमंडल को एक गलत सलाह है। वे उन स्थानों का विकास नहीं चाहते हैं जहां महात्मा बुद्ध गये किन्तु वे केवल बौद्ध केन्द्रों का विकास चाहते हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : वे ऐसा चाहते है, किन्तु वे इस राशि को फिजूल तरीके से खर्च करना नहीं चाहते हैं। वे कुछ क्षेत्रों को लेकर इनका विकास करेंगे। फिर यदि कुछ राशि बच जाती है तो वह राशि अन्य स्थानों पर खर्च की जा सकती है।

प्रो० संफुद्दीन सोज : मैं अपना मामला व्यक्तिगत रूप से ही उनके सामने रखना चाहता हूं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुझे उनके साथ इस मामले पर चर्चा करने पर बहुत प्रसन्नता होगी। मैं इस पर चर्चा करने को तैयार हूं। यदि हम यह राशि कश्मीर या अन्य किसी राज्य को भी देते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। आरम्भ में हम यह राशि ऐसे स्थानों पर खर्च कर रहे हैं जहां वह गए और प्रचार किया।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, बौद्धों का जो खास स्थान है वह भी, गोम्पा, काजा, लाओल स्पीति में है। जैसा कि आप कह रहे हैं कश्मीर को देंगे तो मैं चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत के साथ लगती है वहां पर भी जितने गोम्पा हैं उनके लिए भी दें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने किसी प्रकार का आश्वासन कश्मीर के सम्बन्ध में नहीं दिया है। मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि शुरू में हम यह पैसा यू० पी० और बिहार में खर्च कर रहे हैं, अगर बच गया और सबकी राय एक हुई तो और जगह भी खर्च करने का प्रयास किया जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० पी० जे० कूरियन—अनुपस्थित। श्री अजय विश्वास—अनुपस्थित। श्री मोहम्मद महफूज अली खां—अनुपस्थित। श्री बालासाहिब विखे पाटिल—अनुपस्थित। श्री चित्त महाता—अनुपस्थित, श्री भद्रेश्वर तांती—अनुपस्थित। श्री ई० अय्यपू रेड्डी—अनुपस्थित। श्री वक्कम पुरुषोतमन—अनुपस्थित। श्री इन्द्रजीत गुप्त—अनुपस्थित। श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन—अनुपस्थित। श्री पी० एम० सईद···क्या मजे आ गये ?

श्री पी० एम० सईद : जी हां, यह तो मजे आ गये।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान

\+

*79. **श्री पी० एम० सईद** :

श्री विजयकुमार मिश्र : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1988 से अब तक इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के पृथक-पृथक कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) प्रत्येक मामले में प्रमुख कारण क्या थे;

(ग) क्या दुर्घटनाओं की जांच कराई गई थी;

(घ) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने विमानों को सेवाओं से हटा लिया गया ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) नवम्बर, 1988 से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) नवम्बर, 1988 से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का कोई विमान दुर्घटना के कारण ग्राउण्ड नहीं किया गया है।

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, इस उत्तर से मैं समझता हूं कि मुझे कोई पूरक प्रश्न पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं है किन्तु मैं एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि

मंत्री महोदय उत्तर देकर अनुग्रहीत करेंगे। परसों के "द इंडियन एक्सप्रेस" में आया था कि उड़ान भरने से पूर्व जो आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किया जाता है उसके लिए जो अनिवार्य जांच होनी चाहिए उसका सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। क्या यह सच्ची बात है? यह बात परसों और उससे पहले भी आई है कि उन्होंने गोआ का उदाहरण दिया कि ग्राउण्ड कर्मचारियों ने प्रमाणपत्र जारी करने से इन्कार किया और फिर इंडियन एयरलाइन्स ने ग्राउण्ड इंजीनियरों से कहा वो गोआ गए और फिर प्रमाणपत्र जारी किए। यदि ऐसा है तो वह कृपा करके इसकी ओर ध्यान दें और देख लें कि इसका पालन किया जाए?

श्री शिवराज वी० पाटिल : अनिवार्य जांच आवश्यक है और जहां तक मेरी जानकारी है अनिवार्य जांच की जा रही है। किन्तु अब जो माननीय सदस्य ने कहा है तो हम इसकी बारीकी से तथा विस्तार से जांच करेंगे और यदि इसमें कुछ कमियां हैं तो हम उनको दूर करेंगे।

श्री शान्ताराम नायक : जब कभी विमान दुर्घटनाएं होती हैं, तो स्पष्टत: किसी न किसी प्रकार की जांच पड़ताल होती रहती है और सामान्यत: मंत्री या कुछ अन्य अधिकारी ये वक्तव्य देते हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है वे दुर्घटना के कारणों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते हैं और जांच पूरी होने में कम से कम सामान्यत: छ: महीने लग जाते हैं। उस समय तक कोई सरकारी अथवा अन्य कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस स्तर पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि जब कभी दुर्घटना स्थल की जांच होती है, तो प्रत्यक्षत: एक परिणाम निकलता है। जब तक जांच आयोग के निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो जाते तब तक उनके विचार में दुर्घटना के जो प्रत्यक्षत: कारण हैं उसे देश को बताने में क्या बुराई है। ताकि सरकारी तौर पर जनता को इसका कारण बताया जा सके; अन्यथा समाचारपत्र दसों कारण बताएंगे और रोज एक कारण सामने आएगा जिससे जनता के मन में शंकाएं उत्पन्न होंगी और उनसे गलतफहमियां पैदा होंगी। अत: क्या वह इस पर विचार करेंगे और इस सम्बन्ध में कुछ कहेंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यदि कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जांच होती है और जो अधिकारी दुर्घटना या घटना की जांच करते हैं वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उनके द्वारा दिए गये निष्कर्षों का उपयोग कुछ सुधारात्मक उपाय करने के लिए किया जाता है किन्तु यदि न्यायिक जांच की जाती है और न्यायिक जांच पूरी होने से पूर्व कोई विचार व्यक्त किया जाता है तो न्यायिक जांच पक्षपातपूर्ण रहने की संभावना रहती है और जहां तक कानून का संबंध है हम तब तक उसके कारणों के बारे में नहीं बता सकते हैं जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है और अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते हैं। वकील के रूप में वह इस बात की प्रशंसा करेंगे कि हम पूर्व निर्णय नहीं लेते। यदि निर्णय ही देना है तो हम पूर्वनिर्णय नहीं करते हैं। यह जरूरी है कि हम सरसरी जांच के आधार पर बातें प्रकट न करें। अत: हम पूरी तरह जांच करें। फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचे और उसे प्रकट करें।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह गम्भीर चिन्ता की बात है कि गत छ: महीनों के दौरान हुई दुर्घटनाओं के अतिरिक्त इंडियन एयरलाइन्स का कार्यकरण पहले जैसा नहीं रह गया है। विमान समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। यात्रियों को उनकी जानकारी नहीं दी जाती है। प्रत्याशी सूची काफी लम्बी रही है और हर तरह की असुविधा रही है। सम्भवत: इसका कारण विमान की कमी हो सकती है।

क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वह हमें यह आश्वासन देंगे कि एयरलाइन्स का कार्यकरण कारगर बनाया जाएगा और यात्रियों को ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा

जिनका कि वे सामना कर रहे हैं ? क्या वह हमें इस बात का भी आश्वासन देंगे कि इन बातों को कब तक ठीक किया जाएगा ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने आज की प्रश्न सूची के प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देते हुए इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। किन्तु मैं इसके लिए कोई आश्वासन दिये बिना कहना चाहता हूं कि हम यात्रियों और ग्राहकों को अच्छी सेवाएं उपलब्ध करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने इसके लिए कुछ उपाय किए हैं। हमें विश्वास है कि उन उपायों से फायदा होगा।

[अनुवाद]

श्री नवल किशोर शर्मा : किस समय तक।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमें निश्चित रूप से अधिक विमानों, बेहतर प्रशिक्षण आधुनिकीकरण और श्रम संघ विवादों को निपटाने मे यात्रियों को बेहतर सुविधायें प्रदान करने में सहायता मिलेगी। परन्तु आप मेरी बात से सहमत होंगे कि सीमित संसाधनों और मशीनों के बावजूद हम देश भर में इन एयरलाइनों को चला रहे हैं। इनकी मांग में भी बहुत अधिक वृद्धि हो रही है।

अत: बढ़ती हुई मांग और लोगों की आशाओं को ध्यान में रखते हुए हमें इतना अधिक प्रयास और मशीनों का विस्तार करना पड़ता है कि कभी-कभी कठिनाईयां भी उत्पन्न होती हैं। मैं यह कह रहा हूं कि कृपया हमारी सीमाओं और कठिनाईयों तथा उन विवशताओं को समझिये जिनके अन्तर्गत इन एयरलाइनों और इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं को कार्य करना पड़ता है। आप हमें अपना सहयोग और सलाह भी दीजिये।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मन्त्री महोदय द्वारा उत्तर दिये जाने के बाद इस बारे में बहुत कम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परन्तु क्योंकि मेरे पास समय है इससे मुझे यह आशा है कि आप मुझे इससे संबद्ध एक प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे।

श्री पी० एम० सईद : यदि आप चाहें तो भाषण भी दे सकते है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि यात्री सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। मैं काफी पहले उपलब्ध एक सुविधा का उल्लेख करना चाहूंगा। यात्रियों की अगवानी के लिए जाने वाले बहुत से लोगों को कड़कती ठंड में बाहर खड़ा रहना पड़ता है जहां बचाव का स्थान कम है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें वहां पर भी न खड़ा होने के लिए कहा जाता है। मैं जानता हूं कि संभवत पंजाब में आतंकवादियों की बात मानी जाती है। परन्तु निश्चित रूप से मन्त्री महोदय अपने सम्बधियों अथवा मित्रों की अगवानी करने हवाई अड्डे पर जाने वाले उन व्यक्तियों के लिए कोई नियन्त्रण अथवा कुछ धनराशि की व्यवस्था कर सकते हैं जिन्हें कड़कती सर्दी में बाहर खड़ा रहना पड़ता है और जो शेड अथवा टर्मिनल के निकट भी नहीं जा सकते।

दूसरे मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि ऐसा कोई विमान नहीं है जिसकी उड़ान बन्द कर दी गई है। हम पक्षी-टकराने के कारण भूमि पर उतारे गये विमानों की बात सुनते रहे हैं। पालम के पास कसाई खानों, एम० सी० डी० तथा डी० डी० ए० के कूड़े के ढेरों के कारण पक्षी टकराने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इन कूड़े के ढेरों के बारे में मन्त्रालय ने क्या कार्य किया है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, हम हवाई अड्डों पर अपने टर्मिनल भवनों का विस्तार कर

रहे हैं। इन मकानों के विस्तार के बाद ही हमारे लिए अधिक यात्रियों और उन्हें विदा करने आने वालों को ठहराना संभव होगा। मैं इस बात को भी समझता हूं कि सर्दी के मौसम में कभी-कभी सुरक्षा कारणों से लोगों को ऐसे स्थानों पर बैठना अथवा खड़ा होना पड़ता है जहां सभी सुविधायें उपलब्ध नहीं है। हम निश्चित रूप से इन बातों को ध्यान में रखेंगे। मैं नहीं जानता कि ऐसा कब तब संभव होगा और सब बातों को किस प्रकार किया जा सकेगा। परन्तु हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रियों को अधिक सुविधायें प्रदान की जाये। जहां तक पक्षी टकराने का सम्बध है इस बारे में हवाई अड्डों के निकट रहने वाले व्यक्तियों द्वारा कुछ कार्य किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि कूड़े को खुले स्थानों पर नहीं डालना चाहिए। दूसरे स्थानीय स्वायत शासन को इन पहलुओं की जांच करनी चाहिए न कि राज्य सरकारों को राज्य सरकारे और केन्द्रीय सरकार इस कार्य में नहीं आती हैं। एयर लाइनों ने बम्बई दिल्ली तथा कुछ धनराशि दी है। स्थानीय स्वायत शासन की सहायता से इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए और उन लोगों के मन में इस बात बात की अनुभूति होनी चाहिए जोकि आस पास रहते है जो खुले स्थानों पर कूड़ा करकट फेंक देते हैं जिससे वहां से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के सामने कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं। इस बारे में एक प्रकार की शिक्षा, एक प्रकार की प्रणाली की आवश्यकता है जिसका हम विकास और उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।

मौसम विज्ञान केन्द्र से सुपर कम्प्यूटर अन्यत्र भेजना

[हिन्दी]

+

*80. **श्री शरद दिघे :**

श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका से खरीदा गया सुपर कंप्यूटर जो इस समय नई दिल्ली के मौसम भवन में लगा हुआ है, नई दिल्ली से पुणे भेजने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कंप्यूटर को नई दिल्ली से पुणे भेजने में कितनी राशि व्यय होने का संभावना है;

(ग) क्या विशेषज्ञों की राय के कारण कंप्यूटर पुणे भेजा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री शरद दिघे : यद्यपि उत्तर में कहा गया है कि सरकार ने सुपर कम्प्यूटर को नई दिल्ली से पुणे भेजने का निर्णय नहीं लिया है तथापि मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि इस प्रश्न की जांच करने के लिए मंत्रालय द्वारा पांच सदस्यों की एक तकनीकी समिति नियुक्त की गई थी और समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि यदि दिल्ली के बजाय इसे पुणे मेंस्थापित कर दिया जाता तो केन्द्र के दीर्घकालीन हितों की बेहतर रक्षा होती।

श्री के० आर० नारायणन : इस प्रश्न का फैसला देने के लिए नियुक्त की गई समिति ने यह राय व्यक्त की थी कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसे नई दिल्ली की अपेक्षा पुणे स्थापित करना थोड़ा बेहतर होता। समिति ने दिल्ली और बम्बई में इसे स्थापित करने के लाभों और हानियों का ब्यौरा दिया और अन्ततः यह उल्लेख किया कि दीर्घकालीन दृष्टि से इसे पुणे में भेजना बेहतर होगा। परन्तु यदि कम्प्यूटर सेन्टर को दिल्ली में स्थापित किया गया तो 40 लाख से 80 लाख रुपए की लागत की बजाय सरकार की लागत लगभग 2.6 करोड़ रुपये आयेगी। यह एक निर्णयात्मक बात थी चूंकि 2.6 करोड़ रुपये की राशि बहुत अधिक है। और समिति के जवाबदेय तर्क इतने जोरदार नहीं थे कि इसे दिल्ली से पुणे भेजने का निर्णय ले लिया जाता।

श्री शरद दिघे : महोदय, क्या यह भी सच है कि समिति ने इस बात पर ध्यान दिया था कि पुणे में दीर्घ उष्ण कटिबन्धिय मौसम सम्बन्धी अनुसंधान तथा सभी प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यह केन्द्र दिल्ली से दूर पुणे में स्थापित किया जाना चाहिए ? क्या मंत्रालय द्वारा इन सभी कारणों पर विचार किया गया है अथवा नहीं ?

श्री के० आर० नारायणन : हां, महोदय, उनके बारे में विचार किया गया है। पुणे में निश्चित रूप से एक उष्णप्रदेशीय मौसम विज्ञान केन्द्र दिल्ली में स्थापित है। वास्तव में यदि कम्प्यूटर को बंबई भेजा जाता है तो हमें उपग्रह के माध्यम से दिल्ली और बंबई में एक-एक भू-केन्द्र स्थापित करके इसे अभिचालित करना होगा। हमें सम्पूर्ण सूचना यहां से पुणे भेजनी होगी और फिर आई० सी० ए० आर० जैसी एजेन्सियों द्वारा उसे पुनः भेजा जायेगा जोकि सभी फील्ड स्टेशनों पर मौसम सम्बन्धी आंकड़े भेजती हैं। वास्तव में इस प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य किसानों को मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी देना है। और दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा यह कार्य किया जाता है। उनके लगभग 127 फील्ड स्टेशन हैं। उन्हें इन केन्द्रों में यह सूचना देनी होती है। हमने यह सोचा था कि सम्पूर्ण सूचना को पुणे भेजना और उसे वापस दिल्ली पहुंचाना और फिर उसे पुन फील्ड स्टेशनों में भेजना, सरकार के लिए भारी मात्रा में अतिरिक्त व्यय के अलावा एक उलझन भरा कार्य होगा।

एक बात और है। किसी भी समय दिल्ली और पुणे के बीच दूरसंचार प्रणाली की किसी भी प्रकार की विफलता की स्थिति में इस प्रणाली में ही संकट उत्पन्न हो जायेगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो कमेटी नियुक्त की थी उसने क्या सुपर कम्प्यूटर दिल्ली या पुणे में रखने के बारे में कोई जानकारी प्राप्त की थी ? क्या इसके द्वारा किसानों को मौसम के सम्बन्ध में या वर्षा आदि के सम्बन्ध में सही जानकारी मिल सकेगी ?

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : समिति ने यह कहा है कि इस कार्य के लिए दिल्ली और पुणे दोनों ही उचित हैं। परन्तु उन्होंने यह कहा है कि शांत शैक्षणिक वातावरण के लिए इसे पुणे में स्थापित करना उचित होगा ताकि वैज्ञानिक दिन अथवा रात में किसी भी समय जाकर एक दूसरे से विचारों का आदान-प्रदान कर सकें। सरकार ने यह अनुभव किया है कि दिल्ली में भी शैक्षणिक वातावरण उत्पन्न करना संभव है। वास्तव में दिल्ली में भी हमारी बहुत सी वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थायें स्थापित है। परन्तु उन्होंने यह सोचा था कि यदि इसे पुणे में स्थापित किया जाता है तो इससे अच्छे

वातावरण का निर्माण होगा। हम उनकी बात से सहमत हैं। परन्तु हम यह अनुभव करते हैं कि बहुत कम धन व्यय करके हम दिल्ली में भी इसी प्रकार का वातावरण बना सकते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अयूब खां जी कह रहे थे कि सीकर सबसे उपयुक्त जगह है।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या चरणबद्ध रूप में कम्प्यूटर स्थापित करने के लिए कुछ शहरों को कम्प्यूटर शहरों के रूप में विकसित करने की कोई योजना है। यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति की गई है।

श्री के० आर० नारायणन : यह एक पूर्णतः अलग प्रश्न है जोकि इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। हम विज्ञान शहरों का विकास कर रहे हैं परन्तु वह मौसम भविष्यवाणी के लिए नहीं हैं। हम ऐसे बहुत से विज्ञान शहरों का निर्माण कर रहे जहां कम्प्यूटर सुविधायें उपलब्ध होंगी। विज्ञान शहरों का कम्प्यूटर शहरों के रूप में विकास करने का हमारा कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। हमारे यहां निर्यात क्षेत्र हैं जहां इलैक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर का उपयोग किया जायेगा।

————

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां

[हिन्दी]

*61. **श्री राजकुमार राय** :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में आतंकवादी गतिविधियों के परिणामस्वरूप मास-वार, कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए और लगभग कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई;

(ख) इसी अवधि के दौरान कितने आतंकवादी मारे गए/गिरफ्तार हुए/छोड़े गए;

(ग) आतंकवादियों से जब्त किए गए हथियारों और गोला-बारूद का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसी अवधि के दौरान लूटपाट की कितनी घटनायें हुई; और

(ङ) पंजाब में आतंकवादी समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) पंजाब में नवम्बर, 1988 से जनवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान आतंकवादी गतिविधियों के कारण हुई घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या, मारे गए, गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या और आतंकवादियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए हथियारों तथा गोला बारूद का ब्यौरा इस प्रकार है :—

I. माह	आतंकवादी गतिविधियों के कारण मारे गए व्यक्तियों की संख्या	आतंकवादी गतिविधियों के कारण घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	मारे गए आतंकवादियों की संख्या	गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या
नवम्बर, 88	137	70	44	313
दिसम्बर, 88	86	60	32	451
जनवरी, 89	105	51	46	292
जोड़ :	328	181	122	1056

II. बरामद किए गए अवैध शस्त्रों और गोला-बारूद की संख्या :

मद	नवम्बर, 88	दिसम्बर, 88	जनवरी, 89
1. पिस्तौल	61	71	68
2. रिवाल्वर	27	27	15
3. ए० के० 47 राइफल	37	21	24
4. अन्य राइफलें	5	8	11
5. बन्दूकें	18	19	21
6. स्टेनगन	—	1	1
7. कारबाईन	3	1	—
8. एल० एम० जी०/ एस० एम० जी०/एम० जी०	—	1	2
9. राकेट	40	4	3
10. राकेट लान्चर	2	4	2
11. हथगोले	3	15	5
12. बम	50	5	1
13. मोजर	1	—	1
14. कारतूस	4569	15390	3462

पंजाब में नवम्बर, 1988 से जनवरी, 89 तक की अवधि के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में क्षतिग्रस्त/गुम हुई सम्पति का मूल्य, रिहा किए गए आतंकवादियों की संख्या और लूटपाट की घटनाओं के ब्यौरों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में नवम्बर, 1988 में हुई आतंकवादी हिंसा की एक घटना के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति मरा और दो व्यक्ति घायल हुए। संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में दिसम्बर, 88 और जनवरी, 89 के महीनों के दौरान आतंकवादी हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। नवम्बर, 1988 से जनवरी, 89 तक की अवधि के दौरान कोई आतंकवादी मारा/गिरफ्तार अथवा रिहा नहीं किया गया है। इस अवधि के दौरान कोई शस्त्र और गोली बारूद बरामद नहीं किया गया है। इस अवधि के

दौरान आतंकवादी गतिविधियों के फलस्वरूप लूटपाट अथवा सम्पत्ति के नुकसान का कोई मामला नहीं था।

(छ) पंजाब में आतंकवाद को रोकने के लिए उठाये गये कदमों में सीमा पर अति संवेदनशील क्षेत्रों में बाड़ लगाना, सुरक्षा बलों को सुदृढ़ करना और सीमा में घुसपैठ करने वालों/सीमा पार करने वालों का पता लगाने के लिए आधुनिक हथियारों और उपकरणों की आपूर्ति, सीमा पर यात्रियों की कड़ी जांच, अतिरिक्त पुलिस जिलों का निर्माण, आतंकवादियों और उनको आश्रय देने वालों को गिरफ्तार करने के लिये उनके छिपने के स्थानों पर छापे मारना और अवैध हथियार तथा गोला बारूद का पता लगाना, ग्राम सुरक्षा बल टुकड़ियों को गठित करना और ग्राम सुरक्षा दलों में भूतपूर्व सैनिकों तथा ग्रामीणों को शामिल करना शामिल हैं।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

[अनुवाद]

*64. श्री तम्पन थामस :]

श्री सांभाजीराव कक्काडे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) हाल के महीनों में शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन दिल्ली में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दो महत्वपूर्ण मामले दर्ज किये गये।

2. लैफ्टीनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) निर्मलपुरी और श्री विनोद कुमार खन्ना, चेयरमैन, मैसर्स कोंकोर्ड इन्टर नेशनल प्राइवेट लिमिटेड की शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 3 और 5 के अधीन क्रमशः 6-1-1989 और 25-10-88 को गिरफ्तार किया गया। चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली के न्यायालय में शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 3 और 5 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120(ख) के अधीन उक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए 8-2-1989 को एक शिकायत दायर की गई है।

3. एक अन्य मामले में शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिये सुभाष चन्द्र दत्त और अब्दुल वहीद देहलवी को क्रमशः 30-11-88 और 2-12-88 को गिरफ्तार किया गया। चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली के न्यायालय में उक्त व्यक्तियों पर भा० द० सं० की धारा 120(ख) के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 3, 4 और 9 के अधीन शिकायत दायर की जा रही है।

कैंगा परमाणु विद्युत संयंत्र

*65. श्री बी० कृष्ण राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक स्थित कैंगा में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) कैगा परमाणु विद्युत परियोजना के पहले तथा दूसरे यूनिट के लिये स्थल संबंधी आधारभूत सुविधाएं स्थापित करने का मुख्य संयंत्र के सिविल कार्य का और उपस्कर तथा संघटक बनाने का काम विभिन्न चरणों से चल रहा है।

(ख) और (ग) 31 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार परियोजना पर कुल संचयी व्यय 94.76 करोड़ रुपये आया है। 1 अप्रैल, 1988 से 31 जनवरी, 1989 तक 24.35 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

ग्रामीण स्तर पर कम्प्यूटर का प्रयोग

*66 **श्री वसुदेव आचार्य :**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर निगरानी रखने के लिए ग्रामीण स्तर पर कम्प्यूटर का प्रयोग करने की कोई योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 11 अक्तूबर, 1988 के टाइम्स आफ इण्डिया में ग्रामीण क्षेत्र में 'कम्प्यूटर के प्रयोग हेतु विश्व बैंक का दबाव' प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ग्राम स्तर पर कम्प्यूटरों के प्रयोग की योजना का ब्यौरा क्या है तथा विश्व बैंक के दबाव सम्बन्धी इस समाचार पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

(क) जी, नहीं। इस समय ग्राम स्तर पर कंप्यूटरों को प्रतिष्ठापित करने की कोई योजना नहीं है। किन्तु, इलेक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत एक क्रिस्प (अर्थात कंप्यूटरीकृत, ग्रामीण सूचना प्रणाली परियोजना) काम कर रही है, जो ग्रामीण विकास विभाग के आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० जैसे कार्यक्रमों पर जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डी० आर० डी० ए०) के माध्यम से निगरानी रखती है। योजना आयोग के राष्ट्रीय पर सूचना-विज्ञान केन्द्र की 'निकनेट' नामक परियोजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर भी अपेक्षाकृत अधिक व्यापक पैमाने पर निगरानी रखी जा रही हैं और यह कार्य 27-क्षेत्रीय आंकड़ा बैंकों के जरिए संपन्न किया जा रहा है।

(ख) और (ग) सरकार ने 'टाइम्स आफ इण्डिया' में छपी यह रिपोर्ट देखी है। विश्व बैंक ने जिला स्तर पर सूचना-प्रोद्योगिकी के अनुप्रयोग की जांच करने की दृष्टि से एक प्रायोगिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। विश्व बैंक ने सरकार के पास ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा है, जिस पर विचार किया जा सके।

रोजगारोन्मुख योजनाएं

[हिन्दी]

*68. श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास योजना कार्यान्वित करने के बावजूद बेरोजगार युवकों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भावी योजनाएं इस प्रकार तैयार करने का है जिसमे कम पूंजी से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हों तथा उनसे अपेक्षित लाभ में भी कमी न हो; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों के अनुसार चालू रजिस्टर में रोजगार चाहने वालों की संख्या 1988 के अन्त में बढ़कर 300.5 लाख हो गई जो कि 1985 के अन्त में 262.7 लाख थी। यह अनुमानित है कि कुल रोजगार चाहने वालों में से 95 प्रतिशत रोजगार चाहने वाले 15 से 34 वर्ष की आयु वर्ग में हैं। इस अवधि के दौरान इस आयु वर्ग की आबादी में 156 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। देश में बेरोजगार युवाओं के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह कहा जा सकता है कि रोजगार कार्यालयों में रोजगार चाहने वालो के ये आंकड़े कतिपय सीमाओं के भीतर हैं और इनका सावधानी-पूर्वक अर्थ लगाए जाने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) सामान्यता योजना बनाने में यही नीति रहती है कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। विशेष रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने का कार्यक्रम और शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, द्वारा अनुपूरित किया जाता है। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों को डिजाइन किया गया है ताकि बेरोजगार युवाओं की दक्षता और उत्पादकता में सुधार किया जा सके। आठवीं योजना में इन प्रयासों को और तीव्र किया जाएगा।

पर्यटन की दृष्टि से दक्षिण में "गोल्डन ट्राइएंगल" का विकास

[अनुवाद]

*69. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में पर्यटन की दृष्टि से "गोल्डन ट्राइएंगल" के विकास की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत केरल में किन-किन स्थानों का विकास करने का विचार है; और

(घ) कार्यान्वित किए जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग में दक्षिणी राज्यों के प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर आधार-संरचना का विकास करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। तथापि, दक्षिण में एक "गोल्डन ट्राइएंगल" का विकास करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गोवा शिपयार्ड लि० कार्यालय से कागजातों का गुम होना

*70. **श्री अजय बिश्वास** :

श्री आनन्द पाठक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देशी जहाज निर्माण परियोजनाओं से सम्बद्ध कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण कागजात गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कार्यालय से गुम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह मामला जांच-पड़ताल के लिए किन एजेंसियों को सौंपा गया है; और

(घ) इस मामले में यदि किसी बात का पता लगा हो तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, हां। जब इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो गई कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के पूर्व महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं) कैप्टन एस० के० कपूर शिपयार्ड से कागजात बाहर ले गए थे तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने मामले में जांच करने के लिए एक जांच बोर्ड का गठन किया। जांच बोर्ड ने पाया कि यद्यपि कागजातों की कुछ फोटो प्रतियां लापता थीं लेकिन इस बात के ठोस सबूत नहीं मिले कि इन कागजातों को शिपयार्ड से बाहर ले जाया गया था।

(ग) और (घ) जांच बोर्ड ने इस संभावना से इन्कार नहीं किया कि कागजात बाहर ले जाए गए थे, इसलिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध किया गया कि वे मामले की आगे जांच करे। वे अभी मामले की जांच कर रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा जासूसी

*71. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को जम्मू और कश्मीर राज्य में जासूसी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान के जासूसों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ के बारे में प्रकाशित समाचारों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) ऐसी रिपोर्टें थी कि घाटी में तोड़फोड़ की गतिविधियों के लिए जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चे की बड़ी मात्रा में हथियार तथा गोला-बारूद इकट्ठा करने की योजना है। ऐसी भी रिपोर्टें थी कि पाकिस्तान/पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कश्मीर क्षेत्र के मुस्लिम युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन रिपोर्टों के बाद तोड़फोड़ की अनेक वारदातें हुई। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संगठित कार्रवाई के फलस्वरूप कुछ युवकों को गिरफ्तार किया

गया जिन्होंने पूछताछ के बाद इन रिपोर्टों को सच बताया है। राज्य पुलिस ने 97 युवकों को गिरफ्तार किया जिन्होंने सीमा पार से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनसे बड़ी मात्रा में शस्त्र तथा गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। सुरक्षा एजेंसियां शेष प्रशिक्षित युवकों को गिरफ्तार करने और शस्त्र तथा गोला बारूद बरामद करने का हर संभव प्रयास कर रही है, जो सीमा पार से घाटी में घुसपैठ कर गये हैं। सुरक्षा एजेंसियों को सीमाओं पर अधिकतम सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए सतर्क किया गया है ताकि सीमा पार से अवैध प्रवेश को कारगर ढंग से रोका जा सके और राज्य में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा प्रबन्धों को भी कड़ा किया गया है। उक्त प्रयोजन के लिए राज्य प्रशासन ने कश्मीर घाटी के सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ नई पुलिस चौकियां खोली हैं। उक्त को सुविधाजनक बनाने के लिए कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा की दो किलोमीटर लम्बी पट्टी के साथ-साथ रात्रि कर्फ्यू भी लगाया गया है।

परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए फ्रांस की सहायता

*72. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की सरकार ने भारत में परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए आवश्यक सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण द्वारा निर्धारित रक्षोपायों का किस सीमा तक पालन किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) फ्रांस ने भारत में न्यूक्लियर पावर रिएक्टर स्थापित करने में सहयोग देने हेतु अपनी इच्छा जाहिर की है। तथापि, सहयोग संबंधी शर्तों के बारे में दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है।

दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के बारे में समिति

*73. **श्री चित्त महाता** :
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के बारे में नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार के हैं कि इसमें अनेक जटिल मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार करना आवश्यक है। कार्य भी बहुत विशाल है।

उम्मीद है कि समिति जून, 1989 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या

*74. श्री महेश्वर तांती : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी रेखा के नीचे रह रही जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत प्रतिशत कितना है;

(ख) गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का राज्यवार औसत प्रतिशत कितना है; और

(ग) गरीबों के उत्थान और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 के लिए अखिल भारतीय तथा राज्य स्तर पर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या तथा प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने पर बल देते हुए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की आपूर्ति की व्यवस्था करते हुए सामान्य संवृद्धि प्रक्रियाओं के अलावा प्रत्यक्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में निवेश बढ़ा दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शामिल हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जाते हैं।

विवरण

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दी गई राज्यवार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या तथा प्रतिशतता : 1983-84 (अनन्तिम)

राज्य	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
	संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत
1. आंध्र प्रदेश	164.4	38.7	40.7	29.5	205.1	36.4
2. असम	44.9	23.8	4.9	21.6	49.8	23.5
3. बिहार	329.4	51.4	36.1	37.0	365.5	49.5
4. गुजरात	67.7	27.6	19.9	17.3	87.6	24.3
5. हरियाणा	16.2	15.2	5.5	16.9	21.7	25.6
6. हिमाचल प्रदेश	5.8	14.0	0.3	8.0	6.1	13.5
7. जम्मू व कश्मीर	8.1	16.4	2.2	15.8	10.3	16.3

1 2	3	4	5	6	7	8
8. कर्नाटक	102.9	37.5	34.7	29.2	137.6	35.0
9. केरल	55.9	26.1	15.6	30.1	71.5	26.8
10. मध्य प्रदेश	218.0	50.3	36.9	31.1	254.9	46.2
11. महाराष्ट्र	176.1	541.5	55.0	23.3	232.0	34.9
12. मणिपुर	1.3	11.7	0.6	13.8	1.9	12.3
13. मेघालय	3.9	33.7	0.1	4.0	4.0	28.0
14. उड़ीसा	107.7	44.8	10.4	29.3	118.1	42.8
15. पंजाब	13.7	10.9	10.7	21.0	24.4	13.8
16. राजस्थान	105.0	36.6	21.2	26.1	126.2	34.3
17. तमिलनाडु	147.6	44.1	52.6	30.9	200.2	39.6
18. त्रिपुरा	4.6	23.5	0.5	19.6	5.1	23.0
19. उत्तर प्रदेश	440.0	46.5	90.6	40.3	530.6	45.3
20. पश्चिम बंगाल	183.9	43.8	41.2	26.5	225.1	39.2
21. नागालैंड, सिक्किम और सभी संघ राज्य क्षेत्र	17.9	47.4	14.4	17.7	32.3	27.1
अखिल भारतीय	2215.0	40.4	495.0	28.1	2710.0	37.4

जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियां

*75. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में अलगाववादी संगठनों ने गणतंत्र दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को ऐसे संगठनों की गतिविधियों के बारे में जानकारी है जिनसे देश की अखंडता को निरन्तर खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य में अलगाववादी तत्वों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) कुछ संगठनों ने गणतंत्र दिवस को "काला दिवस" के रूप में मनाने का आह्वान किया था।

(ख) सरकार को कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों की जानकारी है।

(ग) "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है अतः जम्मू और कश्मीर में लागू आपराधिक नियमों के अन्तर्गत राष्ट्र विरोधी और विघटनकारी तत्वों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करना प्राथमिक रूप में सरकार का कार्य है।

राज्य सरकार से गणतंत्र दिवस पर किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक निवारक और एहतियाती उपाय करने का अनुरोध भी किया गया था।

कोचीन हवाई अड्डे का विस्तार

*76. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन हवाई अड्डे का विस्तार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) कोचीन हवाई अड्डे पर गौण धावन-पथ का विस्तार करने और उसका नवीकरण करने से सम्बन्धित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस परियोजना के अन्तर्गत "नेशनल हाइवे" का दिशा-परिवर्तन, रेलवे लाइन का दिशा-परिवर्तन, एक गांव का पुनर्वास और समुद्र को पाट कर भूमि को उपयोगी बनाना भी शामिल है।

बाबरी मस्जिद—राम-जन्म भूमि विवाद

*77. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री अमर रायप्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाबरी मस्जिद-राम-जन्म भूमि विवाद को सुलझाने के लिए संबंधित संगठनों और व्यक्तियों से कई बार वार्ता कर चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस मामले में भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) समझौते का कोई समान आधार नहीं होने के कारण केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से कानूनी प्रक्रिया को तेज करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से सिविल जज फैजाबाद से चार अनिर्णित मुकदमों को हाथ में लेने तथा उनका शीघ्र निपटान करने का निवेदन किया है।

कालीकट हवाई अड्डे का विस्तार

*78. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान कालीकट हवाई अड्डे का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1989 के दौरान और अधिक स्थानों/स्टेशनों को कालीकट हवाई अड्डे से जोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार कालीकट और बम्बई के बीच दैनिक विमान सेवा चालू करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) गत तीन महीनों के दौरान बम्बई-कालीकट-बम्बई मार्ग पर प्रत्येक उड़ान के लिए औसतन कितने यात्री प्रतीक्षा सूची में थे ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 1989 के दौरान, वायुदूत की कालीकट को कोचीन, कोयम्बटूर और अगति के साथ विमान सेवा से जोड़ने की योजना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) बम्बई-कालीकट उड़ान आई सी-197 के लिए पिछले तीन महीनों (नवम्बर, दिसम्बर, 1988 और जनवरी, 1989) के दौरान प्रतीक्षा सूची में यात्रियों की प्रति उड़ान औसत संख्या 121 थी और कालीकट-बम्बई उड़ान आई सी-198 के लिए 42 थी।

आदिवासी क्षेत्र विकास एजेंसियों के लिए परियोजनाएं

[अनुवाद]

567. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों को जारी रखने हेतु आदिवासी क्षेत्र विकास एजेंसियों के लिए परियोजनाएं तैयार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ परियोजना रिपोर्टें भेज दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) सातवीं योजना के दौरान प्रारम्भ की गई आदिवासी उप-योजना नीति के अन्तर्गत समेकित आदिवासी विकास एजेंसियों/परियोजनाओं में सभी कार्यक्रमों को शेष योजना अवधि के लिए जारी रखा जा रहा है।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 के लिए सभी 19 आदिवासी उपयोजना राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की आदिवासी उपयोजना जिसमें कृषि, बागवानी, पशु-चिकित्सा एवं पशु-पालन,

बानिकी, सहकारिता, लघु सिंचाई, कुटीर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रम अंतर्विष्ट हैं, पर विचार-विमर्श किया जा चुका है और कल्याण मन्त्रालय एवं योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए शिक्षा का माध्यम

568. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर प्रशिक्षण आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्य भाषाओं में कम्प्यूटर में प्रशिक्षण कब से आरम्भ किए जाने की आशा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) जिन संस्थानों में हिन्दी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनमें हुई प्रगति के आधार पर अन्य भाषाओं में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रस्ताव है।

भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठिए

569. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो भारत पाकिस्तान सीमा पर वर्ष 1988 के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा कितने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारा गया और कितनों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) घुसपैठियों के प्रवेश को रोकने के लिए भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारत-पाक सीमा के सम्बन्ध में वर्ष 1988 के दौरान मारे गए तथा गिरफ्तार किए गए घुसपैठियों की संख्या के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सीमा सुरक्षा बल, जो भारत-पाकिस्तान सीमा की रक्षा करता है, को सुदृढ़ किया गया है। अधिक सीमा चौकियां स्थापित की गई हैं। घुसपैठियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है। सी० सु० बल को आधुनिक उपकरणों और गहन गश्त के लिए वाहनों से लैस किया गया है।

विवरण

1989 वर्ष के दौरान पाकिस्तान सीमा पर पकड़े गए तथा मारे गए पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या

सीमा का क्षेत्र	सीमा पर पकड़े गए	वापस धकेले गए	राज्य पुलिस को आवश्यक कार्रवाई हेतु सुपुर्द किए गए	मारे गए व्यक्ति
1. जम्मू और कश्मीर	119	48	71	49
2. पंजाब	2129	1934	195	201
3. राजस्थान	1207	1027	180	179
4. गुजरात	21	—	21	2

टिप्पणी :—यह कहना संभव नहीं है कि पकड़े गए तथा मारे गए व्यक्तियों में से कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिक थे ।

समुद्री सतह से क्षतिग्रस्त पोतों को हटाना

570. श्री चिन्तामणि जेना : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के समुद्री तट क्षेत्र में अनेक क्षतिग्रस्त पोत पड़े हुए हैं;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या समुद्री सतह से ऐसे क्षतिग्रस्त पोतों को हटाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास परमाणु, ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के०, आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पोत भग्नावशेषों का कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(घ) और (ङ) जी, नहीं ।

(च) संसाधनों की कमी और विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण सर्वेक्षण नहीं किए जा सके ।

नये एसोसिएशन मान्यता नियम बनाना

571. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बंगलौर पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय अराजपत्रित एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में सरकार को नये एसोसियेशन मान्यता नियम बनाने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा क्या ऐसे मान्यता नियम पुनः तैयार किये गये हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने पहले निरर्थक बता दिया था ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण के आदेश का संगत अंश निम्न प्रकार है :—

> "प्रतिवादी आवेदक एसोसिएशन के मान्यता सम्बन्धी मामले पर, यदि आवश्यक हुआ तो नए नियम बानकर विचार करेंगे और आवेदक-एसोसिएशन को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से छः महीने के भीतर इस मामले में अपने निर्णय की सूचना दे देंगे।"

(ख) मान्यता सम्बन्धी नियम पुनः तैयार नहीं किए गए हैं। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा एसोसिएशनों की मान्यता) नियमावली, 1959 को उच्चतम न्यायालय द्वारा विखण्डित नहीं किया गया था। वास्तव में, इन नियमों को, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा साथ ही केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1955 के नियम 4(ख) के संदर्भ में तैयार किया गया था। 1962 में, उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त आचरण नियमवली के नियम 4(ख) को विखण्डित कर दिया था। केवल इसी कारण मान्यता नियमावली, 1959 को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वतः ही "निष्क्रिय" माना जाता है।

केरल में वायुदूत सेवा

572. **श्री टी० बशीर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के किन्हीं शहरों के लिए वायुदूत सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) और (ख) अतिरिक्त विमान क्षमता उपलब्ध होने पर, वायुदूत को केरल में कोचीन को कालीकट से विमान सेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं।

एयर-टैक्सी सेवा के लिए विमानों की खरीद

573. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर टैक्सी सेवाएं केवल दो इंजिन वाले विमानों तक ही सीमित है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक इंजिन वाले विमानों को भी ऐसी सेवाओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि भारत में अधिकांश हवाई अड्डे केवल दिन की सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं; और

(ग) क्या सरकार का टैक्सी सेवाओं के लिए विमानों की खरीद हेतु विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता में से इसके लिए राशि निर्धारित करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) और (ख) हवाई टैक्सी सेवाओं के प्रचालन से सम्बन्धी मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, जो 14-11-86 को जारी किये गए थे, हवाई टैक्सी प्रचालन केवल द्वि-इंजिन विमानों तक ही सीमित रखे गए हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कानून और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए सेना तैनात करना

574. श्री टी॰ बाल गौड़ : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान देश में कानून और व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए कितनी बार सेना तैनात की गई; और

(ख) इसके क्या-क्या प्रभाव पड़े ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) और (ख) अर्द्ध-सैनिक बलों के तुरन्त उपलब्ध होने के कारण गत 4 वर्षों (1985-88) के दौरान सशस्त्र सेना के कार्मिक का 89 बार प्रयोग किया गया। इसके परिणामस्वरूप, प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था तथा शान्ति कायम की गई।

शहरी धनवान व्यक्तियों और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के बीच अन्तराल

575. श्री गुरुदास कामत : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थ व्यवस्था पर निगरानी रखने वाले अनुसंधान संगठनों द्वारा प्रकाशित परिणामों के अनुसार कृषि उत्पादों के अलाभकारी मूल्यों के कारण ग्रामीण निर्धन और शहरी धनी व्यक्तियों के बीच का अन्तराल बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या इसी भारी अन्तराल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक उत्तेजना बढ़ रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार शहरी और ग्रामीण आय के इस असंतुलन को दूर करने का है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) माननीय सांसद किन अध्ययनों के बारे में जानना चाहते हैं इसकी तो जानकारी नहीं है लेकिन यह कहना सही नहीं है कि अ-लाभकारी कृषि मूल्यों के कारण ग्रामीण गरीबों और शहरी अमीरों के बीच अन्तराल बढ़ता जा रहा है। कृषि कीमतें सरकार द्वारा कृषि लागतों तथा कीमतों से संबंधित आयोग जो कि उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता, भूमि, पानी तथा अन्य निवेशों का तर्क संगत उपयोग सुनिश्चित करने, बाकी की अर्थव्यवस्था पर कीमत नीति का संभावित प्रभाव, विशेष रूप से निर्वाह मूल्य, दैनिक मजदूरी का स्तर तथा औद्योगिक लागत ढांचे को ध्यान में रखती है, की सिफारिशों को ध्यान में रख कर निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए, कृषि कीमतें अलाभकारी नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं का पुनर्वास

576. श्री कृष्ण सिंह :

श्री हरिहर सोरन : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में युद्ध में मारे गए सैनिकों की अनुमानत: कितनी विधवाएं हैं;

(ख) ऐसी कितनी विधवाएं और उनके आश्रित हैं जिनके पास जीव-यापन का कोई समुचित साधन नहीं है और जिनके यहां कोई कमाने वाला नहीं है;

(ग) इन परिवारों के पुनर्वास की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में वीरगति प्राप्त होने वाले सैनिकों की पत्नियों की, जो कि विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में रहती हैं, संख्या लगभग 7,550 है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जनवरी, 1989 को प्राथमिकता-II क श्रेणी के अन्तर्गत रोजगार के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के पास 2016 आश्रितों को पंजीकृत किया गया।

(ग) समूह "ग" और "घ" के उपयुक्त सिविल पदों में, उस पद के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देने की सुविधा के अतिरिक्त युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियां निम्नलिखित सुविधाएं पाने की पात्र हैं :—

(क) उदारीकृत पेंशन लाभ।

(ख) तेल उत्पादक एजेंसियों के आरक्षित "कोटे" में से एजेंसी आवंटित के मामले में प्राथमिकता।

(ग) रोजगार केन्द्रों के माध्यम से भरे जाने वाले समूह "ग" और समूह "घ" के पदों में रोजगार के लिए प्राथमिकता-II क।

(घ) प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने तक बच्चों के लिए अध्ययन शुल्क एवं अन्य शुल्क से पूरी छूट।

(ङ) लघु उद्योग-धन्धे, यातायात एजेंसियां एवं कृषि आदि क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियां "सेमफेक्स-I" और "सेमफेक्स-II" नामक नई स्वरोजगार योजनाओं का भी लाभ ले सकती हैं।

(च) 1-4-1987 से रेल के द्वितीय श्रेणी के किराए में छूट जो 75% है।

स्वरोजगार सम्बन्धी अन्य योजनाओं में ये शामिल हैं—

जय जवान स्टाल/बूथ, मदर डेयरी/दिल्ली दुग्ध योजना के बूथ के बूथ, रेलवे प्लेट फार्मों पर

बिक्री एवं भोजना प्रबन्ध के ठेके, थल सेना के अतिरिक्त वाहनों और ट्रैक्टरों का आवंटन, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) के लिए ऐजेंसी और परिवहन कार्य, जब भी वह उपलब्ध हो।

राज्य सरकारों ने भी ये सुविधाएं/मुआवजे दिए हैं—भू-खंड, मकान/मकान की जगह, मकान निर्माण के लिए ऋण, अनुग्रहपूर्वक अदायगी, मुफ्त बस यात्रा की सुविधा आदि। मुआवजों का स्वरूप एवं प्रत्येक में भिन्न-भिन्न होती है।

विवरण

युद्ध में मारे गए सैनिकों (1962, 1965 एवं 1971 के युद्धों में) की पत्नियों के बारे में राज्यवार ब्यौरे

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	77
2.	असम	06
3.	अरुणाचल प्रदेश	लागू नहीं होता
4.	बिहार	381
5.	गोवा	06
6.	गुजरात	03
7.	हरियाणा	980
8.	हिमाचल प्रदेश	508
9.	जम्मू और कश्मीर	407
10.	कर्नाटक	68
11.	केरल	204
12.	मध्य प्रदेश	122
13.	महाराष्ट्र	542
14.	मणिपुर	02
15.	मिजोरम	07
16.	मेघालय	01
17.	नागालैंड	—
18.	उड़ीसा	23
19.	पंजाब	1546

1	2	3
20.	राजस्थान	574
21.	सिक्किम	01
22.	तमिलनाडु	171
23.	त्रिपुरा	02
24.	उत्तर प्रदेश	1727
25.	पश्चिम बंगाल	110
	संघ शासित क्षेत्र	
26.	अण्डमान एवं निकोबार	लागू नहीं होता
27.	दमन एवं दीव	—
28.	चंडीगढ़	60
29.	दिल्ली	76
30.	पांडीचेरी	लागू नहीं हुआ
	कुल :	7550

ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

बाबरी मस्जिद विवाद

577. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाबरी मस्जिद संबंधी अयोध्या विवाद का बातचीत द्वारा हल करने के लिए तथा 30 जुलाई, 1988 को की गई उनकी घोषणा के अनुसरण में बाबरी मस्जिद आन्दोलन समन्वय समिति और विश्व हिन्दू परिषद के साथ हुई उनकी बातचीत में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) सरकार द्वारा समझौते के लिए समान आधार ढूंढने के लिए बातचीत विफल होने पर न्यायिक प्रक्रिया तेज करने के बारे में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) किस प्रकार के निर्णयादेश पर सहमति हुई है, जो राज्य सरकार को सूचित किया गया है; और

(घ) केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद के प्रस्तावित विध्वंस और इस प्रयोजन के लिए विश्व हिन्दू परिषद द्वारा हिन्दू मंच के गठन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) समझौते के किसी सामान्य आधार के अभाव में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा विवाद पर निर्णय लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया को तेज करे। राज्य सरकार विवाद से सम्बन्धित सभी चार अनिर्णित मुकदमों को समेकित करने तथा उनके शीघ्र निपटान करने के लिए उन्हें उच्च न्यायालय में ले गई है।

(घ) राज्य सरकार को स्थिति से निपटने और कानून तथा व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाने हेतु अनुरोध किया गया है।

केटरिंग वैन के लिए लाइसेंस

[हिन्दी]

578. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केटरिंग वैन का लाइसेंस पाने के लिए पिछले वर्ष अनेक व्यक्तियों ने आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 1989 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या का महीनावार ब्यौरा क्या है तथा ऐसे लाइसेंस देने के लिए मुख्य शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या लाइसेंस देने में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 1-4-1988 से 31-1-1989 तक की अवधि के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा 29 आवेदन प्राप्त किए गए। प्राप्त हुए आवेदनों का माहवार ब्यौरा और निर्धारित शर्तों का बताने वाला विवरण-1 संलग्न है।

इस अवधि के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका को ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में केटरिंग वैन चलाने के लिए लाइसेंस की मंजूरी देने हेतु निर्धारित शर्तें संलग्न विवरण-2 में दी गई हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-1

मोबाइल केटरिंग वैन के लिए लाइसेंस शर्तें

(मोबाइल वैन में खाद्य सामान की बिक्री)

1. वैन खड़ी करने के लिए स्थान चुना जाएगा ताकि यातायात अवरोध उत्पन्न न हो।

2. मोबाइल वैन को केवल उसी जगह खड़ी करने की अनुमति दी जाएगी जिसे यातायात पुलिस प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

खुले स्थान पर कोई भी खाने योग्य वस्तु बनाने नहीं दी जाएगी। मोबाइल वैन द्वारा दिए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त स्थान पर तैयार किए जाएंगे।

3. चाय तथा काफी तैयार करने के लिए पेयजल उपलब्ध कराने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

4. बेकार पानी को सुविधाजनक स्थान पर ले जाने तक इस पानी के संचय हेतु उचित व्यवस्था की जाएगी।

5. वैन का वह भाग जिसमें काफी चाय तैयार की जाएगी तथा स्नैक्स आदि रखे जाएंगे मक्खियों से पूर्ण रूप से अभेद्य होगा।

6. कूड़ा-कचड़ा सहित बेकार सामग्री को एकत्र करने की उचित व्यवस्था होगी और इसके लिए कूड़ादान बनाया जाएगा।

7. कप प्लेट (क्रोकरी) तथा छुरीकांटे को धोने और जीवाणु मुक्त करने के लिए गरम/उबले हुए पानी की व्यवस्था की जाएगी।

8. हैजा, टाइफाइड आदि जैसी आम फैलने वाली बीमारियों से मोबाइल वैन में लगे फूड-हैंडलरों का बचाव किया जाएगा।

9. सभी कर्मचारी साफ तथा स्वच्छ वर्दी पहनेंगे और उनकी सावधिक चिकित्सा जांच होगी ताकि कोई संक्रामक रोग न फैले।

10. लाइसेंस की किसी शर्त को न मानने या किसी नियम, उप नियम या इस सम्बन्ध में बनाए गए विनियमों के उल्लंघन के लिए लाइसेंस किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा।

11. वैन की न्यूनतम ऊंचाई वैन सतह से 6 फिट से कम नहीं होनी चाहिए।

12. वैन का स्वामित्व लाइसेंस धारी के नाम से होगा।

विवरण-2

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में केटरिंग वैन चलाने के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी/लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस दिए जाने के लिए निर्धारित शर्तें

1. वैन नई दिल्ली नगर पालिका/ट्रैफिक पुलिस द्वारा विधियत रूप से अनुमोदित स्थान पर खड़ा किया जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का अवरोध अथवा गन्दगी नहीं फैलाएगी।

2. वैन में लगाए गए रैंकों के टाप पर एल्यूमीनियम/स्टेनलैस स्टील अथवा सनमाईका शीट लगाई जाएगी।

3. पेयजल के उचित भंडारण के लिए उचित प्रबन्ध होने चाहिए।

4. भोजन को धूल और मक्खियों से बचाने के लिए वैन का पूर्ण बचाव होना चाहिए।

5. स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी तथा लाइसेंसिंग प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार तैयार भोजन के भंडारण तथा बिक्री के उचित प्रबन्ध करने होंगे।

6. वैन के भीतर किसी भी प्रकार भोजन पकाना/तैयार करना अथवा उसमें आग जलाने की अनुमति नहीं होगी।

7. तैयार/पके हुए भोजन के लिए प्रयोज्य कप और प्लेटों का प्रयोग करना होगा।

8. कूड़े को एकत्र करने के लिए उचित आकार की साफ किए जा सकने योग्य कूड़े की टोकरी रखनी होगी। वैन चालक कक्ष गाड़ी के मुख्य भाग से उचित तथा सुरक्षित रूप से अलग किया जाना चाहिए।

9. धूल तथा मक्खी से अभेद्य खिड़की से केवल तैयार की गई चाय, काफी, स्नैक्स, बिस्कुट और कार्बोनेटेड पानी ही बेचा जाएगा।

10. पकी/तैयार की हुई खाद्य वस्तुएं केवल अनुमोदित (पी० एफ० ए०) अधिनियम के अधीन विधिवत अनुमोदित/प्रतिष्ठान से खरीदनी होगी। ऐसे स्रोतों के नाम तथा पते को बताना होगा।

11. समय-समय पर सभी व्यक्तियों की चिकित्सा जांच की जाएगी तथा संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीके लगाने होंगे।

12. वैन खड़े करने का स्थल तथा आसपास का क्षेत्र सदा साफ रखना होगा तथा वैन प्रातः 8 बजे से पहले तथा रात्रि 8 बजे के बाद खड़ी नहीं करनी होगी।

13. लाइसैंस धारक को नई दिल्ली नगर पालिका के सभी विभागों तथा ट्रैफिक पुलिस की सभी अपेक्षाओं का पालन करना अनिवार्य होगा और पालन करना होगा।

14. वाहन के वैध पंजीकरण सम्बन्धी दस्तावेज।

15. ट्रैफिक पुलिस की एन० ओ० सी० की एक फोटो प्रति।

16. पी० एफ० ए० अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सभी आवश्यकताओं और उसके अधीन बने सभी नियमों का पालन करना होगा।

विवरण-2

1-4-88 से 31-1-89 के दौरान दि० न० निगम द्वारा महीनेवार प्राप्त आवेदनों की संख्या

महीने	प्राप्त आवेदनों की संख्या
अप्रैल, 1988	2
मई, 1988	2
जून, 1988	4
जुलाई, 1988	4
अगस्त, 1988	6
सितम्बर, 1988	2
अक्तूबर, 1988	2
नवम्बर, 1988	2
दिसम्बर, 1988	2
जनवरी, 1989	3
जोड़	29

नादियालाल, गाम्स तथा मोलगिस जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

[अनुवाद]

579. श्री मोहम्मद अयूब खां : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि जम्मू तथा कश्मीर के राजौरी, ऊधमपुर, डोडा तथा राजौरी जिलों में रह रहे नादियालाल, गाम्स तथा मोलगिस उप जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) सूचना को जनहित में नहीं बताया जा सकता।

(ग) किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में किसी समुदाय को शामिल केवल संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342(2) को ध्यान में रखते हुए संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

उड़ीसा में स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान

580. श्री के० प्रधानी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़े राज्यों में स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान कर रही है;

(ख) क्या ऐसी सहायता अनुदान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रदान की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे संगठनों को कुल कितनी राशि का सहायता अनुदान दिया गया ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) उड़ीसा में दो स्वयंसेवी संगठन अर्थात् रामाकृष्णा मिशन आश्रम, पुरी और ठक्कर बापा आश्रम, नीमाखंडी, जिला गन्जम थे जिन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत सहायक अनुदान स्वीकृत किए गए थे। पिछले 3 वर्षों के दौरान इन संगठनों को दिये गये कुल सहायक अनुदान की राशि 8,61,722 रु० थी।

"तरखान" को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना

581. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में "तरखान" शब्द को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, क्योंकि पहाड़ी भाषा का यह शब्द हिन्दी शब्द "बढ़ई" के बराबर है, जो "लुहार" शब्द के समकक्ष है और एक सह-जाति का सूचक है, तथा इस सूची में शामिल है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मांग पर क्या कार्यवाही की गई है और "तरखान" शब्द इस सूची में कब तक शामिल किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कोई निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) सूचियों में संशोधन करने के सभी प्रस्तावों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में विचार किया जा रहा है जो कि संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342(2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। अत: इस समय किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता ।

इंडियन एयरलाइन्स के विमान में गोलियों का पाया जाना

582. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 जनवरी, 1989 को दिल्ली से बम्बई जाने वाले विमान की सीट पर गोलियां पाई गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) एयरबस विमान की सीट के नीचे से 22 बोर की कुछ गोलियां बरामद हुई थीं। यह विमान 21-1-89 को दिल्ली से बम्बई पहुंचा था। जांच करने पर यह पता चला कि ये कारतूस ऐसे यात्री के थे जिसके पास ·22 बोर हथियार का लाइसेंस था। पुलिस द्वारा की गई घर की तलाशी के दौरान संबंधित यात्री ने ·22 के चार भरे हुए कारतूस और दो खाली कारतूस प्रस्तुत किए। विमान में पाए गए और यात्री से बरामद किए गए कारतूस मिलान के लिए विशेषज्ञों के पास भेजे जा रहे हैं ।

भाषायी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा

583. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में रह रहे भाषायी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों को क्या विशेष मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) भाषायी अल्पसंख्यकों

के संवैधानिक हितों की सुरक्षा के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर जिन अन्य हितों की सुरक्षा तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर सहमति हुई है वे निम्नलिखित दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है :—

(एक) राज्यों के मुख्य मंत्रियों के परामर्श से तैयार किया गया 1956 का ज्ञापन।

(दो) 1959 में हुई दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की मंत्री स्तर की समिति की बैठक में लिए गए निर्णय।

(तीन) अगस्त, 1961 में हुई केन्द्रीय मंत्रियों एवं राज्यों के मुख्यमन्त्रियों की बैठक में जारी किया गया विवरण।

भाषायी अल्पसंख्यकों के उपयुक्त की उपायुक्त की 25वीं रिपोर्ट में भी इन अतिरिक्त सुरक्षा उपायों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का भी समावेश किया गया है जिसे अगस्त 1687 में सदन के पटल पर रखा गया था। रिपोर्ट की प्रतियां भी आवश्यक कार्यवाही हेतु सभी राज्य सरकारों को भेजी जा चुकी है।

महाराष्ट्र में आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत योजनाएं

584. श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु महाराष्ट्र में आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत क्या योजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ख) इनसे अब तक क्या परिणाम मिले हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निगरानी की जा रही है कि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित धनराशि पूर्ण रूप से इसी मद पर खर्च की जाए; और

(घ) यदि हां, तो निर्धारित धनराशि को दूसरे प्रयोजनों पर खर्च करने के यदि किन्हीं मामलों का पता चला है, तो उनकी संख्या क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

नौसेना के आधुनिकीकरण हेतु निर्धारित धनराशि

585. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नौसेना के आधुनिकीकरण हेतु कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना में इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही): (क) और (ख) नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और इस कार्य के लिए आवश्यक धन उपलब्ध किया जाता है।

भारत और अमरीका के बीच टीका लगाने सम्बन्धी कार्यक्रम के नए प्रस्ताव

586. **श्री मुरलीधर माने** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीकी संयुक्त कार्य दल ने टीका लगाने सम्बन्धी कार्यक्रम के अनेक प्रस्ताव आरम्भ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) जी हां, भारत-अमरीका वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम (वी० ए० पी०) के अन्तर्गत अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संयुक्त कार्य दल द्वारा एक संयुक्त प्रपत्र अनुमोदित किया गया था तथा इसे बहुत बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों/संस्थानों को परिचालित किया गया था जिनमें राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, मेडिकल कालेज, विश्वविद्यालय आदि शामिल है। अब तक करीब 25 संयुक्त अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव भारतीय पक्ष में प्राप्त हुए है, तथा वी० ए० पी० के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से गठित शीर्ष समिति ने इनका परीक्षण किया था। चार परियोजनाओं का परीक्षण किया जा रहा है। छः परियोजनाओं को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वी० ए० पी० के अन्तर्गत अभिनिर्धारित प्राथमिकता के बाहर थी। शेष 15 परियोजनाएं शीर्ष समिति के अनुदेशों के अनुसार आशोधन हेतु शोध-कर्ताओं को लौटा दी गई है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रदेश परिषद

587. **श्री शांताराम नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रदेश परिषद के कार्य, शक्तियां और गठन के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विशेषत: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्थानीय स्वायत्त निकाय, जो कि वस्तुत: प्रशासन के निम्न स्तर के निकाय हैं, का गठन निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है जबकि सर्वोच्च निकाय का गठन नामांकन द्वारा किया जाता है, निर्वाचित प्रदेश परिषद की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इम्फाल हवाई अड्डे पर सुविधाएं

588. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन में विद्यमान खान-पान, सामान्य और रक्षित विश्राम-कक्षों, डिलीवरी काउन्टरों आदि से सम्बन्धित सेवाओं में कितना सुधार हुआ है;

(ख) क्या इम्फाल हवाई अड्डे पर रात्रि में विमान उतारने में सहायक सिद्ध होने वाले उपकरणों की सुविधा है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुविधा अनुमानत: कब तक प्रदान की जायेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (शिवराज वी० पाटिल) : (क) इम्फाल हवाई अड्डे पर स्थित टर्मिनल भवन में पहले ही खान-पान सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में, 2 करोड़ रुपए की लागत से और आगे सुविधाओं में सुधार किये जाने की आशा है जिससे वातानुकूलित प्रस्थान होल्डिंग क्षेत्र, वाहक पट्टियों इत्यादि की व्यवस्था जैसी और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

(ख) और (ग) इस समय बागडोगरा के पूर्व में डूबने के बाद अनुसूचित सेवाओं के परिचालन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। इसलिए, इस समय इम्फाल हवाई अड्डे पर तत्काल रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में विदेशी पर्यटकों का आना

580. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार केरल में कितने विदेशी पर्यटक आये ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : केरल सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान कोवलम, त्रिवेन्द्रम, कोचीन तथा थेक्कडी की यात्रा करने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :—

1986	95,567
1987	88,842
1988 (सितम्बर तक)	59,044

सभी केन्द्रों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण आंकड़े राज्य सरकार से उपलब्ध नहीं हुए हैं।

आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए योजनाएं

590. **श्री मारिक रेड्डी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस समय कितनी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने परिवार लाभान्वित हुए;

(ग) वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित

जनजातियों के लोगों को विभिन्न प्रकार के लाभ पहुंचाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उराव) : (क) से (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

पर्यटन-स्थल के निर्माणों हेतु निर्धारित मानदंडों में छूट

591. **श्री एच० जी० रामूल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन स्थलों (टूरिस्ट रिसोर्ट्स) के निर्माण हेतु निर्धारित मानदंडों में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) पर्यटन-स्थलों का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने देश में पर्यटक विहार-स्थलों का निर्माण करने के लिए चुनिंदा विहार-स्थलों के अलावा, जहां कतिपय विज्ञा-निर्देशों तथा सुरक्षा-उपायों के अधीन उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर और 200 मीटर के बीच निर्माण करने की अनुमति है, कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए हैं। यह विभाग पर्यटक विहार स्थलों का निर्माण करने के लिए न तो स्थलों का पता लगाता है और न ही निर्धारण करता है। पर्यटन आधार संरचना का विकास करने के लिए पर्यटक केन्द्रों का अभिनिर्धारण करने और केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव तैयार करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। परियोजना के निष्पादन अभिकरण, आकार और स्थान, आदि पर निर्भर रहते हुए प्रत्येक राज्य और प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में पर्यटक परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि अलग-अलग होती है।

स्वास्थ्य देखभाल के लिए इलेक्ट्रानिक सम्बन्धी कृतिक बल की सिफारिशें

592. **श्री शांतिलाल पटेल** :

श्री एस० एम० गुरुदी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1988 में स्वास्थ्य देखभाल के बारे में गठित किये गये इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कृतिक बल ने यह सिफारिश की है कि उत्कृष्टता की भावना के साथ प्रौद्योगिकी मिशन प्रारम्भ की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) मिशनों की मुख्य बातें क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा,

इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) जी, हां। 'स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इलेक्ट्रौनिकी' पर गठित कार्यदल ने प्रौद्योगिकी विकास मिशन आरम्भ करने की सिफारिश की है।

(ख) कार्यदल की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और इसकी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रौद्योगिकी विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य आधार का विकास करना और स्वास्थ्य की देखभाल कार्यक्रम के लिए प्राथमिक, सामुदायिक तथा जिला स्वास्थ्य केन्द्रों, शैक्षिक एवं अनुसंधान तथा विकास संस्थानों में स्वदेशी प्रणालियां स्थापित करना और विशिष्ट चिकित्सा इलैक्ट्रौनिक उपस्करों का प्रौद्योगिकी की दृष्टि से ग्रेड उन्नयन करना हैं।

सियाचिन ग्लेशियर के सम्बन्ध में भारत-पाक वार्ता

[हिन्दी]

593. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी-फरवरी, 1989 में सियाचिन ग्लेशियर के प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के बीच अधिकारी स्तर पर कोई बातचीत हुई थी और क्या पाकिस्तान भारत के दृष्टिकोण से सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सियाचिन ग्लेशियर में इस समय पूर्णत: शांति है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) सियाचिन मामले पर विचार के लिए सरकारी स्तर की वार्ता का आखिरी दौर नई दिल्ली में सितम्बर, 1988 में हुआ। अगली बैठक के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) इस क्षेत्र में गोलाबारी की छुट-पुट घटनाएं जारी रहती हैं।

वर्ष 1989-90 के लिए की वार्षिक योजना

[अनुवाद]

595. **श्री एस० बी० सिदनाल** :

श्री भद्रम श्री रामपूर्ति : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु वार्षिक योजनाओं के लिए कुल कितना परिव्यय स्वीकृत किया गया है; और

(ख) गत वर्ष के परिव्यय की तुलना में इस वर्ष योजना परिव्यय में कितनी वृद्धि हुई है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वार्षिक योजना 1989-90-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत परिव्यय में वृद्धि

राज्य	1989-90 अनुमोदित परिव्यय	1989-90 अन्तिमरूप से सहमत परिव्यय
आंध्र प्रदेश	1250.00	1300.00
अरुणाचल प्रदेश	126.00	150.00
असम	610.00	635.00
बिहार	1600.00	1800.00
गोवा	92.00	110.00
गुजरात	1275.00	1400.00
हरियाणा	600.00	676.00
हिमाचल प्रदेश	260.00	300.00
जम्मू और कश्मीर	450.00	520.00
कर्नाटक	900.00	1040.00
केरल	500.00	526.00
मध्य प्रदेश	1702.00	1840.00
महाराष्ट्र	2430.00	2640.00
मणिपुर	122.50	142.00
मेघालय	130.00	150.00
मिजोरम	85.00	102.00
नागालैण्ड	110.00	132.00
उड़ीसा	835.00	925.00
पंजाब	700.00 ×	×
राजस्थान	710.00	795.00
सिक्किम	63.00	71.00
तमिलनाडु	1457.00	×
त्रिपुरा	144.00	167.00

1	2	3
उत्तर प्रदेश	2540.00	2800.00
पश्चिम बंगाल	951.00	1115.00
संघ शासित क्षेत्र		
अण्डमान व निकोबार	71.00	80.00
द्वीप समूह		
चंडीगढ़	46.60	51.50
दादरा व नागर हवेली दमन व द्वीप	9.90	11.06
	12.00	12.34
दिल्ली	558.00	620.00
लक्षद्वीप	17.50	21.00
पांडीचेरी	55.00	63.00

×योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

*परिव्यय वित्त मंत्रालय द्वारा दर्शाया गया है।

विमान यातायात में सुधार

596. श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमान यातायात सेवा प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिये कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विमान यातायात सेवा को आधुनिक बनाने के सम्बन्ध में नागर विमानन के योजना दल द्वारा की गई सिफारिशों पर भी विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो योजना दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 1990-2000 के लिए योजना, योजना ग्रुप की सिफारिशों पर आधारित है। इन सिफारिशों के अनुसार, 1987 से 1990 तक की योजना को भी उपयुक्त रूप से संशोधित कर दिया गया है।

सिफारिशें जो कार्यान्वित की गई हैं :—

(क) विमान मार्ग निगरानी राडार नागपुर संस्थापित।

(ख) विमान निगरानी राडार ए० एस० आर० गुवाहाटी, हैदराबाद 1989-90 के लिए नियोजित।

(ग) उपस्कर अवतरण प्रणाली पूर्ण हुई—अगरतल्ला, अमृतसर, अहमदाबाद, डिब्रूगढ़, इम्फाल पटना।

उपस्कर अवतरण प्रणाली जहां संस्थापित की जानी है या आंशिक रूप से पूरी की गई है—भोपाल, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी।

(घ) रिमोट कंट्रोल एयर ग्राउंड—वी० एच० एफ०—8 प्रणाली संस्थापित।

(ङ) स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली—2 पूरी की गई और 7 के लिए आर्डर दे दिया गया है।

(च) उच्च तीव्र धावनपथ प्रकाश प्रणाली—1 संस्थापित।

(छ) धावनपथ को पेवमेंटों का सुदृढ़ीकरण—4 हवाई अड्डों पर कार्य पूरा किया गया।

(ज) यात्री टर्मिनल—5 हवाई अड्डों पर कार्य पूरा किया गया है।

मालदीव में भारतीय सैनिक

597. **श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा :**

श्री जी० एस० वासवराजू : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदीव भेजे गए भारतीय सैनिक वापस लौट आए हैं;

(ख) मालदीव में अभी कितने भारतीय सैनिक मौजूद हैं; और

(ग) ये सैनिक वहां कब तक रहेंगे ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) मालदीव भेजी गई भारतीय सेनाओं में से अधिकांश को पहले ही वापस बुला लिया गया है। मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर सेना की एक छोटी टुकड़ी को वहां रोका गया है। जब मालदीव सरकार अपनी सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हो जाएगी तो उन्हें भी वापस बुला लिया जाएगा।

जम्बो विमानों के चालक दल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियम

598. **श्री अनिल बसु :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) जम्बो विमान के चालक दल के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का ब्योरा क्या है;

(ख) एयर इंडिया द्वारा इस प्रकार के विमानों के चालक दल के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं; और

(ग) क्या निर्धारित किए गए उक्त मानदण्ड अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) यात्री विमान पर उड़ान करने वाले काकपिट कर्मीदल तथा केबिन कर्मीदल के सदस्यों की संख्या विमान के विनिर्माता देश के नियंत्रक प्राधिकरण की सहमति से विमान विनिर्माता के फ्लाइट मैनुअल में निर्धारित की जाती है। इसे महानिदेशक नागर विमानन द्वारा जारी उड़न-योग्यता प्रमाण-पत्र में भी दर्शाया जाता है। अनुबन्धों के अनुसार, बोइंग विमान का परिचालन पायलट, सह-पायलट और उड़ान इंजिनियर संहित उड़ान कर्मीदल द्वारा किया जाता है।

(ख) एयर इंडिया के बोइंग 747 विमान का परिचालन निम्नलिखित कर्मीदल द्वारा किया जाता है :—

(1) पायलट, सह-पायलट, उड़ान इंजीनियर; और

(2) यात्रियों की पूर्ण संख्या के लिए 19 केबिन कर्मीदल।

(ग) जी, हां।

ओगढ़ का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

599. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के गंजम जिले में एक ऐतिहासिक तथा पर्यटन महत्व के स्थान, ओगढ़ का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन आधार-संरचना के विकास हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस विभाग को उड़ीसा सरकार से ओगढ़ का विकास करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इंडियन नेशनल साइन्टिफिक डाकुमेंटेशन सेन्टर में निदेशक के पद को भरा जाना

600. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का इन्डियन नेशनल साइन्टिफिक डाकुमेंटेशन सेन्टर नामक एक प्रमुख संस्थान पिछले दो दशकों से बिना निदेशक से चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) दिनांक 25-11-1967 को हुई शासी निकाय ने अपनी बैठक में भारतीय राष्ट्रीय प्रलेख पोषण केन्द्र (इन्सडॉक) के साथ सी० एस० आई० आर० के एक अन्य संगठन प्रकाशन सूचना निदेशालय (पी० आइ० डी०) का विलय कर इन दोनों संगठनों की गतिविधियों का प्रभावशाली समन्वयन करने के लिये केन्द्रीय वैज्ञानिक सूचना और प्रकाशन संस्थान (सी० आइ० एस० आई० पी०) की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की थी। दिनांक 10-5-1969 को निदेशक, इन्सडॉक का पद रिक्त रिक्त होने के बाद सी० आई० एस० आइ० पी० के लिए एक विशेष अधिकारी का पद विज्ञापित किया गया लेकिन इस पद के लिये किसी प्रत्याशी का चयन नहीं किया गया। तदनतर, इन्सडॉक के निदेशक का पद भी विज्ञापित किया गया था, यद्यपि जिस आदमी का चयन किया गया था, उसने ज्वायन ही नहीं किया। इन्सडॉक और पी० आइ० डी० के विलय का प्रश्न सी० एस० आइ० आर० की समीक्षा समिति सहित विभिन्न समितियों का विचाराधीन विषय रहा। समीक्षा समिति ने 31-12-1986 को प्रस्तुत की गई अपनी

रिपोर्ट में भी वही संस्तुति की। तथापि, सी० एस० आइ० आर० सोसाइटी ने इस संस्तुति पर अपनी सहमति प्रदान नहीं की और इसके निर्णयानुसार इन्सडॉक को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करना है। तदनुसार, इन्सडॉक के लिये निदेशक का चयन पहले ही किया जा चुका है और इस पद पर चयन किये गये व्यक्ति द्वारा शीघ्र ही ज्वायन करने की आशा की जाती है। इन वर्षों के अवाधिकाल में निदेशक के अधिकारों के साथ एक प्रभारी-वैज्ञानिक इंसडॉक में कार्य कर रहा है और इस व्यवस्था से संस्थान का सामान्य कार्य संचालन किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं हुआ है।

भारत-बंगलादेश सम्मेलन

601. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सीमा पर होने वाले अपराधों, तस्करी, नशीली दवाओं तथा महिलाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रभावी उपायों पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, इस सम्मेलन का क्या परिणाम निकला;

(ग) इस ज्वलंत समस्या को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारतीय पक्ष से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और बंगलादेश की तरफ से बंगलादेश राईफल्स के महानिदेशक के मध्य 9 जनवरी से 13 जनवरी, 1989 के मध्य विचार-विमर्श हुआ। वार्ता में दोनों प्रतिनिधिमंडलों की सहायता दोनों देशों के विभिन्न विभागों से लिए गए वरिष्ट अधिकारियों ने की। विचार-विमर्श वार्षिक कार्यक्रम है।

(ग) और (घ) विचार-विमर्श के संक्षिप्त ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सीमा सुरक्षा बल और बी० डी० आर० के मध्य वार्षिक सीमा समन्वय समिति की बैठक 9 से 13 जनवरी, 1989 को ढाका में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री एच० पी० भट्टनागर और बंगलादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बंगलादेश राईफल के महानिदेशक मेजर जनरल सादिक रहमान चौधरी ने किया। वार्ता में दोनों प्रतिबंडलों की सहायता सीमा सुरक्षा बल और बी० डी० आर० के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जे० आर० सी० और सर्वेक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गयी। बैठक सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई और स्वतन्त्र और निसंकोच विचार-विमर्श हुआ। बैठक में निम्नलिखित सम्बन्धित मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ :—

(एक) बंगलादेश राष्ट्रिकों द्वारा अवैध रूप से भारत में आना।

(दो) सीमा पार से तस्करी विशेष रूप से नशीली दवाओं की तस्करी।

(तीन) सीमा पार अपराध ।

(चार) चकमा शरणार्थियों की वापसी ।

(पांच) सीमा खम्बों की मरम्मत और रखरखाव ।

(छः) भूमि समस्या ।

महाराष्ट्र में विकास बोर्ड

602. डा० इला सामन्त :

श्री डी० बी० पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले छः महीनों के दौरान महाराष्ट्र सरकार से विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के लिए विकास बोर्ड बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ तथा इसमें दी गई विभिन्न बातों का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में क्षेत्रीय विकास बोर्डों की स्थापना संविधान की धारा 371(2) के उपबंधों को लागू करने के लिए एक योजना का प्रारूप अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ है।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

जम्मू और कश्मीर में विभिन्न स्थानों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास

603. श्री जनक राज गुप्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जम्मू में मंसोर और श्रूसार, राजौरी में तत्तापानी, कोटरंका तथा तन्नामंडी और पुंछ में नूरीछम्ब तथा अन्य स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों के विकास के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, इस विभाग ने मनसर में मार्गस्थ सुविधाओं के लिए 4.54 लाख रु० मंजूर किए हैं । इस विभाग को अन्य स्थानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

दहेज विरोधी सेल को प्राप्त हुई शिकायतें

604. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस के दक्षिण जिले से दहेज की मांग और परेशान किये जाने के बारे में 1 मई, 1985 से नवम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान दहेज विरोधी सेल, दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) कितनी शिकायतों में दहेज विरोधी सेल द्वारा जांच करने के पश्चात दहेज की मांग और परेशान किये जाने के आरोप सिद्ध नहीं हुए;

(ग) क्या ऐसे कुछ मामलों में पुलिस ने दहेज विरोधी सेल के निष्कर्षों को नजरअन्दाज करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध मामले दर्ज किए है और तत्सम्बन्धी कागजात न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 166,

(ख) 104,

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बोफोर्स तोप सौदे के मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

605. **डा० ए० के० पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हिन्दू" समाचार में बोफोर्स के साथ हाविट्जर तोप सौदे के बारे में प्रकाशित दस्तावेजों से सम्बन्धित जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को क्या कार्य सौंपा गया था; और

(ख) इस संबंध में जांच के क्या परिणाम निकले तथा उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए :—

(1) "दि हिन्दू' में प्रकाशित दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच।

(2) कथित अदायगियां प्राप्त करने वालों के नाम व पते मालूम करना।

(3) यह पता लगाना कि क्या इन कथित अदायगियों में से कुछ हिस्सा किसी भारतीय ने लिया है और यदि हां तो वे क्या कार्य थे जिनके लिए ये अदायगियां की गई।

(4) यह निर्धारित करना कि क्या इसमें किसी भारतीय कानून का उल्लंघन हुआ है।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

अतिरिक्त कार्य भत्ता

606. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समयोपरि भत्ते के बदले अतिरिक्त कार्य भत्ता दिए जाने के बारे में चौथे वेतन आयोग की सिफारिश कार्यान्वित करने के तरीके निर्धारित कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के अत्याधिक विलम्ब होने के क्या कारण है और इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) विधियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस विषय में संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के साथ तथा आपरेशनल स्टाफ नियुक्त करने वाले मंत्रालयों/विभागों से भी पूर्व परामर्श किया जाना अपेक्षित था।

टैकनोलोजी पार्क

607. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी विभाग का ऐसे टैकनोलोजी पार्कों के संचालन हेतु स्वायतशासी निकायों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है, जो अपने सोफ्टवेयर उत्पादन का शत-प्रतिशत निर्यात करेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के टैकनोलोजी पार्कों को स्थापित करने हेतु किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक पार्क हेतु स्वायत-शासी निकाय की स्थापना करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) भुवनेश्वर, पुणे तथा बंगलोर में एक-एक अर्थात कुल तीन प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) स्वायत निकायों के लिए नियमों एवं विनियमों सहित प्रतिष्ठापन-पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें सम्बन्धित राज्य सरकारों, इलैक्ट्रानिकी तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद और साफ्टवेयर संस्था के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इस समिति ने नियमों तथा विनियमों सहित प्रतिष्ठान-पत्र का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है। इस पर कार्रवाई की जा रही है।

अल्पसंख्यकों के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम

608. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम का किन भाषाओं में प्रचार किया जा रहा है अथवा करने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के ब्यौरे देने वाली अंग्रेजी की पुस्तिका की पर्याप्त संख्या में प्रतियां सभी राज्य सरकारों को परिचालन हेतु भेज दी गई हैं। हिन्दी तथा उर्दू अनुवाद की पुस्तिका का प्रकाशन शीघ्र किया जा रहा है।

अनुत्पादक परिव्यय को रोकने के लिए नीति

609. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुद्रा स्फीति में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए योजना के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने हेतु कोई नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने योजना तथा गैर-योजना क्षेत्रों में अनुत्पादक परिव्यय रोकने की संभावनाओं का भी पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में अनुत्पादक परिव्यय को रोका जा सकता है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां। जैसाकि सातवीं योजना दस्तावेज में पहले ही दर्शाया गया है, कर ढांचे का सुधार तथा सुदृढ़ करना, कर प्रशासन में सुधार तथा आय में संवृद्धि के लिए एक उपयुक्त व्यय नीति तैयार करने और अपनाने, वित्तीय विषय की देखभाल विशेषत: गैर-स्फीति विषयक वित्तीय नीति का पालन करने तथा उसमें सुधार तथा समुचित आंतरिक संसाधनों के सृजन के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के लिए नीति तैयार करने के लिए इसे उत्प्लावक और प्रभावी बनाने के लिए इसका उचित प्रवर्तन आदि नीति में शामिल है।

(ग) और (घ) योजना तथा गैर-योजना दोनों क्षेत्रों में अनुत्पादक परिव्ययों को नियंत्रित करने की सम्भाव्यताएं लगातार सरकार की समीक्षाधीन हैं। शून्य आधारित बजटिंग प्रणाली, विभिन्न अनुदानों की समीक्षा, व्यय का प्राथमिकीकरण, चालू कार्यक्रमों की जांच, चल रहे कार्यक्रमों को पूरा करने के पक्ष में प्राथमिकता आदि योजना तथा गैर-योजना क्षेत्रों में अनुत्पादक परिव्ययों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कुछ उपाय हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न विद्रोही दल

610. **श्री बाजूबन रियान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के पड़ोस राज्यों से आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न विद्रोही दलों के नाम क्या है; और

(ख) इन दलों की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्रियाशील उग्रवादी ग्रुप इस प्रकार हैं :

(एक) नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (एन० एस० सी० एन०);

(दो) मतैई उग्रवादी संगठन नामत: पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी० एल० ए०) पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांग्लेइपाक (पी० आर० ई० पी० ए० के०) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू० एन० एल० एफ०), कांग्लेइपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के०सी० पी०) और इनके सम्बद्ध निकाय; और

(तीन) यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (यू० एल० एफ० ए०)। वे सीमापार से या तो संचालित किये जाते हैं अथवा प्रेरणा और सहायता प्राप्त करते है।

(ख) मणिपुर के मतैई उग्रवादी संगठनों जैसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी, आफ कांग्लेईपाक इत्यादि को गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, 1967 के अधीन "अवैध संगठन" घोषित कर दिया गया है। सम्पूर्ण मणिपुर राज्य को "विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भारत बर्मा सीमा के साथ पांच किलोमीटर लम्बी पट्टी को भी "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित कर दिया गया है। उग्रवादियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाईयों में शामिल भिन्न-भिन्न एजेंन्सियों के बीच बेहतर समन्वय के लिये प्रबंध किये गये हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में क्रियाशील विभिन्न उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

नागपुर के लिए अतिरिक्त उड़ानें

611. **श्री जनवारी लाल पुरोहित** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागपुर के लिए अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था करने का है;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नागपुर के लिए अतिरिक्त उड़ान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) हाल की दुर्घटनाओं और घटनाओं तथा निर्धारित समय के बाद विमान प्राप्त होने के कारण इंडियन एयरलाइंस को क्षमता की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए इंडियन एयरलाइंस की अपनी बम्बई/नागपुर/बम्बई दैनिक बोइंग 737 सेवा को घटाकर सप्ताह में छ: करना पड़ा। तथापि, महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखकर इस सेवा को 9 दिसम्बर, 1988 से पहले की ही तरह कर दिया है। इस समय नागपुर के लिए अतिरिक्त उड़ानें परिचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जम्मू-कश्मीर में सेना की तैनाती

612. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में हाल के उपद्रवों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना तैनात की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटासिंह) : (क) और (ख) जम्मू, उधमपुर, अखनूर, सम्बा, कठुआ, पुंछ

और जम्मू और कश्मीर के डोडा क्षेत्रों में 13-1-1989 से 2-2-1989 तक सिविल प्राधिकारियों को सहायता देने तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना तैनात की गई थी।

श्रीनगर, बारामूला और अनन्तनाग के कुछ भागों में दिनांक 13-2-1989 से 19-2-1989 तक भी सेना को तैनात रहने को कहा गया था।

महासागर विकास के लिए तमिलनाडु में किया गया सर्वेक्षण

613. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महासागर विकास के लिए तमिलनाडु तट क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में महासागर विकास परियोजनाएं कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां, श्रीमान।

(ख) तमिलनाडु के समुद्र तट के साथ सर्वेक्षण करने के लिए, महासागर विकास विभाग ने सागर सम्पदा तथा सागर कन्या जैसे परिष्कृत समुद्र-वैज्ञानिक जलयानों को लगाया है। इस सर्वेक्षण से जीव और अजीव संसाधनों के सम्बन्ध में उपयोगी सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का निष्पादन करने वाले संस्थान	परियोजना शीर्षक
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	तरंग जलवायु, तरंग नियमन तथा विद्युत सम्बन्धी अध्ययन।
2.	तदैव	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास स्थित एस० आर० एस० ए० के वास्ते महासागर तरंग आंकड़ों के संसाधन के लिए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का विकास।
3.	प्राचीन उद्योग विभाग, तमिलनाडु विश्वविद्यालय	समुद्री अन्तर्जलीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य

1	2	3
4.	प्राचीन उद्योग विभाग, तमिलनाडु विश्वविद्यालय	मण्डपम और कन्याकुमारी के बीच समुद्री तट पर पुलिन-प्लेसर खनिज अन्वेषण कार्य
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	उत्प्लव केबिल व्यवस्थाओं का विश्लेषण, अभिकल्प तथा विकास
6.	अन्नामलई विश्वविद्यालय	कुड्डालोर समुद्र तटों के आस-पास पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव
7.	भारती दासन विश्वविद्यालय	समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी साइनो-जीवाणुज जीवभार उत्पादन तथा प्रयोग
8.	मद्रास विश्वविद्यालय	हिन्द महासागर और सम्बद्ध समुद्र के पादपप्लवक जीव
9.	—तदैव—	मद्रास समुद्र तट का सूक्ष्मजैविकी अध्ययन।
10.	अन्नामलई विश्वविद्यालय	बंगाल की खाड़ी में भारी धातुओं की जैव मानिटरिंग
11.	वी० ओ० चिदम्बरम कालेज, तूतीकोरिन	तूतीकोरिन तट रेखा में नियर शोर अवसादन गतिकी और भू-आकृति मूल्यांकन

चीन में होटलों की स्थापना

[हिन्दी]

614. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने होटलों की स्थापना में भारतीय विशेषज्ञों के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1988 में माननीय प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के दौरान यह उल्लेख किया गया था कि भारत और चीन के बीच घनिष्ठ आर्थिक सहयोग के लिए होटल उद्योग भी एक क्षेत्र है। चीनी पक्ष ने इसे नोट कर लिया था और होटल उद्योग में भारतीय सुविज्ञता का प्रयोग करने की संभावना का पता लगाने में सहमत था। चूंकि अभी दिसम्बर, 1988 में ही बातचीत हुई थी, इस मामले में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

चिल्का झील में सूक्ष्म अवयवों से भारतीय नौसैनिक प्रशिक्षण पोतों को खतरा

[अनुवाद]

615. श्री प्रतापराव बी० भोसले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगला की खाड़ी के पूर्वी तट पर विलका झील के पानी में सूक्ष्म अवयवों की उपस्थिति के कारण भारतीय नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र के पोतों को खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) सूक्ष्म जीव (माइक्रो आरगेनिज्म) सामान्यतः उष्ण कटिबन्धीय जल में विद्यमान रहते हैं। पोतों के हुल पर समय-समय पर रोगन करके उन्हें नुकसान से बचाने के पर्याप्त उपाय किए जाते हैं।

बिहार में स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

[हिन्दी]

616. **श्री सरफराज अहमद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को राज्य सरकार से सिफारिशें प्राप्त होने के बाद भी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मन्जूर नहीं की गई है;

(ख) ऐसे कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी पेंशन कुछ शिकायतें मिलने पर रद्द कर दी गई थी, परन्तु राज्य सरकार ने उनकी पेंशन पुनः शुरू कर देने की सिफारिश की है;

(ग) इन्हें कब तक पेंशन मिल जायेगी; और

(घ) इन्हें पेंशन मन्जूर करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 21-2-1989 को राज्य सरकार की सिफारिशों की संख्या जिन पर कार्रवाई की जानी शेष है—738।

(ख) पेंशन को पुनः शुरू करने के लिए राज्य सरकार की सिफारिशों की संख्या जिन पर कार्रवाई की जानी शेष है—6।

(ग) मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है। कोई समय सीमा बताना सम्भव नहीं है। उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

(घ) राज्य सरकार ने रिपोर्ट विलम्ब से भेजी है।

आर्मी मेडिकल कोर के डाक्टरों की सेवा-शर्तों में परिवर्तन

[अनुवाद]

617. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्मी मेडिकल कोर के डाक्टरों को 1987 से पूर्व और बाद में क्या रैंक, वेतन दिया जाता है और कितने वर्षों की सेवा के पश्चात् वे प्रथम पदोन्नति के हकदार होते हैं;

(ख) उनकी सेवा-शर्तों में इन मुद्दों में परिवर्तन के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का उनके आरम्भिक वेतन, रैंक और पदोन्नति अवधि को 1987 के पूर्व के समान ही करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही): (क) और (ख) चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों और 1985 में पूरी की गई इस कोर की संवर्ग समीक्षा के पश्चात् 1-1-1986 से सैन्य चिकित्सा कोर में डाक्टरों की सेवा-शर्तों तथा वेतन संरचनाओं में परिवर्तन किया गया। सैन्य चिकित्सा कोर में भर्ती लेफ्टिनेंट और कैप्टन स्तर पर की जाती है। लेफ्टिनेंट के मामले में, प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) की निर्धारित अवधि को पूरा करने पर कैप्टन के रैंक में पदोन्नति होती है।

आरम्भिक वेतन और प्रथम पदोन्नति के लिए अपेक्षित सेवा वर्षों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

रैंक	आरम्भिक वेतन		प्रथम पदोन्नति के लिए अपेक्षित सेवा वर्ष	
	1986 से पूर्व	1986 के पश्चात्	4-4-85 से पूर्व	4-4-85 के पश्चात्
लेफ्टिनेंट	900	2600	इंटर्नशिप पूरी करने पर	इंटर्नशिप पूरी करने पर
कैप्टन	1150	2700	भर्ती (इंटर्नशिप के बाद)	भर्ती (इंटर्नशिप के बाद)
मेजर	1520	3400	6 वर्ष	5 वर्ष

(ग) जी, नहीं।

बंगलादेश से आए शरणार्थी

[हिन्दी]

618. **श्री जगदीश अवस्थी :**

श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 जनवरी, 1989 तक देश में बंगलादेश से अल्पसंख्यक समुदायों के कितने शरणार्थी आ चुके थे;

(ख) क्या उनकी स्वदेश वापसी के लिए बंगलादेश सरकार के साथ कोई बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 31-1-1989 को देश में 44584 बंगलादेशी शरणार्थी रह रहे थे।

(ख) और (ग) अप्रैल, 1986 में शरणार्थियों की घुसपैठ प्रारम्भ होने के बाद से सरकार बंगला देश सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं और बंगलादेश सरकार को इस प्रकार का आवश्यक वातावरण बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर देती रही है जिससे शरणार्थियों में वापस जाने के लिए विश्वास उत्पन्न हो।

राजस्थान के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

[अनुवाद]

619. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान राजस्थान की वार्षिक योजनाओं के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या इन परिव्ययों का पूर्णत: उपयोग किया गया था, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1989-90 के लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है; और

(घ) क्या राजस्थान के उन समस्याग्रस्त गांवों में, जहां पर पेयजल की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, पेयजल की व्यवस्था करने और अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए राज्य में वर्ष 1989-90 के परिव्यय में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की गई है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) राजस्थान की वार्षिक योजना 1987-88 तथा 1988-89 के लिए क्रमश: 645 करोड़ रु० तथा 710 करोड़ रु० के परिव्यय अनुमोदित किए गए। वर्ष 1987-88 के लिए राज्य सरकार द्वारा बताया गया वास्तविक व्यय 644,84 करोड़ रु० था। वर्ष 1988-89 के व्यय के आंकड़े वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर ही उपलब्ध होंगे।

(ग) और (घ) वर्ष 1989-90 के लिए सहमत परिव्यय 795 करोड़ रु० है। क्षेत्रकवार ब्यौरों को यथा समय राज्य सरकार के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाएगा।

बेलगांव से उड़ानें

620. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर से बेलगांव की एक नियमित उड़ान रद्द कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कब और इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या बेलगांव को बंगलौर, गोवा और बम्बई को जोड़ने वाली उड़ानों को फिर से चालू करने की भारी मांग है; और

(घ) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) बेलगांव एयरपोर्ट का प्रयोग इस समय टर्बोप्राप परिचालनों के लिए किया जा रहा है। इंडियन एयरलाइन्स अपने टर्बोप्राप विमानों को वायुदूत को सौंपने की कार्रवाई कर रही है। इंडियन एयरलाइन्स अपने विमान बेड़े में थोड़े-बहुत एच० एस-748 विमानों के साथ बेलगांव और बंगलोर के बीच विमान सेवा प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स बम्बई और बेलगांव के बीच एक दैनिक एच० एस-748 सेवा परिचालित कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जैव-प्रौद्योगिकी में भारत-फ्रांस समझौता

621. डा० कृपासिंधु भोई :

श्री आर० एस० भोये : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्रांस के साथ जैव-प्रौद्योगिकी, टीका-विज्ञान और जैव-चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर किये है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) फ्रांस के साथ सहयोग के लिए किन-किन नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(घ) क्या उपग्रह संचार के क्षेत्र में कोई सहयोग किये जाने का विचार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

(ख) भारत और फ्रांस सरकार के बीच निम्नलिखित करार/समझौता सम्पन्न हुए हैं :—

1. "बायोटेक्नोलॉजी में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत और फ्रांस के बीच करार" पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राज्य मन्त्री, भारत सरकार और अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मन्त्री फ्रांस सरकार द्वारा 1 फरवरी, 1989 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये।

2. "जीव-चिकित्सा विज्ञानों में अनुसंधान के लिए सहयोग पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई० सी० एम० आर०) तथा इंस्टीट्यूट नेशनल डि० ला० सान्टे एट डे ला रिशर्च मेडिवेल (आई० एन० एस० ई० आर० एम०) के बीच समझौता ज्ञापन" पर भारतीय पक्ष की ओर से महानिदेशक, आई० सी० एम० आर० तथा फ्रांसीसी पक्ष की ओर से महानिदेशक आई० एन० एस० ई० आर० एम० द्वारा 1 फरवरी, 1989 को हस्ताक्षर किये गये।

(ग) 1. ख(1) पर करार में दोनों देश मानव स्वास्थ्य से सम्बन्धित बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने और तकनीकी संस्थानों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को, विशेषत: संक्रामक रोगों, वैज्ञानिकी और अन्य प्रतिरक्षा वैज्ञानिक तथा जैविक के प्रति निरोधक टीकों का सुधार करने में कार्यरत, को प्रोत्साहन देने के लिए सहमत हुए हैं। इस करार में इसके फलस्वरूप आने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिकों शोध-छात्रों तथा प्रौद्योगिकीविदों के अदान-प्रदान और बायोटेक्नोलॉजी के आपसी हित के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के अन्तरण की भी व्यवस्था है।

2. ख(2) पर समझौता ज्ञापन में प्रजनन क्षमता नियंत्रण और मानव प्रजनन जीवन विज्ञान, संक्रामक और असंक्रामक रोगों, बाईरालोजी और इम्यूनोलॉजी नेत्र-विज्ञान, जैव-चिकित्सा इंजीनियरी, पोषण और जानपदिक रोग विज्ञान तथा जन स्वास्थ्य के लिए सहयोग का विकास करने की भी व्यवस्था है। यह सहयोग वैज्ञानिकों, तकनीकी आंकड़ों, प्रलेखों और प्रकाशनों के आदान-प्रदान तथा दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप से तय किए गए ऐसे किसी अन्य प्रकार के सहयोग के माध्यम से किया जाएगा।

3. इसके अलावा, निम्नलिखित उत्क्रम क्षेत्रों को उन्नत अनुसंधान के संवर्धन के लिए भारत फ्रांस केन्द्र द्वारा 1988-90 की अवधि के दौरान सहायता प्रदान किये जाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

— विशुद्ध और अनुप्रयुक्त गणित

— सेल्यूलर और मालीक्यूलर बायोलोजी/आनुवांशिकी, आनुवांशिकी इंजीनियरी बायो-टेक्नोलॉजी चिकित्सा और कृषि में अनुप्रयोग

— आयुर्विज्ञान, जानपदिक विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, बाईरालॉजी, नये टीकों और नई औषधियों का विकास, जैव-चिकित्सा इंजीनियरी (उदाहरणत: कृत्रिम सहायता का डिजाइन) इत्यादि

— जैविकी के सक्रिय सिद्धान्तों के विशेष संदर्भ के साथ प्राकृतिक उत्पादों का रासायनिक विज्ञान कृषि रसायन

— आबेजन-विज्ञान और इंजीनियरी

— लिक्विड इंटरफेस साईंस

— सामग्री विज्ञान और इंजीनियरी-एडवॉन्सड सेरेमिक्स; कोम्पोसिट्स; पोलिमरस; इत्यादि

— रेयर अर्थस

— एस्ट्रो-फिजिक्स और रेडियो एस्ट्रोनोमी

— सिसमिक डाटा प्रोसेसिंग

— दूरस्थ संवेदन अनुप्रयोग (भूजल अन्वेषण, वानिकी)

— जल निरूपण और वितरण

आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी समस्या

622. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कुछ जिलों में नक्सलवादियों से उत्पन्न खतरे से निपटने हेतु केन्द्रीय सरकार से आधुनिक हथियार और अन्य उपकरण मांगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : जी हां, श्रीमान ।

(ख) हथियारों की मांग और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में हथियार दिए गये हैं ।

दिल्ली और गोरखपुर के बीच नियमित विमान सेवाएं

[हिन्दी]

623. **श्री मदन पांडे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर मार्ग पर पहले सप्ताह में चार विमान सेवाएं प्रदान करता था जिन्हें अब घटा कर केवल दो कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या गोरखपुर से वायुदूत सेवा बन्द कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा दिल्ली-गोरखपुर के बीच इंडियन एयरलाइन्स अथवा वायुदूत की नियमित सेवा कब से शुरू की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली और गोरखपुर के बीच अपर्याप्त यातायात और एक बी-737 विमान को ग्राउण्ड करने के कारण उड़ानों की आवृति में कमी कर दी गई थी ।

(ग) से (ङ) कम यातायात की मात्रा के कारण वायुदूत ने 28 जनवरी, 1987 से गोरखपुर के लिए अपना परिचालन बन्द कर दिया था ।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा गोरखपुर के लिए विमान सेवा की आवृत्ति में वृद्धि और वायुदूत द्वारा सेवा पुनः शुरू किया जाना, यातायात की पर्याप्त सम्भावना और विमान क्षमता की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

सैनिकों की विधवाओं के रोजगार के लिए आवेदन-पत्र

[अनुवाद]

624. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिकों तथा कार्य के दौरान मरने वाले रक्षा कर्मचारियों की विधवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या नियम बनाये गये हैं;

(ख) सैनिकों की विधवाओं के रोजगार के लिए कितने आवेदन-पत्र अभी लम्बित पड़े हैं; और

(ग) गत पांच वर्षों में अब तक सैनिकों की विधवाओं के कितने आवेदन पत्र अस्वीकार किए गये तथा इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही): (क) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 31-12-1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14024/6/77—स्थापना (घ) के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाने वाले केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत समूह "ग" और "घ" के पदों पर नियुक्ति के लिए, सेवा में रहते हुए मारे गये या पूरी तरह निशक्त हुए, (50% से अधिक निशक्तता और जो रोजगार के लिए अयोग्य हो गए हों, निशक्तता सैन्य सेवा के कारण हुई हो) चाहे वे युद्ध के दौरान हुए हों या शांति के दौरान हुए हों, रक्षा सेवाओं के प्रत्येक कार्मिक के परिवार के 2 सदस्यों को प्राथमिकता 2-क दी जाती है। आश्रितों के ऐसे आवेदनों को, भूतपूर्व सैनिक एकक, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, श्रम मन्त्रालय के पास पंजीकृत किया जाना होता है, जो आवश्यक प्रायोजितता (स्पोंसरशिप) तथा रोजगार सहायता की व्यवस्था करेगा, मृत्यु या निशक्तता सैन्य सेवा के कारण हुई हो।

जब कोई सरकारी कर्मचारी (सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत कार्मिकों सहित) की मृत्यु सेवा में रहते हुए होती है और जब परिवार में कोई अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं होता तथा उसके परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है, तो मृतक का पुत्र/पुत्री/नजदीकी रिश्तेदार, रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं में छूट पाते हुए सीधी भर्ती कोटे के लिए समूह "ग" या "घ" पद में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने का पात्र होता है। मृत्यु सेवा के कारण ही हुई हो ऐसा आवश्यक नहीं होता। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों को संकलित किया गया है तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 30 जून, 1987 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/6/86—स्थापना (घ) के अन्तर्गत जारी किए हैं। अनुकम्पा के आधार पर ऐसी नियुक्तियां करते समय इन अनुदेशों में दिये गये इन अन्य मुख्य सिद्धान्तों का पालन किया जाता है :—

(1) सम्बन्धित परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता है और परिवार में कोई अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं है।

(2) अभ्यर्थी को, सुसंगत भर्ती नियमों के अन्तर्गत पद के लिए सभी तरह से पात्र एवं योग्य होना चाहिए। जहां आवश्यक हो, आयु सीमा में छूट दी जा सकती है बशर्ते न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष हो। जब परिवार की स्थिति बहुत खराब हो तब असाधारण परिस्थितियों में न्यूनतम पद यानि समूह "घ" या अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के मामले में शैक्षणिक अर्हताओं में दो वर्षों तक की अवधि के लिए अस्थाई तौर पर छूट दी जा सकती है। यदि आवेदन इस अवधि के दौरान शैक्षणिक अर्हता पूरी नहीं करता तो, उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। यदि किसी दिवंगत कार्मिक की

पत्नी को समूह "घ" के पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसे नियुक्ति के लिए मिडिल स्तर की शैक्षणिक अर्हता की अपेक्षा छूट दी जाएगी । बशर्ते उसके पद के कार्य निर्धारित अर्हता के बिना सन्तोषजनक रूप से निष्पादित हो सकें । अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त विधवा पुनर्विवाह करने के बाद भी सेवा में बनी रह सकती है ।

(3) पात्र व्यक्तियों के मामलों में, चाहे मृतक के परिवार में एक कमाने वाला सदस्य भी हो, तो भी सम्बन्धित विभाग के सचिव की पूर्व स्वीकृति से अनुकम्पा के आधार पर दूसरे सदस्य को नौकरी देने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। सम्बन्धित विभाग का सचिव अपने आपको इन बातों से संतुष्ट करेगा कि आश्रितों की संख्या, सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी मृत्यु के पश्चात छोड़ी गई परिसम्पत्ति और देनदारियों, परिवार के कमाने वाले सदस्य की आय और देनदारियां, और इसके साथ ही यह तथ्य कि क्या कमाने वाला सदस्य मृतक के परिवार के साथ रह रहा है और क्या वह परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता का स्रोत नहीं होना चाहिए, को देखते हुए परिवार के एक और सदस्य को नौकरी देना न्यायसंगत है ।

(4) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां तथा अग्रेनीत आरक्षण समेत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखा गया कुल आरक्षण किसी अवसर विशेष पर उपलब्ध रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(5) जहां कर्मचारी की मृत्यु काफी समय पहले हो गई हो, यानि पांच वर्ष या इससे अधिक, वहां अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए देरी से प्राप्त आवेदनों की जांच काफी सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए क्योंकि अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति की मूल भावना का आशय सेवा के दौरान हुई सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् उसके परिवार को तत्काल सहायता देने की आवश्यकता से है ।

(6) अधिक पात्र व्यक्तियों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने के लिए सकारात्मक रवैया अपनाया जाए । नियुक्तियां इस प्रकार होनी चाहिएं कि नियुक्त व्यक्तियों के पास पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं तथा अनुभव होना चाहिए जो कि प्रशासन में कार्यकुशलता बनाए रखने में सहायक हो । देनदारियों को हिसाब में रखने के अतिरिक्त, कर्मचारी बीमा योजना, छुट्टी का नकदीकरण, सामान्य भविष्य निधि का बकाया, जीवनबीमा पालिसी, मृत्यु उपदान, कुटुम्ब पेंशन और अनुकम्पा निधि से सहायता, यदि कोई हो, के अन्तर्गत मृतक के परिवार को मिलने वाले विभिन्न लाभों को ध्यान में रखते हुए मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों की संख्या और क्या कोई सदस्य कमाने वाला है, क्या वे एक साथ रह रहे हैं, या अलग-अलग रह रहे हैं, कर्मचारी की परिसम्पत्ति को भी हिसाब में लेना चाहिए ।

सेवा में रहते हुए मृत रक्षा सेवा कार्मिक के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने पर विचार करने का उत्तरदायित्व उसकी मूल यूनिट/कोर/निदेशालय का है ।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर रोजगार के लिए थल सेना मुख्यालयों की विभिन्न फार्मेशनों के पास 80 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्रित किया जायेगा और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

तिरुपति में रेडार स्थापित करना

625. **श्रीमती एम० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में तिरुपति में एम० एस० टी० रेडार स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, हां। मध्यमण्डल, समतापमण्डल और क्षोभमण्डल (एम० एस० टी०) राडार परियोजना को आंध्र प्रदेश में तिरुपति के निकट गडांकी में स्थापित किया जा रहा है। देश में वायुमण्डलीय अनुसंधान के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय सुविधा के रूप में एम० एस० टी० राडार की स्थापना के लिए एम०एस०टी० राडार परियोजना प्रारम्भ की गई है। एम० एस० टी० राडार सतत आधार पर वायुमण्डलीय पवनों पर उच्च विभेदन आंकड़े प्रदान करता है, जो कि वायुमण्डल की विभिन्न गतिकीय प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए जरूरी है। यह सूचना लघु संवटकों के आवागमन, गुरुत्व तरंगों, चक्रवातों, तूफानों के व्युत्पन्न होने तथा मानसून परिसंचरण के कारण विशेष रूप में होने वाले जलवायु तथा मौसम संबंधी परिवर्तनों को समझने में सहायता करती है। इस परियोजना की अनुमानित कुल लागत 730 लाख रुपये है, जिसमें 151 लाख रुपये की राशि विदेशी मुद्रा में है। इस परियोजना को इलेक्ट्रानिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण विभाग, अन्तरिक्ष विभाग तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप में निधि प्रदान की गई है।

इलेक्ट्रानिक्स उद्योग का विकेन्द्रीकरण

626. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिक्स उद्योग की स्थापना के लिए स्वीकृति दिए जाने के विकेन्द्रीकरण के बारे में जनवरी, 1987 से दिसम्बर, 1988 की अवधि के बीच उनके द्वारा स्वीकृति दी जाने वाली कौन-कौन सी मदों को केन्द्रीय सूची से राज्य उद्योग निदेशालयों को अन्तरित किया गया है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य उद्योग निदेशालयों द्वारा इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों की स्थापना के लिए ऐसी कितनी स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जिन वस्तुओं को अन्तरित किया गया है, वे इस प्रकार हैं :—

1. ठोस अवस्था (सालिड स्टेट) रिले।

2. अनालाग/अंकीय परिवर्तक (कन्वर्टर)।

3. सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) विकास किटें।

(ङ) विकास आयुक्त, लघु उद्योग के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, ऐसे सभी इलेक्ट्रानिक उत्पादों के लिए, जिनके बारे में अनुमोदनों का विकेन्द्रीकरण किया गया है, उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य स्तरीय उद्योग निदेशालयों द्वारा 4700 अनुमोदन प्रदान किये गये हैं।

मिलिटरी इन्जीनियरिंग सर्विस कोचीन के अन्तर्गत परियोजनाएं

627. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोचीन में मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस सेवा के कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण करने का विचार है;

(ख) क्या सुविख्यात धर्मार्थ संस्थाओं को जो कोचीन में पंजीकृत अस्पताल है, कोचीन में मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के कर्मचारियों के इलाज के लिए अस्पतालों के रूप में मान्यता दी जावेगी;

(ग) कोचीन में मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के अन्तर्गत चालू परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) कोचीन में मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के अतर्गत कौन-कौन सी नई परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही): (क) मिलिटरी इंजीनियरी सेवा के कार्मिकों के लिए परिवार आवास के निर्माण के लिए चार परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(ख) मिलिटरी इंजीनियरी सेवा के कार्मिकों के इलाज के लिए कोचीन स्थित सेना अस्पताल में पहले ही पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध की हुई हैं। इसलिए किसी निजी धर्मार्थ अस्पताल में इलाज की व्यवस्था के लिए अनुमति देना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) और (घ) ऊपर (क) में बताई गई 4 परियोजनाओं के अतिरिक्त कोचीन में मिलिटरी इंजीनियरी सेवा द्वारा 8 अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।

द्वारका में महाभारत काल से सम्बन्धित भवनों की खोज

628. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरब सागर में प्राचीन द्वारका पत्तन नगर के अन्वेषण के दौरान महाभारत काल से सम्बन्धित पत्थरों के कुछ विशाल भवनों की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन खोजों पर अब तक कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) अन्दर और बाहर की किलेबन्दी की दीवारें, पोतघाट और गोमती नदी के दाहिने किनारे पर शहर के बुर्ज और इसके बायें किनारे पर संरचनाएं ढूंढी गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) 8 मीटर समुद्र जल की गहराई में 1500 ईसा पूर्व की जलमग्न विशाल पाषाण खण्डों की दीवारों का यथावत (स्वस्थाने) पता लगाया गया है। इसके अलावा, पत्थर के पाँच छिद्रित लंगर, एक पोत अवशेष तांबे के बर्तन, पाषाण फलक और घोंघे (सिपी) की चूड़ियां भी पाई गई हैं। पाषाण लंगरों के बारे में बताया गया है कि ये ईसा पूर्व 14वीं और 12वीं शताब्दी की डिजाईनों के हैं।

सैनिकों की विधवाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए अलग विभाग

629. **श्री विष्णु मोदी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सैनिकों की विधवाओं को रोजगार प्रदान करने एवं भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी पर्यटकों के लिए वायुदूत द्वारा चार्टर सेवा शुरू करना

630. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत का विदेशी पर्यटकों के लिए चार्टर सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर्यटकों के लिए आरम्भ चार्टर सेवाओं से वर्ष 1988-89 में कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(घ) वायुदूत ने अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए अन्य क्या-क्या उपाय किये है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इस समय वायुदूत "किराए पर विमान योजना" के और "डार्नियर एयर सफारी" के अन्तर्गत चार्टर सेवाओं का परिचालन करती है और ये सेवाएं विदेशी पर्यटकों को भी उपलब्ध है।

(ग) "डानियर एयर सफारी" योजना द्वारा वायुदूत को 6.40 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(घ) वायुदूत ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी लागू की हैं :—

1. हिमालयन एयरटैक्स चार्टर।

2. पैकेज टूर।

3. वायुदूत अलट्रा फास्ट कूरियर।

रत्नागिरी के लिए वायुदूत सेवा

631. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रत्नागिरी और शोलापुर के लिए वायुदूत सेवा कब शुरू की गई थी;

(ख) इन विमान सेवाओं को समाप्त करने के क्या कारण हैं; और

(ग) ये सेवाएं फिर कब शुरू की जायेंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वायुदूत ने 5/2/1985 और 7/3/1987 को क्रमश: रत्नागिरी और शोलापुर को अपना परिचालन शुरू किया था।

(ख) और (ग) वायुदूत के पास विमानक्षमता की कमी होने के कारण, मानसून के बाद रत्नागिरि और शोलापुर को विमान सेवाएं पुन: शुरू नहीं की जा सकी। अतिरिक्त विमानक्षमता उपलब्ध होने के बाद वायुदूत को इन स्टेशनों के लिए तुरन्त परिचालन करने की योजना है।

ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्परोजगार

632. **श्री भद्रम धीराम मूर्ति** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार व्यक्तियों की राज्यवार अद्यतन संख्या कितनी है;

(ख) सातवीं योजना के अन्त तक और इस शताब्दी के अन्त तक बकाया बेरोजगारों और सम्भावित बेरोजगार श्रमिकों की अनुमानित कितनी संख्या हो जायेगी; और

(ग) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की अद्यतन संख्या कितनी है और क्या हाल ही में मानदण्डों में परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री तथा सम्बंधित कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (संशोधित सं० 341) के रोजगार तथा बेरोजगार संबंधी नवीनतम पंचवर्षीय सर्वेक्षण के 38वें चक्र (जनवरी-दिसम्बर, 1983) की रिपोर्ट के अनुसार राज्यवार बेरोजगार की स्थी-

पुरुष तथा शहरी व ग्रामीण और सामान्य स्थिति, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति तथा वर्तमान दैनिक स्थिति का आपात संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रारुप में आयु समूह 5+ तक सातवीं योजना के प्रारम्भ में 9.20 मिलियन बकाया बेरोजगार तथा मार्च, 1985 में 5+ उमरदार रोजगारों की संख्या 305.40 मिलियन से बढ़कर मार्च, 1990 में 344.78 मिलियन तथा मार्च, 2000 में 427.98 मिलियन तक होने का अनुमान लगाया गया है। सातवीं योजना प्रारुप में यह भी अनुमान लगाया गया है कि सातवीं योजना के दौरान 40.36 मिलियन मानक व्यक्ति वर्ष के क्रम में तथा 1990-2000 के दौरान 91 मिलियन मानक व्यक्ति वर्ष के क्रम में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे।

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के नवीनतम अनुमान वर्ष 1983-84 तक उपलब्ध हैं। अखिल भारत तथा राज्य स्तर पर गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है। अभी तक इन आँकड़ों की कम्प्यूटरीकरण कार्य विधि में संशोधन नहीं हुआ है।

विवरण-1

स्त्री-पुरुष तथा ग्रामीण व शहरी के अनुसार बेरोजगारों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामान्य (प्रमुख) स्थिति				वर्तमान साप्ताहिक स्थिति				वर्तमान दैनिक विवरण			
	ग्रा० पु०	ग्रा० स्त्री	श० पु०	श० स्त्री	ग्रा० पु०	ग्रा० पु०	श० पु०	श० स्त्री	ग्रा० पु०	ग्रा० स्त्री	श० पु०	श० स्त्री
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	1·49	0.91	5.39	5.10	3.52	4.79	6.47	6.65	7.87	10 54	9.43	12.09
असम	2.83	3.79	4.94	11.15	2.56	4.11	5.08	9.18	3.47	5.98	6.52	9.41
बिहार	2.35	0.58	5.56	2.06	3.37	5.31	5.47	2.38	7.06	10.66	6.77	5.544
गुजरात	1.02	0.53	5.07	3.67	1.06	0.96	5.78	2.33	5.15	4.77	7.72	5.22
हरियाणा	3 30	0.45	4.50	8.01	5.15	0.91	5.69	8.15	6.69	2.95	7.57	9.72
हिमाचल	2.21	0.65	8.15	8.55	2.05	0.72	7.70	8.62	2.24	0.81	8.12	9.75
जम्मू-कश्मीर	0.83	1.56	3.49	12.05	7.17	2.57	3.88	11.87	8.55	2.85	4.69	12.29
कर्नाटक	1.02	0.96	5.56	5.48	2.27	3.11	5.45	6.07	6.61	8.32	8.97	9.28
केरल	10.56	17.03	11.93	25.64	13.41	19.33	13.87	23.23	24.31	31.01	22.67	28.99
म०प्र०	0.43	0.14	3.43	1.53	1.24	0.97	4.70	3.12	2.07	1.81	5.75	4.86
महाराष्ट्र	1.27	0.14	5.92	4.52	3.14	2.67	7.21	7.15	6.25	7.23	9.05	10.44

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मणीपुर	0.65	—	0.47	0.15	0.74	—	0.47	0.15	0.96	0.53	0.48	0.16
मेघालय	0.77	0.12	8.49	10.90	0.58	1.82	8.09	13.22	3.20	4.10	9.08	14.60
उड़ीसा	1.84	1.25	5.43	6.32	3.60	5.92	6.22	8.25	7.82	11.79	8.47	10.85
पंजाब	3.15	11.08	3.95	9.55	3.87	5.71	4.94	8.10	6.97	9.25	7.07	9.38
राजस्थान	0.75	0.13	4.22	1.32	2.59	0.88	4.53	2.05	3.50	1.55	5.54	4.13
सिक्किम	1.63	0.86	9.60	6.28	1.78	0.83	11.24	8.26	2.81	2.01	12.90	9.77
तमिलनाडु	3.32	2.85	7.86	8.33	8.12	8.48	9.83	10.07	17.59	20.53	15.06	16.06
त्रिपुरा	1.69	18.63	7.89	28.24	2.27	19.57	6.48	29.02	3.77	22.45	7.75	29.02
उ०प्र०	1.01	0.12	4.54	3.58	1.97	1.42	5.26	3.51	3.65	2.46	7.44	5.56
प० बंगाल	3.85	4.52	9.80	18.43	6.37	14.74	9.96	14.98	14.36	24.01	12.72	17.81
अण्डमान व निकोबार	3.84	4.63	6,47	28.02	3.69	4.31	8.15	28.69	4.89	5.02	9.23	31.05
चण्डीगढ़	5.75	—	8.19	17.46	5.59	3.92	8.73	21.40	5.69	6.81	8.76	23.47
दादरा व नागर हवेली	1.06	0.47	—	—	3.60	3.34	—	—	12.84	7.81	—	—
दिल्ली	3.69	—	3.30	4.92	9.05	—	3.17	4.38	11.17	—	4.11	5.66
गोवा, दमन व दिऊ	1.83	4.91	6.26	17.12	3.01	2.62	9.61	11.51	5.92	12.41	12.42	14.22

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मिज़ोरम	0.06	—	1.22	1.20	0.06	0.15	1.27	1.15	0.25	0.28	1.26	1.08
पाँडिचेरी	2.43	3.30	10.11	8.40	12.63	11.79	14.02	6.64	28.11	35.87	18.00	14.70
नागालैंड	—	—	0.38	—	—	—	0.38	—	—	—	0.38	—
अखिल भारत	2.12	1.41	5.86	6.90	3.72	4.26	8.69	7.46	7.52	5.98	9.23	10.99

स्रोत :—रोजगार और बेरोजगार से संबंधित तीसरा पंचवर्षीय सर्वेक्षण पर रिपोर्ट (परिशोधित संख्या 341), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 38वां चक्र (जनवरी-दिसम्बर, 1988)—सारणी संख्या 25

टिप्पणी :— ग्रा० पु० : ग्रामीण पुरुष, ग्रा० स्त्री० : ग्रामीण स्त्री, श० पु० : शहरी पुरुष, श० स्त्री : शहरी स्त्री

* रोजगार संख्या से संबंधित बेरोजगारी की दरें।

(2) वर्ष 1983-84 के लिए गरीबी की रेखा को अद्यतन बनाने के लिए सी० एस० ओ० निजी उपभोक्ता अपस्फीतिक का इस्तेमाल किया गया है।

विवरण-2

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्यवार संख्या और प्रतिशतत: 1983-84 (अनन्तिम)

क्रम	राज्य	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	164.4	38.7	40.7	29.5	205.1	36.4
2.	असम	44.9	23.8	4.9	21.6	49.8	23.5
3.	बिहार	329.4	51.4	36.1	37.0	365.5	49.5
4.	गुजरात	69.7	27.6	19.9	17.3	87.6	24.3
5.	हरियाणा	16.2	15.2	5.5	16.9	21.7	15.6
6.	हिमाचल प्रदेश	5.8	14.0	0.3	8.0	6.1	13.5
7.	जम्मू और कश्मीर	8.1	16.4	2.2	15.8	10.3	16.3
8.	कर्नाटक	102.9	37.5	34.7	29.2	137.6	35.0
9.	केरल	55.9	26.1	15.6	30.1	71.5	26.8
10.	मध्य प्रदेश	218.0	50.8	36.9	31.1	254.9	46.2
11.	महाराष्ट्र	176.1	41.5	55.9	23.3	232.0	34.9
12.	मणिपुर	1.3	11.7	0.6	13.8	1.9	12.3
13.	मेघालय	3.9	33.7	0.1	4.0	4.0	28.0
14.	उड़ीसा	107.7	44.8	10.4	29.3	118.1	42.8
15.	पंजाब	13.7	10.9	10.7	21.0	24.4	13.8
16.	राजस्थान	105.0	26.6	21.2	26.1	126.2	34.3
17.	तमिलनाडु	147.6	44.1	52.5	30.9	200.2	39.6
18.	त्रिपुरा	4.6	23.5	0.5	19.6	5.1	23.0
19.	उत्तर प्रदेश	440.0	46.5	90.6	40.3	530.6	45.3
20.	पश्चिम बंगाल	183.9	43.8	41.2	26.5	225.1	39.2
21.	नागालैंड सिक्किम और संघ राज्य क्षेत्र	17.9	47.4	14.4	17.7	32.3	27.1
	अखिल भारतीय :	2215 0	40.4	495.0	28.1	2710.0	37.4

टिप्पणी —1. उपर्युक्त अनुमान वर्ष 1973-74 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार 49.09 रु० प्रति माह की गरीबी की रेखा और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता के अनुसार 56.64 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमास की गरीबी की रेखा का उपयोग करके प्राप्त किये गये हैं।

2. वर्ष 1983-84 के लिए गरीबी की रेखा को अद्यतन बनाने के लिए, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का निजी उपभोग सम्बन्धी अपस्फीतिक (डिफ्लेटर) का इस्तेमाल किया गया है।

3. ये परिणाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के पारिवारिक उपभोग व्यय के 36वें चक्र (जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1983) से सम्बन्धित अनन्तिम और त्वरित सारणीकरण पर आधारित हैं।

4. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में अनुमानित अखिल भारतीय समुचित निजी उपभोग व्यय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों से प्राप्त व्यय के बीच जो अन्तर है, उसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटित करने के सम्बन्ध में किसी सूचना के अभाव में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यथा अनुपात समायोजित कर दिया गया है।

5. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 मार्च, 1984 की जनसंख्या से सम्बन्धित है।

संचित परमाणु ऊर्जा संयंत्र योजनायें

633. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किन-किन विचाराधीन प्रस्तावों को अभी तक मंजूरी नहीं दी है; और

(ख) इन परियोजनाओं को मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन): (क) और (ख) 10000 मेगावाट क्षमता के परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम के संदर्भ में, सरकार को अभी लगभग 3000 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए परमाणु बिजली संयंत्र लगाने के बारे निर्णय लेना है। कई राज्यों, जिनमें केरल, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा भी शामिल हैं, ने परमाणु बिजली संयंत्र लगाने के लिए अनुरोध किया है। सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा कि शेष परमाणु बिजली यूनिट किस स्थल पर लगाए जाएंगे।

इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया की विमान-परिचारिकाओं के विरुद्ध शिकायतें

634. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 के दौरान इण्डियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया की उड़ानों में विमान परिचारिकाओं के अशिष्ट व्यवहार की कुछ शिकायतें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विमान परिचारिकाओं द्वारा विनम्रतापूर्ण व्यवहार करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 1988 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स में विमान परिचारिकाओं के अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में 14 शिकायतें प्राप्त हुई। एयर इंडिया के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अभद्र व्यवहार के लिए विमान परिचारिकाओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है और दोषी विमान परिचारिकाओं के विरुद्ध नियमों के अधीन कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, इस आशय के अनुदेश भी जारी किये गए है कि केबिन कर्मीदल के सदस्य यात्रियों के साथ शिष्टता और नम्रता का व्यवहार करें और उनकी सहायता करें। प्रारंभिक और पुनश्चर्याप्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भी अच्छे व्यवहार के महत्व पर जोर दिया जाता है।

सरकारी कार्यालय परिसरों में शिशुगृह

635. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अन्य सभी मन्त्रालयों/विभागों से अपने कार्यालय परिसरों में शिशुगृह स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन मन्त्रालयों/विभागों ने शिशुगृह स्थापित कर लिए है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक कोई नहीं।

दिल्ली में आग से दुर्घटनाएं

636. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 के दौरान राजधानी में बहुमंजिली इमारतों में आग से कितनी दर्घटनायें हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : 1988 के दौरान ऊंची इमारतों में आग लगने की बड़ी घटना सूचित नहीं की गयी।

समुद्र सम्पदा की खोज के लिए विदेशों को सौंपे गए समुद्री क्षेत्र

637. श्री अमरसिंह राठवा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री सम्पदा की खोज के लिए कुछ समुद्री क्षेत्र विदेशों को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, ऐसे कितने मामले हैं तथा उन विदेशी कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें यह कार्य सौंपा गया है; और उनकी क्या-क्या शर्तें हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समुद्री सम्पदा की खोज के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या हाल ही में कोई परीक्षण किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जहां तक महासागर विकास विभाग का सम्बन्ध है, महासागर के किसी क्षेत्र की खोज किसी अन्य देश की सहायता से नहीं की जाती है। स्वदेशी खोज गतिविधियों के सम्पूर्ण के लिए तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा विदेशी तेल कम्पनियों के साथ कुछ ठेकों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मामलों की संख्या, विदेशी कम्पनियों के नामों, उनकी शर्तों के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार अपने विभिन्न अभिकरणों जैसे महासागर विकास विभाग, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विभाग, खान विभाग, कृषि मंत्रालय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, इत्यादि के माध्यम से महासागार सम्पदा की खोज कर रही है।

(घ) समुद्र से तरंग ऊर्जा के उपयोग सम्बन्धी अनुसंधान तथा विकास कार्य के परिणामस्वरूप, महासागर विकास विभाग ने एक पाइलट संयंत्र प्रायोजित किया है जिसे विझिंजम में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी व्यस्ततम स्तर पर प्रतिष्ठापित क्षमता 150 कि० वा० होने की संभावना है।

विवरण

	विदेशी तेल कम्पनियों के नाम, जिनके साथ ठेके पर हस्ताक्षर किए गए	ब्लाक का नाम जिसके लिए ठेके पर हस्ताक्षर किए गए
1.	शेवरन इण्टरनेशनल लिमिटेड तथा टेक्सको एक्सप्लोरेशन इण्डिया इन्कारपोरेटिड	के० जी०-ओ० एस०-1
2.	— वही—	के० जी०-ओ० एस०-7
3.	—वही—	पी०-ओ० एस०-2
4.	—वही—	एम० एन०-ओ० एस-1
5.	इण्टरनेशनल पैट्रोलियम (बरमुडा) लि०	के० जी०-ओ० एस०-4
6.	बी० एच० पी० पेट्रोलियम (इण्डिया) इन्कारपोरेटिड	के० के०-ओ० एस०-6
7.	शैल इंडिया प्रॉडक्शन डिवेलपमेण्ट बी० बी०	के० के० ओ० एस०-2
8.	—वही—	के० के०-ओ० एस०-4
9.	अमोको इंडिया पेट्रोलियम कं०	के० जी०-ओ० एस०-5

इन ठेके की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

1. विदेशी तेल कम्पनी पेट्रोलियम की खोज अपनी जोखिम तथा लागत पर करेगी।
2. यदि कोई वाणिज्यिक खोज होती है, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इण्डिया लिमिटेड को उस खोज के विकास और उत्पादन में चालीस प्रतिशत की हिस्सेदारी करने का विकल्प होगा।

3. यदि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इण्डिया लिमिटेड भागीदार बनने का निर्णय करेंगे तो वे 40% विकास और उत्पादन लागत देंगे और शेष 60% विदेशी तेल कम्पनी द्वारा वहन की जाएगी।

4. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इण्डिया लिमिटेड को उनकी भागीदारी के लिए तेल के उत्पादन का उनका अपना हिस्सा लेने का हक होगा।

5. भारत द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेने तक, तेल में विदेशी कम्पनी का हिस्सा सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर उपलब्ध होगा।

6. लागतों की वसूली के बाद, ठेकेदार एक विसर्पीमान के आधार पर सरकार के साथ पेट्रोलियम में भागीदारी करेगा। परियोजना के अर्थशास्त्र में सुधार हो जाने पर, पेट्रोलियम में सरकार के हिस्से में वृद्धि हो जाएगी।

7. ठेकेदार अपने लाभ पर 50% की दर से कर देगा।

8. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लिमिटेड खोज सम्बन्धी लागतों में अंशदान नहीं करेगा किन्तु वे विदेशी कम्पनी के कार्य में शुरू से ही सहयोगी होंगे।

9. विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण आंकड़े तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लिमिटेड को उपलब्ध होंगे।

10. पेट्रोलियम कार्य में स्थायी उपयोग के लिए अर्जित परिसम्पत्तियां, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोई आगे भुगतान किए बिना, उसी समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लिमिटेड की सम्पत्ति हो जाएंगी जब ऐसी परिसम्पत्तियों के लिऐ लागत-वसूली का दावा विदेशी तेल कंपनी द्वारा किया जाएगा।

सोवियत संघ की सहायता से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

638. **श्री चिंतामणि जेना :**

श्री युवराज कामत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के सोवियत संघ के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त प्रस्ताव को अन्तिम रूप कब तक दिया जाएगा;

(ग) सोवियत संघ की सहायता से परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या-क्या शर्तें हैं;

(घ) क्या हमारे देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी अन्य देश ने भी अपनी सहायता का प्रस्ताव रखा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा भारत ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) भारत

और सोवियत संघ की सरकारों के बीच 20 नवम्बर, 1978 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे। उस करार के अन्तर्गत एक ऐसा बिजलीघर लगाया जाएगा जिसमें दाबित हल्के पानी किस्म के दो रिएक्टर होंगे, और प्रत्येक रिएक्टर की क्षमता 1000 मेगावाट होगी। करार की एक प्रति सदन के पटल पर 20 नवम्बर, 1988 को प्रस्तुत की गई थी। समय सम्बन्धी कार्यक्रम के ब्यौरे को यथा-समय अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ख) और (ङ) फ्रांस ने भारत में परमाणु बिजलीघर लगाने में सहकार के बारे में अपनी सहमति प्रकट की है। तथापि, इस प्रकार के करार के लिए शर्तों पर सहमति अभी होनी है।

मृत कर्मचारियों के बच्चों को करुणामूलक आधार पर रोजगार

639. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र-बल मुख्यालयों, रक्षा मंत्रालय और अन्य सेवा-मुख्यालयों में मृत सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देने के लिए भारी संख्या में आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, ये आवेदन-पत्र कब से लम्बित पड़े हैं और अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) आगामी तीन महीनों में लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों को निपटाने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) वर्तमान आदेशों के अनुसार, जिन सरकारी कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या जिन्हें चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त कर दिया जाता है उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए सीमित संख्या में पदों को आरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार मृत/सेवामुक्त कार्मिकों की संख्या अधिक होने के कारण अनुकम्पा के आधार पर आवेदन करने वालों की संख्या उपलब्ध पदों से अधिक हो जाती है जिसके फलस्वरूप आवेदकों को कुछ समय के लिए इन्तजार करना पड़ता है। आवेदन-पत्रों की जांच करने के पश्चात् पात्र आवेदकों की एक "प्रतीक्षा सूची" तैयार की जाती है और जब भी रिक्त होते हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है। ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई करते समय इन्हें प्राथमिकता देने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी किए गए हैं।

केरल में यात्री निवास का निर्माण

640. **श्री टी० बशीर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में यात्री निवास के निर्माण हेतु किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ख) किन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है तथा उनकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने केरल में निम्नलिखित यात्री निवास स्वीकृत किए।

(लाख रु० में)

	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
त्रिवेन्द्रम	26.43	8.00
क्विलोन	35.35	8.00
कोचीन	3[illegible].00	10.00
त्रिचूर	29.75	7.00

(ग) राज्य सरकार ने कन्नानौर में एक यात्री निवास का निर्माण करने के लिये भी प्रस्ताव भिजवाया है। यह प्रस्ताव अधूरा है और राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना/दस्तावेज मिलने के बाद ही यह विभाग वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

आदिवासी विकास योजनाओं के लिए प्रशिक्षित अधिकारी

641. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी विकास योजनाओं की धीमी प्रगति के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी अकेला सबसे बड़ा कारण है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र से विकिरण का रिसाव

642. श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1988 के प्रथम सप्ताह में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र से विकिरण का रिसाव हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) रिएक्टर के आस-पास के क्षेत्रों में लोगों पर विकिरण रिसाव का क्या प्रभाव पड़ा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

643. श्री कृष्ण सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों तथा अन्य रैंकों को पुन: रोजगार प्रदान किया जाना बाकी है;

(ख) इन्हें पुन: रोजगार प्रदान कराने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में इनमें से कितने भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार तथा आवास सुविधाओं सहित उचित रोजगार प्रदान किये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) राज्य/जिला सैनिक बोर्डों के चालू रजिस्टरों के अनुसार रोजगार प्राप्त करने के लिए दर्ज भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 2.56 लाख है। इसके अतिरिक्त 3315 अफसरों ने रोजगार सहायता के लिए अपने नाम पुनर्वास महानिदेशालय में पंजीकृत कराए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार (निजी क्षेत्र सहित) और स्वरोजगार प्रदान किया गया है :—

	रोजगार	
1986	—	24,800
1987	—	19,742
1988 (जून 1988 तक)	—	8,460
	स्व० रोजगार	
1986	—	1976
1987	—	1759
1988	—	3470

इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाई जा रही 21 परिवहन कम्पनियां कोल इण्डिया और इसकी सहायक कम्पनियों में कार्य कर रही हैं।

आवास सुविधा : भूतपूर्व सैनिकों को आवास सुविधा प्रदान करने का मामला राज्य सरकार के प्रशासन के अधीन आता है। अधिकतर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए कुछ प्रतिशत में मकानों/मकान की जगह का आरक्षण किया हुआ है। युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को अन्य पात्र श्रेणियों से अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं और उनके पुनर्वास में सुधार लाने के लिए किये गये उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अधिकतर राज्य

सरकारों में समूह "ग" और "घ" पदों पर भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण की व्यवस्था है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने रिक्त पदों का एक स्थान पर पूल बनाने, भर्ती के विशेष अभियान चलाने, महानिदेशक, पुनर्वास को भर्ती से तीन माह पूर्व रिक्त पदों की सूचना देने, भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों को अनारक्षित करने से पूर्व महानिदेशक पुनर्वास को पूरे 30 दिन का नोटिस देने और न भरे गए रिक्त पदों को एक वर्ष के लिये बनाये रखने के लिये आदेश जारी किये हैं।

(2) इन आदेशों के कार्यान्वयन को देखने और आरक्षित रिक्त पदों को पूरी तरह से भरे जाने का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

(3) भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें या स्व-रोजगार स्थापित कर सकें। 29 जिलों में पैक्सेम योजना (भूतपूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार के लिये तैयार करना) शुरू की गई है।

(4) अनेक राज्य सरकारों ने औद्योगिक भू-खण्डों (प्लाट)/शेडों के आबंटन में आरक्षण/प्राथमिकता की व्यवस्था की है। ऊर्वरक एजेंसियों, तेल उत्पाद एजेंसियों, मदर डेरी/दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्रों, फल और सब्जी की दुकानों, उचित दर की दुकानों, जय जवान स्टालों, यू० टी० आई० एजेंसियों, तिपहिया स्कूटरों, ट्रंकटरों और सेना फालतू वाहनों के आबंटन में भी आरक्षण/प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

(5) सुरक्षा सेवाएं, कोयला और तेल उत्पादों की ढुलाई और संचार सेवाएं शुरू करने के लिये भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन/कम्पनियों को मनोनीत किया जाता है।

(6) आयुद्ध निर्माणियां ऐसे सामानों की सप्लाई करने के लिये अनुषंगी उद्योगों की स्थापना के लिये भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों को तरजीह देती हैं जिनका उत्पादन उन्होंने सिविल क्षेत्रों को सौंपना है। सैन्य क्रय संगठन द्वारा खरीदे गए सामानों की सप्लाई के लिए भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(7) स्व-रोजगार कार्यों के लिये 10,000/-रुपये तक के बैंक ऋणों पर तीन वर्ष की अवधि के लिये ब्याज सहायता दी जाती है। रक्षा मंत्रालय को सप्लाई किये गए सामानों के लिये भूतपूर्व सैनिकों की यूनिटों को पांच वर्ष के लिये 10% मूल्य सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(8) 12 लाख रुपये की परियोजना लागत तक के लघु उद्योग, परिवहन सेवाएं आदि शुरू करने के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहयोग से भूतपूर्व सैनिकों के लिये स्व-रोजगार योजना, सेमफेक्स-1, 1 अप्रैल, 1987 से शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-खेतिहर कार्यकलापों के लिए ऋण दिलाने के लिये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की सहायता से एक अन्य योजना, सेमफेक्स-2, 15 जनवरी, 1988 से प्रारम्भ की गई है।

नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र

644. श्री कृष्ण सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र का पहला यूनिट चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और कितनी लागत से और यदि नहीं, तो इसके कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इसकी बिजली उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) मार्च, 1989 में नरोरा परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट के क्रांतिक होने की आशा है। नरोरा के दोनों यूनिटों की अनुमानित लागत 532.85 करोड़ रुपए है।

(ग) एक यूनिट की बिजली पैदा करने की क्षमता 235 मेगावाट (सकल) है। इस प्रकार जब दोनों यूनिट कार्य करना शुरू कर देंगे तब इनकी कुल क्षमता 470 मेगावाट (सकल) हो जायेगी।

अल्पसंख्यक आयोग तथा भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त की रिपोर्ट

645. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को भेजी गई तथा विचाराधीन अल्पसंख्यक आयोग और भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त अथवा उपायुक्त की वार्षिक रिपोर्टों का ब्योरा क्या है और ये कब से विचाराधीन हैं तथा ये कब-कब प्रस्तुत की गई;

(ख) इस समय ये किस स्तर पर विचाराधीन हैं; और

(ग) इन्हें की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन सहित सभा पटल पर कब रखा जायेगा ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमती उरांव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) रिपोर्टें विचाराधीन है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

	रिपोर्ट	अवधि	प्रस्तुत किये जाने की तारीख
(क) अल्पसंख्यक आयोग	5वीं	1-4-82 से 31-3-83	[illegible]-2-1985
	6वीं	1-4-83 से 31-3-84	1-10-1985
	7वीं	1-4-84 से 31-3-85	9-9-1987
	8वीं	1-4-85 से 31-2-86	30-3-1978
	9वीं	1-4-86 से 31-3-87	30-3-1988

	रिपोर्ट	अवधि	प्रस्तुत किए जाने की तारीख	
(ङ) भाषायी अल्पसंख्यक उपायुक्त/आयुक्त	26वीं	उपायुक्त, भाषायी अल्पसंख्यक आयोग	जुलाई 85-जून 86	9-4-87
	27वीं	आयुक्त, भाषायी अल्पसंख्यक आयोग	जुलाई 86-जून 87	20-7-88

विदेशी सहयोग से पिक्चर ट्यूबों का निर्माण

646. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने देश में ही रंगीन टेलीविजन सेटों का पिक्चर ट्यूबों और उनकी किटों का निर्माण करने हेतु किसी अन्य देश से सहयोग अथवा सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों की इकाइयों ने रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए विदेश-सहयोग की मांग की है । उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है । किन्तु, देश में रंगीन दूर-दर्शन किटों के विनिर्माण के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किसी विदेशी तकनीकी सहयोग की मांग नहीं की गई है ।

विवरण

रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के क्षेत्र में विदेशी सहयोग के लिए मांगे गए अनुमोदनों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

क्र० सं०	आवेदन का नाम	विदेशी सहयोगकर्त्ता का नाम	टिप्पणियां
1.	मैसर्स जे० सी० टी० इलेक्ट्रानिक्स, लि०	मैसर्स हीताची लि० जापान एण्ड मैसर्स टेबा फिनलैंड	अनुमोदित
2.	मैसर्स अप्ट्रान कला पिक्चर ट्यूब्स लि०	मैसर्स तोशिबा कारपोरेशन एण्ड मैसर्स मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान	अनुमोदित
3.	मैसर्स सम्टेल कलर लि०	मैसर्स मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कम्पनी लि०, जापान	अनुमोदित

1	2	3	4
4.	श्री रघु सूदन	मैसर्स दाऊ इलेक्ट्रानिक्स कम्पनी लि०, साउथ कोरिया	अस्वीकृत
5.	मैसर्स आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लि० (ए०पी०ई०डी०सी०)	मैसर्स फिलिप्स, हालैंड	अस्वीकृत
6.	मैसर्स जम्मू तथा कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, (जे० एण्ड के० एस०आई०डी०सी०)	मैसर्स बोडियो कलर एस० ए० फ्रांस	अभी निर्णय नहीं लिया गया है।
7.	मैसर्स राजस्थान औद्योगिक पूंजी निवेश निगम लि०, (आई०आई०आई०सी०ओ०)	मैसर्स पोकलर पोलैंड	अस्वीकृत

भारत अमरीकी उप-आयोग

647. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी भारत अमरीकी उप-आयोग के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही इस्पात अवशोषक प्लेटें नरम इस्पात की हैं और संयुक्त राज्य अमरीका में इस किस्म के इस्पात का उत्पादन बन्द हो चुका है;

(ख) क्या अमरीकी एजेंसी को इस प्रकार के इस्पात का भारत से आयात करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इस परियोजना के अन्तर्गत कोई इस्पात अवशोषक प्लेट खरीद कर संयुक्त राज्य अमरीका नहीं भेजी गई।

(ख) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) यह परियोजना मुख्य रूप से उच्च ऊर्जा भौतिकी के क्षेत्र में है। इस परियोजना का उद्देश्य भी वैज्ञानिक समुदाय को उच्च ऊर्जा त्वरकों, तीव्र इलैक्ट्रानिकी आंकड़ा प्राप्ति प्रणाली, सिम्नतापिकी तथा उच्च कम्प्यूटर कार्यक्रम बहुलसाधक प्रणाली जैसे उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों की जानकारी देना है।

सेवानिवृत्ति के पश्चात् विवाह करने वाले जवानों को पारिवारिक पेंशन

648. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् विवाह करने वाले जवानों के मामलों में पारिवारिक पेंशन मंजूर करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का ब्योरा क्या है तथा यह निर्णय किस तारीख को किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कोई निर्णय शीघ्र किया जाएगा तथा यह कब तक किया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में सशस्त्र सेना कार्मिकों को सामान्य परिवार पेंशन देने के उद्देश्य से उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके विवाह को मान्यता देने का निर्णय लिया है बशर्ते इसमें कुछ शर्तों का पालन किया गया हो।

वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वालों के गांवों को अपनाना

649. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री विक्टोरिया क्रास, परमवीर चक्र और महावीर चक्र प्राप्त करने वालों को आदर्श गांव के रूप में अपनाने के बारे में 15 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2247 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च श्रेणी के वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं के गांवों को आदर्श गांव के रूप में अपनाने के मामले पर राज्य सरकारों से पुनः बातचीत की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार भारत मां की बहादुर संतानों के प्रति श्रद्धाभावना प्रदर्शित करने हेतु ऐसे गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित करने पर होने वाले खर्च को वहन करेगी; और

(ग) इस मामले पर राज्य सरकारों से कब तक बातचीत किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वर्ष 1977-88 में योजना व्यय

650. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बन्धित वास्तविक योजना व्यय के क्या आंकड़े हैं;

(ख) क्या कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने वर्ष 1987-88 के लिए निर्धारित योजना राशि का पूर्णतः उपयोग नहीं किया है और यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या योजना आयोग द्वारा उसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई निगरानी मूल्यांकन किया जाएगा और इसके कब तक किए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) वर्ष 1987-88 की वार्षिक योजना के लिए राज्यवार परिव्यय तथा व्यय संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। इस विवरण से पता लगता है कि असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल को छोड़कर व्यवहारिक रूप से सभी राज्यों ने अपने-अपने परिव्यय का उपयोग कर लिया है।

(ग) योजना आयोग द्वारा 1986-87 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त तिमाही विवरण के आधार पर निर्धारित एवं गैर-निर्धारित परिव्ययों की तुलना में व्यय की प्रगति की निगरानी की जा रही है। पर्याप्त कमी वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह सतत प्रक्रिया है।

विवरण

1987-88 में योजना व्यय—राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

1987-88 (करोड़ रु०)

राज्य	परिशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
आंध्र प्रदेश	1112.43	1123.21
अरुणाचल प्रदेश	110.00	111.78
असम	575.00	572.40
बिहार	1400.00	1194.84
गोवा	79.75	88.72
गुजरात	890.51	1101.60
हरियाणा	430.28	463.96
हिमाचल प्रदेश	235.00	276.96
जम्मू व कश्मीर	387.50	405.18*
कर्नाटक	769.45	702.10
केरल	380.60	390.43
मध्य प्रदेश	1516.11	1412.90
महाराष्ट्र	2100.00	2190'47
मणिपुर	105.00	105.33
मेघालय	110.00	110.35
मिजोरम	70.00	71.66
नागालैंड	94.75	95.25
उड़ीसा	742.02	701.39

1	2	3
पंजाब	650.00**	790.32
राजस्थान	606.00	644.84
सिक्किम	54.10	57.93
तमिलनाडु	1250.00	1276.50
त्रिपुरा	125.00	130.24
उत्तर प्रदेश	2009.78	2214.93
पश्चिम बंगाल	871.25	782.93
संघ राज्य क्षेत्र		
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	48.00	43.94
चंडीगढ़	44.00	43.37
दादरा व नगर हवेली	9.00	9.00
दमन व दीव	10.74	10.68
दिल्ली	541.34	538.55
लक्षद्वीप	16.40	15.99
पांडिचेरी	47.00	46.81

*प्रत्याशित व्यय

**वित्त मन्त्रालय द्वारा यथा निर्दिष्ट परिव्यय, संशोधन नहीं किया गया।

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में और अधिक क्षेत्रों को शामिल करना

651. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या योजना मन्त्री पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के बारे में 27 जुलाई 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा के उन 163 तालुकों के नाम क्या हैं जिन्हें पश्चिम घाट पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है;

(ख) नए पर्वतीय क्षेत्रों का चयन करने वाले विशेषज्ञ दल द्वारा चुने गए उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है और क्या उन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) पर्वतीय विकास क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल सभी पर्वतीय क्षेत्रों का वर्ष 1988-89 का वार्षिक योजना परिव्यय का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) विवरण-I के रूप में सूची संलग्न है।

(ख) नए पहाड़ी क्षेत्रों की सूची की स्वीकृत राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन पर निर्भर है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक नहीं हुई है जबकि योजना आयोग ने विशेषज्ञ दल द्वारा निर्धारित नए पहाड़ी क्षेत्रों की मई, 1987 में सिफारिश कर दी है।

(ग) विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

पश्चिमी घाट क्षेत्र में शामिल ताल्लुकों की सूची

क्रम सं०	जिला/ताल्लुक
1.	महाराष्ट्र
	एक—धुले
1.	सकरी
2.	नवपुर
	दो – नासिक
3.	बगलम
4.	कलवाम
5.	सरगना
6.	दीनदोरी
7.	पींट
8.	नासिक
9.	इगतपुरी
10.	सिनवार
	तीन—थाने
11.	मवाडा
12.	शाहपुर
13.	मुरबाद
14.	जवाहर
15.	दावा
	चार—पुणे
16.	जुननार
17.	अम्बागांव
18.	खेड़

1	2
19.	मवाल
20.	हवेली
21.	मुलसीह
22.	वेलेह
23.	भोर
24.	पुरनदार
पांच—रैगाव	
25.	करजात
26.	सुधहगव
27.	खालापुर
28.	महद
29.	रोह
30.	पोलदपुर
31.	मेमगांव
छः—सतारा	
32.	वाइ
33.	महाबलेश्वर
34.	सतारा
35.	जओली
36.	खातव
37.	पतन
38.	खंडाला
39.	कोरेगाव
सात—रत्नगिरी (उत्तर)	
40.	खेद
41.	चिपलुम
42.	संगमईश्वर
43.	राजपुर
44.	लंजा

1	2
	आठ—रत्नगिरी
	(दक्षिण)
45.	कंकवली
46.	कुदाल
47.	देओगद
48.	सांवत वदी
49.	वङ्गाव वदी
	नौ—संगली
50.	सिरला
	दस—कोलपुर
51.	शाहुवदी
52.	पनहला महल
53.	करवीर
54.	बावदा
55.	राधनेगढी
56.	भुदारगद
57.	अजारा
58.	चांदगड
59.	कागल
60.	केदीनालाज
	ग्यारह—अहमद नगर
61.	अकोला
62.	संगमनेर
2. कर्नाटक	
	एक—बेलगांव
1.	हुक्केरी
2.	बेलगांव
3.	खानपुर
4.	बेलबोमगल
5.	सोनवत्ती

1	2
	दो—धारवाड़
6.	धारवाड़
	तीन—उत्तर
	कन्नड
7.	अनकोला
8.	भातकल
9.	कुमता
10.	होन्नवर
11.	सिरसी
12.	सिद्दापुर
13.	सुपा
14.	याल्लापुर
15.	करवर
	चार—शिमोगा
16.	होसनगड
17.	सागर
18.	शिकारी पुर
19.	सिमोगा
20.	तिरथाहल्ली
	पांच—चिकमंगलूर
21.	कोप्पा'
22.	श्रीनगेरी
23.	मुदीगेरे
24.	चिकमंगलूर
25.	एन० बी० पुरा
	छः—हसन
26.	अलुर
27.	बेलुर

1	2

28. हसन
29. सकलेश्वर

सात—कन्नड

30. बेलथनगडे
31. कूनदापुर
32. करकल
33. उडीपर
34. पुटटूर
35. सुलतीआ

आठ—कोडगु

36. मेरकारा
37. सोमवरपेत
38. वीरजपेट

नौ—मैसूर

39. एच० डी० कोटे
40. गुनडलुपेट

3. तमिलनाडु

एक—नीलगिरी

1. गुदलुर
2. उधागमनदलम
3. कूनूर
4. कोठगिरी

दो—कोयम्बटूर

5. मेट्टुपलयम
6. कोयम्बटूर
7. अविनाशी
8. उडुमलपेट
9. पोल्लाची

1	2
	तीन—पेरीयार
10.	धरमपुरम
	चार—मादुरी
11.	पलानी
12.	कोडैकनल
13.	दी नदुगुल
14.	पेरीयाकुलम
15.	उसीलमपुट्टी
16.	उथमपल्लयम
	पांच—रामानाथपुरम
17.	सिरीविल्लीपुथुर
18.	राजपलायम
19.	सथुर
	छः—चिनेलवल्ली
20.	संकारनकोयल
21.	शिवगिरी
22.	तेनकसी
23.	सेनकोटाह
	सात—तिरुनेवेली,
24.	अम्बसमुदरम
25.	ननगुनोरी
	आठ—कन्याकुमारी
26.	चोवल्ला
27.	विलावनोदा
28.	कलाकुलम
29.	अगसतेसवरम

1	2
4. केरल	
	एक—कन्ननोरे
1.	तलीपरमबा
2.	तेलीचैरी
3.	हासडूग
	दो—वयनद
4.	मानववदी
5.	वयथीरी
6.	सुल्तान की बैटरी
	तीन—कोझीकोड
7.	कोशीमोडे
8.	वडागढ़
9.	क्यूलेदी
	चार—मालापुरम
10.	ऐरनदु
	पाँच—पालघाट
11.	मन्नरघाट
12.	पालघाट
13.	चित्तोड़
	छः—त्रिचूर
14.	मुकन्दपुरम
	सात—अरनाकुलम
15.	कोठमंगलम
16.	मुवत्तेपूजा
17.	कुन्नथुनद
	आठ—इदुक्की
18.	थोडुपूजा
19.	देवीकुलम

1	2
20.	उदुबनकोल्हा
21.	पीरमेदे
नौ—कोट्टायम	
22.	मीनाचिल
23.	कनज्रिरापल्ली
दस—क्यूलिन	
24.	कोट्टरक्कार
25.	पठानपुरम
26.	पठानअमथीट्ट
27.	कुन्नाथुर
ग्यारह — त्रिवेन्द्रम	
28.	नय्याट्टी नकारा
29.	नेदुमंगद
5. गोवा	
1.	सतारी
2.	सनगयूम
3.	कनकोना

विवरण-2

	(करोड़ रु०) वार्षिक योजना 1988-89
(क) पर्वतीय क्षेत्र राज्य	
असम	32.19
तमिलनाडु	9.19
उत्तर प्रदेश	150.75
पश्चिम बंगाल	12.14
सर्वेक्षण और अध्ययन	0·51
कुल-जोड़ (क)	204.77

	(करोड़ रु०) वार्षिक योजना 1988-89
(ख) पश्चिमी घाट क्षेत्र (पं० घा० वि० का०)*	
केरल	5.11
महाराष्ट्र	11.39
तमिलनाडु	6.06
कर्नाटक	8.00
गोवा	1.35
सर्वेक्षण और अध्ययन	0.26
पश्चिमी घाट सचिवालय	0.05
उप-जोड़ (ख)	32.22
सकल जोड़ (क एवं ख)	236.99

*पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

पिछड़े क्षेत्रों हेतु आवंटन

652. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों विकास हेतु आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन क्षेत्रों/वर्गों के विकास के लिए कौनसी विशेष योजनाएं चलाने का विचार किया गया है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों सहित कमजोर वर्गों तथा राज्य के विकास सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी के अन्तर्गत आते हैं। राज्य योजनाओं के अन्तर्गत अनेक स्कीमें/कार्यक्रम हैं जो पिछड़े क्षेत्रों तथा पीड़ित वर्गों को लाभ पहुंचाते हैं। राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा में इलेक्ट्रानिक एकक

654. **श्री हरिहर सोरन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में स्थापित अनेक इलेक्ट्रानिक एकक लघु एकक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उड़ीसा में कुछ और इलेक्ट्रानिक एकक स्थापित करने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान इस राज्य में कितने इलेक्ट्रानिक एकक स्थापित करने का विचार है तथा ये एकक कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक्स और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 11 इलेक्ट्रानिक

इकाइयों को औद्योगिक लाइसेंस, 30 इलेक्ट्रानिक इकाइयों को आशय-पत्र तथा 23 पंजीकरण जारी किए गए है।

(ख) और (ग) उड़ीसा को इलेक्ट्रानिकी विभाग के विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत लाया जा रहा है, जैसे कि भुवनेश्वर में सापटवेयर प्रौद्योगिकी पार्क तथा बड़े/बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ (एल० एस० आई०/वी० एल० एस० आई०)डिजाइन केन्द्र की स्थापना करना है। भुवनेश्वर में इलेक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र कार्य कर रहा है। यह केन्द्र क्षेत्र में लघु तथा मझोले इलेक्ट्रानिकी उद्योग को परीक्षण तथा अन्शांकन सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। जहां तक संगठित क्षेत्र का सम्बन्ध है, इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जों के क्षेत्र में एक इकाई की स्थापना वर्ष 1989-90 के दौरान किए जाने की सम्भावना है।

उड़ीसा में विस्थापितों का पुनर्वास

655. **श्री लक्ष्मण मालिक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मछुआरा परिवारों, जिन्हें उड़ीसा में बसाया गया था, के स्थानान्तरण के बारे में उड़ीसा राज्य से रिपोर्ट मांगी है;

(ख) क्या पूर्वी पाकिस्तान के कुछ विस्थापित परिवारों को भी राज्य में बसाया गया था;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान बंगलादेश के अनेक राष्ट्रिक आकर राज्य में बस गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दी गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के 19,836 परिवारों को उड़ीसा में बसाया गया।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भारत और पाकिस्तान द्वारा सीमाओं पर संयुक्त गश्त

[हिन्दी]

656. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री दिनेश गोस्वामी :

श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत समय में पाकिस्तान सीमा पर संयुक्त सुरक्षा प्रबन्धों का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों ने संयुक्त गश्त लगाने का निर्णय लिया था;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारत-पाकिस्तान सीमा पर संयुक्त गश्त लगाने के लिए पाकिस्तान के आन्तरिक सचिव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल और भारत सरकार के गृह सचिव के बीच 14 से 16 मई, 1988 तक नई दिल्ली में हुई बैठक में निर्णय लिया गया।

(ग) और (घ) सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और पाकिस्तान रेंजरों के बीच संयुक्त गश्त की रूप-रेखा तय करने के लिए कई बैठकें हुई हैं। ऐसी अन्तिम बैठक 6 फरवरी, 1989 को महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल और महानिदेशक, पाकिस्तानी रैन्जरस के बीच हुई। चूंकि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, इसलिए संयुक्त गश्त शुरू नहीं की गई है।

भूकम्प की संभावना

[अनुवाद]

657. श्री वी० कृष्ण राव : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूकम्प-वैज्ञानिकों के अनुसार निकट भविष्य में भारत की उत्तरी पट्टी में एक बड़े भूकम्प के आने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) ज्ञान की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए भूकम्प आने की पूर्व सूचना देना संभव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक निर्यात की योजना तैयार करने के लिए संचालन समिति

658. श्री मुरलीधर जाने : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक निर्यात की योजना तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय संचालन समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषयों और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सन्दर्भ में योजना आयोग ने आठवीं योजना के लिए उद्योगों से सम्बन्धित एक उच्चस्तरीय संचालन समिति का गठन किया है। संचालन दल ने अनेक कार्यदल गठित किए हैं तथा इन दलों में से एक निर्यात के लिए औद्योगिक आयोजन से संबंधित है।

(ख) कार्यदल के गठन तथा विचारार्थ विषय सम्बन्धी आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7433/89]

(ग) कार्यदल से 30-4-89 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की अपेक्षा है।

राज्यों की वार्षिक योजना में वृद्धि

660. श्री बी० कृष्ण राव : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989-90 के लिये राज्यों की वार्षिक योजनाओं में वर्ष 1988-89 की वार्षिक योजना की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) कर्नाटक राज्य की वार्षिक योजना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) 15.6 प्रतिशत।

(ग) कर्नाटक राज्य की वर्ष 1988-89 के लिए वार्षिक योजना 900 करोड़ रु० की है। जबकि 1989-90 के लिए योजना परिव्यय 1040 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है।

पंजाब में आतंकवादियों द्वारा रेल लाइनों को क्षति

661. श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान पंजाब में आतंकवादियों द्वारा रेल लाइनें उड़ाने से कितनी क्षति हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सतर्कता बरती गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अग्रिम जमानत मंजूर करना

662. श्री पी० एम० सईद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए किन-किन राज्यों में वैधानिक प्रावधान नहीं हैं; और

(ख) ऐसे राज्यों द्वारा इसके क्या कारण बताये गये हैं : जहां निर्दोष व्यक्ति अग्रिम जमानत सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते जिसे संहिता का मूल सिद्धान्त बताया जाता है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उपलब्ध सूचना के अनुसार अग्रिम जमानत से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के उपबंध को उत्तर प्रदेश के संबंध में लागू किए जाने से हटा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित कारण दिए थे।

(एक) अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा इस उपबंध का अनुचित लाभ उठाया गया;

(दो) उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में आदेश दिए थे कि गिरफ्तारी के वारंट, यदि जारी कर दिए गए हैं, तो निस्पादित न किए जाएं; और

(तीन) इस उपबंध से कुपात्र व्यक्ति भी सामान्य मामलों में अग्रिम जमानत प्राप्त करते हैं।

केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा

[हिन्दी]

663. **श्री राज कुमार राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मऊनाथ भंजन और वाराणसी जिलों का दौरा किया है;

(ख) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री के दौरे पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) ऐसे प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री द्वारा कितना यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लिया गया ?

गृह मंत्री (सरदारबूटा सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रीलंका के शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन

664. **श्री राज कुमार राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में श्रीलंका के शरणार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) उन्हें वापिस भेजने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सभी शरणार्थियों को कब तक वापिस भेज दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) श्रीलंका के 89,407 शरणार्थी अब भी भारत में हैं।

(ख) और (ग) योजना के अनुसार 24-12-1987 से 17-10-1988 तक 25,065 शरणार्थी 48 टोलियों में श्रीलंका वापस चले गये हैं। 17-10-1988 के बाद शरणार्थियों को वापस भेजने की प्रक्रिया समुद्र की स्थिति प्रति कूल होने के कारण रोक देनी पड़ी। लगभग 900 शरणार्थियों को, जो इस समय मन्डापम शिवर में रखे गये हैं, अगले माह किसी भी समय वापिस भेजने का प्रस्ताव है। श्रीलंका के शरणार्थियों को श्रीलंका वापिस भेजा जाना शिवरों में न रहने वाले पंजीकृत शरणार्थियों की उपलब्धता और उन्हें वापिस लेने के लिए श्रीलंका सरकार की सुविधा जैसे तथ्यों पर निर्भर करता है। इन परिस्थितियों में, शेष शरणार्थियों को वापिस भेजने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम का इस समय कोई विचार नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का स्थानांतरण

665. **श्री राज कुमार राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित नियमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों और फालतू घोषित कर्मचारियों के स्थानांतरण के बारे में कोई विशेष प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) इस आशय के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि सरकारी कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के सदस्यों के साथ सामाजिक उद्गम के कारण उनके प्रति किसी भेदभावपूर्ण कार्रवाई से दूर रहना चाहिए। इस आशय के अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि संवर्ग की कम की गई पद-संख्या के कारण जिस स्टाफ को अधिशेष के रूप में अभ्यर्पित किया जाना हो, उसे प्रभावित संवर्ग की वरिष्ठता के पूर्णतया विपरीत क्रम से किया जाए। संवर्ग के किसी ग्रेड विशेष में अधिशेष कर्मचारियों की घोषणा करते समय, उस ग्रेड के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को तब तक शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक उस ग्रेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की कुल संख्या क्रमशः किसी संवर्ग के संबंधित ग्रेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षणों की विहित प्रतिशतता तक नहीं पहुंच जाती है। संगत अनुदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं।

[संचालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7434/89]

"साइन्स कैम्पेन इन प्राइम मिनिस्टर्स कांस्टिट्युएन्सी नैक्स्ट मन्थ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[अनुवाद]

666. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 1989 के इकॉनोमिक टाइम्स में "साइन्स कैम्पेन इन प्राइम मिनिस्टर्स कांस्टिट्युएन्सी नैक्स्ट मन्थ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में भी इस प्रकार का अभियान चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण विकास में समर्पित एक स्वैच्छिक अभिकरण (एजेन्सी) ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, के माध्यम से विकास की तरफ लोगों को प्रेरित करने के लिये गौरीबंब में एक

प्रदर्शनों सहित विज्ञान प्रसार अभियान का आयोजन कर रही है। इस प्रसारणों सहित प्रसार अभियान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बहुत से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और संगठन भाग ले रहे हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास की तरफ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विस्तार के लिये ऐसे कार्यक्रमों को संगठित करने के लिये भारत के विभिन्न भागों में स्वैच्छिक एजेन्सियों को सरकार सहायता करेगी और प्रोत्साहित करेगी।

राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति

668. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

श्रीबी० बी० पाटिल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1985 से विभिन्न राज्य विधान-मंडलों द्वारा पारित तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति को अनुमति के लिए प्रेषित विधेयकों की राज्यवार, संख्या तथा नाम क्या है तथा केन्द्रीय सरकार को ये किन तारीखों को प्राप्त हुए थे;

(ख) कितने मामलों में राज्यवार, राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई तथा यह अनुमति किन तारीखों को दी गई;

(ग) किन विधेयकों के मामलों में, राज्य-वार, स्वीकृति मिलने में तीन महीने से अधिक का विलम्ब हुआ तथा विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) किन विधेयकों के मामले में, राज्यवार, अनुमति नहीं दी गई तथा किन तारीखों को सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस निर्णय से अवगत कराया गया; और

(ङ) 31 जनवरी, 1989 को अनुमति के कितने मामले केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े थे ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) 1-2-1985 से 31-1-1989 तक विभिन्न राज्य द्वारा पारित 369 विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्राप्त हुए हैं। राज्य-वार ब्यौरे सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7435/89]

(घ) 1-1-1985 से 31-1-1989 तक किसी विधेयक को स्वीकृति देने से मना नहीं किया गया है।

(ङ) ब्यौरे सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7436/89]

भारत की भावाची जनगणना का संकलन

669. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 की जनगणना के संबंध में भारत की भाषायी जनगणना तथा भाषा/धर्म के आधार पर जनसंख्या के वर्गीकरण का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाएं बोलने वाली जनसंख्या का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यदेव सोहन देव) : (क) परिवार में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा तथा परिवार के मुखिया के धर्म के बारे में सूचना पर आधारित आंकड़े जो 1981 की जनगणना की परिवार अनुसूचियों के माध्यम से एकत्र किए गए थे, संकलित तथा प्रकाशित कर दिए गये है।

(ख) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भिन्न-भिन्न भाषाओं को बोलने वालों की संख्या, जो परिवार में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा के बारे में दिए गये आंकड़ों पर आधारित है और जिन्हें 1981 की जनगणना की परिवार अनुसूचियों के माध्यम से एकत्र किया गया है, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1981 की जनगणना के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिवार में मुख्य रूप से बोली जाने भाषा वाली के अनुसार बोलने वालों की संख्या (प्रत्येक के अधीन विभिन्न समूहित सहित)

भाषा	बोलने वालों की संख्या
1. असमी	70,525
2. बंगला	51,503,085
3. गुजराती	33,189,039
4. हिन्दी	264,189,057
5. कन्नड़	26,887,837
6. कश्मीरी	3,174,684
7. मलयालम	25,852,066
8. मराठी	49,624,847
9. उड़िया	22,881,053
10. पंजाबी	18,588,400
11. संस्कृत	2,049
12. सिन्धी	1,946,278
13. तमिल	44,720,389
14. तेलगू	54,220,227
15. उर्दू	35,223,382

1. आंकड़ों में बेघर परिवार शामिल है परन्तु संस्थागत परिवार शामिल नहीं हैं।

2. असम के आंकड़े शामिल नहीं है क्योंकि असम में अशांत स्थिति होने के कारण वहां 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी।

3. आंकड़े परिवार में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा के आधार पर दिए गए हैं। जिन्हें 1981 की जनगणना की परिवार अनुसूची के माध्यम से एकत्र किया गया है।

भारतीय शांति सेना पर हुआ व्यय

[हिन्दी]

670. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जनवरी 1981 तक श्रीलंका में भारतीय शांति सेना पर कितना व्यय किया ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) 31 जनवरी, 1989 तक भारतीय शांति सेना पर सामान्य वेतन एवं भत्तों के अलावा हुए अतिरिक्त व्यय की राशि 173.97 करोड़ रुपए है।

त्रिवेन्द्रम और खाड़ी के देशों के बीच उड़ानों में अनियमितता

[अनुवाद]

671. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों की उड़ानों में अनियमितता की जानकारी है जिसके कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) त्रिवेन्द्रम से उड़ानों के रद्द किए जाने/उड़ानों में विलंब होने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा आंदोलन किये जाने के कारण उड़ानों में ये विलंब हुए थे/उड़ाने रद्द की गई थी। उड़ानों की नियमितता में सुधार हुआ है। यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, इसलिए एयर इंडिया ने यात्रियों को त्रिवेन्द्रम से बम्बई लाने और उन्हें अन्य उड़ानें उपलब्ध कराने के लिए सभी संभव उपाय किये हैं। यात्रियों को जैसा भी आवश्यक हुआ, होटल आवास, परिवहन आदि की सुविधा दी गई।

केरल में पर्यटन विकास

672. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**

श्री सुरेश कुरुप : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन विकास के लिए किए गए कार्य का ब्योरा क्या है;

(ख) केरल की कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया ;

(ग) क्या सरकार का केरल जैसे राज्य में पर्यटन विकास को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है;

(घ) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केरल को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ङ) वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केरल में पर्यटक आधार-संरचना का विकास करने की दृष्टि से, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य को विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु मंजूरी दी है। इनमें यात्री निवास, समुद्र-तट विहार-स्थल, लग्जरी क्रूजर्स, मार्गस्थ सुविधाएं, जलक्रीड़ा हेतु उपकरण, आदि शामिल हैं।

(ख) पर्यटक केन्द्रों की संभाव्यता का निर्धारण करने का दायित्व राज्य सरकार का है।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्थान की संभाव्यता, विद्यमान आधार-संरचना, वर्तमान एवं भावी पर्यटक यातायात, प्रस्ताव की समग्र गुणवत्ता, निधियों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं के अधीन वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है।

(घ) वर्ष 198̄-88 तथा 1988-89 में अब तक, इस विभाग ने केरल में पर्यटन परियोजनाओं के लिए क्रमशः 342·56 लाख रुपए तथा 166·54 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

(ङ) यह विभाग निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं करता बल्कि स्कीमवार करता है।

केरल में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

673. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या कितनी है जिनका अभी पुनर्वास किया जाना है; और

(ख) इनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) केरल में विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों के चालू रजिस्ट्रों में दर्ज नामों के अनुसार दिसम्बर, 1988 के अन्त में रोजगार चाहने वाले भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 32,912 थी।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए किए गए उपायों के ब्यौरे 23 मार्च 1988 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4370 के उत्तर में दिए गए हैं।

केरल से प्राप्त स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी मामले

674. **श्री पी० जे० कुरियन** :
श्री ए० चार्ल्स : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार केरल से स्वतन्त्रता सेनानियों के कुल कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे;

(ख) क्या इन आवेदन-पत्रों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1988 में पेंशन के कितने मामले निपटाये गये; और

(ङ) कितने मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) दिनांक 31-12-1988 की स्थिति

के अनुसार राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के अभाव में केवल एक आवेदन पत्र लम्बित था।

(ख) और (ग) राज्य सरकार को समय-समय पर अपनी रिपोर्ट पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1988 के दौरान 55 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई (इनमें देर से प्राप्त हुए आवेदन शामिल हैं जिनमें देरी को रद्द कर दिया गया और पेंशन स्वीकृत की गई थी)। तथापि, अस्वीकृत किए गए मामलों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

थल सेना अधिकारियों की पदोन्नति

675. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**

श्री हेतराम : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थल सेना अधिकारियों की अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए यदि कोई समय सीमा निर्धारित की गई है तो वह कितनी है;

(ख) उनकी पदोन्नति वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली उनकी गोपनीय रिपोर्टों पर कहां तक निर्भर करती है; और

(ग) क्या सरकार ने थल सेना अधिकारियों के पदोन्नति के अवसरों की कोई विवेचनात्मक पुनरीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही): (क) लेफ्टिनेंट कर्नल (समय मान) के रैंक तक पदोन्नति के लिए निम्नलिखित समय सीमा है :

लेफ्टिनेंट	—	2 वर्ष
कैप्टन	—	2 वर्ष
मेजर	—	11 वर्ष
लेफ्टिनेंट (समय मान)	—	21 वर्ष

अफसर द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित अनिवार्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर ही पदोन्नति की जाती है। कर्नल एवं उससे ऊपर के उच्च कार्यकारी रैंकों पर पदोन्नति चयन द्वारा होता है। उच्च रैंकों पर स्थायी पदोन्नति के लिए निम्नलिखित न्यूनतम सेवा निर्धारित की गई है :

(1) लेफ्टिनेंट कर्नल (चयन द्वारा)	16 वर्ष
(2) कर्नल	20 वर्ष
(3) ब्रिगेडियर	23 वर्ष
(4) मेजर जनरल	25 वर्ष
(5) लेफ्टिनेंट जनरल	28 वर्ष

(ख) लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर के चयनात्मक रैंकों पर पदोन्नति इन बातों पर निर्भर करती है वरिष्ठ अफसरों द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्शाया गया अफसर का कार्य का स्तर तथा अफसर द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भाग लेना और पुरस्कार तथा मेडल आदि प्राप्त करना।

(ग) और (घ) थल सेना अफसरों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से दो बार संवर्ग समीक्षा की गई है। इनके पदोन्नति के अवसरों की समीक्षा करते रहना एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहती है।

एक फिल्म निर्माता द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की सुविधाओं का कथित दुरुपयोग

676. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 दिसम्बर, 1988 के "इंडियन एक्सप्रेस" में एक प्राइवेट फिल्म निर्माता द्वारा एक दूरदर्शन धारावाहिक निर्माण हेतु वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कम्प्यूटर तथा उसकी अन्य सुविधाओं का दुरुपयोग करने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) सी० एस० आई० आर० अतिथि गृह (विज्ञान केन्द्र), नई दिल्ली के लाउन्ज/लेक्चर हाल की सुविधाओं की सामाजिक विषय पर दूरदर्शन सीरियल के एक भाग की फिल्म सूटिंग की अनुमति दी गई थी। सी० एस० आई० आर० विज्ञान केन्द्र की प्रबंध समिति द्वारा बनाई गई इस तरह की सुविधाओं के उपयोगार्थ उसके दिशानिर्देशों के उल्लेखानुसार इस फिल्म की सूटिंग के लिए कुछ अतिथि कक्ष किराए पर लिये गये थे। तत्सम्बन्धी भुगतान किये गये किराए वास्तव में सी० एस० आई० आर० अधिकारियों और शैक्षिणक/अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों से लिए जाने वाले किराए से ज्यादा थे। इसी प्रकार निर्धारित उच्च दरों पर अवकाश के दिनों में दो अवसरों पर सभागार का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई थी। सी० एस० आई० आर० की किसी सुविधा का जैसेकि कम्प्यूटर, वीडियो कैमरा, कैमरामैन आदि का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है, जैसाकि समाचारों में बताया गया है। उपरोक्त सुविधाओं के प्रावधान से विज्ञान केन्द्र की सामान्य गतिविधियों या कार्यकलापों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद में इण्डियन एयरलाइन्स का बोइंग हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में की गई जांच पड़ताल के परिणाम

677. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** :

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अक्तूबर, 1988 को अहमदाबाद में इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग हवाई जहाज की दुर्घटना के संबंध में की गई जांच-पड़ताल की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच के निष्कर्ष क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/अथवा किये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

झारखंड आन्दोलन

678. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री चिंता महाता :

श्री अमर रायप्रधान : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड समन्वय समिति का बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आदिवासियों के लिए एक अलग झारखंड राज्य प्राप्त किए जाने हेतु कोई हिंसात्मक आन्दोलन प्रारम्भ करने का कार्यक्रम है;

(ख) क्या नक्सलवादी गुट झारखंड आन्दोलन का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उक्त आन्दोलन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में इस आशय की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ग) लोक व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण संबंधित राज्य सरकारें प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था तथा सामुदायिक जीवन यापन को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठा रही है। सरकार का विचार है कि ऐसी मांगें आर्थिक असंतुलन के कारण उठती हैं और किसी विशेष राज्य क्षेत्र के ऐसे असंतुलनों को सुनियोजित विकास द्वारा दूर किया जाना चाहिए। इस विषय में संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा कारंवाई शुरु की गई है।

नक्सलवादियों और उग्रवादियों द्वारा नष्ट की गई सम्पत्ति का मूल्य

679. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी :**

श्री राधाकान्त डिगाल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में नक्सलवादी आन्दोलन और उग्रवादी संगठन बहुत सक्रिय हो गये हैं और उन्होंने अत्याधुनिक घातक हथियार प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 और जनवरी, 1989 में उनकी गतिविधियों के कारण हिंसा की कितनी घटनाएं हुई, कितने लोग मारे गये और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों की कितनी मूल्य की सम्पत्ति नष्ट की गई; और

(ग) अब तक कितने नक्सलवादी गिरफ्तार किये गये है और इस अवधि के दौरान हिंसापूर्ण अपराधी गतिविधियों के लिए उनमें से कितनों पर मुकदमा चलाया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) कुछ राज्यों, मुख्यत: आंध्र प्रदेश और बिहार, में वामपंथी उग्रवादी संगठन काफी सक्रिय हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में उन्होंने कुछ आधुनिक हथियार प्राप्त कर लिए हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल पर्यटन विकास निगम को टूरिस्ट बसें और मोटर नौकाएं खरीदने के लिए केन्द्रीय सहायता

680. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल पर्यटन विकास निगम के लिए आधुनिक टूरिस्ट बसें, मिनी टूरिस्ट बसें और मोटर नौकाएं खरीदने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में अन्तिम रूप से क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल राज्य पर्यटन विकास निगम ने 75.00 लाख रु० की अनुमानित लागत पर लग्जरी कोच, मिनी कोच और मोटर बोट्स खरीदने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव भेजा था। निगम का प्रस्ताव अधूरा था।

अल्पसंख्यक आयोग का सम्मेलन

681. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग हाल ही के आयोजित एक सम्मेलन में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अलग निधियों सहित एक संघटक योजना की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अलग से कम्पोनेंट योजना बनाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन में वृद्धि

682. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन राशि में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया के निदेशक मंडलों का पुनर्गठन

683. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र को एयरलाइन्स की प्रबन्ध व्यवस्था में गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्मिकों को शामिल करने के प्रयोग सफल रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के निदेशक मण्डलों का पुनर्गठन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में उपयुक्त समय पर उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत-फ्रांस संयुक्त उद्यम

684. श्री पी० एम० सईद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के राष्ट्रपति के हाल के भारत दौरे के दौरान उनसे फ्रांस द्वारा भारत को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और अन्य अपेक्षित सामग्री की सप्लाई के विषय पर बातचीत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या फ्रांस सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1989-90 के लिए उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना

[हिन्दी]

686. **श्री हरीश रावत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के लिए उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना को अब तक अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य के लिए वर्ष 1989-90 के लिए क्षेत्रवार कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या यह परिव्यय राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि के बराबर है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें यदि कोई कटौती की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश की 1989-90 के लिए वार्षिक योजना का समग्र आकार 2800 करोड़ रु० का निर्धारित किया गया है। परिव्ययों के क्षेत्रकवार ब्यौरों को राज्य सरकार के परामर्श से अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार का 3296.75 करोड़ रु० का प्रस्तावित परिव्यय था। इसमें योजना के वित्त पोषण के लिए संसाधनों की सम्भावित उपलब्धता को ध्यान में रखकर परामर्श के बाद कांट-छांट करनी पड़ी।

सरदार सरोवर और नर्मदा सागर बांध परियोजनाओं को स्वीकृति

[अनुवाद]

687. **श्री साभाजीराव ककाडे** : : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सागर बांध को वित्त आबंटन के मामले में इन दोनों परियोजनाओं के लिए समान दृष्टिकोण अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस संबंध में विश्व बैंक के दृष्टिकोण पर भी विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन दोनों परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के मामले में लिया गया अन्तिम निर्णय क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विश्व बैंक ग्रुप ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से 200 मिलियन अमेरिकी डालर तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से विशेष आहरण

अधिकारों के तहत 249.20 मिलियन अमेरिकी डालर स्वीकृत किए हैं। नर्मदा सागर परियोजना विश्व बैंक सहायता के लिए अभी अटकी हुई है और बैंक द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा राशि के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) योजना आयोग ने सरदार सरोवर परियोजना को उसकी 6406.04 करोड़ रु० की अनुमानित लागत के लिए 5-10-1988 को निवेश संबंधी अनापत्ति दे दी है। जहां तक नर्मदा सागर बांध का संबंध है, योजना आयोग द्वारा निवेश संबंधी स्वीकृति अभी दी जानी बाकी है।

वर्ष 1989 के लिए एयर इंडिया का कलेंडर

688. **श्री साम्भाजीराव ककाडे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने "ए ट्रिब्यूट टू द ट्रेडीशनल इण्डियन वीमन" शीर्षक से वर्ष 1989 के लिए एक कलेंडर छपवाया था;

(ख) क्या एयर इंडिया को उस कलेंडर में छापे गए कुछ चित्रों के शीर्षकों के बारे में आपत्तियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) प्राप्त हुई शिकायतें मुख्य रूप से नवम्बर, 1989 माह की तस्वीर के शीर्षक से संबंधित थीं। ये आपत्तियां "गोआन" की बजाय "गोआनीज" शब्द के प्रयोग तथा "पुर्तगालियों के वंशज" की व्याख्या आदि से संबंधित थीं। जैसे ही यह मामला एयर इण्डिया के ध्यान में लाया गया, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना की गई और इस संबंध में शुद्धि करने संबंधी कार्यवाही किये जाने तक कैलेंडर के वितरण को रोकने की कार्रवाई की गई।

केन्द्रीय स्वीकृति के लिए विचाराधीन महाराष्ट्र परियोजनाएं

689. **श्री साभाजीराव ककाडे** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा जनवरी 1987 से 31 दिसम्बर, 1988 तक कितनी परियोजनाएं केन्द्र को भेजी हैं;

(ख) इसमें से कौन-कौन सी परियोजनाओं को योजना आयोग ने अस्वीकृत कर दिया है और किन-किन परियोजनाओं के बारे में महाराष्ट्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है; और

(ग) किन-किन परियोजनाओं के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हो गये हैं ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि 1 जनवरी, 1687 से 31 दिसम्बर, 1988 के बीच भारत सरकार के प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों तथा अन्य केन्द्रीय प्राधिकरणों को इनके विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा अट्ठारह (18) परियोजनाएं/स्कीमें प्रस्तुत की गई थी। इनमें से कोई भी परियोजना योजना आयोग को नहीं भेजी गई।

राज्य सरकार द्वारा दर्शायी गई अट्ठारह परियोजनाओं/स्कीमों में से एक विद्युत परियोजना अर्थात कोयना एच० ई० पी० स्टेज-4 (6 X 125 मेगावाट) निवेश अनुमोदन के लिए योजना आयोग को विद्युत विभाग/सी० ई० ए० द्वारा भेजी गई थी जिसकी अनुमति दे दी गई थी। सलाहकार समिति द्वारा कोयना-कृष्णा लिफ्ट सिंचाई स्कीम को भी 11-1-89 को स्वीकृति दे दी गई थी बशर्ते राज्य सरकार कतिपय शर्तों जिनमें वन से संबंधित अनापत्ति भी शामिल है, को सन्तुष्ट कर दे। इन शर्तों को पूरा करने के बाद निवेश स्वीकृति के लिए आगामी कार्यवाही की जाएगी।

प्रौद्योगिकी के उन्नत क्षेत्र में भारत सोवियत संघ सहयोग

690. **श्री एस० एम० गुरुद्डी :**

श्री शान्ति लाल पटेल :

श्री राधाकांत डिगाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ ने दोनों देशों के लिए लाभप्रद औद्योगिकी के उन्नत क्षेत्रों में उत्पादनोन्मुख कार्यक्रमों तथा अन्य प्रकार के सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए अनेक दल गठित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और सोवियत संघ के बीच वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग के समेकित दीर्घावधि कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिस पर 3 जुलाई, 1987 को प्रधान मन्त्री और सोवियत संघ के कम्युनिस्ट दल के तत्कालीन महासचिव श्री गोर्बाचोफ द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे, जैव-प्रौद्योगिकी और प्रतिरक्षा विज्ञान, सामग्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लेजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उत्प्रेरण के क्षेत्रों में तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्य सीमान्त क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाएं बनाई गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले के चोला गांव में पोलियो के मुखीय टीके के लिए अनुसंधान और विकास एवं उत्पादन एकक की स्थापना के लिए तथा हैदराबाद में चूर्ण धातुकी के लिए संयुक्त केन्द्र की स्थापना के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच प्रौद्योगिकी में परामर्श सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों में पर्यटन पर नियन्त्रण के लिए विज्ञा-निर्देश

691. **श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा :**

श्री जी० एस० वासवराजू : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों में पर्यटन पर नियंत्रण के लिए कुछ दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और भारतीय वन्य जीव संरक्षण बोर्ड को मन्जूरी के लिए भेज दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए बारह वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों के लिए पर्यटन प्रबन्ध योजनाओं को तैयार करने हेतु कोई समिति गठित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इसके प्रयोजनार्थ स्थापित समिति में निम्नलिखित व्यक्ति हैं :

1. श्री एस० के० राय	अध्यक्ष
2. श्री तेजवीर सिंह	सदस्य
3. श्री निर्मल घोष	सदस्य
4. पर्यटन विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
5. श्री डी० एस० चावदा	सदस्य
6. श्री महेन्द्र व्यास	सदस्य
7. श्री एस० सी० शर्मा, जेडी (डब्ल्यू० एल०)	सदस्य
8. श्री आर० एल० सिंह निदेशक (टाइगर प्रोजेक्ट)	सदस्य
9. संबंधित राज्य का सी० डब्ल्यू० एल० डब्ल्यू० पदेन	सदस्य

अर्द्ध सैनिक बलों के लिए भर्ती

692. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान सी० आर० पी० एफ०, बी० एस० एफ० सी० आई० एस० एफ०, आई० टी० बी० पी०, असम राइफल्स और नेशनल सिक्युरिटी गार्ड्स के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई;

(ख) वर्ष 1989 के दौरान कितने व्यक्तियों की भर्ती किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इन सम्भावित पदों को संबंधित भर्ती क्षेत्र की आबादी के अनुपात में विभिन्न भर्ती कार्यालयों में विभाजित किया जायेगा;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश भर से इन बलों के लिए और अधिक सन्तुलित रूप से भर्ती सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भर्ती कार्यालय खोलने का है; और

(ङ) प्रत्येक बल के लिए कहां-कहां मुख्य भर्ती कार्यालय स्थापित किए जायेंगे और प्रत्येक भर्ती कार्यालय द्वारा किन-किन जिलों और उनकी कितनी आबादी में से भर्ती की जायेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भा० तिब्बत सीमा पुलिस और असम राईफल के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। एन० एस० जी० में कार्मिक पूरी तरह से सेना अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों और राज्य पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाते हैं और किसी रिक्ति पर सीधी भर्ती नहीं की जाती है।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

संगठन का नाम	1989 में सीधी भर्ती के लिए अग्रिम रूप से निर्धारित रिक्तियां
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	4,320
सीमा सुरक्षा बल	16,000
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	7,400
भारत तिब्बत सीमा पुलिस	1,700
असम राईफल	4,000

(ग) से (ङ) अर्ध सैनिक बलों का कोई स्थायी भर्ती कार्यालय नहीं है जिसका कोई क्षेत्राधिकार हो। सरकार का इस प्रकार के स्थायी भर्ती कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कांसटेबल, राईफल मैनों के पद पर भर्ती, समाचार पत्रों, रेडियो और दूरदर्शन पर विस्तृत प्रचार करने के बाद इस उद्देश्य के लिए प्रतिनियुक्त विशेष भर्ती दलों द्वारा देश के विभिन्न भागों में खुली भर्ती रैलियां आयोजित करके की जाती है। कोई भी व्यक्ति जो अन्यथा पात्र है, भर्ती के लिए किसी भी भर्ती रैली में भाग ले सकता है। तथापि, प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए देश की जनसंख्या और राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात से रिक्तियां आबंटित की जाती है। सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक पुलिस उप अधीक्षक/सहायक कमांडेंट और अन्य विशिष्ट वर्गों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर सीधी प्रतियोगिता परीक्षा लेकर केन्द्रीय रूप से की जाती है।

विवरण

1986, 1987 और 1988 के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और असम राईफल में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या का विवरण

क्रम सं०	राज्य, संघ शासित क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल			सी० सु० बल			के० औ० सु० बल			भा० ति० सी० पुलिस			असम राईफल्स		
		1986	1987	1988	1986	1987	1988	1986	1987	1988	1986	1987	1988	1986	1987	1988
1.	आंध्र प्रदेश	141	275	1705	736	358	729	186	238	620	—	19	2	11	8	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	2	—	20	—	—	—	—	—	—	—	63	3	73
3.	असम	126	126	246	1051	961	132	173	58	225	—	36	—	1419	418	161
4.	अ० नि० द्वीप समह	—	—	11	—	—	4	—	—	3	—	—	—	—	—	126
5.	बिहार	322	60	1173	1179	1341	1572	302	181	404	13	158	88	716	395	80
6.	चण्डीगढ़	1	10	9	—	3	1	—	—	2	1	16	266	—	—	—
7.	दिल्ली	70	171	508	482	459	1705	28	164	159	9	49	32	3	4	—
8.	गुजरात	61	147	1060	176	352	195	65	39	224	—	—	—	—	—	—
9.	गोवा, दमन और द्वीव	—	—	18	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	हरियाणा	272	354	685	645	1111	1157	185	425	353	80	399	186	468	196	65
11.	हिमाचल प्रदेश	72	1	216	719	414	392	194	226	110	229	939	92	305	240	212
12.	जम्मू और कश्मीर	157	46	237	463	359	286	125	41	95	48	450	409	46	15	4
13.	कर्नाटक	88	104	1340	479	461	671	85	124	351	—	1	1	4	—	—
14.	केरल	131	80	429	526	381	688	134	237	208	11	106	23	627	448	78
15.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	...
16.	मध्य प्रदेश	226	200	1097	627	1107	637	193	127	324	8	299	810	17	8	63
17.	महाराष्ट्र	182	408	1521	13	508	327	150	191	345	1	6	6	—	—	1
18.	मेघालय	—	7	32	1877	91	69	—	—	17	—	—	—	203	34	78
19.	मणीपुर	28	30	178	189	75	50	...	...	10	3	1	—	560	343	358
20.	मिजोरम	...	10	13	40	10	4	—	4	30	—	—	...	141	46	32
21.	नागालैंड	1	...	2	95	58	—	—	—	22	—	—	—	361	93	20
22.	उड़ीसा	207	129	631	97	266	211	166	172	143	1	8	—	33	12	352
23.	पांडिचेरी	16	19	50	—	—	–	1	1	17	—	—	—		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24. पंजाब		43	100	1819	825	1269	1530	211	125	603	27	103	114	128	68	55
25. राजस्थान		237	353	1424	1813	2015	1156	179	221	489	27	215	46	284	106	162
26. सिक्किम		13	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	...	15	1	...
27. त्रिपुरा		...	30	436	551	157	82	—	—	26	1	—	—	202	45	96
28. तमिलनाडु		79	564	1370	50	396	350	90	169	310	1	9	—	40	30	2
29. उत्तर प्रदेश		643	273	2023	1381	2446	3395	353	917	827	282	1629	773	2083	1136	521
30. प० बंगाल		282	390	1212	1848	2322	1628	283	267	391	4	20	41	109	41	56

साम्प्रदायिक दंगे

693. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) अक्तूबर तथा दिसम्बर 1988 के बीच देश में साम्प्रदायिक दंगों की राज्यवार कितनी घटनाएं हुई, इनमें कितने व्यक्तियों की जानें गईं, कितने व्यक्ति घायल हुए तथा अनुमानतया कितने मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ख) उन प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है जिनमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों की जानें गईं; और

(ग) दंगों से पीड़ित लोगों तथा उनमें मारे गये लोगों के निकट संबंधी को दी गई राहत सहायता का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर अक्तूबर से दिसम्बर, 1988 तक की अवधि के दौरान हुए साम्प्रदायिक दंगों की सं०, मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों और सम्पत्ति के नुकसान का (राज्य वार) विवरण :—

राज्य का नाम	घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	सम्पत्ति का अनुमानित नुकसान (लाख रुपयों में)
आंध्र प्रदेश	5	—	18	—
असम	3	—	11	—
बिहार	21	11	84	—
गुजरात	9	10	35	1.74
कर्नाटक	14	3	64	7.51
मध्य प्रदेश	11	4	92	—
महाराष्ट्र	17	2	78	1.85
उड़ीसा	1	—	1	—
राजस्थान	4	1	3	—
तमिलनाडु	1	—	3	0.10
उत्तर प्रदेश	27	42	236	7.05
पश्चिम बंगाल	12	1	31	—

(ख) और (ग) अक्तूबर से दिसम्बर, 1988 के बीच घटी प्रमुख साम्प्रदायिक घटनाओं तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई यथासूचित सहायता की मात्रा के ब्यौरे :—

स्थान का नाम और तारीख	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	स्वीकृत की गई अनुग्रह सहायता (18-11-1988 तक की स्थिति)	वितरित की गई राशि
अलीगढ़ (8-13 अक्तू०)	4	1.00 लाख	0.75 लाख
मुजफ्फर नगर (8-13 अक्तू०)	26	10.00 लाख	4.27 लाख
खतौली (8-13 अक्तू०)	2		0.53 लाख
फैजाबाद (21-24 अक्तू०)	5	1.50	0.50 लाख

* उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपरोक्त साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 20,000/- रु० की दर से अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गई है।

आल असम बोडो स्टूडेन्ट्स यूनियन की ओर से ज्ञापन

694. **श्री संयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम की मैदानी जनजातियों हेतु एक अलग राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए आल असम बोडो स्टूडेन्ट्स यूनियन अथवा यूनाइटेड ट्राईबल नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट आफ असम की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मैदानी जनजातियों की समस्याओं के बारे में असम सरकार से बातचीत की है और उसकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या असम में जनजाति बहुलता वाले सभी खंडों को जनजाति खंड घोषित किया गया है और यदि हां, तो ऐसे खंडों के नाम और संख्या का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या असम के किसी भाग को अनुसूचित क्षेत्र—जिला अथवा इलाका घोषित किया गया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार की जानकारी में असम में जनजातियों पर पुलिस के अत्याचारों का कोई मामला आया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) असम राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह जनजातियों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने की दृष्टि से मैदानी जनजातियों के प्रतिनिधि मण्डलों के साथ बातचीत शुरु करे और महत्वता की भावना से जनजातिय क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं पर विचार करे और जनजातीय व्यक्तियों की वास्तविक मांगों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने असम बोडो स्टूडेंट यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(च) जी नहीं, श्रीमान् ।

(छ) इस मन्त्रालय में असम में जनजातियों पर कथित पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है ।

विमानों का सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण

695. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल एविएशन अथारिटी की भांति इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया द्वारा देश में संचालित सभी विमानों के निरीक्षण को सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के प्रभावित विमानों के सम्बन्ध में फेडरल एविएशन प्रशासन (एफ० ए० ए०) द्वारा अपेक्षित सभी प्रकार की अनिवार्य निरीक्षण सम्बन्ध आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है ।

(ख) ऐसे निरीक्षणों का अनुपालन विमानों के सुरक्षित प्रचालन के लिए किया जाता है ।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में देरी/उनका रद्द किया जाना

696. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :

श्री सोमनाथ रथ :

श्री प्रकाश चन्द :

डा० ए० के० पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह माह के दौरान, इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया और वायुदूत की माहवार कितनी प्रतिशत उड़ानों में विलम्ब हुआ; और

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान प्रत्येक माह में कितनी उड़ानें रद्द की गई और रद्द करने के क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स की विलम्ब से प्रचालित उड़ानों का प्रतिशत इस प्रकार है :—

महीना	विलम्ब का प्रतिशत
अगस्त, 1988	38.47
सितम्बर, 1988	34.66

महीना	विलम्ब का प्रतिशत
अक्तूबर, 1988	37.39
नवम्बर, 1988	38.49
दिसम्बर, 1988	47.05
जनवरी, 1989	45.13

एयर इण्डिया और वायुदूत के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स की जिन उड़ानों को रद्द किया गया है उनकी संख्या और उनके कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं। एयर इण्डिया और वायुदूत से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

अगस्त, 1988 से जनवरी, 89 की अवधि में इण्डियन एयरलाइन्स की रद्द की गई उड़ानों की संख्या

अगस्त, 88 8656 रद्द करना	सितम्बर, 88 8407 रद्द करना	अक्तूबर, 88 8391 रद्द करना	नवम्बर, 88 7643 रद्द करना	दिसम्बर, 88 7974 रद्द करना	जनवरी, 88 8090 रद्द करना	रद्द किए जाने के कारण
5	4	5	5	12	1	वाणिज्यिक
1	0	1	3	28	0	परिचालन
10	8	7	27	13	5	इंजीनियरी
0	0	1	0	0	0	भू-सहायता
30	38	10	32	125	48	मौसम
20	52	28	59	197	36	हवाई अड्डे की सुविधाएं
3	15	1	37	11	7	विविध
98	153	122	135	625	212	परिचालकी
167	270	175	289	1011	309	कुल जोड़

आठवीं योजना का दृष्टिकोण

697. श्री शरद दिघे :

श्री अमर रायप्रधान : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्यों और नीतियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दृष्टिकोण पत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल दिया गया है जिससे बढ़ती हुई आबादी की रोजगार सम्बन्धी आवश्यकता पूरी हो सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मुख्य लक्ष्य और कार्यनीतियां दृष्टिकोण पत्र में दिए गए हैं जिसको अन्तिम रूप दिया जा रहा है और विचारार्थ राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा। दृष्टिकोण पत्र को अन्तिम रूप देते समय बढ़ती हुई जनसंख्या के मुकाबले में रोजगार में वृद्धि सहित अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है।

हैदराबाद हवाई अड्डे को क्षति

698. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1979 में किसी विशिष्ट व्यक्ति के दौरे के दौरान हैदराबाद हवाई अड्डे को कोई क्षति पहुंची थी;

(ख) यदि हां, तो कितना नुकसान हुआ था इण्डियन एयरलाइन्स को इसकी मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ी;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई मामला दर्ज किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ फर्नीचर और दरवाजे आदि को मामूली क्षति पहुंची थी। इनकी मरम्मत पर इण्डियन एयरलाइन्स ने कोई राशि खर्च नहीं की है।

(ग) और (घ) सर्वश्री सुधीर कुमार और एम० रेड्डी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के खंड 147 और 427 के अधीन अपराध संख्या 18/89 के तहत बेगमपेट पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है।

दिल्ली के रेस्तराओं में शराब परोसना

699. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में रेस्तराओं में खुले रूप से शराब परोसने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था में अधिक बिगाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई है और सामान्यता नगर का वातावरण दूषित हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गरीबी हटाओ कार्यक्रम

700. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के समय उड़ीसा में कुल कितने व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे थे;

(ख) गरीबी रेखा निर्धारित करने का क्या मानदण्ड है;

(ग) लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या कदम उठाये गये और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम के अधीन इस सम्बन्ध में कोई विशेष कदम उठाये गये हैं ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) सातवीं योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के अनुमान वर्ष 1983-84 के लिए उपलब्ध थे। ये अनुमान घरेलू उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 38वें चक्र के परिणामों के आधार पर तैयार किए गए थे। इन अनुमानों के अनुसार उड़ीसा में 118.1 लाख व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे थे।

(ख) गरीबी की रेखा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य मानदण्ड कैलोरी खपत है। योजना आयोग द्वारा 1979 में गठित "न्यूनतम आवश्यकताएं तथा प्रभावी मांग" सम्बन्धी कृतिक बल ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी आवश्यकता के तदनुसार 1973-74 की कीमतों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रु० तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रु० प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के अनुसार गरीबी की रेखा को परिभाषित किया है। इस तरह से परिभाषित गरीबी की रेखा में खाद्य तथा अखाद्य मदों सम्बन्धी व्यय शामिल हैं तथा यह परिभाषा कैलोरी खपत के औचित्य को सुनिश्चित करती है। खपत सामग्री में मूल्य वृद्धि के लिए यथा परोक्षी निहित निजी खपत अपस्फायक का प्रयोग करते हुए गरीबी की रेखा को अद्यतन किया जाता है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक आय और रोजगार सृजन करने के लिए कृषि, उद्योग और आधार संरचना में निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की परिकल्पना है। इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में निवेशों पर यथेष्ट जोर दिया गया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(घ) 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी हटाने, उत्पादकता में वृद्धि करने और जीवन स्तर सुधार के

वास्ते योजना का एक अभिन्न अंग है। कार्यक्रम का पुनर्गठन 1986 में पिछली उपलब्धियों तथा सातवीं योजना के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में किया गया था और गरीबी हटाने के विषय में और अधिक संकेन्द्रण किया गया। वाई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०, सीमा से फालतू भूमि का वितरण, ग्राम तथा लघु उद्योगों का विकास इत्यादि रोजगार सृजन के लिए गरीबों के संसाधन आधार को मजबूत करने के लिए और उनकी आय बढ़ाने के लिए मुख्य कार्यक्रम रहेंगे। वर्ष 1988-89 में एन० आर० ई० पी०/आर० एल० ई० जी० पी० के अंग के रूप में खुदे हुए कुओं के निर्माण के लिए एक स्कीम शुरु की जा रही है ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु तथा सीमांत किसानों की श्रेणी से सम्बद्ध व्यक्तियों को एक सिंचाई साधन प्रदान किया जा सके। ग्राम तथा लघु उद्योगों के उन्नयन तथा उनके संतुलित फैलाव के लिए 1988-89 में एक नया नीति पैकेज शुरु किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी आधार संरचनात्मक सुविधाओं से सुसज्जित संवृद्धि केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

सोवियत विमानों की खरीद

701. **श्री अमरसिंह राठवा :**

श्री काली प्रसाद पांडेय :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन के क्षेत्र में भारत-सोवियत सहयोग के अन्तर्गत सोवियत संघ से विमान खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो मिलने वाले विमानों का ब्यौरा क्या है तथा इस सहयोग का अन्य किन-किन क्षेत्रों में विस्तार किया जायेगा;

(ग) क्या सोवियत विमानों में अन्य उपलब्ध विमानों की तुलना में अधिक ईंधन की खपत होती है; और

(घ) यदि हां, तो सोवियत विमान लेने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल : (क) से (घ) कई देशों के विनिर्माताओं से भारत को विमानों की बिक्री के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सोवियत यूनियन के विमानन उद्योग ने भी याक-42ए० ए० एन०-28, टी० यू०-204 और आई० एल०-96 जैसे विमानों को बेचने का प्रस्ताव किया है। विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श किये गए हैं जिनमें ईंधन खपत, वाहक क्षमता, विमान की रेंज, भुगतान की शर्तों और मुद्रा आदि जैसे तकनीकी मामलों पर भी विचार किया गया है। विमानों के अर्जन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। सोवियत प्रस्ताव पर इसलिए विचार किया जा रहा है कि इसकी यूनिट लागत कम है और इसका भुगतान आसान शर्तों के अनुसार भारतीय मुद्रा में किया जाना है तथा इसकी प्रौद्योगिकी अच्छी किस्म की है।

फ्लाइंग क्लबों की समस्यायें

[हिन्दी]

702. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में फ्लाइंग क्लबों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश के सभी फ्लाइंग क्लबों को पुनरुज्जीवित करने और उड़ान घंटों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावित/विचाराधीन योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का किन फ्लाइंग क्लबों को बन्द करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) अधिकतर फ्लाइंग क्लबों का कार्य सन्तोषजनक रूप से चल रहा है। एरो क्लब आफ इंडिया ने इन क्लबों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक मजबूत करने के लिए 25 माइक्रोलाइट विमान उपलब्ध कराए हैं। आर्थिक सहायता प्राप्त उड़ान घंटों में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है।

(घ) किसी भी फ्लाइंग क्लब को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत के विदेशों में बस गए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने की योजना

[अनुवाद]

703. **श्री टी० बशीर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन भारतीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने की कोई नई योजना तैयार की है जो बेहतर भविष्य के लिए गत कुछ वर्षों के दौरान अन्य देशों में चले गये; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा विदेशों में रह रहे हमारे वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) विदेशों में बसे भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी-विदों को वापिस देश में आने के लिए आकर्षित करने हेतु विगत में समय-समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

— वैज्ञानिकों के पूल की स्कीम के अन्तर्गत वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की अस्थायी तैनाती का प्रावधान है।

— अधिसंख्य पदों के सृजन के लिए भी प्रावधान रखा गया है।

— उद्योग मंत्रालय में एक विशेष कक्ष की स्थापना की गई है, ताकि अनिवासी भारतीय लोगों को देश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए उनके आवेदनों के शीघ्र निपटान में उन्हें मदद मिल सके।

— जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, महासागर विकास विभाग, पर्यावरण विभाग, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग, टैलीमैटिक्स विकास केन्द्र आदि जैसे नये वैज्ञानिक विभाग/संगठन स्थापित किये गये हैं और इनमें से कुछ विभाग/संगठन उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में हैं, जहां वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी-विदों को सुअवसर मिलने की संभावना है और वे देश में आने के लिये आकर्षित होंगे।

— उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिये कुल आवंटन में वृद्धि की जा रही है।

— वैज्ञानिकों की कार्यदशाओं में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है।

— विदेशों से वापिस आने वाले वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी-विदों को उपकरणों का आयात करने के लिए सुविधायें प्रदान की गई हैं।

— ऐसे कार्यक्रम शुरू किये गये हैं, जिनके द्वारा देश में वैज्ञानिकों के क्रोड़ समूह बनाये जाते हैं, जिनके पास विज्ञान के नये और सीमांत क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती हैं।

— भारतीय मूल के जिन व्यावसायिक पुरुषों और महिलाओं ने अपने-अपने कार्य क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है और जो विदेशों में बसे हैं, उन्हें यू० एन० डी० पी० द्वारा प्रायोजित "प्रवासी नागरिकों के जरिये जानकारी का अन्तरण" नाम कार्यक्रम के माध्यम से प्रौद्योगिकी के सीमान्त क्षेत्रों तथा विज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में हमारे विकसीय प्रयासों में सहायता करने के लिए अल्पावधि तकनीकी नियोजनों के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

त्रिवेन्द्रम से जद्दाह के लिए सीधी उड़ानें

704. **श्री टी० बशीर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में कार्य करने वाले भारतीयों द्वारा त्रिवेन्द्रम से जद्दाह के लिये एक सीधी उड़ान शुरू करने की बहुत समय से मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिवेन्द्रम और जद्दाह के बीच एअर इण्डिया की एक सीधी उड़ान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मेडक आयुध फैक्टरी द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार देना

705. श्री मानिक रेड्डी :

श्री जी० भूपति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेडक आयुध फैक्टरी के प्रबन्धक द्वारा स्थानीय लोगों को दी जाने वाली रोजगार संबंधी सुविधाओं, विशेषाधिकारों का ब्योरा क्या है;

(ख) मेडक स्थित आयुध फैक्टरी में अब तक कितने स्थानीय लोगों को किन-किन पदों पर रोजगार दिया गया; और

(ग) मेडक स्थित आयुध फैक्टरी में भर्ती सम्बन्धी तथा रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी वर्तमान प्रक्रिया क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ग) समूह "ग" समूह "घ" के स्तर पर सीधी भर्ती केवल स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही की जाती है। संगारेड्डी स्थित स्थानीय जिला रोजगार कार्यालय को सभी रिक्त पदों की सूचना दी जाती है। स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों का चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार किया जाता है और जो उपयुक्त पाए जाते हैं उन्हें नियुक्ति पत्र भेज दिया जाता है। ऐसे कुछ मामलों में, जहां नौकरी की अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते स्थानीय रोजगार कार्यालय इससे हैदराबाद स्थित नजदीकी जिला रोजगार कार्यालयों को इन रिक्त पदों के बारे में सूचित कर दिया जाता है।

(ख) अब तक रोजगार केन्द्र संगारेड्डी द्वारा भेजे गये समूह "घ" के 340 कार्मिकों और समूह "ग" के 828 कार्मिकों को इस परियोजना में नियुक्त किया जा चुका है। इनमें समूह "ग" में 5 पदों पर और समूह "घ" में 244 पदों पर उन व्यक्तियों को नियुक्ति शामिल है जो अपनी भूमि से विस्थापित हुए थे।

इलैक्ट्रानिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा रंगीन टेलिविजनों और वी०सी०पी० का विकास

706. श्री मानिक रेड्डी :

श्री जी० भूपति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रानिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम ने रंगीन टेलिविजनों और वीडियो कैसेट प्लेयरों के विकास में क्या नवीनतम प्रगति की है;

(ख) क्या इलेक्ट्रानिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम रंगीन टेलीविजनों के लिये पोर्टेबल टेलिविजन किटों का निर्माण कर रहा है अथवा उपलब्ध करवा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस किट का मूल्य कितना है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश में इलैक्ट्रानिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम से किन-किन कम्पनियों और एजेंसियों को ये टेलिविजन किट (ब्लैक एण्ड व्हाइट तथा रंगीन) प्राप्त हो रहे हैं;

(घ) क्या इलैक्ट्रानिक व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम रंगीन पिक्चर ट्यूब तथा रंगीन टेलीविजन किटों का आयात करता है; और

(ङ) यदि हां, तो किस देश से और प्रतिवर्ष कितनी पिक्चर ट्यूब तथा टेलीविजन किटों का आयात किया जाता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०) ने दूरदर्शन कार्यक्रम तथा शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम, दोनों ही प्रकार के कार्यक्रम, सामुदायिक रूप से देखने के लिये सामुदायिक वीडियो प्रणाली (संघमित्र) का विकास किया है। इस प्रणाली में 51 सेमी० आकार वाला एक रंगीन टी० वी० (एम० टी० वी० माडल) तथा एक वीडियो कैसेट प्लेयर एक ही कैबिनेट के अन्दर लगे हैं।

(ख) ई० टी० एण्ड टी० सुवाह्य दूरदर्शन सेटों के लिये किट उपलब्ध नहीं करा रहा है क्योंकि आयात नीति के अन्तर्गत सुवाह्य रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए पिक्चर ट्यूबों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है और ऐसे पिक्चर ट्यूबों का स्वदेशी उत्पादन अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में जो कम्पनियां इस समय श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन किटें खरीद रही हैं, उनके नाम नीचे दिये गये हैं :—

I. श्याम तथा श्वेत रंगीन दूरदर्शन किटें :

1. नोविनी इलैक्ट्रानिकी इन्डस्ट्री, हैदराबाद
2. लूनर एंटरप्राइज, हैदराबाद
3. कल्वा प्रकाश राव इन्टरप्राइज, हैदराबाद
4. इनफिनी इलैक्ट्रानिक्स, हैदराबाद
5. सनकौर इलैक्ट्रानिक्स, हैदराबाद
6. शिल्पाविजन, विजयवाड़ा
7. समता इलैक्ट्रानिक्स, हैदराबाद
8. कृष्णारया इलैक्ट्रानिक्स, हैदराबाद
9. आदर्श इलैक्ट्रानिक्स, हैदराबाद
10. विमल टेलीविजन्स, गुंटूर
11. एस० एस० एस० इलैक्ट्रानिक्स, विजयवाड़ा
12. सेटविन, वाइजैग
13. सेटविन, हैदराबाद
14. आन्ध्र प्रदेश इलैक्ट्रानिकी विकास निगम, हैदराबाद
15. सिद्धार्थ इलैक्ट्रानिक्स, विजयवाड़ा
16. विश्वेश्वर इलैक्ट्रानिक्स, हैदराबाद
17. पेन्नार इलैक्ट्रानिक्स, अनन्तपुर

II. श्याम तथा श्वेत किटें

1. मिता इलैक्ट्रानिक्स, वारंगल
2. चैतन्य इलेक्ट्रानिक्स, काकीनाड़ा
3. सुमसिता, इलेक्ट्रानिक्स, खम्मम
4. स्पेक्ट्रोनिक्स प्रा० लि०, हैदराबाद
5. संगमेश्वरी ट्रस्ट, संगमजागरलामुडी, गुंटूर
6. पैनोविजन, वाइजैग
7. किरण इलेक्ट्रानिक्स, तिरुपति
8. सरकार माइक्रो, नेल्लौर

(घ) ई० टी० एण्ड टी० रंगीन पिक्चर ट्यूबों की अपनी व्यावसायिक आवश्यकता की आंशिक पूर्ति आयात के जरिए पूरा करता है और रंगीन दूरदर्शन किटों का आयात नहीं करता है। आयात नीति के अन्तर्गत किटों पर प्रतिबन्ध है।

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान ई० टी० एण्ड टी० ने दक्षिण कोरिया, जापान तथा फ्रांस से रंगीन पिक्चर ट्यूबों का आयात किया है। वर्ष 1986-87 के दौरान 3,38,800 तथा वर्ष 1987-88 के दौरान 2,32,280 ट्यूबों का आयात किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

707. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के उन स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत दो वर्षों से केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही है और प्रत्येक मामले में वर्ष-वार कितनी राशि की सहायता मंजूर की गई, और किस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई; और

(ग) स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान मंजूर करने की क्या प्रक्रिया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) कल्याण मंत्रालय द्वारा 1986-87 और 1987-88 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में स्वयंसेवी संगठनों को दिये गये सहायक अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) एक संगठन जो सहायता के लिए अनुरोध करता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से आवेदन करें और उस प्रयोजना/प्रयोजन का ब्यौरा दे जिसके लिए सहायक अनुदान मांगा जाता है और इसके साथ-साथ कुछ दस्तावेज भी भेजने होते हैं जैसे पंजीकरण प्रमाण-पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, लेखों का लेखा परीक्षित विवरण, संगठन की विवरणिका आदि। अखिल भारतीय के स्तर के संगठनों के मामलों में मंत्रालय संगठन से सीधे ही आवेदन-पत्र प्राप्त कर सकता है और यदि आवश्यक समझा जाये तो राज्य सरकारों से सिफारिशें प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में विशिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही की जाती है।

विवरण

(रुपयों में)

क्र० सं०	संगठन का नाम	जारी की गई धनराशि 1986-87	जारी की गई धनराशि 1987-88	उद्देश्य
1.	आंध्र प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद हैदराबाद	13,56,360	12,75,351	ठाकुर हरि प्रसाद मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा आयोजित सेवाओं के लिए उपकरण खरीदना एवं निर्माणकार्य
2.	आंध्र प्रदेश नेत्रहीन संघ, हैदराबाद	35,055	18,750	सचल प्रशिक्षण योजना, संगीत शिक्षा योजना, प्रौढ़ शिक्षा कक्षायें तथा रोजगार परियोजना
3.	ग्रामीण शिक्षा-आर्थिक विकास समिति गुंटूर	25,380	—	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ करना
4.	राधा मन्द बुद्धि संस्थान, सिकन्दराबाद	1,50,000	—	होस्टल भवन का निर्माण करना
5.	पामेनकैंप सैन्टर, सिकन्दराबाद	63,945	26,978	स्थापना व्यय तथा उपकरण खरीदना
6.	विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हैदराबाद विशेष स्कूल, सिकन्दराबाद	4,94,352	2,25,426	तदैव
7.	आंध्रा महिला सभा, हैदराबाद	—	66,488	स्थापना व्यय
8.	रायलसीमा सेवा समिति, तिरुपति	—	50,000	विकलांगों को सहायक यन्त्र व उपकरण सप्लाई करना
9.	आंध्र प्रदेश विकलांग सहकारी निगम, हैदराबाद	—	10,00,000 (1988-89 में जारी)	तदैव
10.	प्रकाशम विकास अध्ययन संस्थान, हैदराबाद	10,575	—	मदिरा पान, नशीली दवाओं के व्यसनियों तथा सामाजिक अपराध के अन्य पीड़ितों के लिए परामर्श और पुनर्वास कार्य, मद्यनिषेध के लिए शिक्षा कार्य
11.	आदिवासी कन्या आश्रम स्कूल, नरसमपेट्टा	51,568	61,872	स्थापना व्यय
12.	वृद्धावस्था कल्याण केन्द्र, हैदराबाद	96,120	85,320	तदैव

केरल में विश्व बैंक दल पर हमला

708. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री प्रतापराव वी० भोंसले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1989 में ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण की यात्रा पर गये चार सदस्यीय विश्व बैंक के दल पर नक्सली समर्थन दल ने हमला किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार का विभिन्न राज्यों की यात्रा पर जा रहे ऐसे दलों के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध रिपोर्ट में बताया गया है कि 22-1-1989 को कोचीन की यात्रा पर गए विश्व बैंक के दल पर नक्सली समर्थक दल द्वारा हमला किया गया था, परन्तु वहां पर उपस्थित कर्मचारियों ने समय पर इसे रोक दिया ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) इस बारे में राज्य सरकार ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है ।

(घ) आशा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार पर्याप्त एहतियाती उपाय करेगी ।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

709. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

डा० दत्ता सामंत :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० वो० पाटिल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो दशकों से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चला आ रहा सीमा विवाद अभी तक हल नहीं हो पाया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस समस्या को हल करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा क्षेत्रों में जनमत कराने पर आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन दोनों राज्यों के बीच के सीमा विवाद को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नये सिरे से क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया है कि विवाद को हल करने का एक विकल्प जनमत कराना है ।

(ग) और (घ) भारत सरकार का सदैव यह विचार रहा है कि यह विवाद केवल संबंधित राज्य सरकारों के ऐच्छिक सहयोग से ही हल किया जा सकता है । केन्द्र सरकार मामले में दोनों राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए रखती है । समस्या का कोई परस्पर स्वीकार्य हल निकालने में यथा अपेक्षित केन्द्रीय सहायता दी जाएगी ।

एयरलाइंस पायलेटों द्वारा नौकरी छोड़ा जाना

710. डा० बला सामन्त :

प्रो० के० वी० थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के कितने पायलट अन्य एयरलाइनों में चले गए हैं;

(ख) अन्य एयरलाइनों में इनके जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके कारण इन दोनों एयरलाइनों में अनुभवी पायलटों की कमी हो गई है;

(घ) क्या अन्य एयरलाइनों की तुलना में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के पायलटों को वेतन और परिलब्धियां कम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के पायलटों को बेहतर वेतन और लाभ दिये जायेंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जनवरी, 1988 से इंडियन एयरलाइन्स के 12 विमान चालकों तथा एयर इंडिया के एक विमान चालक ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है । इंडियन एयरलाईंस के एक विमान चालक ने इंडियन एयरलाईंस में त्यागपत्र देने से पहले ही एयर माल्य में नौकरी प्राप्त कर ली । शेष 11 विमान चालकों के सम्बन्ध में इस आशय की कोई अधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने किसी विदेशी विमान कम्पनी में सेवा प्राप्त कर ली है या नहीं । एयर इंडिया के विमानचालक ने व्यक्तिगत कारणों से सेवा से त्यागपत्र दिया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) विदेशी विमान कम्पनियों के विमान चालकों के वेतन के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । इसके अतिरिक्त एयरलाइंस द्वारा दिये जाने वाला वेतन कई तथ्यों पर आधारित होता है जैसे कि सम्बन्धित देश में विद्यमान स्थानीय निर्वाह-व्यय सूचकांक आदि ।

(ङ) इंडियन एयरलाइंस ने 16-2-89 को इंडियन कामर्शियल पायलट्स एसोसिएशन (आई० सी० पी० ए०) के साथ वेतन समझौता कर लिया है । जिसके अन्तर्गत वेतन तथा कुछ भत्तों में बढ़ोतरी

का प्रावधान है। इंडियन एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था इंडियन पायलट्स गिल्ड (आई० पी० जी०) तथा इंडियन एयरलाइंस के बीच वेतन वार्ताएं प्रगति पर हैं और समझौता हो जाने पर विमानचालकों की वर्तमान परिलब्धियों में वृद्धि होने की आशा है।

जम्मू और काश्मीर को केन्द्रीय सहायता

711. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य को केन्द्रीय सहायता मंजूर करने के लिए एक विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) क्या राज्य को केन्द्रीय सहायता 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है जब कि लगभग अन्य सभी विशेष श्रेणी के राज्यों को यह 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) विशेष श्रेणी राज्यों में जम्मू एवं काश्मीर का लद्दाख क्षेत्र तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों के अतिरिक्त जिसके लिए 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण की प्रणाली है, जो अन्य विशेष श्रेणी राज्यों पर लागू है, जम्मू एवं काश्मीर तथा असम को 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है।

(ग) केन्द्रीय सहायता का उदार पैटर्न अर्थात् 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण, को केवल उन विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में अपनाया गया है जो पहले या तो संघ राज्य क्षेत्र थे अथवा किसी राज्य के भीतर जिले थे और जो बहुत कम संसाधन आधार वाले हैं तथा प्रारम्भिक रूप से पहाड़ी क्षेत्र हैं। जम्मू एवं काश्मीर तथा असम पहले से ही राज्य बनाए गए थे और विशेष क्षेत्रों जैसा कि उत्तर के भाग (ख) के अन्तर्गत उल्लेख किया है, के मामले के अलावा उन पर केन्द्रीय सहायता का सामान्य पैटर्न ही लागू है।

जम्मू और श्रीनगर के बीच विमान सेवा की संख्या में वृद्धि

712. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा श्रीनगर के बीच दैनिक उड़ानों की विद्यमान संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या श्रीनगर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू और कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्रों के शरणार्थियों को वित्तीय सहायता

713. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के बड़ी संख्या में शरणार्थी जम्मू, कठुआ, उधमपुर राज्य के विभिन्न भागों विशेषकर जम्मू, कठुआ उधमपुर जिले में बस गये हैं परन्तु उनकी समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उनके दावों के निपटान के रूप में उन्हें वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) केवल उन 696 परिवारों को छोड़कर जो 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान छम्ब नियाबत क्षेत्र से विस्थापित हुए थे और जिनको जम्मू-कश्मीर में भूमि उपलब्ध न होने के कारण उनके हिस्से के भाग की सम्पूर्ण भूमि आवंटित नहीं की जा सकी थी, सभी विस्थापित व्यक्तियों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पुनर्वास सहायता दी जा चुकी है ।

पिछड़े वर्गों हेतु पंजाब को आवंटन

714. **श्री कमल चौधरी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु कितनी धन-राशि का आवंटन किया गया था; और

(ख) पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 1987-88 और 1988-89 (अद्यतन) के दौरान इन वर्गों के उत्थान हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) पंजाब सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तार लगाना

715. **श्री मोहन भाई पटेल** :
श्री आर० एम० भोये :
श्री चिंतामणि जेना :
श्री राधाकान्त डिगाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तार लगाने का काम बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्य को कब से पुनः शुरू किये जाने की सम्भावना है;

(घ) अब तक क्या प्रगति हुई है तथा आज की तारीख तक कितनी सीमा क्षेत्र पर कांटेदार तार लगाये गये हैं; और

(ङ) भारत-पाक सीमा पर खिले क्षेत्र में कांटेदार तार लगाये जाने की संभावना है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जो इस परियोजना को निष्पादित कर रहा है, ने बताया है कि जो कार्य, अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़ तथा कुछ क्षेत्रों में पानी कम नहीं होने के कारण रोक दिया गया था, अब किया जा रहा है। 15 फरवरी, 1989 तक लासियां, डेरा बाबा नानक, अजनाला, बानियां, खेमकरण और मामडोट क्षेत्रों में हाथ में लिए गए 120 किलोमीटर लम्बी बाड़ लगाने के काम में से 95.35 किलोमीटर बाड़ पूरी कर ली गयी है। शेष टुकड़े पर 31 मार्च, 1989 तक कार्य के पूरे होने की आशा है।

टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों का मूल्य

716. श्री मोहन भाई पटेल :

श्री चिन्तामणि जेना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्लैक एण्ड व्हाईट टैलीविजन पिक्चर ट्यूबों के मूल्य बढ़ाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका विशेष रूप से 14-इंच आकार के टेलीविजनों के मूल्य पर क्या असर पड़ा है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में भारतीय टेलीविजन निर्माता संघ ने कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें पिक्चर ट्यूबों और दूसरे पुर्जों के मूल्य पर नियन्त्रण की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान 36 सेमी० आकार वाले श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों के मूल्यों में लगभग 35 प्रतिशत और 51 सेमी० आकार वाले श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों के मूल्यों में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है। श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों के मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(I) ग्लास शैलों जैसी आयातित सामग्रियों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि।

(II) विदेशी-मुद्रा की विनिमय दरों में वृद्धि।

(ग) श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, जिनमें 14 इंच आकार के सेट भी शामिल हैं।

(घ) भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ ने श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों के मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और सरकार से अनुरोध किया है कि संघटकपुर्जों के विनिर्माताओं की इस प्रवृत्ति को रोका जाए।

(ङ) श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से लागत का अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है।

नशीली औषधों के सेवन से मौतें

717. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :**

श्री अमर सिंह राठवा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में नशीली औषधों, स्मैक, हैरोइन, अफीम तथा अन्य स्वापक द्रव्यों के सेवन से होने वाली मौतों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) महानगरों में मादक द्रव्यों के आदि लोगों के कल्याण के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) नशीली औषधों के सेवन के भयंकर परिणामों के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमित्रा उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) अस्पतालों में तथा सरकारी सहायता से स्थापित किए गए परामर्शी व निर्व्यसन केन्द्रों के माध्यम से नशीली दवाओं के व्यसनियों के उपचार हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं। केन्द्रीय सरकार की सहायता से महानगरों में स्थापित किए गए परामर्शी व निर्व्यसन केन्द्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) नशीली दवाओं के कुप्रभावों के बारे में जन चेतना का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रचार साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, जिनमें कार्यशालाएं, सेमिनार, वाद-विवाद, सामुदायिक स्तर की बैठकें, प्रदर्शनियां, पोस्टर तथा निबंध प्रतियोगिताएं, चलचित्र स्लाइड्स, मूकाभिनय प्रदर्शन इत्यादि शामिल हैं, सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को भी प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान की जा रही है। ऐसे कार्यक्रम स्कूलों, कालेजों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में भी आयोजित किए जा रहे हैं।

विवरण

(24-2-89 की स्थिति के अनुसार)

महानगरों में नशीली दवाओं के व्यसनियों के उपचार, अनुवर्ती कार्यवाही तथा पुनर्वास हेतु स्वयंसेवी संगठनों को स्वीकृत परामर्श केन्द्रों/निर्व्यसन केन्द्रों/अनुरक्षण केन्द्रों के बारे में स्थिति

क्रम सं०	महानगर का नाम	स्वीकृत परामर्श केन्द्रों की संख्या	स्वीकृत निर्व्यसन केन्द्रों की संख्या	स्वीकृत अनुरक्षण केन्द्रों की संख्या
1.	दिल्ली	15	5	1
2.	कलकत्ता	5	2	—
3.	बम्बई (बृहत्तर)	8	—	1

1	2	3	4	5
4.	मद्रास	2	1	1
5.	बंगलौर	2	1	—
6.	अहमदाबाद	4	1	—
7.	हैदराबाद	1	—	—
8.	कानपुर	—	—	—
9.	नागपुर	—	—	—
10.	पुणे	1	1	—
11.	जयपुर	—	—	—
12.	लखनऊ	—	—	—
	जोड़ :	38	11	3

नोट : परामर्श केन्द्र तथा अनुरक्षण केन्द्र बम्बई के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

भारत-बंगलादेश सीमा के साथ जीप चलाने योग्य सड़क

718. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगलादेश सीमा के साथ जीप चलाने योग्य सड़क का निर्माण करने में विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां, श्रीमान्।

(ख) आरम्भ में अप्रैल, 1984 में कार्य शुरू किया गया था। बंगलादेश राईफल्स के कार्मिक द्वारा अकारण गोलाबारी करने के कारण कार्य स्थगित करना पड़ा। इस कार्य को जून, 1986 में ही शुरू किया जा सकता था। अभूतपूर्व बाढ़ तथा सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों द्वारा भूमि सौंपे जाने में की गई देरी के कारण भी विलम्ब हुआ है।

भुवनेश्वर के लिए और अधिक विमान सेवाएं उपलब्ध कराना

719. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, बम्बई, बंगलौर और मद्रास से भुवनेश्वर के लिए बहुत कम विमान सेवाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने इन शहरों से तथा राज्यों की राजधानियों से भुवनेश्वर के लिए सीधी विमान सेवाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त शहरों से भुवनेश्वर के लिए पर्याप्त विमान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मौजूदा परिस्थितियों में दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच, वाराणसी होकर जाने वाली इंडियन एयरलाइन्स की दैनिक बी-737 सेवा में उपलब्ध कराई गई क्षमता पर्याप्त समझी गई है। इंडियन एयरलाइन्स भुवनेश्वर/बम्बई और बंगलौर तथा मद्रास के बीच सीधी सेवा का परिचालन नहीं कर रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस समय इंडियन एयरलाइन्स विमान क्षमता की अत्यन्त कमी का सामना कर रही है, अत: भुवनेश्वर से बम्बई, बंगलौर और मद्रास की सेवाएं शुरू करने के लिए वह स्थिति में नहीं होगी। इन क्षेत्रों में सेवाएं तभी शुरू की जा सकेंगी जब पर्याप्त क्षमता उपलब्ध होगी और वहां पर्याप्त यातायात की सम्भावना होगी।

प्रौद्योगिकी मिशन

720. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में प्रौद्योगिकी मिशनों द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं;

(ख) इन राज्यों में दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 तक उक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कितनी-कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) राज्यों में इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में प्रौद्योगिकी मिशनों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित होने वाले प्रौद्योगिकी मिशन ये हैं :

(1) राष्ट्रीय पेय जल मिशन, (2) तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, (3) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, (4) वैक्सीन तथा रोगक्षमीकरण प्रौद्योगिकी मिशन, (5) राष्ट्रीय दूरसंचार मिशन [दूरसंचार मिशन दूरसंचार क्षेत्रों (सर्किलों)/जिलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है इसका राज्य-वार सीमांकन नहीं किया जाता है], (6) डेरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन (यह मिशन अभी हाल ही में शुरू किया गया है)।

(ख) उपरोक्त प्रौद्योगिकी मिशनों में से प्रत्येक के लिए दिनांक 31-12-88 तक इन प्रौद्योगिकी मिशनों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति संलग्न विवरण 1 से 5 में दिखाई गई है।

(ग) संलग्न विवरण 6 से 9 में केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे क्रियान्वित किए जाने वाले दूर संचार मिशन को छोड़कर प्रत्येक प्रौद्योगिकी मिशन को प्रदान की गई सहायता का विवरण दर्शाया गया है।

विवरण-1

राष्ट्रीय पेयजल मिशन

सम्मिलित किए गए समस्या वाले गांवों की प्रगति

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दिनांक 1-4-1985 को समस्या वाले गांव	दिसम्बर 1988 तक सम्मिलित किए गए समस्या वाले गांव
1.	आंध्र प्रदेश	15834	15761
2.	अरुणाचल प्रदेश	391	391
3.	असम	9570	5517
4.	बिहार	9199	8095
5.	गोवा	38	35
6.	गुजरात	4911	3928
7.	हरियाणा	2844	1740
8.	हिमाचल प्रदेश	3539	2031
9.	जम्मू और कश्मीर	2959	1541
10.	कर्नाटक	5410	5410
11.	केरल	88	61
12.	मध्य प्रदेश	14714	13884
13.	महाराष्ट्र	5174	4029
14.	मणिपुर	862	573
15.	मेघालय	3658	1421
16.	मिजोरम	595	280
17.	नागालैंड	623	338
18.	उड़ीसा	14443	9943
19.	पंजाब	2254	848
20.	राजस्थान	7310	5465
21.	सिक्किम	121	85
22.	तमिलनाडु	4482	2211
23.	त्रिपुरा	2893	1717
24.	उत्तर प्रदेश	43906	37390
25.	पश्चिम बंगाल	5930	5930

1	2	3	4
26.	दादर और नगर हवेली	—	—
27.	अण्डमान-निकोबार द्वीप	40	40
28.	लक्कद्वीप	11	11
29.	पांडिचेरी	53	53
30.	दिल्ली	—	—
31.	दमन और दीव	—	—

विवरण-2

तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन

दिसम्बर 1988 को तिलहन का क्षेत्र और उत्पादन

राज्य	क्षेत्र हजार हैक्टेयर	उत्पादन (हजार टन)
आंध्र प्रदेश	2402.9	1853.4
अरुणाचल प्रदेश	13.5	15.5
असम	363.8	179.9
बिहार	215.8	118.5
गुजरात	1398.3	401.2
हरियाणा	335.7	333.0
हिमाचल प्रदेश	22 9	3.3
जम्मू और कश्मीर	48.9	39.7
कर्नाटक	2889.6	1570.6
केरल	22.6	7.9
मध्य प्रदेश	2830.6	1464.9
महाराष्ट्र	2381.9	1248.4
मणिपुर	2.4	2.9
मेघालय	8.8	5.5
मिजोरम	1.8	1.5
नागालैंड	8.5	6.4
उड़ीसा	1059.3	849.6
पंजाब	251.3	235.9

1	2	3
राजस्थान	1944.5	1230.1
सिक्किम	11.3	12.1
तमिलनाडु	1291.3	1324.4
त्रिपुरा	9.3	6.0
उत्तर प्रदेश	1888.2	955.6
पश्चिम बंगाल	590.5	506.2
दादर और नगर हवेली	0.3	0.1
दिल्ली	2.6	0.4
पांडिचेरी	3.6	5.3

विवरण-3

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

दिनांक 31-12-88 को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य का नामांकन और विस्तार

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्र	लक्ष्य (लाख में)	नामांकन कुल योग	नामांकन प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	13630	5.00	4,08,693	81.74
2.	अरूणाचल प्रदेश	1013	0.41	30,392	74.13
3.	असम	10612	4.10	3,18,381	77.65
4.	बिहार	33160	1390	9,73,532	70.04
5.	गोवा	114	0.10	2,639	26.32
6.	गुजरात	19070	4.88	5,75,050	117.83
7.	हरियाणा	1717	2.12	2,12,953	100.45
8.	हिमाचल प्रदेश	1099	0.70	32,978	47.11
9.	जम्मू और कश्मीर	1764	2.10	43,412	20.67
10.	कर्नाटक	11715	3.25	3,51,447	108.14
11.	केरल	—	1.92	(निल रिपोर्ट मिली)	

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	27218	9.33	8,14,266	87.27
13.	महाराष्ट्र	26311	8.45	7,89,026	93.38
14.	मणिपुर	2482	0.79	64,164	81.22
15.	मेघालय	1450	0.48	28,093	58.53
16.	मिजोरम	500	0.15	10,787	71.91
17.	नागालैंड	750	0.26	21,338	82.06
18.	उड़ीसा	8490	3.20	2,44,030	76.25
19.	पंजाब	4366	1.82	1,50,140	82.49
20.	राजस्थान	13664	5.09	4,18,127	82.15
21.	सिक्किम	452	0.08	5,864	67.05
22.	तमिलनाडु	28058	10.00	9,38,897	93.89
23.	त्रिपुरा	2457	0.93	39,636	42.61
24.	उत्तर प्रदेश	33734	11.58	10,12,047	87.39
25.	पश्चिम बंगाल	17591	6.72	5,27,750	78.53
26.	अण्डमान-निकोबार द्वीप	306	0.10	6,498	64.98
27.	चण्डीगढ़	240	0.06	6,205	103.11
28.	दादर और नगर हवेली	150	0.04	4,500	112.50
29.	दमन और दीव	16	0.03	293	9.76
30.	दिल्ली	3144	1.32	99,404	75.30
31.	लक्षद्वीप	50	0.03	773	25.77
32.	पांडिचेरी	596	0.19	15,461	81.13

विवरण-4

वैक्सीन टीका और रोगक्षमीकरण पर राष्ट्रीय मिशन दिनांक 31-12-1988 को की प्रगति

(लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	टिटेनस	डी०पी०टी०	पोलिओ	बी०सी०जी०	खसरा
आंध्र-प्रदेश	848,116	712,230	675,089	846,661	582,165
असम	80,620	116,408	101,514	127,502	57,418
बिहार	699,482	1,292,787	1,270,000	1,078,561	716,008
गुजरात	600,000	569,400	561,100	628,700	484,600
हरियाणा	259,932	321,567	319,218	319,050	218,818
कर्नाटक	617,287	586,303	530,284	742,967	443,661
केरल	446,522	351,773	371,276	395,393	237,501
मध्य-प्रदेश	800,241	939,652	873,814	1,073,904	743,362
महाराष्ट्र	1,057,352	968,234	954,284	1,100,032	614,176
उड़ीसा	478,635	456,093	450,098	443,467	274,981
पंजाब	274,055	314,679	307,008	319,368	233,381

1	2	3	4	5	6
राजस्थान	521,987	634,859	646,514	646,514	538,624
तमिलनाडु	656,548	675,822	656,481	832,893	777,398
उत्तर-प्रदेश	1,994,000	2,883,000	2,316,000	2,319,000	1,500,009
पश्चिम बंगाल	572,803	597,840	482,490	574,616	264,385
हिमाचल-प्रदेश	60,913	74,421	71,915	92,247	62,697
जम्मू और कश्मीर	35,833	70,891	71,691	87,702	38,702
मणिपुर	16,993	21,421	20,338	27,093	17,407
मेघालय	13,305	10,966	10,228	16,138	3,385
नागालैंड	2,934	5,293	3,190	2,467	2,951
सिक्किम	3,979	5,439	5,568	6,089	3,294
त्रिपुरा	8,562	10,237	10,051	17,356	5,817
अण्डमान-निकोबार द्वीप	3,414	3,892	4,216	4,984	2,009
अरुणाचल प्रदेश	4,973	5,829	5,721	8,292	3,620
चण्डीगढ़	9,582	7,477	7,802	10,876	4,145
दादर और नगर हवेली	1,282	2,405	2,418	3,618	897
दिल्ली	72,425	91,206	92,381	101,296	62,279
गोवा	6,346	11,607	12,634	14,961	8,874
दमन और दीव	578	6,074	1,105	1,501	1,260
लक्षद्वीप	519	639	553	805	102
मिजोरम	5,636	9,853	9,449	8,299	6,452
पांडिचेरी	9,126	111,177	11,907	17,904	7,707

विवरण-5

दूरसंचार पर राष्ट्रीय मिशन

कार्य परिमापी (दिनांक 31-12-88 को प्रगति)

क्रम सं०	यूनिट	सफल काल की दर		त्रुटि दर/100 एस०टी०एन०एस० प्रति माह		ट्रंक क्षमता (मैनअल काल)
		लोकल	एस०टी०डी०	टेलीफोन	टेलेक्स	
अ.	दूरसंचार सर्किल					
1.	आंध्र-प्रदेश	98.93	87.21	10.58	14.23	83.6
2.	असम	96.45	72.16	41.49	55.36	95.48
3.	बिहार	96.7	74.1	18.67	32.6	72.1
4.	गुजरात	95.17	82.52	21.5	34.09	81.42
5.	हरियाणा	95.3	56.97	25.4	19.8	80.8
6.	हिमाचल	94.55	87.84	23.92	27.50	84.02
7.	जम्मू और कश्मीर	97.0	74.46	24.61	24.0	84.88
8.	कर्नाटक	98.9	85.2	13.58	16.49	84.9
9.	केरल	96.84	85.53	1504	21.54	75.6
10.	मध्य-प्रदेश	95.9	43.2	21.0	25.2	79.9
11.	महाराष्ट्र	95.23	75.42	19.39	28.4	81.31
12.	उत्तर-पूर्व	83.9	63.2	32.7	23.2	57.5
13.	उड़ीसा	96.2	69.7	19.5	33.7	78.6
14.	पंजाब	97.5	80.1	30.9	35.3	80.8
15.	राजस्थान	94.5	54.3	25.1	30.4	79.4
16.	तमिलनाडु	96.92	84.07	11.68	12.2	84.98
17.	उत्तर-प्रदेश	93.7	74.0	27.4	30.4	69.6
18.	पश्चिम बंगाल	87.22	43.03	30.94	63.29	71.49
ब.	लघु और महानगरीय जिले					
1.	बंबई	97.6	50.6	16.3	20.41	74.37
2.	दिल्ली	99.6	75.6	21.9	20.9	72.9

1 2	3	4	5	6	7
3. कलकत्ता	96.15	58.04	19.39	48.7	62.3
4. मद्रास	99.1	54.4	26.1	36.7	74.7
स. बृहत जिले					
1. अहमदाबाद	99.93	75.0	10.16	23.73	82.85
2. बंगलौर	98.9	62.93	18.35	26.3	78.9
3. हैदराबाद	99.94	62.96	13.4	17.79	79.25
4. जयपुर	98.85	52.0	16.92	24.0	75.2
5. कानपुर	98.0	74.0	17.0	31.0	67.0
6. पुणे	97.73	66.37	12.53	22.93	75.0

विवरण-6

राष्ट्रीय पेयजल मिशन 88 दिसम्बर तक पेय जल मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गई सहायता का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	करोड़ रुपयों में
1.	आंध्र प्रदेश	71.130
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.618
3.	असम	40.480
4.	बिहार	70.880
5.	गोवा	1.830
6.	गुजरात	61.120
7.	हरियाणा	17.850
8.	हिमाचल प्रदेश	29.570
9.	जम्मू और कश्मीर	65.010
10.	कर्नाटक	60.560
11.	केरल	36.070
12.	मध्य प्रदेश	96.770
13.	महाराष्ट्र	87.420
14.	मणिपुर	10.740
15.	मेघालय	10.910

1	2	3
16.	मिजोरम	7.520
17.	नागालैंड	13.140
18.	उड़ीसा	40.880
19.	पंजाब	20.511
20.	राजस्थान	105.640
21.	सिक्किम	11.190
22.	तमिलनाडु	55.640
23.	त्रिपुरा	9.710
24.	उत्तर प्रदेश	120.230
25.	पश्चिम बंगाल	44.251
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप	8.800
27.	चंडीगढ़	—
28.	दादर और नगर हवेली	0.600
29.	दमन और दीव	0.140
30.	दिल्ली	0.065
31.	लक्षद्वीप	0.370
32.	पांडिचेरी	1.140

विवरण-7

तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन
दिसम्बर 1988 तक राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना (एन०डी०डी०पी०)
और तिलहन उत्पादन प्रचार परियोजना (ओ० पी० टी० पी०)
के अन्तर्गत राज्य को वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	लाख रुपयों में
1.	आंध्र प्रदेश	1377.963
2.	असम	176.946
3.	बिहार	197.117
4.	गुजरात	1285.558
5.	हरियाणा	128.700
6.	हिमाचल प्रदेश	13.072

1	2	3
7.	जम्मू और कश्मीर	19.445
8.	कर्नाटक	1057.139
9.	मध्य प्रदेश	926.488
10.	महाराष्ट्र	911.295
11.	उड़ीसा	495.481
12.	पंजाब	258.562
13.	राजस्थान	745.446
14.	सिक्किम	15.312
15.	तमिलनाडु	1001.894
16.	उत्तर प्रदेश	816.506
17.	पश्चिम बंगाल	138.139
18.	त्रिपुरा	6.0

विवरण-8

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत व्ययों का विवरण

विभिन्न राज्यों को प्रदान कराई गई वित्तीय सहायता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, इस मिशन के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया धन निम्नांकित है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	योजना का नाम	31-12-88 तक व्यय की गई धनराशि
1.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	2751.16
2.	पश्च-साक्षरता व अनुवर्ती (फालो-अप) जे०एस०एन०एस०	553.58
3.	प्रशासनिक संरचनाओं का दृढ़ीकरण	341.50
4.	कार्यात्मक साक्षरता हेतु व्यापक कार्यक्रम	37.90
5.	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	394.32
6.	स्वयंसेवी अभिकरण	667.04
7.	श्रमिक विद्यापीठ	60.79
8.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	87.16

विवरण-9

बैक्सीन टीका और रोगक्षमीकरण कार्यक्रम हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रदान की गई नकद और जिस रूपी सहायता का विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य	नकद सहायता	जिस के रूप में सहायता
आंध्र प्रदेश	82.63	239.00
अरुणाचल प्रदेश	6.00	6.81
असम	64.34	110.52
बिहार	79.61	257.77
गोवा	1.38	7.52
गुजरात	59.50	216.36
हरियाणा	32.85	80.97
हिमाचल प्रदेश	39.07	42.54
जम्मू और कश्मीर	24.64	43.66
कर्नाटक	72.94	209.59
केरल	56.20	180.98
मध्य प्रदेश	76.86	158.55
महाराष्ट्र	135.86	321.56
मणिपुर	8.28	10.50
मेघालय	7.58	16.04
मिजोरम	3.72	8.32
नागालैंड	0.64	11.80
उड़ीसा	56.03	160.31
पंजाब	110.44	108.43
राजस्थान	64.53	153,20
सिक्किम	4.68	6.02
तमिलनाडु	71.90	224.69
त्रिपुरा	6.52	17.02
उत्तर प्रदेश	173.64	489.55

1	2	3
पश्चिम बंगाल	68.70	230.60
अण्डमान-निकोबार द्वीप	—	3.25
चण्डीगढ़	—	2.28
दादर और नगर हवेली	—	1.08
दमन और दीव	—	—
दिल्ली	—	35.03
लक्षद्वीप	—	2.42
पांडिचेरी	2.48	7.07

अनाथ बच्चों का पुनर्वास

722. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो अनाथ बच्चों के पुनर्वास हेतु योजनायें कार्यान्वित कर रहे हैं;

(ख) क्या उनके पुनर्वास के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रयोजन के लिये केन्द्र का क्या कार्यक्रम तैयार करने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1974-75 से प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य अनाथ तथा निराश्रित बच्चों का पुनर्वास करना है । इस योजना के अंतर्गत व्यय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा समान आधार पर वहन किया जाता है । यह योजना संपूर्ण देश में लागू है । इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष तक की आयु के निराश्रित बच्चों के पालन-पोषण हेतु अनुदान प्रदान किए जाते है । इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए बच्चों के लिए किराए, फर्नीचर खरीदने, बर्तन, व्यावसायिक प्रशिक्षण उपकरण तथा कुटीर निर्माण हेतु भी अनुदान प्रदान किए जाते हैं । पिछले पांच वर्षों के दौरान जम्मू व काश्मीर राज्य, दादर व नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश को छोड़कर, सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुदान प्रदान किए जा चुके हैं, क्योंकि इनसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 दिसम्बर, 1986 से इस योजना को समाप्त कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फ्लाइंग क्लबों का परिचालन

723. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस समय कितने फ्लाइंग क्लब परिचालन में हैं;

(ख) "एरो क्लब ऑफ इंडिया" से कितने फ्लाइंग क्लब संबद्ध है;

(ग) क्या कुछ फ्लाइंग क्लबों को पर्याप्त संख्या में विमान आवंटित किये जाने के बावजूद वे एक वर्ष में पांच सौ घंटे उड़ान भी नहीं कर सके; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे फ्लाइंग क्लबों से विमान वापस लेने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस समय देश में 25 फ्लाइंग क्लब परिचालन में हैं।

(ख) 24 फ्लाइंग क्लब एरो क्लब ऑफ इंडिया से संबद्ध हैं।

(ग) और (घ) सुरक्षा के कारणों से और खराब मौसम तथा प्रशिक्षित उड़ान प्रशिक्षकों के उपलब्ध न होने के कारण कुछ क्लब 500 घंटों की उड़ानें भी पूरी नही कर सकें हैं। इस समय ऐसे फ्लाइंग क्लबों से विमानों को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रशिक्षित विमान चालकों के लिए रोजगार के अवसर

724. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्लाइंग क्लबों से प्रशिक्षिण प्राप्त करने के पश्चात् कितने प्रशिक्षित विमानचालक बेरोजगार हैं;

(ख) भारी संख्या में विमानचालकों के बेरोजगार रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस विमानचलाकों को नियुक्त करने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो विमान चालकों के लिये सृजित किये गये रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) बेरोजगार प्रशिक्षित विमानचालकों के आंकड़े नही रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। देश की एयरलाइनें अपनी आवश्यकतानुसार समय-समय पर विज्ञापन जारी करती हैं और उपयुक्त विमानचालकों का चयन करती है।

ब्लैक एण्ड व्हाईट टेलीविजन सेटों का निर्यात

725. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान द्वारा ब्लैक एण्ड व्हाईट टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब और टेलीविजन सेटों के निर्माण से हाथ खींच लेने के कारण टेलीविजन सेटों के निर्यात की पर्याप्त गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार को बढ़ावा देने तथा ब्लैक एण्ड व्हाईट टेलीविजन सेटों के निर्यात के लिए विदेशी बाजार का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) 1. इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के निर्यात के लिए जिनमें श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबें हैं, निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं :

—जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 15 शामिल प्रतिशत की दर से नकद प्रति पूर्ति सहायता।

—30 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति लाइसेंस।

—समग्र उद्योग के लिए शुल्क प्रति अदायगी की दर।

2. पूर्ण संयोजित/अर्ध संयोजित वस्तुओं के निर्यात के मामले में उद्योग की शुल्क प्रति अदायगी की दरों की अनुमति दी गई है।

3. परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग के मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियन्त्रण (एम० टी० क्यू० सी०) कार्यक्रम के अंतर्गत इलेक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा इलेक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्रों की एक शृंखला स्थापित की गई है।

4. दूरदर्शन सेटों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने की दृष्टि से, इलेक्ट्रानिकी विभाग के मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (बी० आई० एस०) के तत्वाधान में एक प्रमाणीकरण योजना आरम्भ की गई है।

5. एक ही समय में निष्पादित किए जाने वाले निर्यात-आदेशों के लिए औद्योगिक इकाइयों को नए सिरे से औद्योगिक-लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दी गई है।

6. अलग से एक इलेक्ट्रानिकी तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई है।

7. सितम्बर, 1988 में नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों सहित भारतीय इलेक्ट्रानिकी उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।

कम्प्यूटर चलाने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति

726. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम्प्यूटर चलाने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धता में सुधार करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने अनेक संस्थानों में कम्प्यूटर पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं जबकि वर्ष 1983 में कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले ऐसे संस्थानों की संख्या केवल लगभग 30 ही थी, जिनमें वर्ष में लगभग 1000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, वर्ष 1988 में ऐसे संस्थानों की संख्या 300 से भी अधिक थी जिनमें 10,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ तथा वर्ष 1992 में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बढ़कर लगभग 12,000 हो जाएगी।

बंगलौर हवाई अड्डे पर विमान अवतरण उपकरण की स्थापना

727. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर हवाई अड्डे पर विमान अवतरण उपकरण प्रणाली नहीं है;

(ख) क्या बंगलौर हवाई अड्डे पर उक्त उपकरण लगाने के लिए कोई प्रारम्भिक कार्य किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उपयुक्त उपकरण कब तक लगाए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बंगलूर एयरपोर्ट पर संस्थापन के लिए उपकरण प्रणाली प्राप्त की जा रही है और मार्च, 1989 तक इसके संस्थापित कर देने की संभावना है।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर में नैमित्तिक श्रमिकों को रोजगार

728. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, बंगलौर में कुल कितने ठेका और नैमित्तिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) उन्होंने अब तक कितने वर्ष की सेवा पूरी कर ली है;

(ग) क्या वे स्थायी श्रमिकों के रूप में पक्का करने की मांग कर रहे हैं; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही): (क) पहली फरवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बंगलौर परिसर में, जिसमें बंगलौर का डिजाइन परिसर भी शामिल है, 94 नैमित्तिक श्रमिक और 437 मियादी ठेका मजदूर कार्य कर रहे हैं।

(ख)	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में पूरी की गई सेवा के वर्षों की संख्या	नैमित्तिक श्रमिक	मियादी ठेका मजदूर
	1 वर्ष	8	10
	2 वर्ष	29	33
	3 वर्ष	46	116

1	2	3
4 वर्ष	7	58
5 वर्ष	—	71
6 वर्ष	1	41
7 वर्ष और ऊपर	5	108
जोड़ :	94	437

(ग) जी, हां।

(घ) कम्पनी ने अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए पिछले छः वर्षों के दौरान अपने बंगलौर परिसर में, जिसमें बंगलौर का डिजाइन परिसर भी शामिल है, 270 से अधिक श्रमिकों को खपा लिया है। कम्पनी ने अपनी जनशक्ति की आवश्यकताओं एवं उपयुक्त मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए, शेष श्रमिकों को क्रमिक रूप से खपाने के लिए एक योजना बनाई है।

इन्सैट-1 डी का छोड़ा जाना

729. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सैट-I डी को छोड़ा जाएगा; यदि हां, तो कब तक;

(ख) इन्सैट-I डी पर कुल कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या पहले छोड़ा गया इन्सैट-I सी ठीक काम कर रहा है; और

(घ) क्या इन्सैट-1 डी का तत्काल छोड़ा जाना आवश्यक है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इन्सैट-1 डी का प्रमोचन अस्थायी रूप में मई, 1989 के लिए निर्धारित है।

(ख) इन्सैट-1 डी अन्तरिक्षयान की लागत 79.58 करोड़ रुपये है। इसके अलावा इसके प्रमोचन की लागत 61.55 करोड़ रुपये है।

(ग) इन्सैट-1 सी अन्तरिक्ष यान, दो मुख्य पावर बस लाइनों में से एक की असफलता के कारण, केवल आंशिक रूप में कार्य कर रहा है।

(घ) इन्सैट-1 डी अन्तरिक्ष यान, 1983 में सन्तोषप्रद रूप में कार्यरत इन्सैट-1 बी० के प्रतिस्थापन के लिए है। इन्सैट-I बी० के कालावधि के सितम्बर, 1989 के आसपास समाप्त होने की संभावना है, तथा इससे पहले इन्सैट-1 डी० को छोड़ना और इसे प्रचालनात्मक बनाना जरूरी है।

स्वरोजगार कार्यक्रमों की समीक्षा

730. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वरोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्वरोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वरोजगार कार्यक्रम को कारगर रूप से कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों को क्या सुझाव दिए गए हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) स्वरोजगार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की सतत समीक्षा की जाती है तथा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं, विभिन्न राज्यों में एकीकृत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना के बारे में क्रमशः उपलब्धियां दर्शाने वाले तीन विवरण-1, 2 और 3 संलग्न हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण के क्रियान्वयन में सुधार के लिए कुछ उपाय/सुझाव दिए गए हैं वे ये हैं :— (1) राज्यों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में डी० आर० डी० ए० तथा रोजगार केन्द्रों के मध्य समन्वय तथा निकट सम्पर्क साधने की सलाह दी गई है; (2) राज्यों को उत्पादन की ऐसी आधुनिक मदों के जड़ाव कार्य के विनिर्माण को हाथ में लेने के लिए उत्पादन समूहों की स्थापना की संभाव्यता का पता लगाने की सलाह दी गई है जहां मांग संबंधी कोई समस्या नहीं हो; (3) लाभ भोगियों की पहचान के वास्ते लोगों के प्रतिनिधियों को काफी हद तक सम्बद्ध करना चाहिए; (4) खण्ड, जिला तथा राज्य स्तर पर प्रशासनिक गठन को यथा आवश्यकतानुसार कारगर तथा सुदृढ़ किया जाना चाहिए; (5) लाभ भोगियों की जागरूकता तथा उनका उचित संगठन बनाने के लिए बेहतर माहौल पैदा करना; (6) डी० आर० डी० ए० तथा राज्य स्तर पर आई० आर० डी० पी० का गुणवत्तात्मक प्रबोधन; (7) कार्य योजनाएं अनुमोदित करने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति से डी० आर० डी० एक के नियंत्रक निकाय को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया गया है। डी० आर० डी० ए० से इसे फरवरी तक करने तथा इसके कार्यान्वियन प्रत्येक पहली अप्रैल से करने की अपेक्षा है; (8) राज्यों के एन० आर० ई० पी० तथा आर० एल० ई० जी० पी० के सामाजिक वानिकी संघटक के निवेश कार्यकलाप के रूप में छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा आई० आर० डी० पी० परिवारों द्वारा नर्सरी रोपण को बढ़ावा देने तथा सुझाव दिया गया है; (9) बैंक रहित खण्डों के मामले में यह निश्चय किया गया है कि डी० आर० डी० ए० बैंकों से राशि प्राप्त कर सकता है तथा लाभ भोगियों को राज्य सरकार की गारन्टी पर ऋण दे सकता है; तथा (10) अनुदान के समायोजन में विलम्ब न हो इसके लिए डी० आर० डी० ए० को बैंक द्वारा 15 दिन का नोटिस देने की आवश्यकता को हटा दिया गया है तथा अब किसी भी परिस्थिति में लाभ भोगियों द्वारा अनुदान के समायोजन, जो कि तुरन्त किया जाना होता है, में देरी के कारण कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

विवरण-I

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त परिवारों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	लाभ प्राप्त परिवारों की संख्या		
		1986-87	1987-88	1988-89*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	256944	263559	192491
2.	अरुणाचल प्रदेश	13702	11683	2239
3.	असम	68019	66144	33754
4.	बिहार	535155	657334	284172
5.	गोवा	9050	5350	3598
6.	गुजरात	147527	154124	87931
7.	हरियाणा	50420	53197	34667
8.	हिमाचल प्रदेश	36955	32481	20115
9.	जम्मू और कश्मीर	26718	29083	13484
10.	कर्नाटक	145275	160135	91130
11.	केरल	143399	110684	64954
12.	मध्य प्रदेश	363592	404358	213972
13.	महाराष्ट्र	238118	292603	170301
14.	मणिपुर	13673	6556	3118
15.	मेघालय	11970	3606	3131
16.	मिजोरम	8438	4495	3029
17.	नागालैंड	4318	5719	1942
18.	उड़ीसा	207872	304732	124474
19.	पंजाब	99935	74367	30700
20.	राजस्थान	164472	214323	118526
21.	सिक्किम	2728	2167	1042
22.	तमिलनाडु	258823	276415	216859
23.	त्रिपुरा	15779	20932	11805

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	666474	793923	444769
25.	पश्चिम बंगाल	243921	288277	185253
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2303	1588	1053
27.	चण्डीगढ़	120	61	—
28,	दादरा और नगर हवेली	1080	455	231
29.	दिल्ली	4380	3062	1173
30.	दमन और दीव	—	595	394
31.	लक्षद्वीप	444	459	309
32.	पांडिचेरी	5675	4929	1346
	जोड़	3747269	4247296	2361962

*दिसम्बर 1988 तक उपलब्धियां।

विवरण-2

शिक्षित बेरोजगार युवकों को बैंकों द्वारा स्व-रोजगार देने की स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या।

क्रम	राज्य एवं संघ राज्य	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या		
सं०	क्षेत्र के नाम	1985-86	1986-87	1987-88
1.	आंध्र प्रदेश	16518	14919	7421
2.	असम	4629	5837	3191
3.	बिहार	26376	22560	12025
4.	गुजरात	6522	4924	5293
5.	हरियाणा	4782	4808	2450
6.	हिमाचल प्रदेश	1591	1406	786
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1095	708	564
8.	कर्नाटक	12837	12100	6175
9.	केरल	13033	19015	9407
10.	मध्य प्रदेश	17224	16679	8732

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	13848	13466	8894
12.	मणिपुर	1491	1493	649
13.	मेघालय	111	80	141
14.	नागालैंड	166	129	83
15.	उड़ीसा	8757	8620	4585
16.	पंजाब	11677	15037	7672
17.	राजस्थान	10986	10736	5579
18.	सिक्किम	49	33	25
19.	तमिलनाडु	18722	18362	9278
20.	त्रिपुरा	912	909	346
21.	उत्तर प्रदेश	26264	23197	14102
22.	पश्चिम बंगाल	21885	20468	12073
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	101	80	37
24.	अरुणाचल प्रदेश	61	22	24
25.	चण्डीगढ़	394	416	179
26.	दादरा व नगर हवेली	40	19	12
27.	गोवा, दमन व द्वीव	84	220	160
28.	मिजोरम	104	233	92
29.	पांडिचेरी	465	480	240
20.	लक्षद्वीप	उ०न०	उ०न०	9
	जोड़	220724	216956	120224

टिप्पणी : देश के लिए निर्धारित कुल लक्ष्यों का 99.18 प्रतिशत वर्ष 1987-88 के दौरान प्राप्त किया गया।

विवरण-3

ट्राइसैम के अंतर्गत प्रशिक्षित युवकों की संख्या

क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	प्रशिक्षित युवकों की कुल संख्या		
सं०	के नाम	1985-86	1986-87	1987-88
1.	आंध्र प्रदेश	7388	10394	11382
2.	अरुणाचल प्रदेश	97	253	167
3.	असम	5492	4409	4672
4.	बिहार	18517	15401	16083
5.	गोवा	2292	1639	1565
6.	गुजरात	7614	10725	14540
7.	हरियाणा	3317	2789	2531
8.	हिमाचल प्रदेश	2647	2138	2461
9.	जम्मू व कश्मीर	3019	3793	3062
10.	कर्नाटक	6685	5768	5092
11.	केरल	3717	4835	5849
12.	मध्य प्रदेश	14372	18258	14548
13.	महाराष्ट्र	13150	14179	13056
14.	मणिपुर	497	1342	1340
15.	मेघालय	28	24	95
16.	मिजोरम	492	890	705
17.	नागालैंड	422	263	349
18.	उड़ीसा	6173	8286	13212
19.	पंजाब	9030	7584	8206
20.	राजस्थान	13544	13039	17190
21.	सिक्किम	298	303	185
22.	तमिलनाडु	12537	13177	12562
23.	त्रिपुरा	622	1446	2670
24.	उत्तर प्रदेश	36578	37542	38524
25.	पश्चिम बंगाल	8092	4943	5472

1	2	3	4	5
26.	अण्डमान व नि० द्वीप समूह	47	29	26
27.	चण्डीगढ़	शून्य	135	शून्य
28.	दादरा और नागर हवेली	24	104	86
29.	दिल्ली	628	620	876
30.	दमन व दीव	—	—	80
31.	लक्षद्वीप	37	25	37
32.	पांडिचेरी	154	265	307
	जोड़	177510	184598	196930

भारत में पाकिस्तान के जासूस

[हिन्दी]

731. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में पाकिस्तान के अनेक जासूस जासूसी कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान प्रत्येक पाकिस्तान के कितने जासूस गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इन्जीनियरों, डाक्टरों तथा शिक्षा और कृषि सम्बन्धी क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करना

[अनुवाद]

732. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारिया आयोग ने इंजीनियरों, डाक्टरों तथा शिक्षा, कृषि और सहकारिता सम्बन्धी क्षेत्रों में अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों से आयोग की सिफारिशों पर अपने विचार देने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) इस स्थिति में इस बारे में बताना सम्भव नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सैन्य चिकित्सा अधिकारियों को पुन: रोजगार प्रदान करना

733. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भूतपूर्व सैन्य चिकित्सा अधिकारियों को पुन: रोजगार प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में इन डाक्टरों को नियुक्ति के किए क्या तौर-तरीके निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन डाक्टरों को नए प्रवेशार्थियों के रूप में भारतीय चिकित्सा सेवा परीक्षा में भाग लेना आवश्यक होता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रवेश परीक्षा में भाग लिए बिना भूतपूर्व सैन्य डाक्टरों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में नियुक्त करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही): (क) भूतपूर्व सेना चिकित्सा अफसरों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा कोई विशेष योजना नहीं चलाई जा रही है। लेकिन सेना चिकित्सा कोर के अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों को उनकी लगातार दस वर्ष की कमीशन सेवा पूरी होने पर, 7,000/- रुपये की पुनर्वास सहायता दी जाती है।

भूतपूर्व सेना चिकित्सा अफसरों को रोजगार के मामले में सहायता देने के लिए, उनके अनुरोध पर, अस्पतालों तथा अन्य रोजगार एजेंसियों को उनका वैयक्तिक विवरण (बायोडाटा) भेजा जाता है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सा अधिकारियों (2200-4000 रु०) के पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से की जाती है। रक्षा कार्मिकों की कुछ श्रेणियों के लिए उच्च आयु सीमा में निर्धारित 30 वर्ष की आयु के बाद 3 से 10 वर्ष तक की छूट दी जाती है।

(घ) जी, नहीं।

एयर इंडिया के विमानों का जबरदस्ती उतारा जाना

734. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एयर इंडिया के दो विमानों को विमान में बम रखे जाने की धमकी के

कारण जबरदस्ती उतारना पड़ा था जिसमें से एक विमान पर 281 व्यक्ति सवार थे तथा यह सिडनी, आस्ट्रेलिया से सिंगापुर की उड़ान पर था और दूसरे विमान पर 137 व्यक्ति सवार थे तथा जो कुआलालम्पुर, मलयेशिया से मद्रास की उड़ान पर था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच पड़ताल से निकले परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) वाली नियंत्रण के माध्यम से इस आशय का संदेश प्राप्त होने पर कि विमान में बम होने की सम्भावना है, 3 जनवरी को सिडनी से आ रही उड़ान ए० आई० 4 5 को, वाली की ओर मोड़ दिया गया था। इसी प्रकार की धमकी 3 जनवरी, 89 को क्वालालम्पुर-सिंगापुर सैक्टर पर प्रचालन कर रही उड़ान ए० आई० 432 के संबंध में भी प्राप्त हुई थी। धमकी प्राप्त होने पर विमान क्वालालम्पुर वापस आ गया।

(ग) दोनों मामलों में विमान की पूर्ण तलाशी ली गई परन्तु कोई भी विस्फोटक यंत्र नहीं पाया गया।

रामगढ़ ताल परियोजना के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

[हिन्दी]

736. **श्री मदन पाण्डे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने रामगढ़ ताल परियोजना का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त पर्यटन केन्द्र के लिए अब तक कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को "रामगढ़ ताल परियोजना" का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव मिला था। तथापि, राज्य सरकार के परामर्श से इस परियोजना को त्याग देने का निर्णय किया गया है।

बूढ़े लोगों के लिए घर

736. **श्री मदन पाण्डे** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बूढ़े लोगों और बच्चों को आवास, भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में बूढ़े लोगों के लिए घर स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जाएगा और इस पर कितना खर्च होने की सम्भावना है;

(ग) क्या देश के अन्य शहरों में भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और उत्तर प्रदेश के किन-किन शहरों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) दिल्ली में वृद्ध लोगों और बच्चों के लिए एक नए गृह की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी, अधिकांश अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की तरह, दिल्ली प्रशासन में निराश्रित वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए एक गृह है।

(ग) और (घ) देश के विभिन्न भागों में, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों तथा स्वयंसेवी संगठनों ने निराश्रित वृद्धों के लिए गृहों की स्थापना की हुई है।

दिल्ली में 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

737. **श्री मदन पांडे** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का सत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान निर्धारित किया गया लक्ष्य तथा प्राप्त की गई उपलब्धियां विवरण-1 में दी गई है तथा 1987-88 के दौरान निर्धारित किया गया लक्ष्य तथा प्राप्त की गई उपलब्धियां विवरण-2 में दी गई है।

(ग) यह देखा गया है कि पिछले तीन वर्षों (1985-86, 1986-87 तथा 1987-88) में कार्यक्रम की कुछ मदों के संबंध में निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा।

ये निम्नलिखित हैं :—

(1) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को ऋण

(2) फालतू जमीन का वितरण

(3) नसबन्दी

निकृष्ट निष्पादन के निम्नलिखित कारण बताये गये हैं :—

(1) **आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मकान** :—उपलब्धि निकृष्ट इसलिए रही क्योंकि दिल्ली प्रशासन द्वारा सुझाए गए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मकान वाले नये कार्यक्रम को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमति अभी दी जानी है।

(2) **फालतू जमीन का वितरण** :—दिल्ली में भूमि उपलब्ध न होने के कारण, इस मद के अन्तर्गत उपलब्धि निकृष्ट रही है।

(3) **नसबन्दी** :—दिल्ली प्रशासन ने इसका कारण बताया है कि इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्य अपेक्षाकृत अधिक है तथा इसे कम करने की आवश्यकता है।

जिन मामलों में निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है, कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए मामलों को दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों के साथ समय-समय पर उठाया जाता है।

विवरण-1

दिल्ली में बीस सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन (बी० सू० का० 1982)

क्रम सं०	सूत्र	मद	इकाई	1985-86 लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि	1986-87 लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि
1.	1 क	सिंचाई संभावनाएं	"000 है	7.0	6.4	91	7.0	7·34	105
2.	2क	दालों का उत्पादन	"000 टन	50	56.17	112	55	55	100
3.	3 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	"000 परि०	2	2.1	105	5.1	4.3	85
4.	3 ख	रा० ग्रा० रो० का०	"000 श्रम दि०	60	28.3	47	28	33	158
5.	3 ग	ग्रा०भू०रो०गां० का	-वही-	58	31.8	55	24	36	150
6.	4	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	50	41.6	83	50	18	60
7.	5	कृषी मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन		लक्ष्य भिन्न मद					
8.	6	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास		लक्ष्य भिन्न मद					
9.	7क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	"000 सं०	9	8.3	93	8	8.03	100
10.	7ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	-वही-	कार्यान्वित नहीं किया गया ।					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	8	पीने के पानी की पूर्ति	ग्रामों की सं०	सभी समस्या ग्रस्त ग्रामों को शामिल किया जा चुका है।					
12.	9क	गृह स्थल का आबंटन	"000 सं०	4	4.6	115	4	3·8	95
13.	9ख	निर्माण सहायता	"000 सं०	1	1	100		1	100
14.	10क	गंदी बस्तियों का सुधार	-वही-	130	192	148	166	175	105
15.	10ख	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए मकान	-वही-	107	0	0	2.7	0	0
16.	11क	ग्रामीण विद्युतीकरण	सं०	सभी ग्रामों को बिजली दे दी गई।					
17.	11ख	ऊर्जा चालित पम्प सेट	-वही-	500	866	173	500	1050	210
18.	12क	वृक्षा रोपण	संख्या लाभ	25	25.5	102	50	63	126
19.	12ख	बायो गैस संयंत्र	संख्या	100	112	112	60	60	100
20.	13	नसबंदी	"000 सं०	30	27.6	92	40	25.7	64
21.	14क	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	सं०	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।					
22.	14ख	उप केंद्र	सं०	—वही—					
23.	15	ए०बा०वि० से० खण्ड	सं०	2	2	100	2	2	100
24.	16क	प्रारम्भिक शिक्षा	"000 सं०	51	54	133	58	48	83
25.	16ख	प्रौढ़ साक्षरता	" "	90	72	80	80	102	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	17	खोली गई उचित दर दुकानें	सं०	75	204	372	100	249	246
27.	18क	निवेश पद्धति को उदार बनाना और औद्योगिक नीतियों को सरल बनाना				लक्ष्य भिन्न मद			
28.	18ख	पंजीकृत की गई लघु उद्योग इकाईयां							
29.	19	तस्करों, जमाखोरों और कर वंचकों के खिलाफ कार्रवाई				लक्ष्य भिन्न मद			
30.	20	कार्यक्षमता, सामर्थ्य उपयोग एवं आंतरिक साधनों का प्रजनन करके सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य में सुधार करना।				लक्ष्य भिन्न मद			

विवरण-2

दिल्ली में वर्ष 1987-88 के दौरान बी० सू० का० 1986 का कार्यान्वयन

क्रम सं०	सूत्र	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1.	1क ए० ग्रा० वि० का०	सं०	3038	3062	101
2.	1ख रा० ग्रा० रो० का०	"000 सं०	100	100	100
3.	1ग ग्रा०भू०रो० गा०का०	-वही-	131	137	104
4.	1घ लघु उद्योग इकाईयां	सं०	4000	4376	109
5.	5फालतू भूमि का वितरण	एकड़	70	24	34
6.	8घ बाल प्रतिरक्षण	"000सं०	209	99	47
7.	9क परिवार नियोजन नसबंदी	-वही-	40	28	70
8.	9ख समतुल्य नसबंदी	-वही-	47	34	72
9.	9 गसमेकित बाल विकास सेवा खण्ड	-वही-	19	21	111
10.	9घ आंगनवाड़ी	संख्या	2231	2495	112
11.	11क अनुसूचित जाति परिवारों की सहायता	संख्या	9000	10233	114
12.	14क आबंटित आवास	संख्या	2000	2005	100
13.	14ख निर्माण सहायता	संख्या	1000	213	21
14.	14घ आर्थिक रूप से पिछड़ें वर्ग के मकान	संख्या	900	00	0
15.	14ङ निम्न आय वर्ग को मकान	सं०	300	36	12
16.	15 गंदी बस्तियों का सुधार	सं०	183	92	50
17.	16 वृक्षारोपण	लाख पौध	30.0	18.1	60
18.	18 उचित दर दुकानें	सं०	100	174	174
19.	19 घ ऊर्जा चालित पम्प सेट	"000सं०	500	1173	235
20.	19 ग सुधरे चूल्हे	-वही-	10	12	120
21.	19 घ बायो गैस संयंत्र	संख्या	100	100	100

कैंगा परमाणु बिजलीघर के आस-पास पर्यावरण संरक्षण

[अनुवाद]

738. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या प्रधान मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलोर विश्वविद्यालय ने परमाणु ऊर्जा आयोग को कैंगा परमाणु बिजलीघर के आस-पास परिस्थितिकी और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए एक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत प्रस्ताव भेजे थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और कैंगा के आस-पास पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम को लागू करने के लिए मंगलोर विश्वविद्यालय को आवश्यक अनुदान प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) मंगलोर विश्वविद्यालय ने कैंगा परमाणु बिजलीघर के आसपास परिस्थिति की और पर्यावरण के संरक्षण की विधियां बताते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव के अन्तर्गत संयंत्र स्थल पर मौजूदा वृक्षों की जातियों के बारे मे और अगले 5 वर्षों में लगाए जाने वाले विभिन्न जातियों के वृक्षों को लगाने सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। प्रस्तावित कार्य के लिए मंगलोर विश्वविद्यालय को 25 लाख रुपए की राशि दी जा रही है।

अन्टार्कटिका के संबंध में भारत-सोवियत अनुसंधान कार्यक्रम

739. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अंटार्कटिका के सम्बन्ध में संयुक्त अनुसंधान करने का विचार है;

(ख) क्या इसके लिए सोवियत संघ ने कोई प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत-सोवियत संघ संयुक्त सर्वेक्षण उपयोगी होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) अन्टार्कटिक में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सरकार ने इस आशय की समाचार रिपोर्टों को देखा है कि सोवियत संघ अन्टार्कटिक में संयुक्त अनुसंधान के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दीघा पर्यटक स्थल की विकास योजना

740. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दीघा स्थित पर्यटक स्थल के प्रति विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। विदेशी पर्यटकों को पश्चिम बंगाल में दीघा की ओर आकर्षित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने एक पर्यटक गृह और कुटीरों का निर्माण करने के लिए 40.17 लाख रु० की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

सोवियत संघ से विमानों की खरीद

741. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सोवियत संघ से नए विमान खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो सोवियत संघ के कितने नए विमान खरीदने का विचार है;

(ग) इन विमानों की लागत और गुणवत्ता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विमानों को खरीदने के लिए क्या कदम उठाये गए है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विकास में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) भारतीय वायुसेना सोवियत संघ से विभिन्न प्रकार के विमान एवं हैलीकाप्टर खरीदती है।

इस सम्बन्ध में आगे और ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिशासी अधिकारियों निदेशकों की नियुक्ति

742. **श्री चित्त महाता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में अधिशासी अधिकारियों निदेशकों की नियुक्तियों के कितने मामले वर्ष 1988 के अन्त में विचाराधीन थे और ये मामले कितने समय से लम्बित पड़े थे; और

(ख) इस मामले में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 31-12-1988 को उपलब्ध सूचना के अनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (स्तर I) के 28 पद तथा कार्यात्मक निदेशकों (स्तर II) के 51 पद खाली थे। पदों की रिक्ति की तारीख के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा कार्यात्मक निदेशकों के पदों पर नियुक्तियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के बाद की जानी होती हैं। नियुक्तियां करने में देरी इसलिए होती है क्योंकि चयन तथा नियुक्ति की प्रक्रियाओं के विभिन्न चरण होते हैं जैसे कि रिक्तियों का परिचालन, उम्मीदवारों की छंटाई, साक्षात्कारों का समय-निर्धारण सतर्कता-अनापत्ति सम्बन्धित व्यक्तियों की नियुक्तियों से पूर्व उनके चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन तथा सरकार के भीतर अनुमोदन की प्रक्रिया। कुछेक मामलों में विशिष्ट पदों के लिए आवेदनपत्र आमंत्रित करते हुए अखबारों में विज्ञापन भी दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया लोक उद्यमों में रिक्तियों के परिचालन की तुलना में अधिक समय लेती है। कुछ मामलों में, विज्ञापनों अथवा रिक्तियों के परिचालन के उत्तर में बहुत कम आवेदनपत्र आते हैं अथवा उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करने से पहले साक्षात्कारों के कई दौर आयोजित करने पड़ते हैं। ऐसे मामलों में चयन प्रक्रिया दोबारा अथवा कभी-कभी इससे भी अधिक बार करनी होती है जिसके कारण अनिवार्यत: देरी हो जाती है। कुछ मामलों में देरी इस कारण होती है कि चुने गए व्यक्ति या तो कार्यभार ग्रहण करने में समय लगा देते हैं अथवा नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होते जिसके परिणामस्वरूप नया चुनाव करना पड़ता है।

विवरण

31-12-1988 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय लोक उद्यमों में पूर्ण कालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (स्तर-I) तथा कार्यात्मक निदेशकों (स्तर-II) के रिक्त पद

मुख्य कार्यकारी अधिकारी — स्तर-I

क्रम सं०	पद/उद्यम का नाम	रिक्ति की तारीख
1	2	3
1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०ओ० एण्ड बी०) (सी)	16-12-1987
2.	प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन रेलवे कन्सट्रक्शन डिवीजन कार्पोरेशन (सी)	नया पद
3.	प्रबन्ध निदेशक, भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमि० (सी)	09-11-1988
4.	प्रबन्ध निदेशक, माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमि० (सी)	10-02-1988
5.	प्रबन्धक निदेशक, इण्डियन रेलवे फाईनेन्स कार्पोरेशन (बी)	नया पद
6.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल हाईड्रो इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन (बी)	18-04-1988

1	2	3
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजर्स लिमिटेड (ए)	01-08-1988
8.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल बाईसिकल कार्पोरेशन लिमिटेड (सी)	15-01-1988
9.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० (बी)	11-05-1988
10.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल न्यूज प्रिन्ट्स एण्ड पेपर मिल्स लि० (सी)	27-07-1988
11.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, माईका ट्रेडिंग कार्पोरेशन (सी)	27-05-1988
12.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन (ए०)	12-08-1988
13.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टेहरी हाईड्रो वलैक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (बी)	नया पद
14.	प्रबन्ध निदेशक, भारत प्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड (सी०)	16-04-1987
15.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, वाटर एण्ड पावर कन्सलटेंसी कार्पोरेशन (सी)	27-10-1988
16.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल इंडस्ट्रियल डिवीजन कार्पोरेशन (सी)	12-09-1989
17.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन०टी०सी० यू०पी० लिमिटेड (सी)	28-11-1985
18.	प्रबन्ध निदेशक, इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्निकल डवलपमेंट कार्पोरेशन (सी)	24-04-1988
19.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेयाली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड (बी)	21-11-1988
20.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (बी)	14-07-1988
21.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नथपा झाकड़ी हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (बी)	नया-पद

1	2	3
22.	प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (सी)	07-04-1988
23.	प्रबन्ध निदेशक, माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (सी)	29-09-1987
24.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत यन्त्र निगम लिमिटेड (ए)	01-11-1988
25.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कार्पोरेशन लिमिटेड (बी)	19-12-1988
26.	प्रबन्ध निदेशक, भारत ओपथालमिका ग्लास लिमिटेड (सी)	25-11-1988
27.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन०टी०सी० (डी०पी०आर०) (सी)	17-11-1988
28.	प्रबन्ध निदेशक, कन्टेनर कार्पोरेशन आफ इण्डिया (बी)	नया पद

कार्यात्मक निदेशक (स्तर-II)

क्रम सं०	पद/उद्यम का नाम	रिक्ति की तारीख
1	2	3
1.	निदेशक (वित्त) नेपा मिल्स लिमिटेड (डी)	24-10-1988
2.	निदेशक (वित्त) एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०वी० एण्ड ओ०) लि० (डी)	01-05-1988
3.	निदेशक (तकनीकी), भारत भारी उद्योग लिमिटेड (बी)	नया पद
4.	निदेशक (तकनीकी), टेलीकम्यूनिकेशन कन्सल्टेंट्स इण्डिया लिमिटेड (सी)	नया पद
5.	निदेशक (आपरेशन्स), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सी)	नया पद
6.	निदेशक (तकनीकी), एन०टी०सी० (डी०पी० आर०) (डी)	22-11-1985

1	2	3
7.	निदेशक (कार्मिक), नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (सी)	27-08-1988
8.	निदेशक (वित्त), नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (बी)	08-06-1988
9.	निदेशक (वित्त और वाणिज्य), हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (सी)	10-06-1986
10.	निदेशक (वित्त) भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सी)	02-05-1988
11.	निदेशक (आर० एण्ड डी०), कम्प्यूटर मेंटेनेंस कार्पोरेशन (सी)	नया पद
12.	निदेशक (आपरेशंस), हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (सी)	नया पद
13.	सदस्य (वित्त और प्रशासन), इन्टरनेशनल एयरपोर्ट्स अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सी)	31-07-1988
14.	निदेशक (कार्मिक), आयल इण्डिया लिमिटेड (सी)	15-04-1988
15.	निदेशक (आपरेशंस एण्ड प्रोजेक्ट्स), भारत एलमूनियम कम्पनी लिमिटेड (सी)	16-10-1986
16.	निदेशक (कार्मिक), नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन (सी)	30-03-1988
17.	निदेशक (कार्मिक), नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन (सी)	10-09-1988
18.	निदेशक (वित्त), नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन (सी)	01-10-1988
19.	संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, शीपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (बी)	03-09-1988
20.	निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (सी)	17-08-1987
21.	निदेशक (आपरेशंस) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (सी)	02-12 1988
22.	निदेशक (विपणन), सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया (सी)	30-12-1988

1	2	3
23.	प्रबन्ध निदेशक (डिजाइन एण्ड डवलपमेंट), हिन्दुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड (बी)	01-11-1986
24.	निदेशक (वित्त), रूरब इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (सी)	08-06-1988
25.	निदेशक (वित्त), बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, लिमिटेड (डी)	07-07-1998
26.	निदेशक (वित्त), कॉटन कार्पोरेशन आफ इंडिया (सी)	21-09-1988
27.	निदेशक (वाणिज्य), प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट्स कार्पोरेशंस (सी)	01-11-1986
28.	निदेशक (कार्मिक), जी०आर०एस०ई० (सी)	नया पद
29.	निदेशक (विपणन), जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	28-09-1988
30.	निदेशक (विपणन), आई०पी०सी०एल० (बी)	25-10-1988
31.	निदेशक (वित्त), हुडको (सी)	नया पद
32.	निदेशक (मार्केटिंक एण्ड आपरेशंस), कन्टेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया (सी)	नया पद
33.	निदेशक (सीमा शुल्क), कन्टेनर कार्पोरेशन आफ इण्डिया (सी)	नया पद
34.	निदेशक (वित्त), कन्टेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया (सी)	नया पद
35.	निदेशक (वित्त), नथपा झाकड़ी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (सी)	नया पद
36.	निदेशक (कार्मिक), नथपा झाकड़ी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (सी)	नया पद
37.	निदेशक (सिविल), नथपा झाकड़ी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (सी)	नया पद
38.	निदेशक (इलैक्ट्रिकल), नथपा झाकड़ी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (सी)	नया पद
39.	निदेशक (वित्त), टेहरी हाइड्रो डवलममेंट पावर कार्पोरेशन (सी)	नया पद

1	2	3
40.	निदेशक (वित्त), इण्डियन रेलवे फाईनेंस कार्पोरेशन (सी)	नया पद
41.	निदेशक (तकनीकी), एन०टी०सी०, ए०पी०के०के०	03-07-1986
42.	निदेशक (तकनीकी), एन०टी०सी०, एम०पी०	3-9-1986
43.	निदेशक (तकनीकी), एन०टी०सी०, टी०एन० एण्ड पी०	1-2-1987
44.	निदेशक (तकनीकी), एन०टी०सी०, एम०एन०	2-3-1988
45.	निदेशक (तकनीकी), एन०टी०सी०, एस०एम०	17-7-1988
46.	निदेशक (तकनीकी), एन०टी०सी०, गुजरात	8-10-1988
47.	निदेशक (तकनीकी), एन०टी०सी०, यू०पी०	22.12-1988
48.	निदेशक (तकनीकी और योजना), हिन्दुस्तान कैबल्स लिमिटेड (सी)	नया पद
49.	निदेशक (निर्माण), इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (सी)	नया पद
50	निदेशक (परियोजना), इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (सी)	नया पद
51.	निदेशक (योजना एवं परियोजना), नवेली लिगनाइट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी)	नया पद

सूची

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य कार्यकारी/कार्यात्मक निदेशकों के जिन पदों को आस्थगित रखा गया है।

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (1) लिमिटेड।
2. प्रबन्ध निदेशक, स्कूटर इंडिया लिमिटेड।
3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड।
4. ट्रेड फेयर आथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड।
5. प्रबन्ध निदेशक, बेको लौरी एण्ड कम्पनी।
6. प्रबन्ध निदेशक, हास्पिटल सर्विसिज कन्सल्टेंसी कारपोरेशन।
7. प्रबन्ध निदेशक, स्मिथ स्टेनस्ट्रीट एंड फारमेसिटीकल्स लिमिटेड।
8. प्रबन्ध निदेशक, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड।

9. निदेशक (मार्केटिंग), मारुति उद्योग लिमिटेड।
10. निदेशक (फाइनान्स), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (I) लिमिटेड।
11. निदेशक (इन्टरनेशनल प्रोजेक्ट्स), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (I)।
12. निदेशक (होम प्रोजेक्ट्स), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (I) लिमिटेड।
13. निदेशक (कार्मशियल), भारत यन्त्र निगम लिमिटेड।
14. निदेशक (टेक्निकल), भारत यंत्र निगम लिमिटेड।
15. निदेशक (फाइनान्स), ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी लिमिटेड।
16. निदेशक (मशीन टूल्स), एच०एम०टी० लिमिटेड।
17. निदेशक (रिफ्रेक्टरीज), बर्न स्टेन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड।
18. निदेशक (मेडिकल), हास्पिटल सर्विसेज कन्सलटेन्सी कारपोरेशन।
19. निदेशक (फिल्म फेस्टेबल), नेशनल फिल्म डेवेल्पमेंट कारपोरेशन लिमिटेड।
20. निदेशक (फाइनान्स), भारत गोल्ड माइन्ज लिमिटेड।
21. निदेशक (मार्केटिंग), कुदरमुख आइरन कोर कम्पनी लिमिटेड।
22. निदेशक (ओवरसीज), नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्सन कारपोरेशन।
23. निदेशक (फाइनान्स), नार्थ ईस्ट्रन इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
24. निदेशक (टेक्निकल), नार्थ इस्ट्रन इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन।
25. निदेशक (कर्मशियल), एन०टी०सी, (सी०पी०आर०)।
26. निदेशक (कर्मशियल), एन०टी०सी० (मध्य प्रदेश)।
27. निदेशक (कर्मशियल), एन०टी०सी० (टी०एन० एण्ड पी०)।
28. निदेशक (कर्मशियल), एन०टी०सी० (गुजरात)।
29. निदेशक (कर्मशियल), एन०टी०सी० (महाराष्ट्र)।
30. निदेशक (कर्मशियल), एन०टी०सी० (साउथ महाराष्ट्र)।
31. निदेशक (कर्मशियल), एन०टी०सी० (उत्तर प्रदेश)।
32. निदेशक (कार्मिक), एन०टी०सी० (डी० पी० आर)।
33. निदेशक (कार्मिक), एन०टी०सी० (मध्य प्रदेश)।
34. निदेशक (कार्मिक), एन०टी०सी० (ए० पी० के० के०)।
35. निदेशक (कार्मिक), एन०टी०सी० (गुजरात)।
36. निदेशक (कार्मिक), एन०टी०सी० (महाराष्ट्र नार्थ)।
37. निदेशक (कार्मिक), एन०टी०सी०,(डब्ल्यू०बी०ओ०)।

भारत और हंगरी के बीच आर्थिक सहयोग

743. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के योजना विशेषज्ञों के साथ समान हितों के मामले में हाल ही में कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच पारस्परिक आर्थिक सहयोग के कुछ क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बातचीत के परिणामों को किस रूप में कार्यान्वित किया जाएगा ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत-हंगरी बैठक दिनांक 7-9 फरवरी, 1989 को भारत में हुई। इन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया;

(1) विश्व अर्थ-व्यवस्था की संभावित दिशा, और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था विकास पर इसका प्रभाव

(2) अल्प और मध्यम अवधि योजनाओं के मध्य सम्बन्ध; और

(3) ऊर्जा क्षेत्रक आयोजना

(ग) से (ङ) आयोजना तकनीकी और अनुभव से सम्बन्धित विशेषज्ञ स्तरीय आदान-प्रदान के लिए यह दल एक महत्वपूर्ण मंच है और भारत तथा हंगारी दोनों पक्षों द्वारा परस्पर संविमर्शों से जो मुख्य लाभ प्राप्त हुआ वह यह है अवधारणात्मक और संचालनात्मक आयोजन समस्याओं के समाधान में सहयोग करें।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में मछुआरा समुदाय को शामिल किया जाना

744. **श्री बिष्णु मोची** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल कुछ ही राज्यों में मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जनजाति माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में समान रूप से मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने में भेदभाव करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) यद्यपि "मछुआरा" के नाम किसी समुदाय को किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित नहीं किया गया है, फिर भी कुछ राज्यों में कुछ अनुसूचित जनजातियों के समुदायों का परम्परागत व्यवसाय मछली पकड़ना रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में अलग से अनुसूची बनाए जाने की आवश्यकता होती है और अत: भेदभाव करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना को जनहित में नहीं बताया जा सकता।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा विदेशों में हवाई अड्डों का निर्माण

745. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विदेशों में कुछ हवाई अड्डों के निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा देश-वार कितने हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अब तक निर्धारित किए गए विदेशी परियोजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

क्रम सं०	परियोजनाओं का नाम और देश	किए गए कार्य का मूल्य (करोड़ रुपए में)
1.	न्यू घाट एयरपोर्ट लीबिया	84.38
2.	ब्राक एयरपोर्ट (चरण-I) लीबिया	30.13
3.	ब्राक एयरपोर्ट (चरण-II) लीबिया	44.87
4.	रियान एयरपोर्ट, दक्षिणी यमन	28.32
5.	अल गैडा एयरपोर्ट, दक्षिणी यमन	30.02
6.	हुलुले एयरपोर्ट, मालद्वीप	10.32

इस समय किसी भी विदेशी परियोजना पर कार्य नहीं चल रहा है।

गरीबी उन्मूलन की योजनाएं

746. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में निर्धनता उन्मूलन के लिए कुछ योजनाएं आरम्भ करने का विचार है;

(ख) क्या इन योजनाओं का कार्यान्वयन कारगर ढंग से युद्ध स्तर पर किया जाएगा ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (घ) गरीबी उन्मूलन हमारी समग्र विकास कार्यनीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। प्रभाव को पुनः प्रभावी बनाने के लिए गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार उन्नयन कार्यक्रम जो विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की आय तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए बनाए गए हैं, पहले से ही प्रचालन में हैं। उनमें आगामी वर्षों में उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

शिकायतों का निपटारा

747. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1988 से आज तक कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय को सरकारी कर्मचारियों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया; और

(ग) शेष शिकायतों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) जनवरी, 1988 से जनवरी, 1989 की अवधि के दौरान प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग को सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों से सम्बन्धित 2719 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये सभी शिकायतें सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे उन पर शीघ्र कार्रवाही करें तथा शिकायतकर्ताओं के मामले पर की गई कार्रवाई से अवगत कराएं। शिकायतकर्ताओं को भी इस स्थिति के बारे में सूचना दी गई थी। सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों पर सहानुभूति पूर्वक तथा शीघ्र कार्रवाई करने के लिए इस विभाग ने हाल ही में सभी मंत्रालयों/विभागों पर संस्थागत पद्धति की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया है।

परमाणु ऊर्जा का घरेलू उपयोग के लिए उत्पादन

748. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान घरेलू उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इसमें से महाराष्ट्र में स्थापित परमाणु संयंत्रों के विशेष संदर्भ में कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बम्बई नगर/पड़ोसी क्षेत्र को कितनी परमाणु बिजली उपलब्ध कराई गई है तथा वर्ष 1989-90 में कितनी बिजली उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सातवीं योजनावधि में परमाणु बिजलीघरों से विद्युत उत्पादन के लिए 28000 मिलियन किलोवाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) 31 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार, सातवीं योजनावधि में सभी कार्यरत यूनिटों में 19902 मिलियन किलोवाट बिजली का उत्पादन हुआ है। सातवीं योजनावधि में हुए बिजली के कुल उत्पादन में से 7225 मिलियन किलोवाट बिजली का उत्पादन महाराष्ट्र स्थित तारापुर परमाणु बिजलीघर में हुआ है।

(ग) बम्बई तथा उसके पड़ौसी क्षेत्र के बारे में अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि परमाणु बिजलीघरों से बिजली की सप्लाई राज्य तथा क्षेत्रीय ग्रिडों को की जाती है।

बम्बई में मशीनी खराबी के कारण विमान की उड़ानों में विलम्ब

749. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में वर्ष 1987 और 1988 के दौरान कितनी मशीनी खराबियां हुई जिनके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स के विमानों को जबरन उतरना पड़ा अथवा उड़ान में विलम्ब हुआ अथवा उड़ान को रद्द करना पड़ा ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : 1987 और 1988 के दौरान तकनीकी खराबियों के कारण बम्बई में देर से की गई उड़ानों और रद्द की गई उड़ानों की संख्या क्रमशः 395 और 455 थी। तकनीकी कारणों से 1987 और 1988 के दौरान बम्बई में जबरन उतरने का कोई मामला नहीं था।

इलेक्ट्रानिक एककों का राज्यवार ब्यौरा

750. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक एककों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उत्पादन मुख्यतः घरेलू बाजार (देश में ही) के लिए ही है और यदि हां, तो प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण क्यों नहीं किया जाता, ताकि विदेशों की मांग को पूरा किया जा सके ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को अपने उत्पादन के संबंध में जो इकाइयां विवरण प्रस्तुत करती हैं, उनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। उनसे पता चलता है कि लघु उद्योग क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

(ग) देश में घरेलू उत्पादन तथा निर्यात के लिए किए जाने वाले उत्पादन में वृद्धि हो रही है। प्रौद्योगिकी के आधार को अद्यतन बनाने की दृष्टि से, इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों के विनिर्माण के लिए विदेशी सहयोग के लिए उदारतापूर्वक अनुमति प्रदान की जा रही है।

विवरण

इलेक्ट्रानिकी विभाग को अपने उत्पादन के सम्बन्ध में लघु उद्योग क्षेत्र की जो इकाइयां विवरण प्रस्तुत करती हैं उनके राज्यवार ब्यौरे

राज्य	इकाइयों की संख्या	
	1981	1987
महाराष्ट्र	191	426
कर्नाटक	60	139
उत्तर प्रदेश	29	79
दिल्ली	122	257
आंध्र प्रदेश	36	87
तमिलनाडु	59	110
गुजरात	53	141
पश्चिम बंगाल	38	107
केरल	14	34
हरियाणा	19	33
राजस्थान	13	27
पंजाब	12	24
मध्य प्रदेश	10	23
उड़ीसा	1	3
बिहार	3	13
जम्मू व कश्मीर	1	3
हिमाचल प्रदेश	2	7
गोवा	3	5
पांडिचेरी	2	6
चंडीगढ़	5	10
असम	—	3
योग	672	1537

दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा किया गया खर्च

[हिन्दी]

751. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1987 से 31 दिसम्बर, 1988 तक दानापुर छावनी बोर्ड ने सफाई कार्य पर कितनी रकम खर्च की;

(ख) जनवरी, 1987 से अब तक ट्रकों, ट्रैक्टरों और स्टाफ कारों की मरम्मत पर, उनके लिए डीजल एवं पेट्रोल पर कितनी रकम खर्च की गई; और

(ग) इसी अवधि के दौरान बोर्ड ने दफ्तर और अधिकारियों के घरों में लगे टेलीफोनों पर कितनी रकम खर्च की ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही): (क) 31,18,466 रुपये।

(ख) (1) 21,875 रुपये (मरम्मत पर)

(2) 74,597 रुपये (डीजल और पेट्रोल पर)

(ग) 18,771 रुपये।

मणिपुर में इलेक्ट्रानिक उद्योग

[अनुवाद]

752. **श्री एम० टोम्बी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर मणिपुर के संदर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित करने की नीति को कार्यान्वित करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के संबंध में राज्य सरकारें प्रयास करती हैं। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग जहां कहीं आवश्यक होता है, आवश्यक मार्गदर्शन देता है। सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रगतिशील लाइसेंसिंग नीति पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी लागू होती है। मैसर्स मणिपुर इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम मणिपुर राज्य में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को बढ़ावा दे रहा है। अति उच्च आवृत्ति (वी० एच० एफ०) संचार उपस्कर, जिसमें पेजिंग प्रणाली शामिल है, के विनिर्माण के लिए उन्हें आशय-पत्र जारी किए गए हैं। जहां तक संगठित क्षेत्र की इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों का संबंध है, मेसर्स मेघालय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, मेघालय ने टैन्टेलम कैपेसिटरों का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर करना शुरु कर दिया है।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने मणिपुर राज्य के इम्फाल में इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किया है। यह केन्द्र जुलाई, 1989 से कार्य करना शुरु कर देगा।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का त्रिपुरा राज्य में अगरतला तथा मणिपुर राज्य में इम्फाल में इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अंतर्गत गुवाहाटी स्थित इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है।

पर्यटन के विकास के लिए मणिपुर को केन्द्रीय सहायता

753. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर राज्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता राशि दी गई है और इस संबंध में विकास हेतु किन-किन प्रमुख मदों को रखा गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को मन्जूरी के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, अब तक, मणिपुर में पर्यटन परियोजनाओं के लिए 75.08 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं में पर्यटन गृह, मार्गस्थ सुविधाएं, जलक्रीड़ा सुविधाएं, एक जलयान गृह, आदि शामिल हैं। यह विभाग निधियों का आबंटन राज्यवार अथवा परियोजना वार नहीं करता बल्कि स्कीमवार करता है।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में विभिन्न श्रेणियों के पर्यटक गृह, मार्गस्थ सुविधाएं, यात्री निवास, मोटल, चल-रेस्तरां, मिनी बसें, आदि शामिल हैं।

मणिपुर समुदाय को विशेष संरक्षण प्रदान करना

754. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मणिपुरी समुदाय, जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं हैं; के रोजगार और शिक्षा संबंधी सुविधाओं के मामले में हितों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) मणिपुर राज्य में मणिपुरी समुदाय को संवैधानिक लाभों का विस्तार केवल तभी किया जा सकता है जबकि समुदाय को राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया हुआ हो। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 342(2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के एक अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

मणिपुर में मणिपुरी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने के संबंध में ब्योरे जनहित में नहीं बताए जा सकते।

20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

755. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के लिए 20 सूची कार्यक्रम में से कुछ विशेष और उपयुक्त मदों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन राज्यों के लिए नई और प्रभावी नीति बनाने हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर गहराई से विचार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन और सम्बद्ध विषयों के लिए एक संस्थान खोलना

756. **श्री टी० बशीर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव मिला है जिसमें राज्य में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत पर्यटन और संबद्ध विषयों के लिए एक संस्थान खोलने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां । केन्द्रीय पर्यटन विभाग केवल उन परियोजनाओं के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो इस विभाग की अनुमोदित प्लान स्कीमों की परिधि में आती हों। संस्थानों आदि की स्थापना करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना । इन विभाग की अनुमोदित प्लान स्कीम में शामिल नहीं है ।

सेना में असफल उम्मीदवारों की भर्ती

757. **श्री राम समुझावन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भर्ती केन्द्रों द्वारा सेना में सीधे प्रवेश हेतु सफल उम्मीदवारों की सूची तथा सेना मुख्यालय के भर्ती निदेशालय की सूची में तालमेल नहीं होता है जिसके कारण गत कुछ वर्षों के दौरान असफल उम्मीदवारों को सेना में प्रवेश मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या कार्य-प्रणाली अपनाई गई है;

(ग) क्या जांच के बाद इसके लिए दोषी कुछ अधिकारियों का कोर्ट मार्शल भी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) सेना में कितने व्यक्तियों को अवैध रूप से भर्ती किया गया है तथा ऐसे व्यक्तियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) तीनों सेनाओं के भर्ती केन्द्रों तथा सेना मुख्यालय में भर्ती संगठनों के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (च) हवलदार क्लर्कों का सीधी भर्ती द्वारा चयन, अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती निदेशालय द्वारा किया जाता है। भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र केन्द्रीय रूप में थल सेना मुख्यालयों के भर्ती निदेशालय द्वारा तैयार किए जाते हैं लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं योग्यता क्रम सूची तैयार करने का काम चुने हुए क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय को बारी-बारी से सौंपा जाता है।

2. भर्ती निदेशालय और वरीयता सूची का मूल्यांकन एवं उसे तैयार करने के लिए उत्तरदायी क्षेत्रीय भर्ती कार्यालयों के बीच आपस में पूरा तालमेल बना रहता है। योग्यता क्रम सूची में आए सफल उम्मीदवारों के नाम भर्ती के लिए क्षेत्रीय भर्ती कार्यालयों को भेजे जाते हैं।

3. 25 अगस्त, 1988 को एक उम्मीदवार की इस शिकायत पर कि उसे प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया, पहली बार कुछ अनियमितताओं का पता चला। चूंकि इस उम्मीदवान का नाम भर्ती निदेशालय द्वारा तैयार की गई योग्यता क्रम सूची में नहीं था इसलिए सम्बन्धित भर्ती कार्यालय, ने मामले की जांच की और यह पाया गया कि उस कार्यालय की सूची में इस उम्मीदवार का नाम अवश्य था। परिणामत: मामले की जांच की गई और यह पाया गया कि जिन उम्मीदवारों के नाम उस योग्यता क्रम सूची में नहीं थे उनके नाम सूची के मन्जूर होने के पश्चात् सूची को भर्ती के लिए विभिन्न क्षेत्रीय भर्ती कार्यालयों/केन्द्रों में भेजने से पूर्व इसमें जोड़ दिए गए। फलत: लोगों की अनधिकृत भर्ती हो गई। इस अनधिकृत भर्ती का वर्षवार ब्योरा इस प्रकार है :—

1986	—	8
1987	—	16
1988	—	6
		30

4. अनधिकृत रूप से भर्ती हुए व्यक्तियों को सेवा से हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। इस घोटाले में किसी सेना अफसर के शामिल होने का प्रमाण नहीं मिला है। एक सिविलियन अधिकारी के इसमें शामिल होने का पता चला है और आगे की कार्रवाई तक उसे निलम्बित कर दिया गया है।

5. भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए उपचारात्मक उपाय किए गए हैं और इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जांच बिन्दु स्थापित किए गए हैं।

एयर इंडिया के विमानचालकों की बीमारी

758. श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के विमानचालक उड़ान के ऐन मौके पर स्वयं को बीमार घोषित करते रहते हैं और जिसके कारण देश और विदेश की उड़ानें अस्त-व्यस्त हो जाती हैं;

(ख) क्या एयर इंडिया के विमानचालकों के इस व्यवहार के कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार ने उन विमानचालकों के विरुद्ध जिन्होंने ऐन मौके पर स्वयं को बीमार घोषित किया है, हाल ही में कोई कार्यवाही आरम्भ की है; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में और क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 23-1-89 से 18-2-89 तक की अवधि में एयर इंडिया के 296 विमानचालकों में से 67 विमान चालकों ने बीमार होने की सूचना दी।

(ख) उड़ानें रद्द किए जाने पर यात्रियों को असुविधा होती है ऐसी असुविधा को कम करने के लिए यात्रियों का अन्य उड़ानों में स्थानांतरित किया जाता है और जहां आवश्यक होता है, उन्हें होटल, आवास, खाना, नाश्ता, वाहन आदि उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) और (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन समझौते द्वारा विमानचालकों के आन्दोलन को अभिगृहीत कर दिया गया है। कुछ ऐसे विमानचालकों को, जिन्होंने स्वयं को बीमार घोषित किया था कारण बताओ नोटिस दिया गया है। निलम्बित मामलों को निपटाने के लिए, भारतीय विमानचालक संघ द्वारा दिए गए मांग-पत्र पर भी उनके साथ बातचीत चल रही है।

एयर इण्डिया की उड़ानों के बारे में जांच

759. **श्री रेणुपद दास** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 17-18 दिसम्बर, 1988 को एयर इंडिया की उड़ान संख्या 121 दिल्ली-लन्दन और उड़ान संख्या 120 लन्दन-बम्बई के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच प्रारम्भ की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। एयर इंडिया विमानचालकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, इंडियन पायलट गिल्ड, से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया है कि निदेशक हवाई सुरक्षा ने विषय से सम्बन्धित स्थायी आदेशों का उल्लंघन करते हुए, रविवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 1988 को एयर इंडिया 120 उड़ान का परिचालन किया है।

(ख) और (ग) महानिदेशक, नागर विमानन ने, जो विनियामक प्राधिकारी हैं। मामले की जांच की है और यह पाया गया है कि इस विषय से सम्बन्धी अनुबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। तदनुसार इंडियन पायलट्स गिल्ड को 8-2-1989 को सूचित कर दिया गया है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में आशुलिपिक सेवा के लिए भर्ती नियम

760. **श्री राम समुझावन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में सशस्त्र सेना मुख्यालय के आशुलिपिक सेवा के संशोधित भर्ती नियमों का प्रारूप स्वीकृति के लिए प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त नियमों को मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) वर्ष 1987 के दौरान कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को रक्षा मंत्रालय से सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 1970 की व्यापक पुनरीक्षा के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। रक्षा मंत्रालय को यह सुझाव दिया गया था कि वे केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पुनर्गठन की प्रतीक्षा करें जिस पर इस विभाग द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय से पुन: संदर्भ प्राप्त होने पर उन्हें दिसम्बर, 1988 में यह सलाह दी गई थी कि वे प्रस्तावित संशोधन को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पुनर्गठन से अलग करने पर विचार करें। इसके पश्चात् इस मंत्रालय में सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा नियमावली के संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राजघाट पर हुई घटना की जांच

761. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अक्तूबर, 1986 को राजघाट पर घटी घटना की, जिसमें प्रधानमंत्री पर जान-लेवा हमला किया गया था, जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या इस घटना के कारण निलम्बित किये गये अधिकारियों को दंडित किया गया है अथवा पुन: नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त जांच समिति की रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस के कार्मिकों की कुछ खामियों को निर्दिष्ट किया गया है। जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर दिल्ली पुलिस के कुछ कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गई है।

(ग) और (घ) निर्धारित तरीकों के अनुसार सभी निलम्बित मामलों की पुनरीक्षा की गई है तथा एक मामले में निलम्बन आदेश रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

अग्नि प्रक्षेपास्त्र परीक्षण

762. **श्री शांति लाल पटेल :**

श्री जी० एस० वासवराजू : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अंतरिम दूरी वाले "अग्नि" प्रक्षेपास्त्र का नवीनतम मॉडल तैयार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अग्नि प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण सफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन कई प्रक्षेपास्त्रों का विकास और परीक्षण कर रहा है। ये परीक्षण लगातार चलते रहते हैं और परीक्षण पूरे होने से पहले उन्हें छोड़े जाने से सम्बन्धित ब्योरे देना राष्ट्रहित में नहीं है।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में अनुपूरक टिप्पणी

763. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में गठित आयोग के किसी सदस्य ने अनुपूरक टिप्पणी प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सदस्यों ने इसे आयोग की मुख्य रिपोर्ट के साथ परिचालित करने की इच्छा व्यक्त की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई अनुपूरक टिप्पणी परिचालित की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त टिप्पणी को परिचालित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में गठित आयोग द्वारा, सभी सदस्यों के हस्ताक्षर सहित एक सर्वसम्मत रिपोर्ट 27 अक्तूबर, 1987 को प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् जून, 1988 में आयोग के एक सदस्य डा० एस० आर० सेन ने एक टिप्पणी प्रस्तुत की।

(ख) जी, हां, श्रीमान।

(ग) और (घ) केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में गठित आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद 27-10-87 से इसे समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात् डा० एस० आर० सेन द्वारा भेजी गई टिप्पणी पर केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में गठित आयोग की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में विचार नहीं किया गया। इसलिए इस टिप्पणी को परिचालित करना उचित नहीं समझा गया; यह टिप्पणी इकानोमिक और पालिटिकल वीकली में 6-8-1988 को एक लेख में प्रकाशित की जा चुकी है।

ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग

764. **श्री मुरलीधर माने :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, हां।

भारत सरकार ने अपने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/अभिकरणों के जरिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित अनेक कार्यक्रम शुरु किए हैं, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में काफी सहायता मिली है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :—

(क) **आवास** :— गारे की दीवारों के लिए पोलिमर आवरण, छत की सामग्री के लिए अग्निरोधी उपचार, बेहतर निर्माण तकनीकें, आदि।

(ख) **स्वास्थ्य** :— गलगंड नियंत्रण के लिए आयोडीन युक्त लवण, पानी को असंक्रमणित करने के लिए क्लोरीन की गोलियां, जन प्रतिरक्षण, पोलियोग्रस्त लोगों के लिए कार्बन रेशा धनुबंधनी।

(ग) **ऊर्जा** :—पारिवारिक और सामुदायिक जैवगैस संयंत्र, धुएं-रहित कारगर चूल्हे, सूक्ष्म जल टर्बाइन आदि, और

(घ) **रोजगार** :—ग्रामीण उद्योगों में बेहतर तकनीकें और उत्पाद, जिनमें कुम्हार का अधिक कारगर चक्का, बर्तन बनाने के बेहतर भट्ठे, बेहतर कीटपालन, स्वचालित बेहतर करघा, आदि शामिल है।

नागर विमानन महानिदेशालय में पदों का भरा जाना

[हिन्दी]

769. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागर विमानन महानिदेशालय में रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) नागर विमानन महानिदेशालय में समूह "क" के 58 पद, समूह "ख" के 7 पद, समूह "ग" के 41 पद और समूह "घ" के 20 पद खाली पड़े हैं। ये पद संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और स्थानीय रोजगार कार्यालय जैसी एजेंसियों के माध्यम से भरे जाते है। पदों के लिए विज्ञापन देने, साक्षात्कार/परीक्षा लेने और चयन करने में समय लगता है। सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने पर भी प्रतिबन्ध लगा हुआ है। कुछ मामलों में पदोन्नति के लिए, फीडर ग्रेड में कोई भी उम्मीदवार भर्ती नियमों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।

भर्ती करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरु कर दी गई है। जहां कहीं बहुत आवश्यक है, रिक्त पदों को भरने के लिए तदर्थ प्रबन्ध किए गए हैं।

वार्षिक योजनाओं में वृद्धि

[अनुवाद]

766. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली दोनों योजनाओं में प्रत्येक में 20 प्रतिशत के लगभग वार्षिक वृद्धि की तुलना में वर्ष 1989-90 में योजना निवेश में वृद्धि 6.4 प्रतिशत के लगभग रही है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस वर्ष मूल्यों में हुई 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के कारण क्या 89-90 के लिए स्वीकृत योजनाओं में निवेश वास्तविक अर्थों में कम होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या घरेलू स्रोतों में राज्यों की योजनाओं को केन्द्र से बजट समर्थन (सहायता) जो इस वर्ष 13,000 करोड़ रुपये था 1989-90 में कम होकर 12,000 करोड़ रह जाने की सम्भावना है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) वर्ष 1989-90 के योजना परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। वर्ष 1987-88 के लिए वास्तविक व्यय तथा वर्ष 1988-89 के लिए अनुमोदित परिव्यय, दोनों ही में पिछले वर्ष के मुकाबले 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1988-89 के प्रथम 10 महीनों के दौरान, वर्ष 1987-88 की उसी अवधि तक थोक कीमत सूचकांक में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, 1989-90 के लिए परिव्यय के अन्तिम आंकड़ों का पता होने के बाद ही परिव्यय में कमी या बढ़ोतरी सम्बन्धी स्थिति का पता चल सकेगा।

(ग) वर्ष 1989-90 के लिए राज्य योजनाओं को केन्द्र द्वारा दिए गए बजटीय समर्थन से सम्बन्धित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

पोलियो से पीड़ित लोगों के लिए पुनर्वास केन्द्र

767. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलियो से पीड़ित लोगों के लिए किसी राज्य में पुनर्वास केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) अस्थि विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों एवं जिला पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से पोलियो से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कल्याण मन्त्रालय द्वारा वित्त पोषित इन संस्थाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारों के पास भी अपनी योजनाएं होती हैं।

केन्द्रीय सहायता से वित्त पोषित स्वयंसेवी संगठनों तथा जिला पुनर्वास केन्द्रों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

1987-88 में अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को दिये गए सहायता अनुदान की सूची ।

आन्ध्र प्रदेश

1. रायलसीमा सेवा समिति,
नं० 9-पुरानी हजूर कार्यालय भवन,
तिरूपति-517501 (आंध्र प्रदेश)

2. ए० पी० विकलांग सहकारी निगम,
11-4-634 वेंटकारमन अपार्टमेंट
बी० ब्लाक, ए० सी० गार्ड, हैदराबाद-500004

असम

3. सुप्रीति नर्सिंग होम,
स्टेशन रोड़, करीम गंज 788710

बिहार

4. प्राकृति अरोग्याश्रम,
राजगीर नलंदा (बिहार)

5. भारतीय रेड क्रास सोसाइटी
बिहार राज्य शाखा, रेड क्रास भवन,
नार्थ गांधी मैदान, पटना-800001

6. बिहार पुनर्वास और कल्याण संस्थान
जगदम्बन भवन, सी/4, पीपल्स कापरेटिव कालोनी,
ककरबाग पटना-800020

गुजरात

7. अवैतनिक सचिव,
रोटरी सेवा केन्द्र
ममता, लक्ष्मी टाकीज के पीछे
आनन्द-388001

8. नेत्रहीन व्यक्ति संघ,
डा० विक्रम साराभाई रोड़,
वस्त्रापुर-अहमदाबाद-380015

9. अपंग मानव मंडल,
डा० विक्रम साराभाई रोड़
ए० टी० आई० आर० ए० के० पीछे
अहमदाबाद-380015

10. बी-वन सोसाइटी, सरस्वती निवास कम्पाउण्ड,
सामने महाऋषी गार्डन, फाथगंज, बड़ोदरा-390092

11. भारतीय रेड क्रास सोसाइटी
भावनगर जिला शाखा रेडक्रास भवन,
दीवनपारा रोड़ भावनगर-364001

12. मेडिकल केयर केन्द्र ट्रस्ट,
चिल्डर्न हस्पताल, बारेली बाग, वाडोदारा-390018

13. चमन लाल भगत चेरिटेबल ट्रस्ट,
भगत निवास होम, नजदीक आयोजन नगर सोसाइटी,
नई शारदा मन्दिरा रोड़, अहमदाबाद-380007

हरियाणा

14. जिला रेड क्रास सोसाइटी,
अम्बाला

15. भारतीय रेडक्रास सोसाइटी
हरियाणा राज्य शाखा,
315, सैक्टर 9-डी चंडीगढ़,

जम्मू और काश्मीर

16. विकलांगों के लिए जम्मू रेड क्रास होम (उद्योग)
पी० आ० अकलपुर जम्मू-180001

कर्नाटक

17. अध्यक्ष,
जिला बीजापुर पी० एच० कल्याण संघ,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
माथ पाथी गली, बीजापुर-536101

18. अवैतनिक सचिव,
मथरू मंडाली,
वणीविलस मोहल्ला, मैसूर

19. अध्यक्ष,
विश्व धर्म महिला मण्डू,
मकला शिक्षाणा सेवा आश्रम समिति
वीरापुर ओनी हुबली जिला धारपाड

20. कस्तूरबा मेडिकल कालिज,
मणीपुर-576119

21. विकलांग व्यक्तियों का संघ,
हैनूर रोड (लेगाराजापुरम)
सेंट थोमस टाउन, पो० आ० बंगलोर

केरल

22. करवीका नायर स्मारक समिति,
नायर महल, एस० बी० मार्ग, बम्बई

23. समरतन सोसाइटी
पालाय कारूर, पी० आ० 686 डी० (केरल)

24. शांति भवन,
सेंक्टेड हार्ट कंवेन्ट
जी० एच० स्कूल, चालकुडी,
ईस्ट-680807 त्रिचूर

25. चेरूपुशम औद्योगिक संस्थान,
नालमचीरा, त्रिवेन्द्रम

26. विकलांगों के कल्याण के लिए संघ
पी० बाक्स सं० 59,
एस० एम० स्ट्रीट, कालीकट-6730001

मध्य प्रदेश

27. संजीवनी सेवा संगम,
13, रेजीडेंसी एरिया, इन्दौर-452001

28. नेत्रहीनों के लिए एम० पी० कल्याण संघ,
33, बी/डी औद्योगिक इस्टेट
फोर्ट एरिया इन्दौर-452006

29. कृत्रिम अंग केन्द्र, शीश महल,
51, सर हुकुम चन्द्र मार्ग,
इन्दौर-452004

30. विकलांगों के लिए कल्याण संघ
8, राम बाग, पोस्ट आफिस, भवन,
इन्दौर-452004

महाराष्ट्र

31. विकलांगों के लिए समान अवसर हेतु
राष्ट्रीय सोसाइटी,
पोस्टल कालोनी रोड़, चैम्बूर बम्बई-400071

32. कृत्रिम अंग केन्द्र,
पी० बी० 1506 पुणे-4110140

33. विकलांगों के लिए फेलोशिप,
एफ० पी० एच० भवन, लाल लाजपत राय मार्ग,
हाजी अली, बम्बई-400034

34. शिक्षण प्रसारका मंडली,
शारदा एस० पी० कालिज, कैम्पस,
तिलक रोड़, पूणे

35. स्पास्टिक सोसाइटी,
अपर कोलाबा रोड़, सामने अफगान चर्च,
बम्बई-400005

36. विकलांगों के लिए समान अवसर हेतु
राष्ट्रीय समिति, पोस्टल कलोनी रोड़,
भिक्षुगृह के समाने, चैम्बूर,
बंबई-400071

38. ए० एस० टी० आई० बी० पी० ए०,
प्लाट नं० 88,
फेस-1, एम० आई० डी० सी०, डामबी पीली,
जिला थाने

39. क्रियलड बच्चों के पुनर्वास के लिए सोसाइटी,
हाजी अली पार्क, सामने विलिंगटन स्पोटर्स क्लब,
कर्लक रोड़, महालक्ष्मी, बम्बई

40. मैत्रू सेवा संघ, सीताबुल्दी, नागपुर

41. रोटरी वेल्फेयर ट्रस्ट,
मार्फत, गोवर्धन तारा चन्द्र भोरा,
पो० आ० नं० 80, मेनरोड़, इचाकारंजी
जिला कोलहापुर

42. श्री ट्रस्ट,
गुरु कृपा जीवदनी रोड़,
नीरार जिला, थाने

43. केवलराम जी चेतराज,
हस्पताल, डाडी मोरबाई हिगोरानी मार्ग,
नजदीक अमन टाकीज उल्हास नगर (महाराष्ट्र

44. अपंग मेत्री,
2/21, देवन्द्र सहकारी हाउसिंग सोसाइटी
मिथ मिडर रोड, चन्दनी थाने (ईस्ट)

मणिपुर

45. महासचिव,
ग्रामीण विकास संगठन,
लामसंग बाजार, मणीपुर

उड़ीसा

46. विकलांग कल्याण संगठन, कम्पाड
मिशन, बालासारे उड़ीसा

47. राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान
संस्थान, ओलतपुर पी० आ० बैराई, कटक-754010

48. विकलांग के लिए व्यवसायिक केन्द्र,
एस० आई० आर० डी० कैम्पस, यूनिट-VIII

49. नवेदक प्रोस्थेटिक केन्द्र
नवेदक अस्टेट, दौलत सिंह वाला,
104, सैक्टर-II चंडीगढ़

50. डा० सत्यापाल खोसला चेरिटेबल
मेमोरियल ट्रस्ट, शहीद उधम सिंह नगर,
सामने टी० वी० स्टूडियो
जालन्धर-14400

राजस्थान

51. भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति,
सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

52. जीवन निर्माण संस्थान,
गली बाग रोड़, भरतपुर

53. भारतीय समाज कल्याण परिषद,
जयपुर

तमिलनाडु

54. तमिलनाडु स्पास्टिक समिति
9, अर्चबीशप, मथीयम एवेन्यू, मद्रास-600028

55. भारतीय बाल कल्याण परिषद,
45, टेवलर अस्टेट,
11-स्ट्रीट, कोडमाबाकम-मद्रास-600024

56. चेशायर होम्स इंण्डिया,
5-सी० बी० पी० रथीना,
समाज रोड, मदुरई-635002

57. गिल्ड आफ सर्विस (केन्द्रीय)
सेवा समाज,
28, कासा मेजर रोड,
एग्मोर, मद्रास

58. आंध्र महिला सभा,
ईश्वरी प्रसाद दत्तारेज,
ओरथोपैडिक सैण्टर,
10, दुर्गाबाई देशमुख रोड,
मद्रास

59. भारतीय रेडक्रास सोसाइटी
50, मोनीएथ रोड, एग्मोर,
मद्रास-600028

60. वर्थ ट्रस्ट वर्कशॉप फार
रिहैबिलिटेशन एण्ड ट्रेनिंग आफ दि हैंडिकैप्ड,
48, न्यू थिरूवलम रोड, काटपड़ी,
वैल्लोर-632007

61. पंजाब संघ,
आदर्श कला केन्द्र काम्पलेक्स,
प्रथम तल, रायपीट्टाह,
4, बी० एम० स्ट्रीट, बालाजी नगर,
मद्रास।

62. तमिलनाडु विकलांग पुनर्वास संघ,
23, कासा मेजर रोड, एग्मोर, मद्रास

63. तमिलनाडु महिला स्वैच्छिक संगठन,
19, ईस्ट स्पुर टैंक रोड,
चेटपेट, मद्रास

64. मद्रास इंस्टीट्यूट टू हैबिलियेट रिटार्डिड एंड एफलिक्टिड,
802, आर० बी० नगर, अन्ना नगर, मद्रास-600012

65. सेकेरेड हर्ट लेप्रोसी सेंटर
सक्कोथाई कराकिकंर रोड,
कुम्बाकोनम, थन्जावुर-612401

66. दी इरोड अरिमा सोसाइटी ट्रस्ट,
संगोदामपालायम, पिडल, इरोड-638009

67. अक्षय, 172, लुज चर्च रोड,
माइलापुर, मद्रास-600004

68. विकलांग जीवन सहायता केन्द्र,
ईस्ट कोस्ट रोड, पालावक्कम,
मद्रास-600041

69. जर्मन कुष्ठरोग राहत संघ,
पुनर्वास केन्द्र, 4, गजापति स्ट्रीट,
शिनोयनगर, मद्रास-600030

70. विकलांग बच्चों के सहायतार्थ समिति,
कोयम्बतूर।

उत्तर प्रदेश

71. रोटरी स्पान्सर्ड क्रियल्ड एण्ड यूथ वेलफेयर सोसाइटी,
13, लूकरगंज, इलाहाबाद।

72. नेताजी शुभाष विद्य मन्दिर,
मंगोली शाहाबाद, रामपुर (उ० प्र०)

73. शहीद मेमोरियल सोसाईटी,
राजाजी पुरम्, लखनऊ।

74. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम,
जी. टी. रोड़, कानपुर-208016

75. मंगलम्-मंगलम् सदन, ए-445,
एच. आई. जी. इंदिरा नगर, लखनऊ-226016

76. विकलांग केन्द्र,
13, लूकरगंज, इलाहाबाद-200001

पश्चिम बंगाल

77. विकास भारती कल्याण समिति,
20/1-बी, लाल बाजार स्ट्रीट,
कलकत्ता

78. दी स्टैस्टिक्स सोसाईटी आफ ईस्टर्न इण्डिया,
15, बेलेवेदोर कोर्ट, 11 एण्ड 13 अलीपुर रोड,
कलकत्ता-700027

79. आनन्द भवन, जगतपुर डाकघर,
बिन्द्राओपुर (हावड़ा),
पश्चिम बंगाल

80. भारत स्काउट्स एण्ड गाईडंस,
(गाइड अनुभाग)-1, प्लेस,
कलकत्ता-700016

81. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान
बी० टी० रोड, बोन हुगली,
कलकत्ता-700090

82. बच्चों के लिए पुनर्वास केन्द्र,
59: मौती लाल गुप्ता रोड, बारीशा,
कलकत्ता-700008

चंडीगढ़

83. भारतीय बाल कल्याण परिषद,
चण्डीगढ़।

84. भारतीय रेडक्रास सोसाईटी,
चण्डीगढ़ केन्द्र शासित शाखा,
सैक्टर 15-डी, चन्डीगढ़।

दिल्ली

85. स्पेस्टिक्स सोसाईटी आफ नार्दर्न इण्डिया,
बलबीर सक्सेना मार्ग,
जनरल राज स्कूल के समीप
हौस खास, नई दिल्ली।

86. महिला मंगल,
4, सुन्दर हाउस, नई दिल्ली।

87. अमर ज्योति धर्मार्थ ट्रस्ट,
एम-192, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली।

88. मंगलम्,
ए-7, स्वास्थ्य विकास,
विकास मार्ग दिल्ली।

89. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

90. विकलांग जन संस्थान,
4, विष्णु दिगम्बर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

91. लेप्रिगेक्टोम क्लब आफइण्डिया,
एफ-11 ए (जी-8 एरिया) राजौरी गार्डन,
हरी नगर, घण्टाघर के समीप,
नई दिल्ली-1100064

92. मौलाना आजाद चिकित्सा कालेज, तथा अस्पताल,
नई दिल्ली-110002

गोवा, दमन और दीव

93. जन सहायता संस्थान,
(प्रीवेडरोइया), पणजी (गोवा)-4030001

94. कैरीटास गोवा, वागो प्रतिमारका
आल्टीन्हो, पणजी-403001

मध्य प्रदेश

95. भारतीय रेडक्रास सोसायट,
मध्य प्रदेश राज्य शाखा,
रेडक्रास भवन, शिवाजी नगर,
भोपाल ।

शिला पुनर्वास केन्द्रों की सूची

1. विरार, जिला-थाने (महाराष्ट्र)
2. भुवनेश्वर, जिला-पुरी (उड़ीसा)
3. खड़गपुर, जिला-मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)
4. सीता पुर, जिला-सीतापुर (उत्तर प्रदेश)
5. चेंगलपट्टू, जिला-चेंगलपट्टू (तमिलनाडु)
6. मैसूर, जिला-मैसूर (कर्नाटक)
7. कोटा, जिला-कोटा (राजस्थान)
8. भिवानी, जिला-भिवानी (हरियाणा)
9. बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (मध्य प्रदेश)
10 विजयवाड़ा, जिला-कृष्णा (आन्ध्र प्रदेश)

11.59 म० पू०

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैं चाहता हूँ कि आज शून्य काल में विपक्ष को मौका दिया जाये। मैं नागर विमानन मंत्रालय के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इस बारे में मैं आपका निर्देश चाहता हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। इस मंत्रालय में कुछ गड़बड़ है हालांकि मुझे श्री शिवराज पाटिल में पूर्ण विश्वास है, उनका कार्य बहुत अच्छा रहा है।

मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि समाचार-पत्रों में यह खबरें आ रही हैं कि ज्यादातर बोईंग हवाईजहाज बहुत पुराने हो गये हैं और उनकी अवधि पूर्ण हो चुकी है। कुछ मुद्दों पर उन्हें सभा को विश्वास में लेना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बात कर लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप 377 में दे देना

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया मेरी बात सुनिए···**(व्यवधान)** कम्प्यूटर के साथ भी हेराफेरी हो रही है।···**(व्यवधान)**। मुझे पालम हवाई अड्डे पर कहा गया कि संसद सदस्य विशिष्ट व्यक्ति नहीं है। मैंने कहा : "जब देरी होती है तो आप हमें टेलीफोन क्यों नहीं करते हैं ?" मुझे यह कहा गया : "आप विशिष्ट व्यक्ति नहीं हैं।"

जब संसद सदस्यों को ही सूचित नहीं किया जाता है तो आम आदमी और अन्य यात्रियों की क्या स्थिति है ? क्या यह उनका अधिकार नहीं है। इन मुद्दों पर मैं आपका निर्देश चाहता हूं।

कम्प्यूटर में हेराफेरी क्यों हो रही है ? मैं देखता हूं कि पालम हवाई अड्डे पर अनेक लोगों को सिफारिशों के आधार पर सीटें दी जाती है। कम्प्यूटर के द्वारा ही सीटें दी जानी चाहिएं।

और जब उड़ान में देरी हो जाती है तो वे हमें टेलीफोन द्वारा सूचित क्यों नहीं करते हैं ? आप हमें बताएं कि क्या यह सच है कि संसद सदस्य विशिष्ट व्यक्ति नहीं हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लिख कर दे देना।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बस करिए, काफी हो गया है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, पूर्वी रेलवे ने बगैर पूर्व सूचना दिए ही कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली ने कलकत्ता की सभी रेलें रद्द कर दी जिसके कारण हजारों लोग बीच में फंस गये और परेशान हुए। यद्यपि मुझे मिल-मजदूरों से पूर्ण सहानुभूति है फिर भी हम इस समस्या का

सामना कर रहे हैं। यदि सभी लोग इस तरह करेंगे तो देश का क्या होगा ? अत: मैं अनुरोध करता हूं कि इस बारे में रेल मंत्री एक वक्तव्य दें और बीच में फंसे हुए यात्रियों को पहुंचाने के लिए विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जाए।

श्री शांता राम नायक (पणजी) : इस वर्ष एअरइंडिया ने एक कैलेंडर प्रकाशित किया जिस पर यह स्पष्ट लिखा था कि गोआ की जाति एक मिश्रित जाति है। यह गोआ के लोगों का अपमान है। जब गोआ में इसका पूर्ण विरोध हुआ तो एयर इंडिया ने कैलेण्डर वापस ले लिया उन्होंने गोआ की जनता का अपमान किया है अत: मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे एक जांच करवाएं और देखें कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है। सिर्फ कैलेंडर वापस ले लेना ही पर्याप्त नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बात खत्म हो गई। बस करिये। पनिका जी, आप क्या कहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री शांता राम नायक : मंत्री महोदय का हमारे प्रति कुछ कर्त्तव्य है। कृपया उन्हें यह वक्तव्य देने दें कि वह इस मामले की जांच कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्स गंज) : अध्यक्ष महोदय, यह विडम्बना ही है कि जहां इस वर्ष देश में कृषि का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ, वहीं पर देश के 35 मिटियोरोलोजिकल डिवीजंस में से दो में भयंकर सूखा पड़ा और उनमें मिर्जापुर जिला···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी।

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। देश के विभिन्न प्रान्तों से यह समाचार मिल रहे हैं कि केन्द्र सरकार के पाठ्यक्रम में से संस्कृत निकाली जा रही है, स्कूलों में से। संस्कृत के प्रश्न पर आपको सरकार से बातचीत करनी चाहिये, यह बहुत जरूरी सवाल है, यह बहुत आवश्यक है। संस्कृत को पाठ्यक्रमों में से निकाला जा रहा है।

श्री नवल किशोर शर्मा (जयपुर) : बालकवि बैरागी जी की बात का मैं भी समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, ऐसा है कि संस्कृत को निकालने के बाद अपने पास बचेगा क्या।

श्री बालकवि बैरागी : आप कुछ करिये, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राम प्यारे पनिका : सैंट्रल स्कूल और हायर सैकेण्डरी स्कूल, दोनों ने निर्णय लिया है कि अगली जुलाई से संस्कृत न पढ़ाई जाय।

मैं एक बात कह रहा था, मैं बहुत कम बोलता हूं। इस वर्ष मेरी कांस्टीट्यूएंसी में भयंकर सूखा पड़ गया है। मैंने कालिंग अटेंशन नोटिस भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए ।

श्री राम प्यारे पनिका : मैंने नोटिस दिया है, आप उसे स्वीकार कर लें ।

[अनुवाद]

प्रो० संफुद्दीन सोज : आप कृपया मंत्री महोदय को निर्देश दे दें ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बात कर लेना । आपको बुलाया तो है । आप चाय भी पीना और गुलाब जामुन भी खाना ।

———

12.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1989

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1989, जो 1 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 70 (अ), में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एस० टी० —7326/89]

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों (सरकारी उद्यमों का सर्वेक्षण) के कार्यकरण के बारे में वर्ष 1987-88 (खण्ड-I से III) के वार्षिक प्रतिवेदन तथा भारत के नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1987 के प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग दो — अलग-अलग विषयों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं श्री जे० वेंगल राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों (सरकारी उद्यमो का सर्वेक्षण) के कार्यकरण के बारे में वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड-I से III) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एस० टी०-7327/89]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1987 के प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक)-भाग दो-अलग अलग विषयों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एस० टी०-7328/89]

भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम कानपुर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान का वर्ष 1887-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7329/89]

(3) (एक) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7330/89]

(5) (एक) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7331/88]

(7) (एक) राष्ट्रीय हड्डी विकलांग संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय हड्डी विकलांग संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7. 32/89]

(9) (एक) राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7333/89]

होटल प्रबन्ध, खानपान तथा पोषण संस्थान, नई दिल्ली तथा होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (क)(एक) होटल प्रबन्ध, खानपान तथा पोषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7334/89]

(दो) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण, संस्थान, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एत प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7335/89]

(तीन) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, मद्रास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7336/89]

(चार) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, कलकत्ता के

वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7337/89]

(पांच) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7338/89]

(छह) होटल प्रबन्ध, खानपान तथा पोषण संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7339/89]

(सात) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7340/89[

(आठ) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7341/89]

(नौ) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7342/89]

(दस) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, गोवा के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7343/89]

(ग्यारह) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7344/89]

(बारह) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7345/89]

(तेरह) फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट पटना के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-7346/89]

(चौदह) फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-7347/89]

(पन्द्रह) फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-7348/89]

(सोलह) फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट, ग्वालियर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-7349/89]

(सतरह) फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-7350/89]

(अठारह) फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट, शिमला के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-7351/89]

(उन्नीस) फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट, विशाखापत्तनम के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-7352/86]

(बीस) राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध तथा खानपान प्रौद्योगिकी परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-7353/89]

(ख) होटल प्रबन्ध, खानपान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, श्रीनगर, अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गोवा तथा लखनऊ तथा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट्स, अलीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, ग्वालियर, पटना, शिमला तथा विशाखापत्तनम के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-7334/89 से 7352/89]

(2) (एक) भारतीय पर्यटन तथा यात्रा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय पर्यटन तथा यात्रा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7354/89]

सीमा सड़क (चिकित्सा अधिकारी वर्ग "क") भर्ती नियम, 1988;
सीमा सड़क इन्जीनियरी सेवा वर्ग "क" (संशोधन) नियम, 1988;
सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा वर्ग "ख" (संशोधन) नियम, 1988 इत्यादि।

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सीमा सड़क (चिकित्सा अधिकारी वर्ग "क") भर्ती नियम, 1988 जो 5 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 867 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा वर्ग "क" (संशोधन) नियम, 1988 जो 5 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 868 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा वर्ग "ख" (संशोधन) नियम, 1988 जो 19 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 914 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल०टी० —7355/89]

(2) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत सेवा की नौसेना समारोह शर्तें तथा प्रकीर्ण (दूसरा संशोधन) विनियम, 1988 जो 21 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 363 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल०टी०—7356/89]

(3) छावनी बोर्डों के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल०टी०—7357/89]

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं श्री एडुआर्डोफैलीरो की तरफ से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) डाक-घर बचत खाता (संशोधन) नियम, 1989 जो 5 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 5 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत योजना (संशोधन) नियम, 1989 जो 19 जनवरी, 1989 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 41 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाक-घर (मासिक आय खाता) (संशोधन) नियम, 1989, जो 20 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 46 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—7358/89]

(2) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 के अन्तर्गत किसान विकास-पत्र (संशोधन) नियम, 1989 जो 6 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 81 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल०टी०—7359/89]

(3) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नेत्रवती ग्रामीण बैंक (स्टाफ) सेवा विनिमय, 1984

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—7360/89]

(दो) मालवा ग्रामीण बैंक (स्टाफ) सेवा विनिमय, 1987

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—7361/89]

(तीन) गोदावरी ग्रामीण बैंक (स्टाफ) सेवा अधिनियमा 1987

[ग्रंथालय में में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—7362/89]

(चार) वल्लालर ग्राम बैंक (स्टाफ) सेवा विनिमय,

[ग्रंथायय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—7363/89]

(पांच) कनक दुर्ग ग्रामीण बैंक (स्टाफ) सेवा विनिमय, 1987

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—7364/89]

(छह) थाणे ग्रामीण बैंक (स्टाफ) सेवा विनिमय, 1987

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—7365/89]

(4) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्डन ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1988 जो 7 जनवरी, 19 9 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 10 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

(दो) गोदावरी ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1988 जो 7 जनवरी, 1989 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 11 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई/देखिए संख्या एल०टी०—7366/89]

परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी, बम्बई का वर्ष 1887-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण समीक्षा के बारे में एक विवरण तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ जियोमैग्नेटिज्म, बम्बई का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण से समीक्षा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी की और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर अच्छे रखता हूं :

(1) (एक) परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परमाणु ऊर्जा सोसाइटी, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—7367/89]

(2) (एक) इंडियन इंस्ट्रीट्यूट आफ जिपोमैगनेटिज्म, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—7368/89]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियम) संशोधन नियम, 1988 जो 27 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 58(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम 1989, जो 27 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 59 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1989, जो 27 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 60 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1989 जो 27 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 61 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1989, जो 27 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 62 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छ) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन नियम, 1989, जो 27 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 63 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 1989, जो 3 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 77 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—7369/89]

दिल्ली पुलिस अधिनियम 1878 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) दिल्ली पुलिस (दण्ड और अपील) (संशोधन) नियम, 1988, जो 22 जुलाई, 1988 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 5/132/84-होम (पी)/ई एस टीटी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 1988, जो 13 मई, 1988 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 5/46/84-होम (पी/ई एस टीटी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—7370/89]

(2) रिहैबिलीटेशन प्लांनटेशन लिमिटेड, पुनालुर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष समाप्त के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—7371/88]

12.04 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के आलू करने वाले किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अनेकों चीजों की

पैदावार काफी मात्रा में होती है। उसमें उत्तर प्रदेश भी दूसरे प्रदेशों से पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में आलू की पैदावार सबसे अधिक होती है। यह विभिन्न प्रदेशों में जाता है, लेकिन इसकी देख-रेख का कोई विशेष ध्यान नहीं है जिसके कारण आलू पैदा करने वाले कृषकों को उचित मूल्य नहीं मिलता है और आलू भी बेकार जाता है।

इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान देकर आलू के कृषकों को इस हानि से बचाया जाय।

[अनुवाद]

(दो) अध्यापकों द्वारा कक्षाओं के रूप में प्राइवेट ट्यूशन किये जाने पर प्रतिबंध लगाए जानेकी मांग

श्री बुधार सिंह (झालावाड़) : शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा और अनुशासन की बिगड़ती हुई प्रवृत्ति देश की जनता तथा सरकार के लिए चिंता का विषय बन गयी है। सरकार ने शिक्षा नीति में सुधार किये हैं। नवोदय स्कूल खोले गये हैं तथा नवोदय स्कूलों में ग्रामीण समाज के निर्धन वर्गों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। परन्तु यह अपर्याप्त कदम है।

तथ्य यह है कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों और अध्यापकों का अनुशासन इतना खराब है तथा अध्यापक में उनकी इतनी अनियमितता है कि जो माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं वे अपने बच्चों को घटिया स्तर के प्राइवेट स्कूलों में भेज देते हैं जो सम्पूर्ण देश में व्यवसायियों द्वारा व्यापार के आधार पर चलाये जाते हैं। इन प्राइवेट स्कूलों में सामान्यतः अध्यापकों को अच्छा वेतन नहीं दिया जाता है और उन्हें बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।

सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों का दृष्टिकोण इतना अधिक व्यापारिक हो गया है उनमें से अधिकांशतः ट्यूशन के नाम पर प्राइवेट कक्षायें चला रहे हैं।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए मानव संशाधन विकास मंत्री से मेरा अनुरोध है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों के लिए यह अनिवार्य किया जाये कि वे भविष्य में कक्षाओं के रूप में प्राइवेट कक्षायें न चलायें।

(तीन) मिर्जापुर भदोही (उत्तर प्रदेश) में हाथ से बने कालीनों के उद्योग को प्रोत्साहित किए जाने के लिए उपाय किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर-भदोही-ज्ञानपुर-ओराई इत्यादि वाराणसी और मिर्जापुर के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कालीन उत्पादन और निर्यात का प्रमुख क्षेत्र है। इस क्षेत्र से हाथ करघे से बना हुआ कालीन प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ सौ करोड़ तक की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। यह एक गृह उद्योग और ग्राम उद्योग है। इस उद्योग में हमारे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर-भदोही तथा आस-पास के लगभग दस लाख लोग जीविका प्राप्त करते हैं।

इस समय ऊन और ऊनी धागे की मंहगाई के कारण कालीन उद्योग संकट का सामना कर रहा है। ऊन और ऊनी धागे की मंहगाई रोकने के लिए और उचित दाम पर उपलब्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक है :

12.05 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सस्ते दर पर विदेशों से ऊन आयात करके निर्माताओं को उचित दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, स्वदेश में ऊन और ऊनी धागे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाये तथा भेड़ पालन को प्रोत्साहन दिया जाये। मिर्जापुर और ज्ञानपुर में सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में कम से कम दो ऊनी धागा बनाने के कारखाने स्थापित किये जाएं तथा ऊन और ऊनी धागे की कालाबाजारी और जखीरेबाजी करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाये जाएं।

(चार) नेपाल से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थल पर बांधों और जलाशयों का निर्माण किए जाने की मांग ताकि बिहार को बाढ़ से बचाया जा सके तथा दोनों देशों के लाभार्थ बिजली का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : उत्तरी बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ चिंता का विषय है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि सरकार इसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनायेगी तथा इसे नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठायेगी तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

1987 में बाढ़ के कारण जो तबाही हुई थी वह अब भी प्रत्येक व्यक्ति को याद है। सरकार के अनुसार कुल 1400 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। एक हजार से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। 17 लाख से अधिक मकानों का नुकसान हुआ। इसके लिए बिहार राज्य को केवल 54.325 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी। दुर्भाग्यपूर्ण यह अल्प सहायता जरूरत मंद लोगों को नहीं मिली।

तब से कोई निवारक उपाय नहीं किया गया है। उत्तरी बिहार में अधिकांश बाढ़े उन नदियों के कारण आती हैं जो नेपाल से निकलती है। यदि सरकार और नेपाल के बीच इन नदियों को उनके उद्भव स्थान पर रोकने के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा।

इसलिए सरकार से विनम्र निवेदन है कि भारत सरकार को इनके उद्भव स्थान पर बांध तथा जलाशयों का निर्माण करने के लिए नेपाल की सरकार के साथ समझौता करना चाहिए। इसके लिए वित्तीय व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से की जा सकती है।

यदि इन नदियों को नियंत्रित कर लिया जायेगा तो पर्याप्त रूप से बिजली का उत्पादन होगा जिससे नेपाल और भारत दोनों का अभूततूर्व आर्थिक विकास होगा।

(पांच) विशेषकर उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन योजनाओं के कार्यान्वयन की, समीक्षा किए जाने की मांग

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : उत्तर प्रदेश में जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरु किये

गये थे उन्होंने गरीबी उन्मूलन में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है। 1983-84 में राज्य की 40.9 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे थी एक दशक में जनसंख्या में 25 प्रतिशत वृद्धि के कारण आंकड़े बदलने की सम्भावना नहीं है। एन० आर० ई० पी० तथा आर० एल० ई० जी० पी० कार्यक्रमों का क्रियान्वयन उन ठेकेदारों पर छोड़ दिया गया है जो मजदूरों को आठ रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देते हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी सन्तोषजनक नहीं है। मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद और दूसरे अनेक जिलों में बन्धुआ मजदूरों की समस्या बढ़ रही है। समन्वित ग्रामीण विकास के कार्यक्रम ने कोई उन्नति नहीं की है तथा राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया है जहां इनकी अधिक आवश्यकता है। यद्यपि राज्य में ग्रामीण बैंकों का बहुत बड़ा तंत्र है परन्तु अधिकांश लोगों को अभी भी बैंक सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। निःसंदेह गरीबी की समस्या का आसान समाधान नहीं है तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समर्पण तथा राजनैतिक इच्छा का अभाव है जिनकी कार्यक्रमों के उद्देश्य प्राप्त करने में पूर्वापेक्षा की जाती है।

सरकार को उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों की कमियों का पता लगाने तथा ग्रामीण गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए उन्हें अधिक सार्थक बनाने हेतु उनके क्रियान्वयन का पुनरीक्षण करना चाहिए।

(छः) कोटा शिवपुरी राज्य राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 से जोड़े जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कोटा से शिवपुरी (मध्य प्रदेश) तक राज्य का हाईवे नं० 17 स्थित है जो 17 स्थिति है जो कि शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में नेशनल हाईवे नं० 3 दिल्ली-आगरा-बम्बई से मिल जाता है और कोटा, जयपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे नं 12 पर स्थित है। कोटा का शिवपुरी से रेल सम्बन्ध नहीं है। इस कारण कोटा व इसके आसपास के जिले जैसे बूंदी-झालावाड़-चित्तौड़-झांसी-ग्वालियर-शिवपुरी आदि से रेल व सड़क से अच्छी तरह जुड़े नहीं है। कोटा-शिवपुरी मार्ग 200 किलोमीटर से भी कम है अगर कोटा शिवपुरी मार्ग के हाईवे नं 17 को केन्द्र सरकार अपने हाथ में लेकर नेशनल हाईवे नं० 12 अर्थात कोटा से नेशनल हाईवे नं 25 शिवपुरी को अपग्रेड कर देती है तो इस पूरे क्षेत्र को यातायात एवं प्रगति में बहुत राहत मिलेगी। कोटा शिवपुरी रोड पर एन० टी० पी० सी० का बिजली तापघर एवं अरावली खाद का कारखाना अन्ता नगर, बारा नगर व किशनगंज व शाहबाद कस्बा थाना जैसे आदिवासी इलाके स्थित हैं।

राजस्थान राज्य के हाईवे नं० 17 के अपग्रेडेशन से जयपुर से लखनऊ कानपुर वगैरह जुड़ जायेंगे एवं विकास के कई रास्ते खुलेंगे।

मेरा केन्द्र सरकार से जल भूतल मंत्रालय से निवेदन है कि कोटा-शिवपुरी मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित करें एवं नेशनल हाईवे नं 12 को नेशनल हाईवे नं 25 से जोड़े।

(सात) हिमाचल प्रदेश को विकास कार्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की मांग

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन तथा तनख्वाह में बढ़ोत्तरी पंजाब के अनुसार बढ़ाने का निर्णय उस समय कर्मचारियों की युनियनों के साथ हुआ था जब पंजाब के क्षेत्र हिमाचल में मिले थे। और उसी आधार पर जब पंजाब में वेतन बढ़ते हैं तो हिमाचल में उसी अनुपात में बढ़ोतरी होती है। अब हिमाचल के कर्मचारियों को पंजाब के पे-कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार वह सब बढ़ोत्तरी देनी पड़ रही है जो पंजाब में बढ़ी है। इसके अतिरिक्त अधिक वर्षा के कारण और सड़कें, फसलें व गांवों में मकानों के गिरने के कारण जो नुकसान हुआ उन पर सहायता के लिए धन खर्च हुआ। इस कारण अब राज्य सरकार को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। विकास कार्य रुक गए हैं।

अत: मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकार को 90 करोड़ रुपये की तुरन्त सहायता की जावे ताकि राज्य की तरक्की में रुकावट पैदा न हो।

12.14 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा श्री वी० एन० गाडगिल द्वारा 23 फरवरी, 1989 को प्रस्तुत किये गये तथा श्री रघुनन्दन लाल भाटिया द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी अर्थात् —

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक सभावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने 21 फरवरी, 1989 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

डा० फूल रेणु गुहा बोले।

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : महोदय, भारत सरकार की उपलब्धियां बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे चारों ओर शक्तिशाली पड़ोसी हैं परन्तु सरकार ने बड़ी कुशलता से स्थिति को निपटाया है और पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों में सुधार किया है। हमारे सभी पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों में सुधार हुआ है तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सरकार ने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हमारी सफल विदेश नीति के कारण भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। भारत पहला राष्ट्र था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी।

हमारे नेताओं ने गोरखालैंड की समस्या का समाधान कर दिया है। नागालैंड और मिजोरम में शांति व्याप्त है। सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र देश की मुख्यधारा में शामिल हो गया है।

जहां तक विश्वशान्ति तथा निर्गुट आन्दोलन का सम्बन्ध है भारत सरकार ने इसकी शुरूआत की थी। कानून बनाकर धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग पहले ही रोक दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के कार्य में भी सुधार हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर उचित बल दिया गया है। हमने खाद्यान्न की कमी की समस्या हल कर दी है। परन्तु भारत गांवों का देश है। सभी गांवों में छोटे पैमाने के उद्योग तथा कुटीर उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए ताकि गांवों के लोगों विशेषत: महिलाओं को काम की तलाश में दूसरे स्थानों पर न जाना पड़े।

हमारे सामने देश की एकता और अखंडता की प्रमुख समस्या है। हमें उस बात पर बल देने की आवश्यकता है। जो हमें विभाजित करने के बजाये संगठित करती है। विभिन्न उपलब्धियों के बावजूद भी देश में मूल्य वृद्धि तथा बेरोजगारी की विकट समस्या है। उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके।

मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है क्योंकि कांग्रेस तथा कांग्रेस सरकार का युवकों में बड़ा विश्वास है। कुछ स्थानों पर गणना के समय सूचियां उचित रूप से तैयार नहीं की जाती है। सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्त्ताओं के दबावों के कारण कार्मिक प्रभारी सूचियां ठीक नहीं कर सकते अकेले कानून द्वारा मतदान केन्द्रों पर कब्जा नहीं रोका जा सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि चुनावों के दौरान मतदान अधिकारी दूसरे राज्यों से प्रतिनियुक्त किये जाने चाहिए।

बेरोजगारी दूर करने के लिए सुविचारित कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। अधिकांश ध्यान इसके क्रियान्वयन पर दिया जाना चाहिए। हमारे देश में अनेक कार्यक्रम शुरू किये गये परन्तु दुर्भाग्यवश सभी कार्यक्रम उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किये जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं अर्थात कि योजना आयोग में एक कक्ष बनाया जाना चाहिए जिसमें महिलाओं के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के संचालन की सूचना लगातार दर्ज की जानी चाहिए। अन्यथा महिलाओं के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम बनाये गये हैं परन्तु हम यह नहीं जानते कि उन कार्यक्रमों को किस हद तक कार्यान्वित किया गया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में पश्चिमी बंगाल के सत्तारूढ़ दल के अलोकतांत्रिक व्यवहार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पश्चिमी बंगाल में विशेषत: गांवों में कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं की हत्यायें की जा रही हैं धमकाया जा रहा है तथा उनकी सम्पत्तियां लूटी जा रही हैं। उनके विरुद्ध झूठ मामले बनाये जा रहे हैं। निगम के एक पार्षद की हत्या कर दी गयी। सांसदों की भी पिटाई की जाती है। आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि पश्चिमी बंगाल में कोई तरीका निकाला जाये ताकि कांग्रेस के कार्यकर्त्ता शांति से रह सके।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (बुलन्दशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की सभी गतिविधियों के ऊपर रोशनी डाली है और जो एक तस्वीर हमारे सामने देश की और समाज की रखी है, वह संतोषजनक ही नहीं है बल्कि एक खुशनुमा तस्वीर है। लेकिन यह बात जरूर है कि उस तस्वीर में कहीं-कहीं कुछ धब्बे भी नजर आते कुछ धुन्धलापन भी नजर आता है। वह स्वाभाविक भी है। इतने बड़े मुल्क में जहां इतनी समस्याएं हैं और साधनों की कमी है, वहां यह मुमकिन नहीं है कि सभी समस्याएं और हमारे देशवासियों की सभी तकलीफें एकदम दूर हो जाएं और सारे विकास के काम एक साथ हो जाएं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह]

लेकिन फिर भी अपने यहां के कामों को देखते हुए और हमारा जो उपलब्धियां हैं वे बहुत शानदार हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बहुत से आंकड़े दिये हैं और अभी हाल में इकोनोमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा निकली है उसमें आंकड़े यह बतलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राजीव जी के नेतृत्व में हमारा देश बड़ी मजबूती के साथ विकास की तरफ बढ़ता चला जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सभी उपलब्धियों का जिक्र करूं। कुछ जानकारी यहां सदन में आ चुकी है जो कि इस सदन को और माननीय सदस्यों को मालूम है। मैं इस मौके पर उन चीजों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा जिनको कि मैं धब्बे या धुंधला कहता हूं। ताकि सरकार की तवज्जो उसकी तरफ भी पूरी तरह से आ जाए और जो भी कमियां हमारे समाज में और हमारे देश में हैं वह दूर हो सकें।

सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की और मुझे ताज्जुब यह है कि इतनी बड़ी समस्या के होते हुए भी जिसके कारण हमारा समाज, हमारा देश जो कुछ चार-पांच साल में हासिल करता है वह सब खत्म हो जाता है उसका कोई भी जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। मुझे बड़ा खेद और ताज्जुब है कि ऐसा क्यों हुआ। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, क्या सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण विषय नहीं रहा, क्या सरकार की तवज्जो इस पर नहीं है ? मैं इस विषय पर पुरजोर शब्दों में कहना चाहूंगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश की प्रगति को खा रही है और हम नाकामयाब हो रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं इस सिलसिले में यह सुझाव पेश करूंगा कि इस पर आपके जो प्रोग्राम चल रहे हैं वे चलते रहें लेकिन उनके साथ-साथ हमें एक "टू चिल्ड्रन" या "दो बच्चों" का नाम अपनाना चाहिए। मेरी राय में सरकार को यह कर देना चाहिए कि सरकार में नौकरी उन्हीं लोगों को या सरकार से सहायता उन्हीं लोगों को मिलेगी जो दो बच्चों के नार्म का पालन करेंगे। तभी मैं समझता हूं कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियन्त्रण लग पायेगा और जो स्कान्त चल रही हैं वे अपनी जगह पर ठीक हैं लेकिन उनसे जो नतीजा नहीं निकल रहा है वह इससे निकल पायेगा।

इतना कहने के बाद मैं ग्रामीण क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। चूंकि मेरा लगाव ग्रामीण क्षेत्र से है और मेरा क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्र है इसलिये इस सिलसिले में मेरा कहना है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की 80 फीसदी जनता देहातों में रहती है और उसका कृषि से ताल्लुक है। मेरी अपनी राय है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली नहीं आयेगी तब तक सही मायनों में हम यह नहीं कह सकते कि हमारे देश की समस्याएं हल हो गई हैं और हमारा देश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है।

किसानों की कुछ समस्याएं हैं, खेत मजदूरों की समस्याएं हैं जिनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले किसान की शिकायत और तकलीफ यह रहा है कि उसको उसकी उपज की जो कीमत मिलती है वह कीमत उचित नहीं है। यह सवाल हमारे यहां कई बार उठ चुका है और उसका जवाब भी हम सुनते आ रहे हैं। उसको जो कीमत उसकी उपज की दी जाती है वह उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन से कुछ ज्यादा दी जाती है। लेकिन उसमें पार्जिन आफ प्राफिट इतना कम या न्यून है कि वह किसान की जरूरियात को पूरा नहीं करता। इससे किसान की गरीबी दूर

नहीं होगी। उसे उसकी पैदावार की उचित कीमत मिलनी चाहिए और उसे भी उतना ही मार्जिन आफ प्राफिट देना चाहिए जितना कि और क्षेत्रों में होता है। तभी किसानों में खुशहाली आयेगी।

आजकल किसान को बिजली और पावर की इतनी बड़ी समस्या है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। किसानों को बिजली के महकमे से कितनी परेशानी होती है उसको इस मौके पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। जितनी नाराजगी देशवासियों को एमर्जेंसी के जमाने मे परिवार नियोजन के नारे से हुई थी उसी तरह की नाराजगी आज किसानो को बिजली के महकमे से है। उसका शोषण हो रहा है, उसको नोचा जा रहा है, उसको खाया जा रहा है, उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार कहती है कि 10-12 घण्टे बिजली सप्लाई की जाती है, लेकिन 4-5 घण्टे से ज्यादा उसको बिजली नहीं दी जाती। ब्रेक डाउन हो जाता है और जले हुए ट्रांस्फार्मर को 3 महीने तक भी रिप्लेस नहीं किया जाता, इन सब चीजों से किसान को बहुत परेशानी होती है, उसकी पैदावार कम होती है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और बता सकता हूं कि हमारे यहां जिन किसानों के पास सिंचाई आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं, जो संपन्न किसान है, जिनको समय पर पानी, बीज, खाद मिल जाता है, उनकी पैदावार साधारण किसान से दुगनी है। इसका सबसे बड़ा कारण सिंचाई की उचित व्यवस्था न होना है। जब तक किसानों को 8-10 घंटे तक अबयोर्ड बिजली सप्लाई नही मिलेगी, तब तक किसान की हालत सुधर नहीं सकती। इसलिये मेरा सरकार से सुझाव है कि सरकार किसान को 10-12 घंटे अबयोर्ड बिजली सप्लाई करे, यदि सप्लाई पूरी नहीं होती है तो अपने आप उसके बिल में कटौती कर दी जानी चाहिए। यदि ट्रांस्फार्मर खराब हो जाता है तो 10 दिन में उसको ठीक कराया जाना चाहिए, या रिप्लेस कराया जाना चाहिए, वरना जो नुकसान किसान का होता है, उसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित महकमे पर डाली जानी चाहिए। इस बात पर खास तवज्जह देने की आवश्यकता है, क्योंकि किसान बहुत परेशान है।

ऋण लेने के बारे में बताना चाहता हूं कि चाहे क्राप लोन हो या जनरल लोन हो, इसके तरीके बहुत निकम्मे हैं, जिसकी वजह से किसान को बहुत परेशानी होती है। इसके तरीकों को सरकार को सरल बनाना चाहिए। पांच सौ रुपए प्रति एकड़ जो लोन मिलता है, इसको भी आज के जमाने को देखते हुए एक हजार रुपए प्रति एकड़ किया जाना चाहिए। लोन लेने के लिए जोत-बही का इस्तेमाल किया जाना, चाहिए, जिसके तहत किसान जोत बही दिखा दे, उसके सामने उसकी मालियत तय हो और उसके हिसाब से उसको लोन मिल जाना चाहिए। अभी उसको जगह-जगह मारा-मारा फिरना पड़ता है, कई महीने बीत जाते हैं, काफी रुपया खर्च हो जाता है, यह परेशानी दूर होनी चाहिए।

तीसरी बात डिस्ट्रेस सैलिंग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या है। 90 फीसदी किसान फसल के समय अपनी उपज को बेच देते हैं और उनको इसका बहुत कम दाम मिलता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि फसल के समय गेहूं का भाव 175 रुपए प्रति क्विंटल था और अब 285 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव चल रहा है। यह 110 रुपया मिडल मैन को मिल रहा है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि बैंक्स के या एफ० सी० आई० के० गोदाम होने चाहिए जहां पर किसान अपनी उपज को रख सके और उस उपज के 60-70 प्रतिशत तक सस्ती ब्याज दर पर उसको ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इसके बाद जब उसको उसकी फसल का अच्छा भाव मिले, उस समय वह उसको बेच सके तथा अधिक लाभ कमा सके। यह सुविधा किसान को दी जानी चाहिए। इसके अभाव में 2-4 परसेंट किसानों को छोड़कर बाकी सबको नुकसान होता है।

[श्री सुरेन्द्र पाल सिंह]

एक बात और कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे यूथ बहुत अधिक हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इनके लिए कुछ न कुछ इंतजाम अवश्य किया जाना चाहिये। इस बारे में मेरा सुझाव है कि पुलिस आदि की जो सबोर्डिनेट सर्विसेस हैं, उनमें 20 परसेंट रिजर्वेशन ग्रामीण क्षेत्र के युवकों के लिए होना चाहिए, इसमें बैकवर्ड या ट्राइब की कोई बात नहीं है, 20 परसेंट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से होना चाहिए।

इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, स्माल स्केल इंडस्ट्री जो कि 10 लाख तक की होती है उनको लगाने का लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब लोग उसको ग्रामीण क्षेत्र में लगाने के लिए तैयार हों। ब्लाक लेबल पर किसी कस्बे के पास हो। उससे यह फायदा पहुंचेगा कि जो बेरोजगार युवक मारे-मारे फिर रहे हैं उनको रोजगार का साधन मुहैया हो जायेगा और कुछ हद तक यह समस्या हल हो सकती है। आजकल किसानों को लकड़ी काटने की बहुत दिक्कत है। जब उनको बबूल या सीसम के पेड़ की लकड़ी की जरूरत होती है तो उनको पकड़ लिया जाता है। इस किस्म के पेड़ की लकड़ी के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए, उसको आजादी होनी चाहिए कि वह अपनी जरूरत के लिए लकड़ी काट सके, बिना वजह उसको परेशान न किया जाए। यह सुविधा उसको अवश्य मिलनी चाहिए। गरीबी हटाओ के प्रोग्राम्स पर प्रधान मंत्री जी का बहुत जोर है, उसका हम स्वागत करते हैं। वे बड़े चिंतित हैं कि गरीबी की रेखा से हमारे देश की आबादी ऊपर उठ जाए। इस सिलसिले में जो स्कीम्स चल रही हैं वे सही तरीके से नहीं चल रही हैं। प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इस बात को महसूस किया है कि जितना रूपया खर्च हो रहा है और उसका जितना फायदा बेनीफिशियरी को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। बीच वाले उस रुपये को खा रहे हैं। कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि इस रुपए का पूरा फायदा सीधे लाभार्थी को पहुंच जाए। उसको डायरेक्ट पेमेंट होना चाहिये। उसको भैंस और बुग्गी खरीदने के लिए लोन मिलना है और यह कहा जाता है कि फलां जगह से खरीद लो। वहां उसकी लूट होती है। एक हजार का माल तीन हजार में उसको मिलता है और बीच वाले अलग से खाते हैं। इन्दिरा आवास योजना भी सरकार ने नयी निकाली है। गरीबों को छह हजार रुपये मकान बनाने के लिये दिये जा रहे हैं। बड़ी अच्छी योजना है लेकिन छह हजार रुपए कम है। कई मकान छह हजार रुपए की लागत से बने हैं। वे मकान इतने खराब हैं कि अगर कोई आदमी धक्का दे तो वह मकान गिर जायेंगे। इस योजना के अन्दर जो मकान बन रहे हैं, वे गांव के अन्दर नहीं बन रहे हैं। जिन लोगों के फायदे के लिये यह मकान बन रहे हैं वे बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरी कांस्टीच्युऐंसी में काफी जगह ऐसी हैं जहां पिछले बारह-पन्द्रह साल से ऐसे मकान खाली पड़े हैं। इन पर जो खर्च हुआ है वह भी बेकार हो गया है। जिन लाभार्थियों के लिये यह खर्च कर रहे हैं उनको वहीं पर ही मकान बनाने दीजिए जहां वे चाहें यह जो बाहर बसाने की बात है यह प्रैक्टिकल नहीं है और चलने वाली नहीं है। लैंड-लैस लेबरर्स के बारे में यह कहना चाहता हूं कि उनको खाने के लिए उचित कीमत पर गल्ला नहीं मिलता। उनके लिए फेयर प्राइस शाप्स नहीं हैं जहां से उनको उचित मूल्य पर गल्ला मिल सके। मेरा सुझाव है कि गांवों में कुछ फेयर प्राइस शाप्स खोलनी चाहिये ताकि गरीब जनता को कम से कम खाने के लिये अनाज मिल सके। प्रधान मंत्री जी ने पंचायत राज को मजबूत करने का जो निर्णय किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह बहुत ही उम्दा कदम है, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सी समस्यायें हल हो जायेंगी। जब प्लान गांव के लेवल से बनने लगेंगे तो जाहिर है कि उन सबका ख्याल रखा जायेगा।

मैं उम्मीद करता हूं कि गांवों में रहने वाले जो किसान हैं वे अपने भविष्य का निर्माण अपने आप कर सकेंगे। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं और इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा० जी० एस० ढिल्लों (फिरोजपुर) : राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में अनेक विषयों का उल्लेख किया है परन्तु साथ ही उन्होंने पंजाब की स्थिति का मामूली जिक्र किया है।

हमें प्रसन्नता है कि देश ने औद्योगिक और कृषि उत्पादन में चौतरफा उन्नति की है। हमें खुशी है कि कोयला, उर्वरक, सीमेंट तथा स्टील के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा भी अधिक अर्जित हुई है। विगत वर्ष यह 25 प्रतिशत थी इस वर्ष के दस महीनों में 25 प्रतिशत और अर्जित हुई है। इस प्रकार दो वर्ष से कम समय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साथ ही सकल घरेलू उत्पाद में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मुझे खुशी है कि उन्होंने विगत दो वर्षों की सूखा की स्थिति का उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि भयंकर सूखा के बावजूद भी विकास दर 3.5 प्रतिशत रही है जो नवें दशक के प्रारंभिक वर्षों से अधिक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति की चुनौती का सामना करने का श्रेय केवल एक विभाग को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी दिया जाना चाहिए। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब सूखा शुरु हुआ। उस समय मैं कृषि मन्त्री था और जब वर्षा शुरु हुई तो मैंने विभाग छोड़ दिया।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : परन्तु सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए आपने बहुत काम किया था।

डा० जी० एस० ढिल्लो : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद !

मैं योजना आयोग की सराहना करता हूं जिसने अपनी ओर से और कृषि और वित्त मन्त्रालय के परामर्शानुसार बहुत सारी योजनाओं को कार्यान्वित करने में हमारी काफी मदद की है। मैं पेयजल, तेल के बीज इत्यादि सभी प्रौद्योगिक मिशनों की भी सराहना करता हूं क्योंकि इनके द्वारा उत्पादन के विकास में सहायता मिली। अपने संसाधन व्यय कर के कच्छ, गुजरात और राजस्थान में स्थिति संभालने के लिये मैं उन स्वैच्छिक संस्थाओं की भी सराहना करता हूं। स्वयं प्रधानमन्त्री द्वारा इस विषय में रुचि लेना और मेरे उन साथियों द्वारा, जिन्हें काम सौंपा गया था, राज्यों में जाकर उनका निरीक्षण करना भी बहुत ही सराहनीय है। मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं कहता हूं कि प्रधानमन्त्री के निजी प्रयास और उनके सहयोग के लिए हम उनके आभारी हैं। उन्होंने इस विषय को उच्च प्राथमिकता दी है। मुझे खुशी है कि हमने अपनी ओर से पूर्ण प्रयास किया। हर कोई जब इसका श्रेय लेता है चाहे वह प्रधानमन्त्री का भाषण हो या राष्ट्रपति का अभिभाषण अथवा हमारे विशेषज्ञ, हमारा कृषि मन्त्रालय इसे एक महान उपलब्धि बताता है। मुझे खुशी है कि पशुओं की भुखमरी से निपटने के लिए सरकार ने पेयजल और पशुओं के चारे की बुलाई में काफी खर्च किया है। मुझे बहुत ही खुशी है कि राष्ट्रपति ने सारे प्रयासों को मान्यता प्रदान की है।

अन्य समस्याओं के लिए, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है, मैं समझता हूं कुछ मित्रों ने

[डा० जी० एस० ढिल्लों]

मुझे कृषि मन्त्री के रूप में नहीं बल्कि अकाल मन्त्री के रूप में बुलाया, तब उनके प्रति सहानुभूति होने के कारण मैं कई बार उनके साथ बारमेड़, जैसलमेर, गुजरात और कच्छ आदि गया। मुझे खुशी है कि मैं अकाल के मन्त्री के रूप में जाना गया···(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : साथ ही आप केरल भी आये।

डा० जी० एस० ढिल्लों : जी हां ! उसी समय कल दिनेश गोस्वामी जी ने बाढ़ का जिक्र किया। सरकार ने बिहार, बंगाल के कुछ भाग, असम और असम में दोबारा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयास किया। इसका जिक्र यहां किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में भी सफलता और उपलब्धि किसी भी रूप में कम नहीं है। सरकार को इस पर गर्व करना चाहिए। मुझे दुःख है कि कल जब दिनेश जी असम में बाढ़ की स्थिति का उल्लेख किया, मैं कह सकता हूं कि बाढ़ की तुलना सूखे से नहीं की जा सकती है। सूखे की स्थिति कभी एक बार आती है किन्तु बिहार, बंगाल और असम में बाढ़ की स्थिति एक वार्षिक घटना, बार-बार होने वाली घटना बन चुकी है और इसलिए हमें इसे सूखे को निपटने के स्तर पर नहीं लेना चाहिए बल्कि नदियों और नालों के जल को दूसरी ओर मोड़ने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना होनी चाहिए ताकि यह स्थिति हर साल उत्पन्न न हो।

अब मैं पंजाब की बात करता हूं। मैं समय-समय पर पंजाब की स्थिति पर अपने विचार प्रगट करता रहा हूं। मैंने अपेक्षा की कि जब भी हम पंजाब जाते हैं वहां कुछ सुधार होना चाहिए और मैं महसूस करता हूं कि सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए भरसक प्रयत्न किया है। मेरा घर अमृतसर जिले में है और मेरा निर्वाचन क्षेत्र फिरोजपुर है और दोनों ही सीमावर्ती जिले है। लेकिन यह बड़ी ही निराशाजनक बात है कि पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों और अन्य सभी के प्रयासों के बावजूद जब भी मैं अपने घर गया वहां के लोगों को उदास देखा। वे सभी हतोत्साहित और उदास हैं। जब भी मैं वहां जाता हूं लोगों को और अधिक हतोत्साहित पाता हूं। मुझे कहना पड़ता है कि वहां के लोगों की भूमिका बहुत ही निराशापूर्ण रही है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है, "हम आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक कि पंजाब से आतंकवाद का सफाया नहीं हो जायेगा।" आतंकवाद का सामना करने के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली हथियार जनता स्वयं है। आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए पंजाब के लोग दृढ़ है और उन्होंने साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखा है। हर कोई वहां के लोगों की भूमिका को जानता है।

आतंकवादी लगातार कोशिशों के बावजूद विभिन्न सम्प्रदायों के बीच साम्प्रदायिक मेलभाव की भावना उत्पन्न नहीं कर पाये हैं। समस्या यह है कि सीमा पर हमारी निगरानी और कांटेदार तार की बाड़ों के बावजूद आतंकवादियों का समूह खुले दिन में भी खतरनाक हथियारों से लैस होकर लोगों को डराने के लिए और प्रशासन तथा पुलिस को हतोत्साहित करने के लिए गांव-गांव घूमा करते हैं। पंजाब में इस समस्या का ही हम लोग सामना कर रहे हैं। कल ही मैं श्री दिनेश कुमार द्वारा लिखा गया एक स्तम्भ 'टाइम्स आफ इण्डिया' में पढ़ रहा था। सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति का उन्होंने पूर्ण वर्णन किया था। वह कहते हैं कि कुख्यात आतंकवादी नेता श्री गुरबचन सिंह मनोचाहल और श्री वासन सिंह जफरवाना आजादीपूर्वक घूमते हैं और वे लोग पाकिस्तान में शरण ले रहे हैं। पहले भी उन्होंने एक समूह का, जबकि बहुत से समूह हैं जिक्र करते हुए कहा कि सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ जारी है और वे देश में हथियारों की तस्करी करते हैं। दो सप्ताह पहले पकड़े गए तीन घुसपैठियों ने

कबूल किया है कि उन्होंने इस महीने के पहले सप्ताह में हुए कुल 11 हथियारों जिसमें चार ए के-47, तीन थॉम्पसन मशीनगनें और चार रिवाल्वर । पिस्तौल के अतिरिक्त अत्यधिक मात्रा में गोला बारूद की तस्करी में सहायता की है । समाचार स्तम्भ में यह भी कहा गया है कि आतंकवादियों के दूसरे समूह भी हमारे देश में अत्यधिक मात्रा में हथियार ले आये हैं ।

केवल यही एक अकेला मामला है जिसे हमारे ध्यान में लाया गया है हमारे देश में राजस्थान सीमा, काश्मीर सीमा और अन्य सीमाओं के सैकड़ों मामले हैं । जो कई स्थानों पर असुरक्षित और कर्मीदल रहित है । पाकिस्तान में चुनावों के बाद, श्रीमती बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी तो हमने सोचा कि वे इन बातों पर ध्यान देंगी । फर्क केवल यह देखा गया है कि पहले पाकिस्तानी रेंजर प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे और अब वे केवल उन्हें गाइड करते हैं । वे इन आतंकवादियों का मार्गदर्शन करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं । अतः देश में चोरी छिपे हथियार लाने और तस्कर गतिविधियों को रोकने में इतना सुधार नहीं हुआ है । फर्क केवल यह है वे देश में चोरी छिपे लाए जा रहे कुछ हथियारों को पकड़ने में अनदेखी कर रहे हैं । यह बात पुलिस अधिकारियों द्वारा कुछ आतंकवादियों से लगातार पूछताछ के बाद पता चली है । लेकिन सच्चाई यह है पाकिस्तानी रेंजरों की मिलीभगत से हथियारों की सप्लाई और आतंकवादियों की घुसपैठ जारी है ।

पाकिस्तान में चाहे जिया की सरकार थी या श्रीमती बेनजीर भुट्टो की सरकार हो, इससे कोई अन्तर नहीं है । लेकिन जहां तक हमारे देश में चोरी छिपे हथियार लाए जाने और घुसपैठ का सम्बन्ध है उससे कोई इतना अधिक अन्तर नहीं आया है । आपने पढ़ा होगा कि वे पिछले कुछ सप्ताहों से अन्य तरकीबें अपना रहे हैं । पहले वहां रात को पुलिस राज नहीं था । अब दिन में भी आतंकवादी खुले रूप में 15 से 20 के ग्रुप में अति आधुनिक हथियार लेकर गांवों में घूमते हैं । उन्हें कोई चेक नहीं करता है । उन्होंने हाल ही में बहुत से पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण किये थे । जैसा कि आपने आज के समाचारपत्र में पढ़ा होगा उन्होंने चाभल पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया जो मेरे गांव के क्षेत्राधिकार में आता है उन्होंने केवल एक ही बार आक्रमण नहीं किया बल्कि दो या तीन बार आक्रमण किया है । अतः, क्या किया जाये ? राष्ट्रपति जी ने सुझाव दिया था कि हम इस समस्या को बातचीत द्वारा सलाह मशविरा करके सुलझा सकते हैं । लेकिन सलाह मशविरा किसके साथ किया जाये । अकाली दल के बहुत से गुट हैं प्रत्येक गुट अपनी बात करता है । हाल ही में कुछ नेताओं ने एकता का प्रयास किया था जो अब पूरी तरह से असफल हो गया है । श्री बरनाला के वक्तव्य के अनुसार उनकी एकता असंभव है । यही बात कल समाचार पत्रों में भी आई है । ऐसी स्थिति में क्या किया जाये । खालिस्तान कमांडो फोर्स, भिंडरावाला टाइगर्स लिबरेशन फोर्स ऐसे बहुत से आतंकवादी ग्रुप हैं । यद्यपि उनका उद्देश्य केवल लोगों को मारना और आतंकवाद फैलाना है । वे अपने ग्रुपों को नियंत्रित करने में अलग तरीका अपनाते हैं प्रत्येक के अपने कार्यक्रम हैं । अतः किससे बात की जाये ?

ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमन्त्री जी ने पिछले सितम्बर में जलन्धर में घोषणा की थी कि वह विभिन्न विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाएंगे, केवल यही एक तरीका रह गया है इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए । अब भी इतनी देर नहीं हुई है अगर वे सभी विपक्षी दलों को निमंत्रित करते हैं और मेरे विचार से अब वह उनसे मिले और उनके सामने सारी स्थिति रखे और उनसे चर्चा करे कि क्या हुआ है और अब स्थिति क्या है तो पाकिस्तान में सरकार बदलने के बारे में हमें सन्तोष नहीं है । जहां तक सीमा और आतंकवाद का सम्बन्ध है, मेरे विचार से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

[डा० जी एस० ढिल्लों]

उन्हें इसकी स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए, उन्हें उनके सामने सही तथ्य रखने चाहिए और उनसे सलाह करनी चाहिए। अब, अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हो जायें और एक संयुक्त मोर्चा बनायें और आगे आकर लोगों से इस आतंकवाद का सामना करने की अपील करें तो कुछ परिणाम निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा है हम समझौते, बातचीत और विचार विमर्श से कुछ हल निकाल सकते हैं तो यह असम्भव है बातचीत किससे की जाए? विकल्प केवल यह है, चाहे हमारी इच्छा हो या न हो, कि हम इसका सामना करेंगे। अगर आपने आतंकवाद के इतिहास को पढ़ा है—महोदय, पंजाब की इस स्थिति के बाद, मैंने अन्य देशों में विभिन्न आतंकवादी आंदोलनों का इतिहास पढ़ा है उत्तर आयरलैंड में, मैंने पढ़ा है कि यह पिछले कुछ दशकों से चल रहा है। मैंने बास्क आन्दोलन का इतिहास पढ़ा है स्पेन में बास्क आतंकवादी हुए फिर कुर्द आतंकवादी हुए। कुर्द अब चार भागों में विभाजित हो गए हैं। वे इरान और ईराक के लिए ही नहीं बल्कि टर्की के लिए भी आतंकवाद का एक स्रोत है। उनमें से कुछ उनकी सहायता कर रहे हैं और उनमें से कुछ उनकी निन्दा कर रहे है। लेकिन इतिहास काफी लम्बा है और मैं महसूस करता हूं कि जैसा आतंकवाद पंजाब में है, यह आतंकवाद शीघ्र रोका नहीं जा सकता क्योंकि जैसा हम कहते हैं, आतंकवाद बहुत से लोगों का पेशा बन गया है। वे लूटपाट करते हैं और डकैतियां डालते हैं और कभी-कभी आपसी बैर के कारण हत्याएं की जाती हैं। उनकी प्रबन्ध व्यवस्था में ये बातें लगातार होती रहती हैं। लोगों के बीच विश्वास उत्पन्न किया जाये, उन्हें संरक्षण दिया जाए, उनके लिए लड़ा जाये केवल यही विकल्प है। उनके विचार अन्य नीति मामलों में जैसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों में भी अलग हो सकते हैं। लेकिन सभी दलों को एकजुट होना चाहिए और आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। अगर अकाली दल, बरनाला और एकीकृत अकाली दल एक जुट हो जाते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। उन्हें भी सलाह मशविरा के लिए बुलाया जाना चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट की जानी चाहिए।

सरकार को उनके निश्चय के बारे में पूछना चाहिए। अगर वे संविधान के अन्तर्गत बात करते हैं और हथियारों को सौंप देते हैं तो उन्हें आमंत्रित करना चाहिए हमें जानना चाहिए वे क्या चाहते हैं चाहे यह एकीकृत अकाली दल या लोंगोंवाल ग्रुप का स्त्री दल है या ऐसे बहुत से दल हैं। हमें जानना चाहिए विपक्ष में बने रहकर वे क्या चाहते हैं अगर वे आतंकवादियों की सहायता नहीं करते, अगर वे कुछ नहीं चाहते तो उनकी छोटी अथवा बड़ी शिकायतों को दूर किया जाना चाहिए। उन्हें प्रधानमन्त्री द्वारा प्रस्तावित सलाह मशविरों में शामिल होने का स्वागत करना चाहिए यह बात पहले से ही निश्चित है। जब प्रधानमन्त्री जी जलन्धर में थे उन्होंने कहा था, "चार या पांच दिनों में हम उन्हें सलाह मशविरे के लिए बुलाएंगे" मुझे पता नहीं बाद में उसका क्या हुआ। श्री चिदम्बरम और उनके सहयोगी भली प्रकार जानते हैं, कि इसमें देरी क्यों हुई है। मुझे मालूम है प्रधानमन्त्री के भाषण के बाद कुछ समस्याएं उठी थीं। लेकिन मामले को बीच में ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे भविष्य में होने वाले चुनावों को ध्यान मे रखकर निश्चय किया जाये। सभी राजनीतिक दलों से सलाह की जानी चाहिए। यह तात्कालिक समस्या है। पंजाब में प्रत्येक व्यक्ति शान्ति चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति हमसे पूछता है, पंजाब का क्या होगा; आपका समाधान क्या है, आपके प्रधानमन्त्री जी क्या सोच रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है। महोदय, हम उन्हें संतुष्ट करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए उपाय किये गये हैं हमारी नीति आतकवाद को रोकने की है।

अन्ततः व्यवहारिक कदम उठाये जाने चाहिएं जिससे कि लोग सोचें कि कुछ किया जा रहा है। इस मामले में सुस्ती नहीं की जानी चाहिए हमें लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि हम उनके साथ हैं। हमें प्रत्येक दल से बात करनी चाहिए। हम एक ऐसी नीति तैयार कर रहे हैं जो कि आतंकवादियों के विरुद्ध लोगों की सहायता करने में सहायक हो सकती है।

पंचायत चुनावों के बारे में मैं प्रसन्न हूं कि मतदाताओं के लिए आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ऐसा बहुत से देशों में किया गया है। हमें देखना है कि यह हमारे देश में कहां तक उचित है। कानून पारित कर दिया गया है। आने वाले पंचायत चुनावों या विधानसभा या संसदीय चुनावों में इन युवा लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किये जाने चाहिएं। जिससे कि वे राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हो सकें पंजाब में भी राज्यपाल ने चुनावों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने पंचायतों के चुनावों की घोषणा की थी। लेकिन बाद में, वे स्थगित हो गये थे। सभी दलों ने पंजाब में पंचायत चुनावों का विरोध किया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि गांवों में आतंकवादी एक गांव से दूसरे गांवों में घूमते हैं और गांव वालों को एक सूची देते हैं कि ये उनके उम्मीदवार हैं। अगर हम चुनाव कराते हैं तो मेरी राय में, अगर आतंकवादी सफल हो जाते हैं तो स्थानीय स्तर पर उनका नियमित अधिकार हो जायेगा पंचायत, समिति और जिला परिषद स्तरों पर आतंकवादियों का अधिकार हो जायेगा। लेकिन हम उनसे कब तक डरते रहेंगे ? यही समस्या है। अब मैंने अपनी राय बदल ली है. पहले मैंने भी सोचा कि इससे आतंकवादियों को एक आधार मिल जावेगा। लेकिन हम इसे कब तक नजरअन्दाज करेंगे ? अब यह समय है कि इनसे डरना नहीं चाहिए। हमें तुरन्त ही चुनाव कराने चाहिए। जीत चाहे किसी की भी हो। लेकिन वे लोग ऐसी स्थिति में नहीं होने चाहिएं जिससे कि वे कह सकें कि वे सरकार को निष्क्रिय बना रहे हैं; वे पंचायत चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। हमें स्पष्ट रूप से इस चुनौती का मुकाबला करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले कई दिनों से पक्ष और विपक्ष दोनों के भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था।

मान्यवर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से हमें बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने देश के उन महत्वपूर्ण मुद्दों को छुआ है, जिन मुद्दों के द्वारा हमारे देश का विकास हुआ है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है और देश के गरीबों का उत्थान हो रहा है। शुरु में ही उन्होंने जो देश के निर्माण की आधारशिला रखने वाले स्वर्गीय पण्डित नेहरु की चर्चा की है, वह बहुत समीचीन है क्योंकि यह नेहरु जन्म शती वर्ष है। उसके बाद लगातार श्रीमती गांधी और उनके बताये गये रास्तों का जिक्र किया है तो यह स्वाभाविक है कि यह सदन उनका धन्यवाद करे।

मैं बहुत पुरजोर शब्दों में श्री वी० एन० गाडगिल द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का, जिसका दूसरे साथियों ने समर्थन किया है, समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक स्थगित होगी आप अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात् जारी रख सकते हैं।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.06 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

— (जारी)

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की मूल नीतियों को निदेशन के रूप में देश को बताया है। इसमें 51 पैराग्राफ हैं, इन 51 पैराग्राफों में सारे विषयों को सक्षम रूप में वर्णित किया है। जब उन्होंने अपना अभिभाषण शुरू किया तो स्वभाविक है, अपने अभिभाषण में इस शताब्दी वर्ष में स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरु के संबंध में, जिन्होंने देश के निर्माण की आधारशिला रखी, उनकी चर्चा की। उसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की भी चर्चा की। इसलिए स्वभाविक है कि हम उनके अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दुनिया के जितने भी अच्छे अर्थ-शास्त्री, ब्लड-बैंक, रिजर्व बैंक और अपने देश के अर्थ-शास्त्री ये सब महसूस करते हैं कि पिछले चार वर्षों में जिस प्रकार से हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था बढ़ी है, जिस तरह से उसमें सुधार आया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उस स्थिति में जब कि देश में पिछले वर्षों में सूखा और पिछले वर्ष इस शताब्दी का सबसे बड़ा सूखा होने के बावजूद भी प्रसन्नता की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था 3.6 प्रतिशत बढ़ी है। यही नहीं सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो हमने लक्ष्य रखे थे, उन लक्ष्यों से भी आगे हम अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सफल हुए हैं। यदि आप देखें, तो हमारी उपलब्धता कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में हुई है, एक ऐसी कुशलता आई है, जिससे निश्चित तौर से हम जो आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाने जा रहे है, उसमें हमारा उत्साह बढ़ा है और हमें ताकत मिली है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मोनिटरिंग की है अपनी अर्थव्यवस्था की, वह उल्लेखनीय है। आखिरकार क्या यह अभूतपूर्व सफलता नहीं है। पिछले 40 वर्षों में अच्छा समय भी रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नहीं सुधरी, अगर आज जो सुधार किए हैं तो यह स्वाभाविक है कि जनता सरकार के ढाई वर्षों से भी तुलना कर लें। जहां वहां पर कृषि क्षेत्र में 5 परसेंट अधिक उत्पादन घाटा था और औद्योगिक क्षेत्र में 0.4 परसेंट घटा था, आज यहां पर शताब्दी का सबसे बड़ा सूखा है, तो औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में 12 प्रतिशत बढ़ा और औसत भी 8 परसेंट बढ़ा है। कृषि उत्पादन को भी आप देखें तो उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। आज हमें गर्व करने का मौका मिला है और मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सही चित्र देश के सामने, दुनिया के सामने रखा है। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि सूखा, सूखे ने हमको एक ऐसा सबक दिया है, जो हम लचीलापन अपनी अर्थव्यवस्था में लाए हैं, उसको आज हमें बर्दाश्त करने की ताकत है। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि हमारा देश हर परिस्थिति का सामना कर सकता है।

आपको याद होगा सुडान में और इथोपिया में और अन्य देशों में भी बहुत बड़ा भयंकर सूखा पड़ा था।

लेकिन हमारे देश में सूखे की समस्या से निपटने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि लोगों को भूखे नहीं मरने दिया। आप दूसरे देशों में देखें, वहां पर सूखे के कारण बहुत से लोग भूख से मर गये लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने अपने देश में एक आदमी भी भूख से नहीं मरने दिया। आज जिस प्रकार से हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है, उसके लिए वह निश्चित तौर पर बधाई की पात्र है और हम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी जो उपलब्धियां थीं, उसकी चर्चा की।

यही नहीं, अगर हम विदेश नीति को देखें, तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमने उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हमारे जो मूलभूत सिद्धान्त रहे हैं और विदेश नीति जो पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई थी, जिसको इन्दिरा जी ने आगे बढ़ाया था और जिसको राजीव जी आगे बढ़ा रहे हैं, उसके कारण हमारे जो अगल-बगल के पड़ोसी देश हैं, उनमें जो कड़वाहट थी और उनकी जो नाराजगी थी, हमने अपने व्यवहार से उसको ठीक किया है चाहे वह पाकिस्तान का मामला हो या किसी और दूसरे देश का। पाकिस्तान में नई सरकार बनी है। राजीव जी वहां गये थे और उनके जाने से एक नया वातावरण बना है और 34 वर्षों के बाद, जो बिगड़े हुए सम्बन्ध थे, उनमें सुधार आया है। चीन से जो हमारे सम्बन्ध थे उनमें हमने एक जेस्चर पैदा किया है, जिससे उनमें सुधार आया है। अफगानिस्तान के मामले में भी ऐसा हुआ है और श्रीलंका के बारे में जो हमने निर्णय लिए थे, उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है। आप देखें कि वहां नये तरीके से प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से सरकार बन गई है। ये निश्चित तौर पर हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं।

अपने देश का जहां तक प्रश्न है, इन चार-पांच वर्षों में, राष्ट्रपति जी ने ठीक ही संकेत दिया है, पूर्वोत्तर राज्यों में, मिजोरम, नागालैंड आदि में हमने वातावरण को ठीक किया है और ये जो छोटे राज्य हैं और जो अलग-थलग पड़ गये थे, अपने प्रयासों से और अपनी नीतियों से उनको देश की मुख्य धारा में लाकर रख दिया है। हम गर्व से कह सकते हैं कि इन पूर्वोत्तर राज्यों में आज कांग्रेस की सरकार है। क्या यह कम उपलब्धि है? इसी तरह से जितनी भी अलगाववादी ताकतें थीं, जो कि यह प्रयास कर रही थी कि देश टूट जाए, हमने पिछले चार-पांच वर्षों में उनके प्रयास को विफल किया है और वहां की जो समस्याएं थीं, उनका निराकरण किया है। चाहे असम का मामला हो, चाहे नागालैंड का मामला हो, चाहे मिजोरम का मामला हो, और चाहे कश्मीर के कुछ हिस्सों का मामला हो, हमने उनको हल करने का प्रयास किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने के लिए न केवल प्रधानमंत्री जी ने बल्कि हमारे राष्ट्रपति जी ने दर्जनों देशों का दौरा किया है और दर्जनों देशों के नेताओं के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया है और हमारे आपसी तालुकात बढ़े हैं और व्यापार और व्यवसाय भी बढ़ा है।

यह बहुत ही खुशी की बात है कि इस अप्रत्याशित सूखे में पिछले दो वर्षों में हमारा निर्यात बढ़ा है। निर्यात पिछले वर्ष 25 प्रतिशत बढ़ा है। इस तरह से 50 प्रतिशत निर्यात बढ़ा है। हमारे देश का नेता और हमारे देश की सरकार इस बात के लिए चिन्तित है कि निर्यात ज्यादा न होने की वजह से जो हमको तकलीफ हो रही थी, उसको दूर करें। हमने औद्योगिक क्षेत्र में अपनी नीतियों का

[श्री राम प्यारे पनिका]

सरलीकरण किया और हमने कृषि उत्पादन बढ़ाया और इसमें हमने सफलता प्राप्त की है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन मुद्दों पर, जिन क्षेत्रों में हमारी कुछ कमजोरियां हैं, उसके लिए हमारी सरकार और हमारे देश का नेता बड़ा चिन्तित है। बैलेंस आफ पेमेन्ट का जो मसला है, उसके लिए हम चिन्तित हैं और ज्यादा निर्यात करके हमने सन्तुलन बनाने का प्रयास किया है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सूखे के कारण उन्नतशील देशों में जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसको रोकने में वे उतने सफल नहीं हुए हैं, जितना हमारा देश सफल हुआ है।

मान्यवर, आपको याद होगा कि इसी सदन में और सदन के बाहर देश के प्रधानमंत्री ने, पिछले साल जब देश में भयंकर सूखे की स्थिति थी तो यह कहा था कि हमारी सरकार का प्रयास होगा कि महंगाई को दो अंकों के अंदर लाया जाएगा। मुझे खुशी होती है कि पिछले वर्ष तमाम सरकारी प्रयासों के कारण महंगाई दो अंकों से नहीं बढ़ने दी गई। यह बात सही है कि पिछले कुछ महीनों में यह बढ़ी है। हमारा इतना बड़ा देश है। इसमें कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिनसे कुछ महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन हमने अपने देश में इन्फ्लेशन को क्या कंट्रोल नहीं किया? आज दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हैं कि भारतवर्ष जैसे देश ने जो कि एक डवलपिंग इकोनोमी वाला देश है कैसे बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया है।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में निश्चित तौर पर उन मूल बातों को कहा है जो देश में मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे मूल लक्ष्य क्या हैं और हम अपनी अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार ला रहे हैं। एक तरफ हम आगे देखकर आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा प्रयास है कि हमारे यहां जो सामाजिक विषमता है वह कम से कम होती जाए। हमने चार सालों में अपने देश से गरीबी उन्मूलन के लिए करोड़ों रुपये व्यय किये हैं। हो सकता है इसमें कुछ कमियां या खामियां रही हों। समय-समय पर सदन के सभी सदस्यों ने उन कमियों और खामियों की ओर सदन का ध्यान दिलाया है। मुझे खुशी है कि हमारे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों से देश की जनता को बहुत लाभ पहुंचा है। इस सदन और देश को यह जानकर खुशी होगी कि हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को चार सालों में पूरा कर लिया है और हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में और आगे बढ़ कर लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे है।

देश में जो सामाजिक विषमता है उसके लिए हम ऐसा नहीं कहते कि हमने उसको एकदम दूर कर दिया। लेकिन हमारी संकल्पना, परिकल्पना और हमारा संकल्प है कि हम इसको दूर करने की लड़ाई पूरे तौर पर लड़ने जा रहे हैं।

मान्यवर आप देखें कि किस तरह से हम उन तमाम कमजोरियों को जो कि देश में हैं दूर करने में लगे हुए हैं। लेकिन देश में कुछ विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बुरा नहीं कहा यदि उनका ध्यान दिलाने पर यह कहा कि ये विरोधी दल के कुछ लोग टेरोरिस्ट्स का समर्थन करते हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि अपर हाऊस के एक सम्मानीय सदस्य जो कि जनता दल के एक बहुत ऊंचे नेता हैं ने खालिस्तान जैसे प्रस्ताव के समर्थन में बात कही थी, उसकी मदद में बात कही थी। यदि देश का प्रधानमंत्री इस देश की जनता को सही तथ्य बताता है तो क्या गलती करता है।

आज विरोधी दल की क्या नीति हो गई है। मान्यवर, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके

पास कोई कार्यक्रम नहीं है। पिछले चार-पांच वर्षों से सरकार को बदनाम करने का ही कार्यक्रम चलाना चाहते हैं। पिछले चार सालों के प्रधानमंत्री के कार्य इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे। जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो कुछ लोग कहते थे कि उनको कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि उनके नेतृत्व में देश ने क्या-क्या उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर पर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की हैं। चाहे देश में से विषमता हटाने की बात हो, चाहे और कोई क्षेत्र हो वह सारे कार्य उनके स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे। हमने पिछले चार वर्षों में इन विरोधी दलों को भी देखा। इनके कोई सिद्धान्त नहीं हैं, कोई उसूल नहीं हैं। ये लोग साम्प्रदायिकता, जातीयता और क्षेत्रीयता वाली पार्टियों का गठन करके राष्ट्रीय मोर्चा बनाने की बात करते हैं। एक तरफ आंध्र प्रदेश में तुलुगु देशम पार्टी है, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट और दूसरी पार्टियां हैं उनका ये पिछले पांच सालों से राष्ट्रीय मोर्चा बनाने जा रहे हैं। मैं बधाई देता हूं अपने नेता को कि उन्होंने यह कहा कि आप राष्ट्रीय विकल्प की बात करते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन यह किस आधार पर बने? इन थोड़े ही दिनों में आज जो स्थिति इन विरोधी दलों की है उससे यह पता चलता है कि इनके सामने कोई मुद्दा नहीं है, इनके सामने कोई कार्यक्रम नहीं है। इनके सामने एक ही कार्यक्रम है। उस सरकार को जिसने इतनी दिक्कतों और कठिनाइयों से पार उतरकर, बिना विकास की गति को धीमा किए देश को आगे बढ़ाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में 51 पैरे हैं और इनके अन्दर सरकार की सारी नीतियां निहित हैं। यह एक संकेत मात्र होता है, इसके पहले इकनामिक सर्वे भी निकल चुका है, इसके बाद बजट पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्थिति का इसमें विवेचन किया गया है, कहीं पर कमियां रह गई हैं तो उन कमियों को भी छिपाया नहीं गया है। बैलेंस आफ पेमेंट की कठिनाई है तो उसके बारे में भी कह दिया गया है, आयात-निर्यात में असंतुलन है, इसका संकेत भी इसमें दिया गया है, कहीं कुछ छिपाया नहीं गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक राष्ट्रीय अपमान है कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही हो तो सदस्य बाहर चले जाएं, कोई ऐसी बात नहीं थी, प्रधानमंत्री जी ने बाद में सुधार भी लिया था।

अन्त में मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोबिचेट्टिपायम) : महोदय हम 21 फरवरी 1989 को संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के आभारी हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस देश में गरीबी तथा आतंकवाद दूर करने के लिए कोई महत्वपूर्ण योजनाएं नहीं लाई गई है। राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण के पृष्ठ 2 पर उन्होंने कहा है; "हमारा सीधा प्रहार गरीबी पर है।" जहां तक गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, हमारे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम है। लेकिन स्वतन्त्रता के 40 वर्षों पश्चात् हम इस देश में गरीबी दूर करने में असमर्थ रहे हैं। गरीबी दूर करने के लिए सरकार के पास कौन से ठोस कार्यक्रम हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं किया गया है।

पृष्ठ 3 पर एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह कही गई है; "हम वास्तव में आतंकवाद को दूर करने के लिए कृत-संकल्प है।" 1985 से पहले, मैंने भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिये गये प्रत्येक अभिभाषण

]श्री पी० कुलनदईवेलू]

को पढ़ा है। इस अभिभाषण में इस देश में आतंकवाद को दूर करने के बारे में कहा गया है। लेकिन पिछले चार वर्षों से सरकार आतंवाद को दूर करने में असमर्थ रही है। आतंकवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम गरीबी और आतंकवाद जैसी बातों के लिए सम्मबद्ध निर्धारित कार्यक्रम बनाने चाहिए। हमें इन बातों को समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत समाप्त करना चाहिए। क्या आपके पास इस देश से गरीबी हटाने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव हैं। यहां तक इस देश की गरीबी का सम्बन्ध है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सबमें गरीब लोगों के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन कार्यक्रमों का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों तक पहुंच रह है? हालांकि हमारे पास ऐसे आंकड़े उपलब्ध है कि लाखों-करोड़ों लोगों की सहायता की जा रही है। किन्तु गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की सहायता करने के बावजूद भी उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है रहा ऐसी प्रवृति हमेशा रही है।

दो या तीन अन्य महत्वपूर्ण बातों का भी उल्लेख किया गया है। मतदान की आयु को घटाने के सम्बन्ध में संसद में प्रस्तुत किए गए विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। तमिलनाडु में यह कार्य बहुत पहले मुख्यमन्त्री स्वर्गीय श्री एम० जी० आर० के शासन काल,—वर्ष 1982—में हो गया था। हमने नगर-पालिका के चुनावों के लिए आयु सीमा कम कर दी। हालांकि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए सरकार ने पहल की है। यह स्वागत योग्य कदम है। इससे इस देश के नवयुवकों की आकांक्षाएं पूरी होगीं। देश में नवयुवकों की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। वास्तव में मतदान की आयु घटाकर नवयुदकों की आकांक्षाएं पूरी की जा रही हैं।

दूसरा स्वागत योग्य कदम हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी द्वारा अपने शासन काल में चुनाव सुधार विधेयक लाया जाना है।

सूखे और बाढ़ की स्थिति का हर वर्ष सामना करना पड़ता है। क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई स्थायी धनराशि की व्यवस्था की है? हमें बार-बार सूखे और बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इन दोनों प्राकृतिक विपदाओं से लोग कष्ट भोग रहे हैं और सम्पत्ति का नुकसान होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सूखे और बाढ़ के लिए किसी ठोस प्रस्ताव की बात नहीं कही गई है और इनके लिए किसी स्थायी धनराशि की भीव्यवस्था नहीं की गई है।

जहां तक किसानों का सम्बन्ध है कृषि उत्पादों के लिए कोई निश्चित कीमतें तय नहीं की गई हैं। कृषि उत्पादों को मंडी से बाहर भी बेचा जा सकता है। फिर भी किसान उत्पादन लागत के अनुसार अपने उत्पादों को उचित कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि हम मुख्यत: कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। किसान दिन-भर कठिन परिश्रम करते हैं किन्तु उन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलता। इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख किया गया है कि बैंकों को 10,000/-रुपये तक ऋण देने के लिए कहा गया है। किन्तु जिन लोगों के पास दस से पन्द्रह एकड़ भूमि है और जो अपनी भूमि पर गन्ना तथा धान उगाते हैं उन्हें 10,000/-रुपये ऋण देने का क्या लाभ है? मुझे मालूम है कि गन्ने की प्रति एकड़ उत्पादन लागत 8000 से 9000 रुपये होगी। किंतु आप केवल 10,000/-रुपये ही दे रहे हैं। यदि मेरे पास दस एकड़ भूमि है तो कम से कम आपको एक लाख रुपये चाहिए। ऐसा सम्भव क्यों नहीं हो सकता? इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसानों

को केवल 10,000/-रुपये तक ऋण लेने की अनुमति है। इसलिए ऋण के सम्बन्ध में यह राशि 10,000/-रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की जानी चाहिए।

ऋण ग्रस्तता के कारण अधिकांश किसान अपनी फसलें उगाने में असमर्थ है। उनके ऋण माफ किए जाने चाहिए। इन ऋणों को माफ किए जाने के सम्बन्ध इसमें क्या ठोस प्रस्ताव हैं? हमारे पड़ौसी राज्य, हरियाणा के मुख्यमन्त्री श्री देवी लाल ने कर्जे माफ करने में पहल की है। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आपको किसान समुदाय के लिए ऐसा करना चाहिए जोकि हमारे देश की रीढ़ है। क्या हम किसान समुदाय की सहायता कर रहे हैं? नहीं हम उनकी बिल्कुल सहायता नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि कर्जे माफ करके किसानों की सहायत करे।

बेरोजगारी की बात करे तो लाखों शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। इस अभिभाषण में बेरोजगारी उन्मूलन के लिए भी कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। आपने यह नहीं कहा कि शिक्षित तथा अशिक्षित लोगों के लिए कितनी नौकरियों के अवसर पैदा किये हैं खाद्य प्रसाकरण उद्योगों के शुरू किये जाने के बावजूद भी सरकार ने किसानों के लिए कोई निश्चित मूल्य निर्धारित नहीं किए है जबकि अन्य सभी वस्तुओं की भांति उत्पादन लागत और आदानों की लागत में भारी वृद्धि हो रही है। अपने एक नई बीज नीति तैयार की है। बीज नीति के सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि यह नीति केवल कागजों में ही है। इस नीति की घोषणा करने इसके कार्यान्वियन के बीच भारी अन्तर है। यह अन्तर हमेशा से रहता आया है। अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वियत करने के लिए आपको ठोस कदम उठाने चाहिए। यद्यपि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आप हर-दिन किसी न किसी नीति की घोषणा करते हैं तथापि इन नीतियों को लागू नहीं किया जा है।

अर्थव्यवस्था के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक मूल्य है और दूसरी भुगतान शेष है। मूल्य में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और आप उन्हें रोकने में असमर्थ रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बिना किसी रोक-टोक के बढ़ रही है। भुगतान शेष के सम्बन्ध में हम जानते हैं कि हमने अन्य देशों से कितना धन उधार लिया हुआ है। हमने हजारों-लाखों करोड़ रुपया उधार लिया हुआ है। भुगतान शेष के सम्बन्ध में स्थिति बहुत ही नाजुक है।

आंकड़ों के अनुसार लाखों किसानों और खेती हर मजदूरों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाया जा रहा हैं। किंतु यह केवल कागजी कार्रवाई है। लाभ कुछ गिने-चुने लोगों तक ही पहुंचता है न कि सभी लोगों को सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों और इनके क्रियान्वियन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय आवास नीति का उल्लेख किया गया है हालांकि, इस नीति पर अभी तक लोकसभा में चर्चा नहीं की गई है; वास्तव में इस पर केवल राज्य में चर्चा की गई है। इसे अभी तक लोक सभा ने स्वीकार नहीं किया है। आपने इसका उल्लेख इस प्रकार किया जैसे कि इसे संसद ने पारित कर दिया है। ऐसी बात नहीं है। केवल राज्य सभा ने ही इसे स्वीकार किया है किंतु दूसरे सदन, लोक सभा, ने इसे स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय आवास नीति का उल्लेख किया जाना गलत है। मैं प्रधान मंत्री से इस पैराग्राफ को निकालने या इसमें उपयुक्त संशोधन किए जाने का अनुरोध करता हूं।

इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की बात को लीजिए। आपने यह कहा कि अभी तक 256 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं। पिछले वर्षों से आप केवल इतने ही विद्यालय खोल सके हैं। और

[श्री पी० कुलन्दईवेलू]

विद्यालयों के बारे में क्या हुआ ? आप अब त्रिभाषा फार्मूला अपना रहे है और अधिकांश राज्यों ने इसका विरोध किया है। तमिलनाडु हमारे स्वर्गीय मुख्य मन्त्री और अन्ना द्रविड़ आन्दोलन के संस्थापक का द्विभाषी फार्मूला अपना रहा है। जब तक द्विभाषी-फार्मूला लागू नहीं होगा तब तक हम इस शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं प्रधान मन्त्री से यह आश्वासन देने का अनुरोध करता हूं कि जब तक गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्र ऐसा नहीं चाहते तब तक उन पर हिंदी नहीं लादी जाएगी। यह आश्वासन संविधानिक रूप से दिया जाना चाहिए और इसके लिए संविधान में भी संशोधन किया जाना चाहिए।

आपने पृष्ठ संख्या 11 पर आठवीं योजना की तैयार का उल्लेख किया और यह कहा कि योजना जिला स्तर से शुरू करके ऊपर तक लाया जाएगा। यहां तक कि प्रधान मन्त्री भी जिला स्तर की योजना के बारे में ही जोर दे रहे थे। मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि हमारी योजना जिला स्तर की बजाए ग्राम स्तर से शुरू करके ऊपर की ओर लायी जानी चाहिए यह गरीब किसानों और सबसे गरीब लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगी। मैं माननीय प्रधान मन्त्री से देश को समृद्ध बनाने के लिए तत्काल और तेजी से कार्य करने का अनुरोध करता हूं।

राष्ट्रीय के अभिभाषण में भारत-श्रीलंका समझौते का भी उल्लेख किया गया है। मैं माननीय प्रधान मन्त्री का इस सम्बन्ध में आभारी हूं कि उन्होंने श्री लंका के उत्तर-पूर्वी प्रदेशों में तमिलों की समस्याओं को हल करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच 29 जुलाई 1987 को यह समझौता किया। वहां चुनाव हुए और एक नए मुख्य मंत्री ने कार्य भार संभाल लिया। संसदीय चुनाव भी हो चुके हैं। किन्तु इसके साथ ही सात वर्ष की अवधि बीत जाने के बावजूद भी टाइगरस की समस्याओं का कोई समाधान अभी तक नहीं निकाला जा सका है। लिबरेशन के टाइगरस ऑफ तमिल ईलम की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। हर-रोज 'टाइगर' के लोग मारे जा रहे हैं और भारतीय शांति सेना के लोग भी मारे जा रहे हैं। समस्या जारी है। इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। क्योंकि इस बार प्रधानमन्त्री द्वारा पहल की गई थी अतः उन्हें ही इस समस्या का समाधान करना चाहिए और तुरन्त ही इस मसले को निपटाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। राष्ट्रपति महोदय ने इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हमारे देश में ऐसे लाखों गांव हैं जिनमें पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस समस्या का समाधान तुरन्त ही किया जाना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा तुरन्त ही कार्यवाही की जानी चाहिए।

नीति की घोषणा और उसके कार्यान्वयन के बीच गम्भीर खामियां रह गई हैं। आप बहुत सी नीतियों की घोषणा कर रहे हैं परन्तु मुख्य बात यह है कि क्या इन नीतियों का कार्यान्वयन पूर्णतः किया जा रहा है अथवा नहीं। आप नीतियों का कार्यान्वयन उस गति से नहीं कर रहे है जिस गति से आप उनकी घोषणा कर रहे हैं। मैं भारत सरकार और प्रधानमन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में कुछ कार्यवाही करें। जब उन्होंने भारत के प्रधानमन्त्री का दायित्व संभाला था तो प्रत्येक व्यक्ति ने यह सोचा था कि वह एक नौजवान और गतिशील प्रधानमन्त्री है जो थोड़े से समय में ही लोगों की सभी आकांक्षाओं को पूरा कर देंगे। परन्तु उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। आपको गांव के स्तर तक जाकर गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए केवल तभी समस्या का समाधान किया जा सकता है।

कांग्रेस दल के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मन्त्री महोदय कांग्रेस दल के अध्यक्ष हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस दल एक महान दल है परन्तु कांग्रेस दल को एक क्षेत्रीय दल के रूप में सामने नहीं आना चाहिए। कांग्रेस दल में आन्तरिक लड़ाई जारी है। आप इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करते ?

श्री विपिन पाल दास (तेजपुर) : आपको इस बारे में क्यों चिंतन हैं ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : जी हां, मैं इस समस्या से चिंतत हूं क्योंकि उन्होंने प्रधान मन्त्री और दल के अध्यक्ष के रूप में निश्चित रूप से एक मित्र अथवा शुभ चिन्तक के तौर पर 3 बार तमिलनाडु का दौरा किया है। परन्तु दल को मजबूत बनाने के लिए जब आप धन अथवा पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो मुझे इस बारे में चिन्ता है। एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से मुझे इस पर आपत्ति है। प्रधान मन्त्री महोदय ने ऐसा किया है। परन्तु तमिलनाडु में कांग्रेस की क्या स्थिति है ? आप तमिलनाडु में पुन: कामराज शासन की स्थापना करना चाहते थे। जिस समय मतदान आयु को कम करने के बारे में विधेयक प्रस्तुत किया गया था उस समय मैंने यहां भाषण दिया और प्रधान मन्त्री महोदय को यह बताया था कि केवल इस शताब्दी में ही नहीं अपितु अगली शताब्दी में भी कांग्रेस दल तमिलनाडु में शासक दल नहीं बन सकता। अत: अब तमिलनाडु में कांग्रेस दल की क्या स्थिति है ? अब कांग्रेस दल वहां तीसरे स्थान पर है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हमने वहां 26 प्रतिशत मत प्राप्त किये हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : हां, परन्तु आप तीसरे स्थान पर है। प्रधान मन्त्री द्वारा कई बार तमिलनाडु का दौरा किये जाने और वहां कई बार जन समूह को सम्बोधित किये जाने के बावजूद दल की क्या स्थिति रही। कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आप इसके लिए क्या कह सकते हैं ? अब तमिलनाडु में कांग्रेस की यह स्थिति है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : वहां आपके दल की स्थिति कैसी है ?

श्री पी० कुलनदई वेलू : मेरे दल की स्थिति बहुत मजबूत है। हमारा दल वहां प्रमुख विरोधी दल है और हमने लगभग 50 लाख मत प्राप्त किये थे जबकि आपने लगभग 40 लाख मत ही प्राप्त किये थे। आपकी स्थिति तीसरी है। मैं प्रधान मन्त्री अथवा इस सरकार पर दोष नहीं लगा रहा हूं अपितु मैं उन लोगों पर दोष लगा रहा हूं जो प्रधान मन्त्री महोदय के इर्द-गिर्द हैं और जो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। मैं यही बात कहना चाहूंगा। मैं कई बार यह बता चुका हूं कि जब तक किसी अन्य दल के साथ सन्धि नहीं की जाती है तब तक आप तमिलनाडु में सत्ता में नहीं आ सकते हैं। क्या मध्य प्रदेश गुजरात अथवा राजस्थान में यह बात प्रतिबिम्बित नहीं हुई है ? कृपया इस बारे में विचार कीजिये। कांग्रेस दल एक बहुत बड़ा दल है। आपने इस देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसके साथ ही मैं आपको यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि यह आन्तरिक लड़ाई जारी रही तो आप कहीं के न रहेंगे। जहां तक अन्य दलों जनता दल और नेशनल फ्रन्ट का सम्बन्ध है वे दल अब उलझन और अव्यवस्था की स्थिति में हैं। मैं भली प्रकार यह जानता हूं कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। परन्तु यदि कांग्रेस में यह आन्तरिक लड़ाई जारी रहती है तो यह दल कहीं का न रहेगा। अत: कांग्रेस को मेरी निष्कपट सलाह यह है कि इस आन्तरिक लड़ाई को बन्द कर दिया जाये। मैं आपको इसलिए यह सलाह देता हूं क्योंकि किसी समय मैं स्वयं कांग्रेस में था मैं वर्ष 1953-54 में युवा कांग्रेस में था। आपको लोगों से उचित व्यवहार करना चाहिए।

श्री ए० चार्ल्स : इस फिजूलखर्च बेटे की वापसी का इन्तजार कर रहे हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं द्रविड़ों के आन्दोलन में सम्मिलित हूं।

महोदय, यह वर्ष जवाहर लाल नेहरू का शताब्दी वर्ष है। अपना दैनिक कार्य आरम्भ करने से पहले पंडित नेहरू एक बहुत अच्छे कवि द्वारा लिखित एक कविता की चार लाइने पढ़ा करते थे। मैं वे पंक्तियां उदधृत करना चाहता हूं :

"वन सुन्दर घने अंधेरे है, पर वचन निभाने हैं मुझको,
सोने से पहले मीलों चलना है मुझको सोने से पहले मीलों चलना है मुझको।"

इस कविता का क्या अभिप्राय है? आपने लोगों से बहुत से वायदे किये हैं। हमें लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए और अपने किये गये वायदों को भी पूरा करना चाहिए। और तुरन्त ही ऐसा किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में चुनाव के बाद हमारे मुख्य मन्त्री श्री करूणा निधि ने 28-1-89 को पद ग्रहण किया। अपना पद ग्रहण करने के तुरन्त बाद ही उन्होंने पहला कार्य यह किया कि उन्होंने सदाशिवम जांच पेनल, जांच आयोग को समाप्त कर दिया। मुख्य मन्त्री पद का कार्य भार सभालने के तीन दिन बाद ही हमारे माननीय करुणा निधी ने 22 फरवरी को आयोग को समाप्त कर दिया। इस आयोग की नियुक्ति उस घाटाले की जांच करने के लिए की गई थी जिसमें 1969-1976 के दौरान मुख्यमन्त्री महोदय सम्मिलित थे। उड़ीसा उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्ति मुख्य न्यायाधीश श्री रे की अध्यक्षता में वर्ष 1981 में एक अन्य आयोग की नियुक्ति की गई थी। डी० एम० के० के सांसदों की सहमति से उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्ति किया गया आयोग वैध था। उसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील की और वहां यह मामला लम्बित पड़ा है। अब उन्होंने आयोग को समाप्त कर दिया है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत तुरन्त ही मुख्य मन्त्री के विरुद्ध एक जांच आयोग नियुक्त किया जाये। श्री करुणा निधी क्या कार्य कर रहे हैं? अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए·····**·····1969 से 1976 तक हुए स्प्रिट घोटाले के सम्बन्ध में जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति करके तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए·····**·····

अपने भाषण को समाप्त करते समय मैं माननीय प्रधान मन्त्री से आम आदमी के लाभ के लिए कुछ ठोस सुझाव देने का अनुरोध करता हूं। इस वर्ष हमें चुनावों का भी सामना करना है। वित्त मंत्री महोदय यहां उपस्थिति हैं। कल वह बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया इस बजट को गरीबों और किसानों का बजट बनाइये। मैं केवल यही कहना चाहता हूं।

श्री विपिन पाल दास (तेजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं अपने मित्र श्री वी० एन० गाडगिल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। हम 5 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। इस देश में बहुत-सी समस्यायें हैं। इस देश में बहुत से धर्मों के लोग हैं। विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसके अनुयायी हमारे देश में न रहते हों। इस देश में 2000 भाषायें और बोलियां हैं। अतः इतनी विभिन्नताओं के होते हुए भी हम संगठित होकर इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में सफल रहे हैं। हम सभी मुद्दों और सभी कठिनाइयों पर काबू पाने में

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

सफल रहे हैं और वास्तविकता यह है कि हम एक अखंडित राष्ट्र के रूप में संगठित खड़े हैं और यह आधुनिक इतिहास की एक आश्चर्यजनक बात है।

हम 200 वर्षों तक उपनिवेशिक शासन के अधीन थे। उस अवधि के दौरान हमारा अतीत का गौरव समाप्त हो गया था। हमारी अर्थव्यवस्था को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था और हमारे देश के लोगों को अमानवीय बना दिया गया था। अतः जब हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की तो हमारे सामने कठिन समस्यायें थी, विकास के लिए कठिन कार्य सामने था। फिर भी स्वतन्त्रता के 40 वर्षों में हमारी उपलब्धि अद्वितीय रही है और इतिहास में इसकी कोई तुलना नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि समान आकार अथवा समान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के किसी भी देश ने गत 40 वर्षों में भारत के सामने उपलब्धि प्राप्त नहीं की है। यह एक रिकार्ड की बात है जिस पर हम सभी को गर्व है। राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण के अन्त में ठीक ही कहा है, मैं उनके भाषण को उद्धृत करता हूं :

> "हमें इससे सफलता मिलेगी और शीघ्र ही मिलेगी क्योंकि हमारी नींव ऐसे ठोस सिद्धान्तों पर है, जो हमें अपनी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता से विरासत में मिले हैं। ये ऐसे सिद्धान्त हैं जो हमारे स्वतन्त्रता संग्राम की भट्टी में तप कर खरे उतरे है और जिन्हें राष्ट्र-निर्माण के चालीस वर्षों में आजमाया और परखा गया है।"

उन्होंने इस देश की समस्त उपलब्धियों का सार उचित प्रकार से प्रस्तुत किया है। कांग्रेस की स्पष्ट विचारधारा स्पष्ट नीतियों सुविचारित कार्यक्रमों और नेतृत्व से मार्ग निर्देशन के कारण ही केवल 40 वर्षों में हम इतनी अधिक उपलब्धि प्राप्त कर सके है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं। अब वे संयुक्त हो चुके है। शक्तियों और तत्वों का इस प्रकार का असैद्धान्तिक मिश्रण बाहर से चाहे जितना शक्तिशाली दिखाई देता हो, उसमें आंतरिक रूप से अस्थिरता, विरोध और असंबद्धतः रहता है और उनकी उपलब्धि कुछ भी नहीं होगी। प्रतिदिन हम यह देख रहे हैं कि विरोधी दल में क्या घटित हो रहा है। इस प्रकार कृत्रिम पैबंध लगा हुआ मंच, कठोर यथार्तता का सामना करते ही नष्ट हो जायेगा। हम 1977 के परीक्षण को नहीं भूले है।

कुछ व्यक्ति कांग्रेस शासन के अन्तर्गत इस देश की उपलब्धियों को कम करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति अब तक की गई प्रगति का उपहास उड़ाते हैं वे वास्तव में हमारे उन किसानों श्रमिक वर्गों, दस्तकारों, अध्यापकों, अभियंताओं, वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों का अपमान करते हैं जिनकी मेहनत और पसीने से वर्तमान भारत का निर्माण हुआ है। सरकार द्वारा उचित निर्देशन देने के कारण ही यह सम्भव हुआ है।

राष्ट्रपति महोदय ने हमारी प्रगति का एक विस्तृत ब्यौरा दिया है और मैं उसे दोहराना नहीं चाहता।

हमने काफी प्रगति की है लेकिन अभी भी समस्याएं हैं। मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं। 1986 तथा 1987 में सूखे की अवस्था से बहुत अच्छी तरह निपटने और इस वर्ष वृद्धि दर को 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने में सफल होने तथा मुद्रास्फीति की दर को थोक मूल्य सूचकांक पर 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर 8 प्रतिशत करने में सफल होने के लिए सरकार बधाई की पात्र हैं जिस तरह इस अभूतपूर्व सूखे की स्थिति से निपटा गया वह एक मिसाल है और इसके लिए पूरे विश्व से उन्हें प्रशंसा मिली है। ये कम उपलब्धियां नहीं है। यह सच है कि मुख्य रूप से अच्छी मानसून के कारण वृद्धि दर में कृषि तथा खाद्यान उत्पादन ने सबसे

[श्री विपन पाल दास]

अधिक योगदान दिया है। यह बिल्कुल ठीक है; लेकिन केवल मानसून के कारण ही यह परिणाम नहीं मिला है। मानसून के साथ-साथ सरकार की सही नीतियों तथा किसानों को सरकार द्वारा की गई सहायता आदि के कारण ही हमें यह उपलब्धि हुई है जो हम आज देख रहे है। उत्पादन का स्तर बढ़ाने में सरकार की नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

कुछ माननीय सदस्यों ने मूल्य वृद्धि की शिकायत की है। मेरे मित्र श्री कुलनदईवेलू ने अभी अभी इस बारे में कहा है। जी हां, यह सच है कि इसके कारण हमारे समाज के गरीब वर्ग के लोग पीड़ित है लेकिन यह भी देखना चाहिए कि इतनी सारी कठिनाईयों और समस्याओं के बावजूद जैसा कि मैं कह चुका हूं, मुद्रा स्फीति की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 10% से कम होकर 8% हो गई है। और यह उपलब्धि कम नहीं है। इस पर गौर किया जाए। जब तक मुद्रास्फीति को दर एक अंकीय स्तर पर रहती है, ज्यादा चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

फिर भी मैं अनुरोध करता हूं कि अधिकांश लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के मामले में मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत की जाए, गैर योजना क्षेत्र पर सरकारी व्यय कम रखा जाए, स्पष्ट उपयोग को भी सख्ती पूर्वक कम किया जाए, आय तथा व्यय को एक सीमा में रखा जाए; बजट-घाटे को कम किया जाए। मैं नहीं जानता कि वित्त मन्त्री कल क्या करने जा रहे है। वित्तीय तथा आर्थिक नीतियां मूल्य कम करने तथा समाज में आर्थिक असमानताएं कम करने वाली होनी चाहिए।

मैं सबसे अधिक सभा से तथा वित्त मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह एक व्यापक आय मजदूरी तथा मूल्यों की नीति पेश करें। मैं यह काफी समय से कह रहा हूं लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ भी नही किया गया है। यह यथा शीघ्र होना चाहिए।

जबकि देश में समूची आर्थिक स्थिति बेहतर और आशापूर्ण है, राजनैतिक स्थिति भी न्यूनाधिक रूप से नियंत्रत है पंजाब को छोड़कर प्रधान मन्त्री द्वारा किए गए अन्य सभी समझौते सफल रहे हैंअर्थात् सम्बन्धित गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में शांति और सामान्य स्थिति आ गई है तथा असम मिजोरम, दार्जिलिंग तथा त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में लोकतंत्रीय व्यवस्था ने फिर जोर पकड़ा है। इस सम्बन्ध में उनकी सफलताओं के लिए प्रधान मन्त्री सारे देश से बधाई तथा आभार के पात्र हैं। उनकी निष्ठा तथा पक्के इरादे के कारण ही इस दीर्घकालीन समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान हो सका है।

पंजाब समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है और वहां आतंकवाद जारी है। लेकिन हमें यह मानना होगा कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है और आज यह नियन्त्रण में है। आतंकवादी इस समय अधिक सक्रिय नहीं है लेकिन निश्चित रूप से वे अब किसी की आड़ में काम कर रहे हैं। उनके द्वारा कभी-कभी निराशा दर्शाना उनकी धीरे-धीरे कमजोर पड़ती स्थिति की सूचक है। फिर भी प्रधान मन्त्री तथा सरकार द्वारा पंजाब के सम्बन्ध में अपनाई जा रही नीति ही व्यावहारिक तथा अन्य विकल्प नहीं सुझाया है।

मुझे श्रीलंका समझौते पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इस बारे में मैं बाद में बोलूंगा। इसके भी अच्छे परिणाम निकले हैं तथा भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते के तीन मुख्य उद्देश्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं।

हाल के महीनों में असम में एक पृथक राज्य की मांग करने वाला बोडो आन्दोलन किया जाना चिन्तनीय है। कुछ लोग गृह मन्त्री तथा गृह राज्य मन्त्री को बोडो आन्दोलनकारियों को उत्तेजित करने के लिए दोषी मानते हैं। वे इस आरोप को प्रमाणित नहीं कर सके हैं। इसका कोई आधार नहीं है।

असम सरकार का गुप्तचर विभाग श्री बूटा सिंह और श्री सन्तोष मोहन देव के खिलाफ आरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण पेश नहीं कर सका है। श्री दिनेश गोस्वामी ने हमारे मन्त्रियों के खिलाफ अपने आरोपों के समर्थन में 23 फरवरी के असम ट्रिब्यून समाचार पत्र से एक समाचार पढ़ा लेकिन उन्होंने उसी समाचार पत्र के अगले कालम को नहीं पढ़ा जिसमें सरकार ने इन आरोपों को स्पष्ट रूप से नकारा है क्योंकि इनमें बिलकुल भी सच्चाई नहीं है। अभी तक वे अपने आरोपों के समर्थन में एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। केन्द्र में हमारे मन्त्रियों के विरुद्ध आरोप लगाने का कोई प्रमाण अथवा कारण नहीं है।

बोडो के पृथक राज्य की मांग नई बात नहीं है। इससे पहले पी० टी० सी० ए० ने आन्दोलन चलाया था। केन्द्र सरकार ने स्पष्ट रूप से उनकी मांग ठुकरा दी थी। उनका आन्दोलन शांतिपूर्ण था और पी० टी० सी० ए० ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। लेकिन अब ऐसा क्यों है कि नेतृत्व अखिल बोडो छात्र यूनियन के हाथों में चला गया है और उन्होंने हिंसा का रास्ता अपना लिया है? क्यों? मेरा अनुमान यह है कि उन्होंने ए० जी० पी० तथा ए० ए० एस० यू० के उग्रवादी वर्ग का अनुसरण किया है और उनके आन्दोलन करने के तरीकों की नकल की है। और ए० ए० एस० यू० ने आंदोलन के छः वर्ष तक किया वही तरीका बोडो भी अपना रहे हैं। ए० ए० एस० यू० और ए० जी० पी० के उग्रवादी वर्ग अभी भी असम में हिंसा कर रहे हैं। उन्होंने 12 राजनैतिक हत्याएं की है और सरकार एक भी अपराधी को पकड़ने में सफल नहीं हुई है। मुख्य रूप से कांग्रेस के खिलाफ उनके द्वारा असम में 12 राजनैतिक हत्यायें किए जाने के बावजूद उन्होंने एक भी अपराधी क्यों नहीं पकड़ा है? इससे भी बड़ी बात यह है कि मुख्य मन्त्री ने यह वक्तव्य दिया है कि वह ए०जी० पी०और ए०ए०एस० यू के उग्रवादी वर्ग पर रोक नहीं लगा रहे हैं वे इस पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं? वे इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते है? उन्होंने यह वक्तव्य देकर स्वयं को उजागर किया है। कांग्रेस जनों के विरुद्ध राजनैतिक हत्याएं करने में वे लिप्त है। वे कांग्रेस की बैठकों में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं अभी तक उन्होंने घोषणा की है कि 30 बैठकों में गड़बड़ी की है, उन्होंने घोषणा की है कि वे किसी भी कांग्रेस समिति को कोई बैठक नहीं करने देंगे। यही उनका मत है, ऐसा ही वे करते हैं, बोडो ने उनसे यह तरीका सीखा है और बोडो ने उनसे प्रेरणा ली है तथा वे भी यही तरीका अपना रहे हैं। जब तक आप यही नीति अपनाएंगे, आप बोडो पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। अतः इस बात पर गौर किया जाए कि यह आन्दोलन इतना हिंसक कभी भी नहीं था, आज यह इतना हिंसक इसलिए हो गया है क्योंकि उन्होंने ए० ए० एस० यू० के तरीकों की नकल की है। अब वे उसी तरीके की नकल कर रहे है जिसे ए० ए० एस० यू० अपना रही थी। यदि वे इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने उग्रवादी संगठन ए० ए० एस० यू० तथा ए० जी० पी० की विघटनकारी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए तभी वे बोडो छात्रों की हिंसा का सामना कर सकेंगे।

यह पूर्णतया स्पष्ट है कि हम हिंसा के विरुद्ध हैं तथा केन्द्र सरकार और कांग्रेस पार्टी को असम का और विभाजन स्वीकार्य नहीं होगा। मैं यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। लेकिन यह असम सरकार का दायित्व है कि वह स्थिति पर नियन्त्रण करे और वहां पुनः शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल करे। उन्होंने केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल की 10 अतिरिक्त कम्पनियों की मांग की थी, जिससे केन्द्र

[श्री बिपिन पाल दास]

सरकार ने तुरन्त मान लिया । यह व्यंग्यपूर्ण स्थिति है कि अपने आन्दोलन के दौरान वे उन्हें केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल से घृणा थी और कहते थे कि केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल को यहां से ले जाइए। अब वे केन्द्र सरकार के केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल की 10 कम्पनियां देने का अनुरोध कर रहे है। भारत सरकार ने इसे तत्काल स्वीकार कर लिया है । पहले भी जो कुछ वह चाहते थे वह हमने उन्हें दिया । अब हमने कहा है कि हम उन्हें केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल की 10 अतिरिक्त कम्पनियां देंगे। हमने यह भी कहा है कि यदि वे चाहें तो हम उन्हें और कम्पनियां देंगे लेकिन उन्हें स्थिति पर अवश्य ही नियंत्रण रखना चाहिए ।

3.00 म०प०

हमारे मंत्रियों अथवा केन्द्र सरकार पर ही आरोप लगाना जारी न रखें। स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए आप उत्तरदायी हैं । वे अपनी असफलता तथा अयोग्यता के लिए केन्द्र पर आरोप नहीं लगा सकते हैं । लेकिन बोडो समस्या कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है । यह कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है । इसे पुलिस की कार्यवाही से हल नहीं किया जा सकता है । ए० जी० पी० सरकार द्वारा स्थिति से निपटने का तरीका पूर्णतया गलत है। उन्हें असम में सभी पार्टियों की एक बैठक तुरन्त बुलानी चाहिए और फिर संयुक्त रूप से बोडो आन्दोलनकारियों के साथ वार्ता करनी चाहिए । इस देश में शांतिपूर्ण वार्ताओं के कारण अनेक जटिल समस्याओं का समाधान हुआ है । ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके फलस्वरूप इस समस्या का हल शांतिपूर्वक नहीं हो सकता है ।

कुछ लोग तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी की हार पर प्रसन्न हो रहे हैं और चुनाव परिणाम के महत्व का और अर्थ निकाल रहे हैं । आप जानते हैं, यह केवल डी० एम० के० पार्टी की ही जीत थी और इसमें राष्ट्रीय मोर्चे का कोई योगदान नहीं था । जैसा कि सभी जानते है पिछले दो दशकों से एक ही स्थान पर पनपी डी० एम० के अथवा ए० डी० एम० के तमिलनाडु में हावी रही हैं । अतः इस परिणाम में नया क्या है ? यदि डी० एम० के० या ए० डी० एम० के० जीती है तो परिणाम में नया क्या है । वे पिछले दो दशकों से सत्ता में हैं । यह बिल्कुल नया नहीं है । इसका राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्व नहीं है । यदि इसका कोई राष्ट्रीय महत्व है तो मिजोरम और नागालैंड के चुनावों का भी उल्लेख क्यों नहीं करते हैं ?

क्यों नहीं ? यदि तमिलनाडु के चुनाव का राष्ट्रीय महत्व है तो मिजोरम और नागालैंड के चुनाव का भी राष्ट्रीय महत्व है । वहां एक क्षेत्रीय दल ने एक राष्ट्रीय दल के खिलाफ चुनाव जीता है। किंतु मिजोरम और नागालैंड में भारतीय राष्ट्रवाद ने प्रादेशिकता के खिलाफ चुनाव जीता है। यह अन्तर है । राष्ट्रीय दृष्टिकोण से तमिलनाडु में राष्ट्रवाद के खिलाफ प्रादेशिकता की जीत इतना महत्वपूर्ण नहीं है । किंतु नागालैंड में और मिजोरम में प्रादेशिकता के खिलाफ राष्ट्रवाद और वह भी एक अतिसंवेदनशील क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है । इस बात को समझना चाहिए ।

मेरे विचार से राष्ट्रीय मोरचा न राष्ट्रीय है और न ही कोई मोरचा है । राष्ट्रीय इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी अध्यक्षता एक क्षेत्रीय दल कर रहा है । किसी क्षेत्रीय दल की अध्यक्षता में कोई राष्ट्रीय मोरचा कैसे राष्ट्रीय कहला सकता है ? इसको मोरचा कहना भी लज्जा की बात लगती है। राष्ट्रीय मोरचे के सम्बन्ध में चर्चा करने का कोई लाभ नहीं क्योंकि समय बीतने के साथ-साथ इसका वास्तविक स्वरूप धीरे-धीरे प्रकट होता जाएगा ।

राष्ट्रीय मोरचे का प्रमुख संघटक जनता दल है। यह 1977 के जनता दल की और एक किस्म है। बाबू जगजीवन राम ने कहा, "जनता दल दलों के समूह के सिवा कुछ भी नहीं है।" यदि बाबू जगजीवन राम के अनुसार यही जनता दल है, तो वर्तमान जनता दल विभिन्न दलों का एक समूह ही है। जिस प्रकार वे अपने दल का काम करते हैं जैसा कि समाचार पत्रों में आया है उससे दिन प्रतिदिन स्पष्ट रूप से उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ है।

3.04 म० प०

[श्रीमती वसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

यह कैसा दल है जिसके अध्यक्ष को उनकी ही अध्यक्षता में हो रही दल की बैठक के दौरान उठकर बाहर जाना पड़ा ? अध्यक्ष जो बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, बैठक में से उठकर चले जाएं। मैं यह नहीं समझा; मैं पिछले 40 वर्षों से अधिक राजनीति में रहा हूं। मैंने ऐसी कोई अद्भुत घटना नहीं देखी है।

यह एक ऐसा दल है जिसका कोई संगत सिद्धांत या नीति नहीं, जिसका बेमानी कार्यक्रम है न कोई नेता है और न ही कोई दिशा। क्या यह देश दलों के इस समूह के हाथों में रखा जा सकता है ? क्या यह देश ऐसा कर सकता है ? भारत को एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के नेतृत्व में स्पष्ट सिद्धान्त, नीति और कार्यक्रमों वाली एक मजबूत केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता है। केवल कांग्रेस एक ऐसी सरकार उपलब्ध कर सकती है और जनता दल अथवा राष्ट्रीय मोरचा जैसे क्लब देश को घोर विपत्ति में डाल सकते हैं।

महोदया हमारे सामने जो आज अत्यन्त विस्मय कारक बात है वह है जनता दल की प्रारूप विदेश नीति। यह स्पष्ट रूप से पश्चिम समर्थक है और जहां तक विदेश नीति के मामलों का सम्बन्ध है इसमें अमेरिका को सोवियत रूस के बराबर लाने की कोशिश है। प्रारूप में गुट निरपेक्ष आन्दोलन की मूल धारणाओं को पुन: सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता के बारे में कहा गया है जिससे गुट निरपेक्ष आन्दोलन की सभी उपलब्धियां व्यर्थ हो जाएंगी। विश्व शान्ति स्थापित करने और न्यायोचित विश्व आर्थिक व्यवस्था प्राप्त करने में गुट निरपेक्ष आन्दोलन और भारत की भूमिका के महत्व को भी समाप्त करना चाहते हैं। जनता दल प्रारूप यह कहना चाहता है कि चूंकि तनाव में कमी हो गई है अत: गुट निरपेक्ष आन्दोलन अपना अधिकतम महत्व खो चुका है। सच तो यह है कि तनाव की कमी और बहु-ध्रुवी विश्व ने गरीबी, जातिवाद और अनुचित व्यापार प्रथाएं जैसी विश्व की मूल समस्याओं का समाधान नहीं किया है। जहां तक उनकी विदेश नीतियों और हमारी नीतियों और हमारे हितों की तुलना का सम्बन्ध है अमेरिका और सोवियत रूस की तुलना करना बिल्कुल गलत है। दल की प्रारूप नीति में जो क्षेत्रीय निरस्त्रीकरण की बात है वह निरर्थक है। इससे भारत महत्वहीन मामूली शक्ति में बदल जाएगा। हम किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय परिसीमन सन्धि के सम्बन्ध में अपनी सैद्धान्तिक स्थिति और अपने युद्ध सम्बन्धी हितों का समझौता नहीं करेंगे। जनता दल का यह प्रस्ताव इस देश द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा कि भारत केवल पाकिस्तान के संदर्भ में अपनी परमाणु नीति तैयार करे। जनता दल चाहता है कि भारत अन्य दक्षिण एशियाई देशों में संदेह दूर करने के लिए एकतरफा उपाय करे। यह भारत को पाकिस्तान के साथ बराबर करने के लिए एक चालक पश्चिमी प्रस्ताव है। जनता दल के सुझाव के अनुसार, विद्युत क्षमता बढ़ाने और भारत, नेपाल और बंगला देश के बीच नदियों के सम्बन्ध में विवाद को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को शामिल

[श्री बिपिन पाल दास]

करना हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए खतरनाक है। हम कभी भी द्विपक्षी मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप नहीं देने देंगे।

महोदया, मैं आज अपनी विदेश नीति पर विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हमें इस पर चर्चा करने के और भी अवसर मिलेंगे।

गत कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री ने विदेश नीति की विभिन्न दिशाओं में जो पहल की है उससे उनका एक उज्ज्वल रिकार्ड स्थापित हुआ है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन, सार्क, राष्ट्रमण्डल और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे मंचों में उनकी पहल अत्यन्त प्रशंसनीय है। निरस्त्रीकरण और रंगभेद के विरुद्ध उनका योगदान ऐतिहासिक महत्व का है।

1976 के पश्चात् जब इन्दिराजी ने चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में पहल की और चीन के साथ राजदूत स्तर पर राजनयिक सम्बन्ध बहाल करने में पहल की, तो बहुत समय तक अच्छे सम्बन्ध नहीं रहे। इसी दौरान छोटे स्तर पर अनेक बार बैठकें हुई किन्तु कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। राजीव जी ने इस दूरी को तोड़ दिया और उनकी हाल ही की चीन यात्रा अत्यन्त सफल हुई। एक नया वातावरण बन गया है और चीन के साथ हमारे सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए ठोस उपाय किए गए हैं।

कुछ लोगों का विचार है कि जब तक सीमा सम्बन्धी समस्या नहीं सुलझती है तब तक चीन के साथ समस्त सम्बन्धों में सुधार नहीं होगा। दूसरी धारणा यह है कि जब तक चीन के साथ समस्त सम्बन्ध नहीं सुधर जाते और नया उचित वातावरण नहीं स्थापित होता है तब तक सीमा समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मैं दूसरे दृष्टिकोण के पक्ष में हूं। अतः मैंने प्रधानमंत्री की चीन यात्रा का स्वागत किया। अब मैं प्रसन्न हूं कि यात्रा से मैत्रीपूर्ण वातावरण उत्पन्न हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री और चीन के सर्वोच्च नेताओं के बीच मन और हृदय का मेल हुआ है। केवल एक यात्रा में ही किसी अभूतपूर्व बात की आशा नहीं की जा सकती है। किन्तु अब इस यात्रा से द्वार खुल गए हैं मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि भारत और चीन दोनों मैत्री में आगे बढ़ेंगे, और अन्ततः सीमा समस्या समेत सभी आपसी समस्याएं सुलझाएंगे। मैं प्रधानमंत्री को उनकी सफल यात्रा के लिए बधाई देता हूं।

मैं पाकिस्तान के बारे में दो शब्द बताकर भाषण समाप्त करता हूं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा श्रीमती बेनजीर भुट्टो का प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव एक बड़ा अवसर और भारतीय कूटनीति को एक चुनौती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने "सार्क" सम्मेलन में पाकिस्तान में हाल ही में चुने गए नेताओं के साथ उज्ज्वल तथा आशावान सम्बन्ध स्थापित करने का यह अवसर प्राप्त किया। मैं इसलिए प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। मेरा एकमात्र निवेदन यह है कि हमें कभी कभी मामूली क्षोभ को छोड़कर पाकिस्तान में श्रीमती भुट्टो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए। यह मेरा गम्भीर विचार है क्योंकि पाकिस्तान में विकल्प कभी भी हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं होगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया एकमात्र आशा है। समस्याओं का समाधान एक रात में नहीं हो सकता है। किन्तु श्रीमती भुट्टो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सम्भवतः हमारी सभी समस्याओं का न्यायसंगत तथा उचित समाधान ढूंढ़ निकालने में सहायता करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदया, भारत के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर श्री बी० एन० गाडविल ने जो प्रस्ताव रखा है और श्री भाटिया ने जो समर्थन किया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं। जवाहर नेहरूजी की शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत कर रहे हैं और उन्होंने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है, उस में बहुत से महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया है और सब से महत्वपूर्ण विषय है, वह मेरे क्षेत्र से भी सम्बन्ध रखता है और सारे देश से भी सम्बन्धित है और वह सूखे की समस्या है। हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने जिस मुस्तैदी से गत साल के सूखे का मुकाबला किया वैसा अभी तक किसी ने भी इस प्रकार के सूखे का मुकाबला नहीं किया था। हमारे क्षेत्र में, राजस्थान में सन् 1965-66 में सूखा पड़ा था और श्रीमती इन्दिरा गांधी उस समय प्रधान मंत्री थीं। उस समय भी इस प्रकार के सूखे का मुकाबला नहीं किया गया था। इस सूखे का मुकाबला करने के लिए जिस प्रकार से रचनात्मक कार्य हुए, उन से हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है और हम इस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि सूखे का स्थाई हल हो। एक स्थाई हल की ओर हम पहुंच रहे हैं। हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र के अन्दर गत साल 6 हजार सिंचाई के कुएं बने।

चालीस वर्षों और पचास वर्षों में कभी भी इस प्रकार के सूखे के लिए निर्माण कार्य नहीं हुए जैसे कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पिछले वर्ष सूखे की स्थिति के समय में हुए। इससे रेगिस्तानी क्षेत्र में पैदावार हो रही है रबी की फसल की भी पैदावार हो रही है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में एक परिवर्तन आ रहा है। हमारे यहां पीने के पानी की समस्या थी उसको दूर करने के लिए भी वहां टांकों का निर्माण हुआ। बीस हजार टांकों का निर्माण बाड़मेर जिले में और पांच हजार का निर्माण जैसलमेर जिले में हुआ। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य वहां हुए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बहुत ही सुधरी है। हमारी सरकार ने तो ऐसी स्थिति वहां पैदा की कि वहां पशुओं को बचाया गया। बाड़मेर और जोधपुर जिलों में जिस प्रकार से पशुओं को बचाने की कोशिश की गयी, उनके लिए फोडर की व्यवस्था की गयी, वह वास्तव में एक सराहनीय कार्य किया गया।

राजस्थान सरकार ने पिछले 40 वर्षों के अन्दर सूखे का मुकाबला करने के लिए इतनी राशि खर्च नहीं की जितनी कि गत वर्ष 840 करोड़ रुपये खर्च किये गये। केन्द्र सरकार ने काफी मदद दी। मगर उसमें कुछ त्रुटियां रहीं। हमें जो मदद मिलनी चाहिए थी अधिकारियों ने जो कठिनाइयां पैदा की उनके कारण हमें पूरा राशि नहीं मिल पायी। गुजरात सरकार पर जो अनुकम्पा हुई उतनी अनुकम्पा राजस्थान पर नहीं हुई। साढ़े दस रुपये औसत मजदूरी थी। हमने सिर्फ सात रुपये मजदूरी दे कर के काम चलाया। राजस्थान को इसके लिए पूरे पैसे दिये जाएं। 58 करोड़ रुपये इसके लिये राजस्थान को दिये जाने थे वह नहीं दिये गये। इसी प्रकार हमने कहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण हमें 216 करोड़ रुपये दिये जाएं वह भी नहीं मिले। हमें कोर्ट के फैसले के कारण 14 रुपये रोज देना पड़ा। यह राशि भी वास्तव में हमें नहीं दी गयी।

अभी भी हमारे यहां बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों के अन्दर और कुछ बिकानेर जिले के अन्दर अकाल की स्थिति है। हमारी राजस्थान सरकार वहां अभी कोई राहत कार्य नहीं चला सकी है। केन्द्र सरकार के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और हम बित्त मन्त्री साहब से निवेदन कर रहे हैं कि वे हमें जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाएं। क्योंकि हमारे पास मार्चिंग मनी भी खत्म हो गयी है।

[श्री बुद्धि चन्द्र जैन]

वह भी हमें अप्रैल के बाद ही मिलेगी। सूखे की स्थिति के कारण उन क्षेत्रों में अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। इन क्षेत्रों में बड़ी भारी उदासीनता चल रही है। इस सम्बन्ध में कार्य की आवश्यकता है।

फसल बीमा योजना केन्द्र सरकार ने स्थापित की है। तालुका स्तर पर बनी हुई है। हम चाहते थे कि इसको पटवारी सर्किल के आधार पर लागू किया जाए। इसको बजट सेसन के पहले पहले पटवारी सर्किल के आधार पर बना दिया जाए। भजनलाल जी ने इस बारे में कहा था कि इसको पटवारी सर्किल के आधार पर बनाया जाएगा। हमारी राजस्थान सरकार ने इसको बंद कर दिया है जिससे हमारे किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हमारे यहां फसल बीमा योजना होती तो हमारे यहां किसानों को बड़ा भारी रिलीफ मिलता जिससे कि अब वे वंचित हैं।

जब हमारे वित्त मन्त्री जी योजना मंत्री थे तो स्पेशल इरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम बना था। वह 247 करोड़ रुपये का प्रोग्राम बना था।

अभी तक 100 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, अगर वास्तव में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मदद करना चाहते हैं तो आने वाले दो वर्षों में, 1989-90 और 1990-91 में बकाया राशि 150 करोड़ रुपए अवश्य खर्च किए जाने चाहिए, ताकि रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास की द्रुतगति को बनाए रखा जा सके।

इंदिरा गांधी नहर योजना के लिए पहले वित्त मंत्री जी ने 40 करोड़ रुपये दिए थे अभी 115 करोड़ रुपये का प्रावोजन किया गया है, 1989-90 के तहत 123 करोड रुपये की डिमांड की गई है, इसको पूरा किया जाना चाहिए। अगर इस योजना का काम तेजी से होता है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, रेगिस्तानी क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान होगा और देश को आत्म निर्भर बनाने में हम भी योगदान दे सकेंगे। इस वर्ष किसानों ने पैदावार में रिकार्ड कायम किया है और गत वर्ष सूखे की स्थिति के बावजूद सकल उत्पादन में 3.6 परसेंट की वृद्धि हुई और इस पंचवर्षीय योजना में विकास दर 5 प्रतिशत की और हमारा लक्ष्य है, हम बढ़ रहे हैं, यह हमारी प्रगति का सूचक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना विकास दर का लक्ष्य 6 परसेंट करने का संकल्प लिया गया है और उसको भी हम अवश्य पूरा करेंगे। इन कामों के लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

पंचायती राज के बारे में भी मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इस ओर जो कदम केन्द्र सरकार उठा रही है वे बहुत सराहनीय हैं, जनता इनकी बहुत प्रशंसा कर रही है और आशा कर रही है कि इसके लिए शीघ्र ही कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट होगा। विरोधी पक्ष इसका विरोध कर रहे हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता कि वे क्यों विरोध कर रहे है। केन्द्र सरकार चाहती है कि ग्रामीणों को अधिक अधिकार दिए जाएं, पंचायतों के चुनाव समय पर हों, इसमें अपोजीश को क्या ऐतराज है, उनका कहना है कि इसमें राज्य सरकारों के अधिकार छीने जा रहे हैं। हम तो ग्राम-पंचायतों को अधिकार देना चाहते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं; महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, इसमें विरोध पक्ष को क्या ऐतराज है। इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने पंचायत समितियों के प्रधानों, जिला परिषद के प्रमुखों का सम्मेलन बुलाया, अनुसूचित जाति के सरपंचों का सम्मेलन बुलाया और अनुसूचित जनजाति के सरपंचों का सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि जो भी संविधान में परिवर्तन लानी है उसको इसी बजट अधिवेशन

में लाना चाहिए, सारी जनता इसका इंतजार कर रही है। इस बारे में सरकार, केबीनेट जल्दी निर्णय ले, ताकि पंचायती राज मजबूत हो। जब तक पंचायती राज मजबूत नहीं होगा, तब तक किसी योजना का सही तरीके से कार्यान्वियन नहीं होगा। आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई०पी० आर० एल० ई० जी० पी० आदि योजनाओं का क्रियान्वियन पंचायत समितियों द्वारा होता है, जब तक ये संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी, इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी तब तक इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वियन नहीं हो सकता। इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए यह बहुत आवश्यक है।

बजट के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज अनएंप्लायमेंट की स्थिति बहुत संगीन है, इकनामिक रेजोल्यूशन हमने पास किया है, उसमें यह तय किया है कि प्रत्येक परिवार में से एक सदस्य को प्रोफिटेबल जाब दिया जाए, इस बारे में बजट में कोई न कोई दिशा अवश्य दी जानी चाहिए।

अगर इस प्रकार प्रत्येक परिवार में से एक सदस्य को जॉब दे देते हैं तो यह हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी। इस संबंध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अब स्थिति यह है कि जो हमारी सरकारी मशीनरी है वह डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो कांस्टीच्युशन के सिद्धान्त हैं उसके अनुसार काम नहीं चल रहा है और जो काम है वह भी बहुत धीमा है, रेड टेपिज्म होता है। इसकी वजह से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं। हमें यह निर्णय लेना है कि किस प्रकार गवर्नमेंट मशीनरी में परिवर्तन करें जिससे प्रजातंत्र सही तरीके से चले और किस प्रकार से प्रशिक्षण दें जिससे रेड टेपिज्म से मुक्ती हो सके। इसके लिए भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आई० सी० डी० एस० यानी एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम बहुत अच्छा है। केन्द्र सरकार ने यह कार्यक्रम बनाया है। लेकिन सबसे निकम्मे अधिकारियों को इसमें नियुक्त किया है, करोड़ों रुपये वेस्ट जा रहे हैं, बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है। जिन औरतों के कल्याण के लिए फण्ड्स हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। इस प्रोग्राम को सकसेसफुल बनाने के लिए डेडीकेटेड और ऑनेस्ट आफिसर्स को लगाया जाना चाहिए।

शिक्षा की दृष्टि से हिन्दुस्तान में अगर पिछड़े हुए क्षेत्र हैं तो वह हमारे बाड़मेर और जैसलमेर जिले हैं। हम चाहते हैं कि वहां पर बार्डर एरिया एजुकेशन डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत प्राईमरी स्कूल अधिक से अधिक खोले जाएं। जितने स्कूल हम चाहते हैं, उतने स्कूल राजस्थान सरकार के लिए खोल पाना सम्भव नहीं है। केन्द्र सरकार, विशेष तौर से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर प्राईमरी स्कूल खोले। आज हमने अनिवार्य शिक्षा के लिए संविधान में प्रावधान बना दिया है। बार्डर एरिया एजुकेशन डवलपमेंट प्रोग्राम के लिए दो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसलिए शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हैं वहां पर दो-दो वर्षों तक संबंधित विषय के अध्यापक और हैड मास्टर नहीं पहुचते जिसके कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इसी प्रकार डिस्पेंसरीज खुली हुई हैं लेकिन डाक्टर्स और कम्पाउन्डर्स नहीं जाते। जब तक उनके लिए स्पेशल अलाउन्स की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक विकास नहीं हो पायेगा जिसकी ओर हम बढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र उन्नति करे, एकता के सूत्र में बंधे तथा ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को मिटा सके, इस लक्ष्य की प्राप्ति हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती किशोरी सिंह (बैशाली) : सभापति महोदया, मैं श्री गाडगिल द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में हमें यह स्मरण कराने की कृपा की है

[श्रीमती किशोरी सिंह]

कि यह जनादेश का हमारा अन्तिम वर्ष है। यह हमारे उस जनादेश के प्रथम वर्ष का ज्ञापन भी है जो बहुमत से प्राप्त हुआ था मेरे विचार से जनादेश केवल सहानुभूति से ही नहीं बल्कि इस विश्वास के कारण मिला था कि श्री राजीव गांधी के गतिशील नेतृत्व में सभी कार्यों को नये ढंग से किया जायेगा। यह एक ऐसा जनादेश था जिससे एक नई शुरुआत हुई।

1985 से सम्पूर्ण विश्व को अनेक प्रकार से समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यह एक मान्यता है कि हमारे मामले विश्वव्यापक है तथा हमारे सामने केवल सिद्धान्त का ही नहीं बल्कि कार्यकुशलता, पर्यावरण और उद्योग सम्बन्धी मामले हैं। इस सदी के अन्तिम पन्द्रह वर्षों को नये ज्ञानोदय का समय कहा जा सकता है। आप सबको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने पद संभालते समय घोषणा की थी कि हमारी चिन्ता गंगा की सफाई करना, बंजरभूमि में वनारोपण करना, सभी लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करना, संक्रामक रोगों से उनकी रक्षा करना, सभी लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, बच्चों के विकास पर विशेष ध्यान देना, महिलाओं को विशेष अवसर प्रदान करना तथा इस देश की अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू का आधुनिकीकरण करने की होगी। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इन क्षेत्रों में उपलब्धियों का उल्लेख किया है। वास्तव में इनमें कुछ कमियां हैं परन्तु मुझे विश्वास है कि हमने सही दिशा में कार्य करना शुरु कर दिया है जैसा कि देखा गया है।

कल राष्ट्रमण्डल के महासचिव श्री रामफल ने 'एम्बेन्डर्ड अर्थ' के संबंध में एक व्याख्यान दिया था। उन्होंने तीसरी दुनिया के देशों में पर्यावरण बिगड़ने के साथ गरीबी किस प्रकार बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि और पर्यावरण में कमी एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं जो वास्तव में राष्ट्रीय मामले हैं वे किस प्रकार उलझकर अन्तर्राष्ट्रीय हो गये हैं तथा हम सबको संगठित करने के लिए किसी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के अभाव में हमारे प्राकृतिक वास पृथ्वी का किस प्रकार विनाश हो जायेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि विनाश अधिक दूर नहीं है।

वर्षों से विकास के परिप्रेक्ष्य बदले गए हैं। आज यह माना जाता है कि गरीबी का मुकाबला करने के लिए तथा विकास को कायम करने के लिए सबसे उत्तम तरीका जीवमण्डल को नवजीवन प्रदान करने वाले संसाधन के रूप में लाना हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह विकेन्द्रीकृत तरीके से किया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में विकेन्द्रीकृत नियोजन के संबंध में उल्लेख किया है उसका तात्पर्य यह है कि सरकार स्थानीय संसाधनों को योजना के साथ समन्वित करने के संबंध में गम्भीरता से विचार कर रही है ताकि जनता यह अनुभव कर सके कि वे अपने जीवन स्तर को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों का उनके जीवन पर शीघ्र प्रभाव पड़ेगा। उनके भी महसूस हो कि उसने जीवन के हालातों को बदलने के प्रयासों में उनका भी योगदान है। यह भागेदारी आवश्यक है। यद्यपि पंडित जी ने हमेशा निचले स्तर के नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया परन्तु गरीबी से सीधा मुकाबला करने के लिए ऊपर से जैसे नियोजन प्रक्रिया शुरु की गई है उसके अपर्याप्त परिणाम हुए है तथा प्रबलों को कमजोरों का शोषण करने के लिए अवसर दिए गए हैं। इससे सरकार और जनता के बीच अलगाव की भावना कम नहीं हो सकी है। हमारे प्रधानमंत्री ने इसे बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है। इससे जनता को अपने विकास की योजनायें बनाने तथा अपने जीवन स्तर को सुधारने का पूरा अवसर मिलेगा और प्रधानमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर देने का निश्चय किया है।

राष्ट्रपति ने पंचायती राज संस्थाओं का भी उल्लेख किया है। इससे जनता को अपने मामलों

की देखरेख के लिए पूरा अवसर देने हेतु सरकार की गम्भीरता प्रदर्शित होती है। यह महात्मा गांधी और पंडितजी के विचारों के अनुरूप है। केन्द्र मित्र की तथा वित्त पोषक की और कुछ सीमा तक दार्शनिक और मार्गनिर्देशक की भूमिका निभा सकता है।

केन्द्र दक्षिण बिहार, छोटा नागपुर विदर्भ, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के उपक्षेत्रीय तथा असम में बोडो आन्दोलन जैसी घटनाओं के लिए आंखें बन्द नहीं कर सकता है। इन समस्याओं का विश्लेषण किया जाए और समाधान निकाला जाए। गरीबी इस समस्या का मूल नहीं हो सकती। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश जैसे गरीब राज्यों की तरफ ध्यान दिया जाए। बिहार में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ आती है। इस विषय पर सभा में अनेक बार चर्चा हुई है परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। कोई स्थायी हल नहीं निकाला गया है। इसी के कारण लोगों की दयनीय स्थिति है। मेरे विचार से सरकार को लोगों को अनुदान और ऋण देना चाहिए ताकि वे अनेक मामलों में स्वयं सहायता के लिए प्रेरित हो सकें।

अत: विकेन्द्रीकरण में उन राज्यों को सम्मिलित किया जायेगा जो विकास निधि का कुछ भाग पंचायती राज की संस्थाओं पर व्यय कर रहे हैं तथा किसी क्षेत्र के कल्याणकारी कार्यों में वहां के लोगों को शामिल कर रहे हैं। अधिक लोगों को सम्मिलित करने से पृथकतावादी आन्दोलन कम हो सकते हैं। यदि राष्ट्रीय सिद्धान्त बना दिये जायें तथा ऐसी स्व प्रबंधन संस्थाओं में उपक्षेत्रीयवाद की भावनाएं पैदा कर दी जायें तो मुझे विश्वास है कि ये झारखंड तथा बोडो जैसे आन्दोलनों के प्रति उनका लगाव कम होगा।

उपक्षेत्रीय आन्दोलन से निपटने तथा सौहार्दपूर्ण समझौते के संबंध में मेरा सुझाव है कि सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि कुछ भागों में जो हिंसाएं हो रही हैं उन्हें सहन नहीं किया जायेगा। पंजाब की घटनाएं तथा जम्मू और कश्मीर में लगातार साम्प्रदायिक हिंसाओं को राष्ट्र विरोधी आन्दोलन घोषित करना चाहिए तथा इसे पूरी ताकत से समाप्त करना चाहिए। 1985 के जनादेश ने भी सरकार को निर्देश दिया कि राष्ट्रविरोधी आन्दोलनों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। राष्ट्रपति ने सरकार का इरादा व्यक्त किया है कि आतंकवाद का बराबर मुकाबला किया जायेगा। वास्तव में सरकार साम्प्रदायिकतावाद और आतंकवाद से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प है।

दुर्भाग्यपूर्ण पंजाब समझौता असफल होने के बाद आतंकवाद तथा धार्मिक भय का सामना करने के लिए 1986 में पंजाब में राजनैतिक प्रक्रिया शुरू हुई। राजनैतिक हल ढूंढे जाने का कोई परिणाम नहीं निकला है। इसी बीच मुझे खुशी है कि सरकार ने पंचायती चुनाव कराने का फैसला किया है तथा आशा है कि इससे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लोगों के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। यदि धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष हिंसा की निंदा करने के बजाए हत्यारों को सरोपा देकर सम्मानित करते हैं तो वे ही इन आपराधिक तत्वों के घेरे में होंगे। अकाली इसके सबसे अधिक शिकार हुए हैं। हम उमरानंगल जैसे साहसी लोगों की प्रशंसा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए कि यदि हिंसा होगी तो वहां प्रभावी सरकार अधिक दिनों तक नहीं टिक सकती है। यह बड़े सन्तोष की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री की भूमिका के कारण सार्क राष्ट्रों ने आतंकवाद के विरुद्ध अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। परन्तु आयरलैंड के अनुभव से हम जानते हैं कि आतंकवाद को आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि इसे सरकार का आदेश न मानने के लिए जनता की वांछनीय प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती तो यह स्वयं समाप्त हो जाता है।

[श्रीमती किशोरी सिंह]

नक्सलवाद के रूप में आंध्र प्रदेश और बिहार के ग्रामीण इलाकों में आतंकवाद फैला हुआ है। इस मामले में हिंसा से गरीब लोगों का जीवन स्तर कुंठित हो सकता है जो बिल्कुल नहीं सुधर रहा है। परन्तु इससे पूरी तरह यह स्पष्ट नहीं होता कि गरीब लोग ही शिकार क्यों होते हैं। प्रशासन और लोगों के बीच अधिक जन सम्पर्क की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से ही नहीं बल्कि अच्छी शिक्षा से भी ग्रामीण क्षेत्रों का दृश्य बदल सकता है। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि धनराशि के अभाव में ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन में प्रगति नहीं हो रही है। केन्द्र ने धनराशि मंजूर कर दी है परन्तु राज्य सरकारें नहीं दे रही है। विभिन्न कार्यक्रमों को ईमानदारी और उचित रूप से कार्यान्वित करने का उद्देश्य लोगों का जीवन स्तर सुधारना है तथा इसका दृष्टिकोण स्थिति से निपटना है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसी तरह पांच वर्षों की समीक्षा की है तथा अनेक क्षेत्रों का उल्लेख किया है जहां गरीबी है वहां जीवन स्तर में सुधार करना है। परन्तु मैं सरकार को बधाई देती हूं कि उसने भयंकर सूखे का डटकर मुकाबला किया है। खाद्यान्न सुरक्षा प्रणाली, कृषि पर बल तथा पीने के पानी की व्यवस्था, संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षण तथा खाद्य तेलों जैसी स्थानीय समस्याओं के समाधान करने में तकनीक का प्रयोग करने के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री तथा उनकी सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्राचीन समस्याओं को हल करने तथा उन लोगों को देश के विकास में भूमिका निभाने के लिए किया है जो विदेशों में रह रहे हैं तथा लोगों द्वारा नए उद्यमों में अतिरिक्त संसाधनों के आगम के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था का विस्तार करने आदि के लिए भी प्रयत्न किए हैं। आज हमारे किसान टैलीविजन में सम्पूर्ण देश का मौसम देख सकते हैं। रेल यात्रियों को टिकट के लिए घंटों तक लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है तथा दूर संचार में कुछ सुधार हुआ है और अधिक होने की संभावना है।

सरकार पुरानी विचारधाराओं में न पड़कर और भूतकाल तथा भविष्य की दृष्टि से देश की पुरानी समस्याओं को सुलझा रही है। यह फिर वर्ष के अन्त में उसी वचनबद्धता के साथ जनता के पास जानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष हमें चुनाव के दिनों के दौरान जनता का समर्थन प्राप्त होगा।

श्री हकभाई मेहता (अहमदाबाद) : महोदया, मैं श्री वी० एन० गाडगिल द्वारा प्रस्तुत और श्री रघुनन्दन लाल भाटिया द्वारा समर्थन प्राप्त धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने पूरी योग्यता से स्वतन्त्रता पश्चात् भारत की उपलब्धियों, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के गतिशील नेतृत्व में प्राप्त की उपलब्धियों का सारांश दिया। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारत द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का एक अत्यन्त योग्य वर्णन किया गया है। इससे प्रत्येक भारतीय के लिए एक कुशल भविष्य की प्रतिज्ञा की गई है।

महोदया, भाषण में इस बात पर उचित जोर दिया गया है कि भारत जिस विदेश नीति का पालन कर रहा है उसकी बहुत प्रशंसा हो रही है। जब हम भारत से बाहर यात्रा पर जाते हैं, हम भारत द्वारा पालन की गई नीतियों का चारों ओर से प्रशंसा और आदर सुनते हैं। पिछले ही महीने मुझे अपने संसद की ओर से अपने योग्य अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में सीरिया जाने का अवसर मिला। हमने अरब देशों (विश्व) में देखा कि भारत के प्रयासों की विशेषकर फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के

लिए किए गए प्रयासों और उनके प्रति व्यक्त निष्ठा तथा भारत द्वारा फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को तुरन्त मान्यता दिए जाने का सबने स्वागत किया है। फिर भी, मैं समझता हूं कि अरब देशों के साथ बेहतर विचारों के आदान प्रदान, प्रतिनिधि मण्डलों के आदान प्रदान और संयुक्त आर्थिक प्रयासों की आशा है। अरब देश ऐसे देश हैं जहां भारत के सहयोग में विस्तार करने और अरब देशों के साथ संयुक्त भारतीय कार्य करने की अधिक संभावना है।

मेरे विचार से अफगानिस्तान के संबंध में भारत ने उचित नीति अपनाई है। हम सदा अफगानिस्तान से विदेशी शक्तियां हटाने का समर्थन करते थे। सोवियत संघ की सुविचारित नीति से ही यह संभव हुआ कि अफगानिस्तान को अब किसी विदेशी तत्वों के बिना अपना भविष्य बनाने का अवसर दिया गया है। हमें दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका अर्थात् नामीबिया की मुक्ति के मामले में भारत को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया है। यह सारा कुछ उस सुविचारित विदेश नीति के कारण हुआ जिसकी नींव पंडित नेहरु ने रखी थी, जिसका विकास स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अत्यन्त अनुकूल ढंग से इसका पालन किया और इसको आगे बढ़ाया।

राष्ट्रीय क्षेत्र में भी, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में अनेक उपलब्धियों पर उचित ढंग से जोर दिया है। राष्ट्रपति ने बेरोजगारी के प्रश्न के सम्बन्ध में वादा किया है। कितना अच्छा होता अगर इस पर अधिक ठोस कार्य होता। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा है कि "बेकारी हटाओ" हमारी पुकार होगी जिसके लिए हम कार्य करेंगे। मेरे विचार में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी यह बात होती और अधिक ठोस उपाय किए जाते। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसका हमें सामना करना होगा और जिसका हम सामना कर रहे हैं।

केवल दो दिन पूर्व मुझे एक उत्तर मिला कि जहां तक अहमदाबाद का संबंध है, 24 कपास हथकरघा कपड़ा मिलें बन्द कर दी गई हैं जिनमें मजदूरों की संख्या 42,538 है। सहायक उद्योग और अन्य उद्योगों को मिलाकर केवल अहमदाबाद में ही 50 हजार मजदूर बेरोजगार हैं। अहमदाबाद में इन मिलों की समस्या सुलझाने के सम्बन्ध में मुझे अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ी। मैं उच्च कमान का आभारी हूं, जिन्होंने इतनी रुचि ली और अंततः एक ऐसा फार्मूला तैयार किया गया जिसके द्वारा गुजरात सरकार को आश्वासन देना पड़ा कि सरकार उन कारखानों को पुनः चालू करने पर विचार करने के लिए सभी प्रभारी करेगी जिन कारखानों को लगभग बन्द कर दिया गया था।

एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई है। जहां कहीं इन मिलों को पुनः चालू करना संभव नहीं है, वहां वैकल्पिक रोजगार के लिए समय बद्ध कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे। बन्द पड़ी कपड़ा मिलों तथा अन्य बन्द औद्योगिक इकाइयों की समस्या का समाधान करना है। गुजरात सरकार को अधिक प्रयास करने चाहिए मैंने गुजरात सरकार द्वारा पहले ही किए गए उपायों का स्वागत किया है किन्तु बहुत सा काम अभी करना बाकी है। अतः गुजरात सरकार को कपड़े की समस्या को सुलझाने का काम तेज करने के लिए, मुझे अहमदाबाद से संसद सदस्य के रूप में अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ी। मैं आशा करता हूं कि अब समस्या का समाधान हो जाएगा। इस मामले में मुझे केन्द्रीय सरकार से सदा अच्छा उत्तर मिला है। दुर्भाग्य से पहल गुजरात सरकार को करनी थी। वर्ष 1985 में, मुख्यमंत्री श्री माधवसिंह सोलंकी ने, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, एक प्रस्ताव किया कि गुजरात सरकार बन्द 12 कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेगी और उन मिलों की चालू करेगी जो चलाई जा सकती हों। केन्द्रीय सरकार ने योजना को

[श्री हरुभाई मेहता]

स्वीकृति प्रदान की और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। जिसके परिणामस्वरूप समस्या का समाधान हुआ। तत्पश्चात् औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रत्यक्ष उल्लंघन में मिल स्वामियों द्वारा गैर जिम्मेदार तौर पर बन्द किए जाने से 16 कपड़ा मिलें बन्द कर दी गई हैं। किन्तु वे आजादी से घूम रहे हैं। कुछ मुकदमे भी चलाए गए हैं। वे उच्च न्यायालय में भी गए और उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलाया गया है। अत: कपड़ा मिलों की समस्या को सुलझाने की अत्यावश्यक जरुरत को समझाने के लिए मुझे भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। अहमदाबाद का समस्त कामकाजी वर्ग इसके लिए संघटित किया गया और मुझे अब पूरी आशा है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए गम्भीर प्रयास किया जाएगा।

राष्ट्रपति ठीक ही कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र ने अच्छा काम किया है। फिर भी, सार्वजनिक क्षेत्र के अच्छे काम के बावजूद, मैं यह कहता हूं कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक इकाइयां नौकरशाही ढंग से चलती हैं। बैंकों में भी, उनके राष्ट्रीयकरण के पश्चात्, हम इनका लोकतंत्रीयकरण नहीं कर सके हैं। लगभग वे दफ्तरशाही ढंग से चलते हैं। कभी-कभी राष्ट्रीकृत बैंकों के प्रबंधमण्डल सार्वजनिक राज-कोष की लागत पर पांच-सितारा होटलों में रहते हैं। इस 24 फरवरी को मुझे बैंकिंग के प्रभारी मंत्री से एक लिखित उत्तर मिला कि 1986-87 में देना बैंक ने 36 लाख रुपये की राशि एक फ्लैट प्राप्त करने में खर्च की जिसमें इस समय वर्तमान चेयरमैन रहते हैं।

बैंक के चेयरमैन के लिए रिहायिशी फ्लैट प्राप्त करने के लिए 36 लाख रुपये खर्च करने पड़े। यदि इस प्रकार बैंक काम करेंगे तो वे गरीब जनता की जरुरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। अत: सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्ध को सुधारने के लिए इसमें मजदूरों की भागीदारी और अधिक करने और सार्वजनिक क्षेत्र के लोकतंत्रीयकरण करने की जरुरत है।

बेरोजगारी के प्रश्न के संबंध में राष्ट्रपति ने एक पंक्ति में उत्तर दिया है: "राष्ट्र को विश्वास होगा कि हम गरीबी दूर करेंगे और बेरोजगारी को समाप्त करेंगे।" मुझे भी विश्वास है। किन्तु मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि वास्तव में ठोस कार्यवाही करनी है; अन्यथा बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होगा। वास्तव में काम करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है यद्यपि इसका उल्लेख निदेशक सिद्धान्तों में किया गया है। रोजगार सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। सरकार उस अधिकार को लागू करने में और गम्भीरता से काम करेगी यदि संसद सरकार को उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना लागू करेगी जो पूरे प्रयासों के बावजूद रोजगार नहीं प्राप्त कर सके है।

कृषकों के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा। किसानों के लिए बहुत अच्छे उपाय किये गये हैं; किन्तु खेतिहर मजदूरों के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। वास्तव में मैंने यह सुझाव दिया था और मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जब तक कृषक खेतिहर मजदूरों के हित में न्यूनतम मजदूरी की नीति लागू नहीं करते उन्हें आर्थिक सहायताओं, अनुदानों तथा सरकार को अन्य बहुत से परोपकारी कामों का लाभ नहीं मिलना चाहिए। खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान उन्हें लाभ देने से पूर्व शर्त होनी चाहिए जो किसानों को सरकार से प्राप्त होगी। प्रत्येक किसान को आर्थिक सहायता का लाभ मिलता है; किन्तु खेतिहर मजदूर को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। उन्हें कभी-कभी न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के लिए जीवन भर लड़ना पड़ता है।

राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था में दबाव के दो मुद्दों का उल्लेख किया है; मूल्य और भुगतान शेष। भुगतान शेष पर मेरे अच्छे मित्रों ने चर्चा की है। जहां तक मूल्यों का संबंध है मैं सरकार से एक आश्वासन चाहता हूं कि कुछ आवश्यक वस्तुएं स्थाई रूप से मूल्य वृद्धि से बचाई जाएं। सरकार को गम्भीरतापूर्वक यह घोषणा करनी चाहिए कि आम आदमी के खाने की चीजें, वस्त्र आदि में कोई मूल्य-वृद्धि नहीं होगी। जिसका अर्थ यह है कि आम जनता को आवश्यक वस्तुओं के मामले में मूल्य-वृद्धि के खिलाफ पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। यह कठिन नहीं है, इसका आश्वासन दिया जाना चाहिए।

मैं इस बात की भी आशा की थी कि राष्ट्रपति गरीबी के खिलाफ ऐसे प्रत्यक्ष उपायों की घोषणा करेंगे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने नई दिल्ली के अधिवेशन में की हैं जैसे, सस्ता खाना, दोपहर का भोजन, सस्ती धोतियां तथा साड़ियां। वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में स्पष्ट उल्लेख न किये जाने पर मुझे थोड़ी निराशा हुई थी। निश्चित रूप से मुझे यह आशा है कि मेरे अच्छे मित्र श्री एस० बी० चव्हाण कल बजट प्रस्तुत करते समय इस बारे में कुछ घोषणा करेंगे।

आवास के प्रश्न का भी कई बार उल्लेख किया गया है। परन्तु जब तक हम गन्दी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं कर सकते तब तक हमारी आवास नीति को सफल नहीं समझा जा सकता। मेरे शहर अहमदाबाद में ही 37 प्रतिशत लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं, बम्बई में 40 प्रतिशत लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं, अन्य स्थानों पर यह संख्या कुछ भिन्न हो सकती है। चूंकि हम अब तक गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं कर सके हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं कर पाये हैं, मैं समझता हूं कि इस बारे में कई और कार्य किये जाने चाहिए।

नगरभूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत कुछ राज्यों में लापरवाही से रियायतें दी जाती हैं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में केन्द्रीय सरकार निगरानी करे ताकि नगरभूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिकतम के अन्तर्गत लापरवाही से उन लोगों को रियायतें न दी जायें जो गरीबी की आवास आवश्यकताओं की कीमत पर बड़े-बड़े वाणिज्यिक केन्द्र बनाना चाहते हैं। नगरभूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियमन इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था ताकि भूमि की कीमतों को नियन्त्रित किया जा सके और भूमि में सट्टेबाजी और घांधलेबाजी का सामना किया जा सके और गरीबों के आवास के लिए हमें अतिरिक्त भूमि मिल सके। हम नगरभूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। कुछ सीमा तक ऐसा उन न्यायालयों के कारण हुआ जिन्होंने नगरभूमि अधिकतम सीमा विधान को वर्ष 1973 तक लोगों की चुनौतियों से मुक्त नहीं किया। उसके बाद सरकार को निश्चित रूप से तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए थी परन्तु गरीबों के लिए आवास की सुविधा की व्यवस्था करने के लिए हमारे प्रशासनिक तंत्र की नगरभूमि अधिकतम सीमा विधान के कार्यान्वयन के बारे में और अधिक गम्भीर होना चाहिए।

हमारी अर्थव्यवस्था का विकास सही दिशा में हुआ है। परन्तु फिर भी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या हम अपने प्रयासों के बावजूद इस देश में अमीरों के और अधिक अमीर होने और

[श्री हरुभाई मेहता]

गरीबों के और अधिक गरीब होने की प्रवृत्ति को बदल सके हैं? जब तक हम इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं रह सकते।

महोदय, बहुत से विरोधी दल हमारी आर्थिक नीतियों पर आक्षेप लगा रहे हैं परन्तु मैं इस संदर्भ में जनता दल का अध्यक्ष होने का दावा करने वाले श्री वी० पी० सिंह के वक्तव्य का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने अब बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों से धन लेने के लिए अपने दल के राजकोष के दरवाजे खोल दिये हैं। मैं 'टाइम्स आफ इण्डिया' को उदधृत करते हुए उल्लेख करता हूं :

> "जनता दल के अध्यक्ष श्री वी० पी० सिंह ने आज यह उल्लेख किया कि दल की गतिविधियों पर खर्च करने के लिए उनका दल बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों से वित्तीय सहायता ले सकता है।"

जनता दल के सदस्य और उसके संभावित समर्थक कृपया इससे सतर्क रहें। जनता दल द्वारा अपने दल के लिए व्यापारियों से योगदान लेने का अभिप्राय यह है कि उन्हें अपनी आर्थिक नीतियां छोड़नी होंगी। मैं उनके बड़े व्यापार के लिए उपलब्ध रहने जैसे कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा परन्तु मैं निश्चित रूप से यह कहूंगा कि जो दल वास्तव में बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों से धन के लिए अनुरोध करता है और उन पर निर्भर रहना चाहता है वह दल अपनी समाजवादी आर्थिक नीति का पालन नहीं कर सकता।

अतः राष्ट्र को भूतपूर्व वित्त मंत्री और जनता दल के अध्यक्ष श्री वी० पी० सिंह के वास्तविक उद्देश्य से सतर्क रहना चाहिए जो कि अनेक कार्यों की आलोचना कर रहे हैं। अब उन्होंने स्वयं बड़े व्यापारिक घरानों को अपने दल की सहायता करने के लिए बुलाया है जिसके परिणामस्वरूप जनता दल के प्रति व्यापारिक घरानों की निष्ठा का विनिमय समाजवादी नीतियों से किया जायेगा।

इस चेतावनी और इन टिप्पणियों के साथ मैं राष्ट्रपति के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

*श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम) : सभापति महोदया, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में कुछ बातें कहना चाहूंगा। राष्ट्रपति महोदय ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने के बारे में योजनाओं का उल्लेख किया है। मैं उन योजनाओं का समर्थन करता हूं। विशेष रूप से तमिलनाडु में भारी सूखे की स्थिति व्याप्त है। राज्य में प्रत्येक स्थान पर पेय जल की समस्या है। दक्षिण-पूर्वी मानसून के न आने के कारण पेय जल की समस्या और भी बढ़ गई है।

3.58 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मेरे चुनाव क्षेत्र में शोलिंगापुरम, अरकाट और छेयार सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। तमिलनाडु के लोगों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति होते हुए कृषि कार्यों के बारे में क्या बात की जा सकती है। मुझे इस बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है प्रत्येक व्यक्ति यह जानता कि पिछले तीन-चार वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। कृषि पर बुरा

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्रभाव पड़ा है और अपने जिले में हम कृषि कार्यों के लिए कुआं सिंचाई प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं। वर्षा न होने के कारण कुएं सूख गये हैं। बिजली की सप्लाई भी बहुत कम है। बिजली और पानी की समस्या से राज्य के कृषि कार्यों में भारी पैमाने पर हानि हुई है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई हानि को ध्यान में रखकर राज्य में सूखे से प्रभावित सभी लोगों को उदारतापूर्वक सहायता दी जाये।

यह वह देश है जहां भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी पैदा हुए थे। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदय ने उचित रूप से यह उल्लेख किया है कि भारत में हिंसा और आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं इन वक्तव्यों का स्वागत करता हूं। फिर भी आंध्र प्रदेश के एक हिस्से में नक्सलवादी समस्या बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में दिन दहाड़े एक विधायक की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के परिणामस्वरूप वहां आगजनी और उपद्रव की घटनाएं घटित हुई। इस स्थिति ने ऐसे संकट के समय आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाही करने की अयोग्यता को सामने ला दिया। अनियंत्रित रूप से सम्पत्ति की लूट और हत्याएं की गई। केन्द्रीय सरकार को हत्याओं और उपद्रवों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग को नियुक्त करनी चाहिए। आंध्र सरकार द्वारा स्थिति पर नियंत्रण न कर पाने के कारण उपद्रव हुए। अतः आंध्र सरकार को केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रतीक्षा छोड़ देनी चाहिए। राज्य के पास उपलब्ध धनराशि का प्रयोग करके ही इसे उपद्रवों के शिकार व्यक्तियों के लिए राहत की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य सरकार को इस बारे में किसी आर्थिक सहायता का इन्तजार नहीं करना चाहिए। मैं आंध्र प्रदेश में आई० ए० एस० और आई० जी० एस० कर्मचारियों की स्थिति का उल्लेख करना चाहूंगा। इस बारे में बहुत अफवाहें फैल चुकी है कि वहां आई० ए० एस० और आई० पी० एस० कर्मचारियों के साथ उतने सम्मान से व्यवहार नहीं किया जाता जितने सम्मान के वे पात्र हैं। आंध्र प्रदेश में आई०ए०एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों में असन्तोष व्याप्त है। विधायक की हत्या के बाद उत्पन्न जन आक्रोश को नियंत्रित करने में आंध्र प्रदेश सरकार की अयोग्यता का सम्भवतः यह एक प्रमुख कारण है। आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों की शिकायतों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और सरकार को किसी भी समय नौकरशाही से अपने सम्बन्धों में अलगाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। यदि सरकार और नौकरशाही सहयोग से कार्य करते तो विधायक की हत्या के बाद उत्पन्न आगजनी और लूट की स्थिति को रोका जा सकता था। दिन दहाड़े विधायक की हत्या को भी टाला जा सकता था। केन्द्रीय सरकार को इस पहलू की भी जांच करनी चाहिए और भविष्य में इसके अनुपालन के लिए राज्य को आवश्यक मार्गनिर्देश जारी करने चाहिए। इस अवसर पर मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि किसी विशेष स्थान पर ही औद्योगिक इकाइयों को न लगाया जाये अपितु उन्हें सभी क्षेत्रों में, जिनमें गांव भी सम्मिलित है, स्थापित किया जाये। इससे अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास होगा। और हम बड़े शहरों में प्रदूषण की समस्या का भी समाधान कर सकेंगे।

4 00 म० प०

गांवों में बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है। ग्रामीण विकास रोजगार कार्यक्रमों में ग्रामीण युवकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री और सम्बन्धित मंत्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

इस समय विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए दी जाने वाली राज सहायता को बन्द कर दिया गया। बहुत से उद्योग पहले ही चालू किए जा चुके हैं। अचानक राजसहायता स्थगित

[श्री हरुभाई मेहता]

करने से उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। इससे हजारों व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं। माननीय वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री को उद्योगों को राजसहायता देना पुनः आरम्भ करने के लिए समन्वित कार्यवाही करनी चाहिए। मैं गांवों में एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख करना चाहूंगा। वर्तमान पंचायत ढांचे से ग्रामीण व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जानी चाहिए। उसकी रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों के ढांचे का नवीकरण किया जाना चाहिए। एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत केवल एक वर्ग के लोगों के लिए आवास सुविधाएं उपलब्ध करने की व्यवस्था है। परन्तु अन्य समुदायों में भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। अतः एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत अन्य समुदायों के गरीब लोगों के लिए भी सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए। एन० आर० ई० पी० कार्यक्रम के केवल एक समुदाय के लोगों पर लागू होने के कारण अन्य समुदायों के गरीब लोग खिन्न हैं। हाल में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की मतदान प्रणाली से यह बात स्पष्ट हो गई है। अतः एन०आर० ई० पी० कार्यक्रम का विस्तार सभी गरीब लोगों के लिए किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिए। पंचायत राज प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जो कार्यवाही कर रहे हैं मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। पंचायतों को अधिक शक्तियां हस्तांतरित करने के लिए एक कानून बनाने के उनके प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं।

महात्मा गांधी कहा करते थे कि असली लोकतंत्र गांवों में है। अतः हमें ग्रामीण विकास पर अपना ध्यान केन्द्रीन करना चाहिए। गांवों की अर्थव्यवस्था में सुधार होने पर ही देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास होगा। अतः हमें गांवों के मूल ढांचे को मजबूत बनाने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिएं।

पंजाब समस्या का समाधान करने के लिए माननीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी द्वारा की जा रही कार्यवाही का भी मैं स्वागत करता हूं। पंजाब समस्या का समस्या ढूढने के लिए प्रधान मन्त्री द्वारा की जा रही कार्यवाही पूरी सभा का विश्वास और समर्थन प्राप्त होगा। मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं कि इस देश में हिंसा और आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। उन दलों के बारे में भी यही स्थिति है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन कराते हैं। उनके लिए भी इस देश में कोई स्थान नहीं है। तमिलनाडु में बैंक लूटने निर्दोष लोगों की हत्या और पुल विस्फोट जैसी असामाजिक गति विधियां लगातार घटित हो रही हैं। ऐसा श्रीलंकी से कुछ गुमराह तमिल युवक कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इन गतिविधियों को रोकने के लिए तमिलनाडु के नए मुख्यमन्त्री श्री करुणानिधी उपयुक्त कार्यवाही करेंगे। माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने श्री लंका की समस्या का सामना एक प्रशंसनीय तथा कूटनीति पूर्ण तरीके से किया है। श्री लंका में अभी चुनाव हुए हैं और श्री लंका में नए राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री हैं। द्वीप में चुनावों से तमिलों का कल्याण सुनिश्चित हुआ है। तमिलनाडु से एक प्रसिद्ध राजनैतिक नेता ने हाल ही में श्री लंका का दौरा किया है। तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी यात्रा और उनसे सम्बद्ध पार्टी से इस मुद्दे पर कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं उनके वक्तव्य का स्वागत करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार को सूचित किए बिना ऐसा यात्रा न करे। मुझे आशा है कि राज्य

में सत्ताधारी पार्टी के लोग ऐसे कार्यों से भारत सरकार तथा राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को खराब नहीं करेंगे।

राज्य में स्थिति में परिवर्तन के बाद मुझे विश्वास है कि कावेरी में अब हर समय पानी रहेगा। कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने बड़े उत्साह पूर्वक कहा है कि वह के० आर० सागर बांध को बन्द नहीं करेंगे। तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री जब भी चाहेंगे तब वह उन्हें पानी देने के लिए तैयार हैं। इसलिए कावेरी में पानी की कमी नहीं रहेगी। अब पालार नदी में भी पानी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि कर्नाटक के माननीय मुख्य मन्त्री ऐसा ही बर्ताव करेंगे और कर्नाटक में पेठयामंगलम झील से पानी छोड़ेंगे। मुझे आशा है कि इस प्रकार दोनों मुख्य मंत्रियों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि तमिलनाडु में कोई भी नदी सूखी नहीं रहेगी। कावेरी और पालार नदियां हमेशा पानी से भरी रहेंगी। इसलिए मैं समझता हूं कि दोनों राज्यों में जल विवाद का निपटारा करने के लिए न्यायाधिकरण नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दोनों मुख्यमन्त्री दोनों नदियों में जल सुनिश्चित करने के लिए सहमत हो गए हैं और मैं समझता हूं कि इससे अत्यधिक सम्पन्नता आएगी।

———

4.10 म० प०

दिनांक 26-2-1989 को 3-अप नैनपुर – हाऊबाग – जबलपुर छोटी लाइन यात्री गाड़ी तथा 413-अप मोकामा—पटना यात्री गाड़ी और 328- डाउन दानापुर-हावड़ा तीव्र यात्री गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो के बारे में वक्तव्य

[हिन्दी]

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : सभापति महोदय, मैं बड़े दुख के साथ सदन को यह सूचित करता हूं कि 26-2-1989 को लगभग 15.30 बजे दक्षिण-पूर्व रेलवे के नागपुर मंडल के अनियंत्रित नैनपुर-जबलपुर छोटी इकहरी लाइन खंड पर 3 अप नैनपुर-हाऊबाग-जबलपुर पैसेंजर गाड़ी की दुखद दुर्घटना हुई। जब यह गाड़ी अपने 8 सवारी डिब्बों के साथ शिकारा और सुकरी मंगेला स्टेशनों के बीच चल रही थी तब गाड़ी के इंजन के साथ वाले 5 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये जिनमें से तीन सवारी डिब्बे अर्थात दूसरा, तीसरा एवं चौथा सवारी डिब्बे कि० मी० 1180/2-4 पर उलट गये। पटरी से उतरने की इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उपलब्ध सूचना के अनुसार 24 यात्रियों की जानें गयीं और 90 यात्रियों को चोटें आयीं जिनमें से 38 यात्रियों को गम्भीर चोटें आयी।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही तत्काल जबलपुर से चिकित्सा अधीक्षक तथा डाक्टरों सहित चिकित्सा राहत यान दुर्घटना स्थल पर भेज दिया गया। मंडल रेल प्रबन्धक, जबलपुर और मंडल रेल प्रबन्धक, नागपुर अपने अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हो गये। स्थानीय सिविल और पुलिस अधिकारी गण भी दुर्घटना-स्थल पर पहुंच गये।

राहत-व्यवस्था देखने के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे महाप्रबन्धक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हावड़ा से चले गये हैं।

मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री माधव राव सिन्धिया, जो ग्वालियर में थे, दिल्ली से भेजे गये एक विशेष हवाई जहाज द्वारा ग्वालियर से दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये हैं। उनके साथ सदस्य यातायात और सदस्य यांत्रिक, रेलवे बोर्ड भी गये हैं।

पहचाने गये मृतकों के निकट सम्बन्धियों तथा गम्भीर और साधारण रूप से घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राहत दिये जाने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं। यह राशि घायलों और मृतकों के निकट सम्बन्धियों को देय मुआवजे जिसे मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामित तदर्थ दावा आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, के अतिरिक्त होगी।

इस दुर्घटना की सांविधिक जांच नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय के अधीन पश्चिमी क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त झाऊबाग में 1-3-1989 से शुरू की जाएगी।

मुझे सदन को अत्यन्त दुख के साथ एक अन्य दुर्घटना जो 26-2-1989 को 13.05 बजे पूर्व रेलवे के दानापुर मण्डल मे हुई थी, के बारे में भी सूचित करना है। इस दुर्घटना में, जब गाड़ी नं० 413 अप मोकामा-पटना पैसेंजर गाड़ी बड़ और अठमाल गोला स्टेशनों के बीच चल रही थी, तो इस का सबसे पिछला दूसरा दर्जा-एवं सामान ब्रेकयान, कि० मी० 486/2 पर पटरी से उतर गया जिससे डाउन लाइन अवरुद्ध हो गयी। ठीक उसी समय गाड़ी नं० 328 डाउन दानापुर-हवड़ा फास्ट पैसेंजर इस स्थल से गुजर रही थी और गाड़ी नं० 413 अप पैसेंजर गाड़ी के पटरी से उतरे हुए दूसरे दर्जे के सामान एवं ब्रेक यान से टकरा गयी। इसके परिणामस्वरूप 6 यात्री मारे गये और तीन घायल हो गये। मण्डल रेल प्रबन्धक, दानापुर अपने सहयोग अधिकारियों और डाक्टरों सहित दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये और घायल यात्रियों को आवश्यक चिकित्सा सहायता पहुंचायी।

मृतकों के निकट सम्बन्धियों और घायल व्यक्तियों के लिए अनुग्रह राहत की व्यवस्था की जा रही है।

इस दुर्घटना की सांविधिक जांच रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र द्वारा की जाएगी।

मैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री माधवराव सिन्धिया और रेलवे के सभी पुरुष और महिला कर्मचारी इन दोनों दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के प्रति गहरी संवेदन और घायल व्यक्तियों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करने में सदन भी हमारे साथ है।

———

4 14 म० प०

प्रधानमंत्री द्वारा आज प्रश्नकाल के दौरान की गई कतिपय टिप्पणियों को स्पष्ट करने वाला वक्तव्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री(श्रीमती शीला दीक्षित) : सभापति महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सुबह विपक्ष ने अनुचित कारणों से इस सभा का बहिष्कार करने का फैसला किया। विपक्ष के एक नेता द्वारा खालिस्तान का कथित समर्थन का

उल्लेख करते हुए प्रधान मन्त्री ने सम्पूर्ण विपक्ष पर आरोप नहीं लगाया था। वास्तव में उन्होंने आतंकवाद की निंदा करने तथा आतंकवाद की चुनौति का सामना करने के लिए अनेक विपक्षी पार्टियों की भूमिका का उल्लेख किया और उनकी प्रशंसा की।

ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष का बहिष्कार एक राजनैतिक रूप से प्रेरित योजना का भाग था।

मुझे आशा है कि इस स्पष्टीकरण के बाद विपक्ष के सदस्य वापस आ जाएंगे और सभा की कार्यवाही में शामिल होंगे।

———

4.15 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—(जारी)

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा पेश किए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण निःसन्देह एक परम्परा है। एक कैलेंडर वर्ष में संसद के पहले सत्र के पहले दिन वह दोनों सभाओं को सम्बोधित करते हैं लेकिन इसका अत्यधिक महत्व है। वास्तव में उनका अभिभाषण सरकार के कार्य का संक्षेप तथा इसकी समीक्षा होता है और इसका उद्देश्य देश को राष्ट्र के मुखिया के रूप में सलाह देना होता है।

महोदय, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में राष्ट्र कार्यों के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा की है। उन्होंने विशेष रूप से आर्थिक, राजनैतिक और विदेशी मामलों पर प्रकाश डाला है।

राष्ट्रपति ने उचित ही नेहरूवाद का उल्लेख किया है। यह नेहरू का शताब्दी वर्ष है और न सिर्फ हम अपने देश में बल्कि पूरे विश्व भर के देश नेहरू का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि सारा विश्व पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे पुत्र पर गर्व करता है वह वास्तव में इस देश तथा सम्पूर्ण विश्व के अत्यन्त महान पुत्र हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसा नेता अपने पहले प्रधान मन्त्री के रूप में पाने पर हम वास्तव में भाग्यशाली हैं। वह कर्म में विश्वास रखते थे और अत्यन्त आशावादी थे। उन्होंने स्वयं स्वाधीनता आन्दोलन में अत्याधिक कुर्बानी दी। हम भाग्यशाली हैं कि वे हमारे प्रथम प्रधान मन्त्री थे। आजादी के चार दशकों के बाद भी हम ऐसा एक क्षण के लिए भी नहीं सोच सकते कि यदि आजादी प्राप्ति के तत्काल बाद, देश के भाग्य का निर्माण करने के लिए उन जैसा गुणी अथवा राजनेता हमारा प्रधान मन्त्री नहीं होता। नेहरू की नीतियों से हटने तथा इस देश में नेहरूवाद को क्या होता को छोटने के लिए अहितकारी प्रयास किए गए। जनता राज के दौरान 1977 से 1980 तक ऐसे कुछ प्रयास किए गए थे लेकिन इसका परिणाम भयानक रहा। वे आगे नहीं बढ़ सके। उदाहरण के लिए आप औद्योगिक नीति अथवा भाषा नीति और गुट-निरपेक्षता की नीति लीजिए। स्वयं पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दो अन्य महान नेताओं के साथ इसकी स्थापना की थी। यह उनके दिमाग की उपज थी। क्या आप इस विदेश नीति को प्रारम्भ करने में पंडित जवाहर लाल नेहरू के साहस को जानते ही हैं, इस पर हमें अब गर्व है?

बड़ी शक्तियों की ओर से बोलने वाले कुछ वक्ता इस गुट-निरपेक्ष नीति को अनैतिक कहते थे। लेकिन इस आलोचना से पंडित नेहरू आगे बढ़ने से नहीं रूके। उनका अपना सोचने का तरीका था।

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

अब हम देखते है कि उनके द्वारा बोया गया बीज एक विशाल वृक्ष बन गया है। आज विश्व के एक सौ से अधिक देश गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य हैं। नेहरू की इस नीति को मैं 'नेहरुवाद' कहता हूं और इसने एक नए विचार-लोकतन्त्रीय समाजवाद को बढ़ावा दिया है, यह विश्व के राजनैतिक शास्त्र को एक नई दिशा योगदान है। हम लोकतंत्र को, समाजवाद को जानते थे। जिन देशों में वास्तव में लोकतंत्र है, लोक पूर्णतकार्यरत है, वहां हम समाजवाद नाममात्र को भी नहीं पाते है। इसी प्रकार समाजवादी देशों में थोड़ा भी लोकतंत्र नहीं है। यह कितना अच्छा विचार है कि लोकतन्त्र तथा समाजवाद दोनों ही विद्यमान हों हमारे यहां समाजवाद में मिला हुआ लोकतंत्र है और यह लोकतंत्रीय समाजवाद एक नया दर्शन है और पंडित नेहरु द्वारा दिया गया नया दृष्टिकोण है, उनकी शताब्दी हम इस वर्ष मना रहे हैं। इस नीति का श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सही अनुसरण किया था। अब श्री राजीव गांधी इसका अनुसरण कर रहे हैं। इस नेहरुवाद ने भारत को विश्व के नक्शें पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अग्रणी भूमिका है। हम सभी अपना योगदान अच्छी तरह जानते हैं। राजीव जी दक्षिण अफ्रिका कोष समिति की अध्यक्षता कर रहे है और हर व्यक्ति जानता है कि इसका परिणाम एकदम स्पष्ट है। जब कुछ भाड़े के सैनिकों ने श्री संका तथा अन्य स्थानों से गुंडे भाड़े पर लेकर मालदीव्स में तबाही मचाने का प्रयास किया तो उनके अनुरोध पर तुरन्त मालदीव्स में रक्षा के लिए सैनिक भेजने में हमारी भूमिका की विश्व भर में प्रशंसा हुई है। मैं नहीं जानता कि विपक्ष इन सब बातों को क्यों नहीं समझता है। निःसन्देह भारती विपक्ष का चरित्र तथा भूमिका भिन्न है। वे अपने संकीर्ण राजनैतिक लाभ के लिए तुच्छ रूप से सोचते हैं। यह चुनाव वर्ष है इसलिए वे कोई भी चीज सही रूप में नहीं देखते हैं।

हमारे द्वारा समीक्षा किये जा रहा पिछला वर्ष एक कठिन वर्ष था। घरेलू स्तर पर यह एक कठिन वर्ष था। कुछ भागों में कानून और व्यवस्था की स्थिति गंभीर थी। मौसम उपयुक्त नहीं था। मौसम उपयुक्त नहीं था। हमारे यहां अच्छी वर्षा नहीं रही और हमें देश के अत्यन्त भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? इन दबावों के बावजूद इस सरकार का आर्थिक कार्य कैसा रहा है? मैं इस बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि बजट कल पेश हो रहा है। जब हम बजट पर चर्चा करेंगे तब आर्थिक मामलों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अतः इस बारे में मैं अभी नहीं बोलूंगा। मैं एक या दो मुद्दे ही लेता हूं और अत्यन्त संक्षेप में बोलूंगा। हमने 9 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की है देश अब तक की सबसे ज्यादा वृद्धि पर प्राप्त करने वाला है। न सिर्फ विकासशील देश बल्कि विकसित देश भी हमसे ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की आलोचना में कहा है कि यह विद्यमान स्थिति की वास्तविकता को नहीं दर्शाता है। मैं नहीं जानता कि वे इस आरोप को किस प्रकार प्रमाणित कर सकते हैं।

मैं अभी-अभी सभा पटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण से उद्धृत करता हूं। सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह चलाने के लिए सरकार को इसका श्रेय देता है। क्या इसमें भी राजीव गांधी का हाथ है? यह सर्वेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वतन्त्र रूप से किया है और यह अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह चलाने के लिए सरकार की प्रशंसा करता है। इस कठिन अवधि में कम वर्षा के बावजूद अर्थव्यवस्था ने उद्योग में 8 प्रतिशत वृद्धि दिखाई है और कृषि में 7 से 20 प्रतिशत की वृद्धि है। सर्वेक्षण यह भी कहता है कि इस दर से भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते लचीलेपन का पता चलता है। इसलिए मुझे अन्य बातें उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है। यह सातवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम

वर्ष है तथा इस वर्ष नेहरु जन्म शताब्दी भी मनायी जा रही है। हमें देखना चाहिए कि विगत चालीस वर्षों में उद्योग के क्षेत्र में हमारी क्या उपलब्धि है। पहले हम एक पिन अथवा एक स्लेड भी नहीं बना सकते थे परन्तु पंडित जवाहर लाल नेहरू की सही नीति, जिसको बाद में इंदिरा जी और राजीव जी ने उचित ढंग से आगे बढ़ाया, के कारण आज भारत प्रमुख औद्योगिक देश है तथा यह विश्व के औद्योगिक रूप से विकसित प्रथम दस देशों में से एक है।

आप जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ है। यदि आप 1950-51 के उत्पादन की तुलना आज से करें तो अब भारत उससे तीन गुना अधिक उत्पादन कर रहा है।

आप हमारी विदेश नीति देखिये। यह कितनी उपयोगी है। आज अमरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आप सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध देखिए। ये कितने प्रगाढ़ हैं। हम श्री राजीव गांधी के उनकी निर्भीक पहल के लिए बड़े आभारी है। जो उन्होंने अपनी चीन यात्रा के दौरान की थी तथा उन्होंने जोखिम भी उठाया था। ऐसा करके उन्होंने उस देश के साथ सम्बन्धों में एक नयी शुरूआत की है। जो पिछले दो दशकों से अच्छे नहीं थे। हमने पाकिस्तान के साथ भी अपने अच्छे सम्बन्ध बनाये हैं। पंचशील, दिल्ली घोषणा और गुट निरक्षेप के सिद्धान्तों का पालन करके भारत विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कभी-कभी इससे देश की जनता को सम्मान और गर्व होता है। आज देश में आतंकवाद और हिंसा की ज्वलंत समस्याएं हैं जो अत्यधिक चिंता का विषय है। राष्ट्रपति ने सरकार का संकल्प तथा आतंकवाद समाप्त करने का इरादा भी व्यक्त किया है।

धर्म से राजनीति को पृथक करने के लिए हमने विगत वर्ष एक कानून पारित किया था। इस दिशा में अनेक कार्य करने की आवश्यकता है। चर्चा की पहल करते हुए श्री माधव रेड्डी खेद व्यक्त कर रहे थे कि उनसे परामर्श नहीं किया गया है। प्रारम्भ में प्रधान मंत्री ने उनसे अनेक बार परामर्श किया। उन्हें प्रत्येक बात के लिए बुलाया गया परन्तु विपक्ष ने सोचा कि यह सरकार की कमजोरी है कि वह महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में बार-बार परामर्श कर रही हैं इसलिए उन्होंने भिन्न व्यवहार किया। आप जानते हैं कि हाल ही में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ मुख्य मंत्रियों ने कैसी आपत्तियां की है। कुछ मुख्य मंत्री राजनीति को ध्यान में रखकर बातें कह रहे थे। बातचीत के लिए भारत सरकार के दरवाजे हमेशा खुले है। वह पंजाब की समस्या के लिए राजनैतिक समाधान ढूंढ रही है। ऐसा विपक्ष की सहायता से किया जा सकता है। इस समय उन्हें समस्याओं की संकीर्ण दलगत दृष्टि-कोण से नहीं देखना चाहिए बल्कि उन्हें देश की एकता और अखण्डता पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए।

इसके पश्चात, मैं बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि का उल्लेख करना चाहता हूं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में ठीक ही कहा है कि सरकार को इन दोनों क्षेत्रों में भरसक प्रयास करना चाहिए। हमें मूल्य वृद्धि रोकनी होंगी। यह सच है कि 1977-80 के दौरान जब सूखा पड़ा था, तो यह वर्तमान से कम गंभीर था। उस समय मुद्रा स्फीति की दर 22 प्रतिशत थी। परन्तु अब यह 10 प्रतिशत से कम है परन्तु मूल्य की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र का कार्य भी सन्तोषजनक है। इसने अच्छा कार्य करना आरंभ किया है। उनका कार्य बेहतर है। इसने उल्लेखनीय प्रगति की है। परन्तु सरकारी क्षेत्र के उचित कार्य के लिए एक नयी कार्य संस्कृति शुरू की जानी चाहिए। हमारी यह आशा है। हमारी लोक-

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

तांत्रिक समाजवादी व्यक्त है इसलिए सरकारी क्षेत्र को अच्छा कार्य करना चाहिए तथा हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा।

इसके अलावा मूल्य वृद्धि और उचित मजदूरी की नीति के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये हैं। मैं कुछ बातें बता रहा हूं परन्तु उन्हें विस्तार से बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार और दूसरे संगठनों के विभिन्न कर्मचारियों के लिए हमारी मजदूरी नीति भिन्न-भिन्न है। विभिन्न राज्य एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे है। परन्तु सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र, सरकारी संस्थानों, शहरी निकायों प्राथमिक शिक्षकों आदि के समान वेतनमानों के लिए विचारपूर्ण व्यापक नीति बनायी जानी चाहिए।

जैसाकि आप जानते है 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो लगभग 35 करोड़ जनसंख्या थी। अब यह इसकी दो गुनी से अधिक हो गयी है। हमें परिवार कल्याण के कार्यक्रमों पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही हमें कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को और भी बढ़ाना होगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जो इसमें पिछड़ रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में किसान और ग्रामीण लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। हमें उनके असन्तोष तथा उनकी वास्तविक समस्याओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा और समाधान भी करना पड़ेगा।

हमारा उद्देश्य विकास करना है। और सामाजिक न्याय के साथ विकास हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देश ने आर्थिक रूप से औद्योगिक और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय आय में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। साथ ही कुछ क्षेत्र पिछड़ रहे हैं। उनका अभी तक इतना विकास नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। विकास के सन्दर्भ में वे दूसरे राज्यों के समान नहीं है। ऐसा ही समाज के सम्बन्ध में है। हमारा एक जटिल समाज है। हमने कमजोर वर्गों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये हैं, परन्तु उन्हें उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। हम राज्य के तन्त्र में दोष निकाल सकते हैं।

हमारा उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ विकास और सम्पूर्ण देश का संतुलित विकास करना है। इस सम्बन्ध में उड़ीसा जैसे पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में बिजली उत्पादन, शिक्षा, कृषि, सिंचाई और रेलवे समेत दूर संचार के क्षेत्रों में तथा उद्योग और आधारभूत सुविधाओं के प्रति अधिक ध्यान दिया जाए।

हम राष्ट्रपति के आभारी हैं तथा राष्ट्रपति अभिभाषण के सम्बन्ध में श्री गाडगिल द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। हमारे सामने अनेक समस्यायें हैं। राष्ट्रपति ने भी कुछ क्षेत्रों के प्रति सजग किया है जिनमें अधिक कार्यवाही करनी होगी। इस समय सभी दलों को अपने मतभेद दूर कर देने चाहिएं। यह सच है कि राजनैतिक दृष्टि से हम में मतभेद हो सकता है। परन्तु सरकार के उन प्रयासों में हमें सहयोग देना चाहिए। जो लोगों की आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई भावणि (राजकोट) : सभापति महोदय, संसद के बजट अधिवेशन की शुरुआत करते हुए हमारे राष्ट्रपति महोदय ने जो अभिभाषण दिया और इस सदन में गाडगिल साहब ने धन्यवाद का जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करती हूं और उन्हें बधाई देती

हूं। इस वर्ष को हम जवाहरलाल नेहरू शताब्दी के वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। जवाहरलाल जी का नाम हमारे देश में एक ऐसा गरिमा है जिन्होंने देश को निरस्त्रीकरण और विश्व शांति के लिए नई राह दी, इसको राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में व्यक्त किया है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इस राह को आगे बढ़ाने के लिए इन्दिरा जी ने और 'हमारे वर्तमान' प्रधान मंत्री जी ने साकार करने के लिए काफी प्रयत्न किये। हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को मैं धन्यवाद देती हूं।

मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि पिछले 4 सालों में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में करीब 60 देशों के साथ सम्बन्ध बढ़ाये हैं और इससे भी आगे बढ़कर कई देशों की संकट के समय हाथ बढ़ाकर मदद की है, जैसे मालदीव, श्रीलंका और अन्य पड़ौसी देशों की सहायता की है। यह हमारी महान उपलब्धी है। आजादी के बाद उन्होंने पहले प्रधानमंत्री के रूप में चीन की यात्रा की और पाकिस्तान के साथ महत्वपूर्ण मामलों को निपटाने का प्रयास किया। दूसरे, हमारे देश में धार्मिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उससे हम सबको परेशानी है। इसके लिए हमारे राष्ट्रपति जी ने, भी चिन्ता व्यक्त की है और अपने अभिभाषण में कहा है कि हम इस समस्या पर काबू पाने के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप इस पर जल्दी से अमल करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं पर एक नई जिम्मेदारी सौंपी है, अब उन्हें राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा अवसर मिलेगा। ऐसे ही अवसरों को और ज्यादा बढ़ाये जाने की जरूरत है। साथ-साथ देश में जितने शिक्षित बेरोजगार नवयुवक हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी योजना बनायी जानी चाहिए जिससे उनका हौसला बढ़े, उन्हें काम मिल सके और बेकारी की समस्या का हल हो। मैं समझती हूं कि इसके लिए हर राज्य में नई भर्ती और नये उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनके माध्यम से नवयुवकों को काम मिल सके और उनकी बेकारी की समस्या का अन्त हो।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने चार सालों में देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिये बहुत सराहनीय कदम उठाये हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है परन्तु मेरा विचार है कि माध्यमिक शिक्षण में कंप्यूटर साइंस व्यवसाय कोर्स को भी शामिल कर लिया जाये ताकि हमारी भावी पीढ़ी और तेजी से विकास कर सके;

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है कि भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिये दीर्घकालीन नीति की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जो सराहनीय बात है, लेकिन इस नीति पर जल्दी से जल्दी अमल हो ताकि इस देश की महिला केवल अबला न बनी रहे बल्कि हिम्मत से हर मुसीबत का सामना करने में समर्थ हो। उसे ऐसी प्रशिक्षण देना चाहिये ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके।

हमें खुशी है कि पर्यावरण को बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय वन नीति में काफी परिवर्तन किया गया है, उसके बावजूद जंगलों को नष्ट करने का क्रम अभी भी जारी है। इससे हम सबको चिन्ता है। मेरा मत है कि वन संरक्षण अधिनियम को और सुदृढ़ बनाया जाये। वनों के उचित मेंटेनेंस की जरूरत है। हमें कोई ऐसा कार्यक्रम तैयार करना चाहिये ताकि इस देश में वनों का अधिक से अधिक विकास हो और उनकी रक्षा हम कर सकें।

जल प्रदूषण के अंतर्गत गंगा की सफाई के लिये, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाये हैं, उन्होंने पूरे देश के धार्मिक लोगों की भावनाओं को जीत लिया है। यह कदम उठाकर उन्होंने देश हित

[श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि]

में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। आप जानते हैं कि हमारे देश के लोग अत्यन्त भावुक हैं। हमारे किसान भाइयों को पिछले तीन साल से लगातार कुदरत के साथ मुकाबला करना पड़ा, जब इस दाताब्दी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा। सूखे की समस्या हल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई राज्यों का दौरा किया और केन्द्रीय सरकार ने पीड़ित व्यक्तियों को काफी राहत दिलाई। किसान भाई उस योगदान को कभी भूल नहीं पायेंगे। लेकिन आज अच्छी फसल होने से भी किसानों के सामने उचित मूल्य मिलने की कठिनाई है। मैं चाहती हूं कि केन्द्र सरकार अभी से ऐसे कदम उठाये कि हमारे किसान भाइयों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिल सके। हमें यह भी सोचना चाहिए कि उनका उत्पादन कैसे बढ़े, कैसे उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा मिले।

अन्त में मैं आपका और सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर दिलाना चाहती हूं जहां पिछले 4 सालों में लगातार तीन साल सूखा रहा है। मैं चाहती हूं कि देश भर में ऐसे इलाकों का सर्वे कराया जाये जो अधिकतर सूखे से प्रभावित रहते हैं और ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि अधिकतर सूखे से प्रभावित रहते हैं और ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि सूखाग्रस्त इलाकों में किसान भाइयों की मदद की जा सके। हमें रिसर्च करके ऐसी फाल पर जोर देना चाहिए जो इन इलाकों में हो सके। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने पंचायती राज को फिर से मजबूत बनाने का आह्वान किया है और उन्होंने इस समस्या का गहनता से अध्ययन किया है कि कैसे रूरल एरियाज को डेवलप किया जाये। इससे ग्रामीण लोगों की भावनाओं को अवश्य बल मिलेगा और पंचायती राज को मजबूत बनाने से किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। मेरा निवेदन है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए, जितनी कोशिश हमारी सरकार करेगी, हमें उतना फायदा मिल सकेगा। इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : सभापति महोदय, मैं श्री वी० एन० गाडगिल को राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती हूं।

यह समृद्धि का वर्ष है क्योंकि मैं यह सोचती हूं कि अगले बीस वर्षों के लिए भी समृद्धि होगी। मैं समृद्धि कह रही हूं क्योंकि हमने अनेक ऐसे कार्य किये हैं जिन्हें हमने सपनों में भी नहीं सोचा था। इस वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनायी जा रही है, इसे सम्पूर्ण देश में मनाया जा रहा है। वह महान समाज सुधारक, विद्वान और लोकतांत्रिक थे।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हम लगातार विगत तीन वर्षों से सूखे का सामना कर रहे हैं। हमने उन पर नियन्त्रण कर लिया है। पूरे देश में अच्छी वर्षा हुई है तथा फसल अच्छी है। हमें आशा है कि लक्ष्य से अधिक कृषि का उत्पादन होगा। केवल इतना ही नहीं, जहां तक आन्तरिक सुरक्षा का सम्बन्ध है वह पहले से अधिक है। हमारे प्रधानमंत्री चीन गये तथा बातचीत चल रही है, दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ है तथा कुछ फार्मूलों पर विचार किया जा रहा है ताकि सौहार्द और शांतिपूर्ण सम्बन्ध हो सकें और दूसरे क्रियाकलापों के क्षेत्र में भी बेहतर सम्बन्ध हो सके।

मालद्वीप ने भी हमारी सहायता मांगी और हमारे प्रधान मंत्री ने तुरन्त ही उनके बचाव के लिए सेना भेज दी। तुरन्त ही हमारे जवान वहां पहुंच गए और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई मालद्वीप की सरकार की रक्षा की। इससे हमारे राष्ट्र की संस्कृति और विराजत प्रदर्शित होती है।

जब भी लोग हमारे पास सहायता के लिए आये तो चाहे वे किसी भी देश के क्यों न हों हमने उन्हें बचाने का प्रयत्न किया। इसलिए हमारे प्रधान मंत्री ने उनकी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को बचाने की कोशिश की।

पाकिस्तान में श्रीमती बेनजीर भुट्टो सत्ता में आयी हैं और वह लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई महिला प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री की सार्क सम्मेलन में उनसे भेंट हुई और आपसी सम्बन्धों के बारे में विचार-विमर्श किया। उनकी बातचीत के जल्द ही कुछ परिणाम सामने आएंगे और हम भी प्रगाढ़ सम्बन्ध बनाने का प्रयत्न करेंगे। यह हमारी दूसरी उपलब्धि है।

इसी प्रकार हमारे देश के चारों ओर अधिक सुरक्षा है। हमने भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसे हम पूरी तरह लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावों के स्वरूप श्री लंका में निर्वाचित सरकार बनी है। यह भी हमारी उपलब्धि है।

पंजाब में भी हमने आतंकवाद का मुकाबला किया है यद्यपि हम यह नहीं कह सकते कि हमने इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया है। इसके प्रयास किए जा रहे हैं और पंजाब में आतंकवाद समाप्त कर दिया जाएगा तथा शीघ्र ही वहां सामान्य लोकतन्त्र कार्य करने लग जाएगा। इस वर्ष यह दूसरा सुधारात्मक कार्य है।

दूसरा कदम हमने उन लोगों को मताधिकार देने के लिये उठाया है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। इस प्रकार ऐसे बहुत से सन्देहात्मक प्रश्न स्पष्ट हो गए है कि क्या हम नवयुवकों को मताधिकार की अनुमति देंगे और क्या वे वर्तमान राजनीतिक स्थिति को समझने में समर्थ होंगे आदि। प्रधान मंत्री ने बार-बार यह कहा है कि हमें उन्हें विश्वास में लेना चाहिए और हमें उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में लाना चाहिए तथा इसीलिये इक्कीसवीं शती में पदार्पण करने से पहले हम उन्हें इस महान राष्ट्र के चहुंमुखी विकास में शामिल करने का प्रयास करेंगे। इस तरह उनके विचारों को विश्वास में लिया जाएगा और सरकार उनकी समस्याओं को समझेगी।

जहां तक बेरोजगारी की समस्या का सम्बन्ध है हमारे प्रधान मंत्री अपने विभिन्न भाषणों में पहले ही कह चुके हैं कि वह एक दिन सभी युवकों को रोजगार प्रदान करायेंगे। ये तीनों उपलब्धियां हमने पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त की हैं।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है मैं पहले ही यह कह चुकी हूं कि इस वर्ष का उत्पादन लक्ष्य 177 मिलीयन टन है। किन्तु इस उत्पादन लक्ष्य में वृद्धि होने की बहुत अधिक संभावना है। क्योंकि हमारे किसानों ने प्राप्त सभी नई विधियों (तरीकों) और नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि संकट के समय में भी उत्पादन उतना कम नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था सरकार ने सूखे और बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिए साहसिक निर्णय लिया। इससे सम्बद्ध सभी सरकारी विभागों ने बचाव कार्य किये और इस चुनौती का सामना किया। हमने समाचार-पत्रों में कोई भी ऐसा समाचार नहीं देखा जिसमें यह कहा गया हो कि लोग खाने या पीने के पानी की कमी के कारण मर गए और मवेशी चारे के अभाव में मर गए। हमने ऐसा कोई भी समाचार नहीं सुना। इससे यह पता चलता है कि सरकार ने अभाव, सूखे और बाढ़ के समय इस चुनौती का सामना करने में कितनी कुशलता से कार्य किया है।

[श्रीमती बसवराजेश्वरी]

जहां तक बेरोजगारी का संबंध है बेरोजगारी की समस्या सारे देश में है। कभी न कभी तो हमें इस समस्या पर विजय पानी ही होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने संबंधी रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं।

महोदय मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखती हूं। जहां कहीं सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं वहां श्रम की बहुत कमी है और उन ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार का कोई अभाव नहीं है। सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि सभी चालू सिंचाई परियोजनाएं यथा संभव शीघ्र पूरी होनी चाहिएं। इन परियोजनाओं में किसी भी स्थिति में तकनीकी कारणों से देर नहीं की जानी चाहिए। इनमें धन की कमी के कारण भी देरी नहीं होनी चाहिए। राज्यों के बीच भी बहुत से विवाद हैं। इन विवादों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए। जहां ये परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं वहां नहरों की खुदाई का कार्य पूरा नहीं हुआ है। जहां कहीं नहरें उपलब्ध है वहां पानी का उपयोग करने के लिए खेतों में नाले तैयार नहीं हैं और भूमि का विकास नहीं हुआ है। जहां तक सिंचाई सम्भावनाओं का सम्बन्ध है उपरोक्त सभी बातें अत्यधिक अवरोध पैदा कर रहीं हैं। हमें सिंचाई की संभावनाओं पर धन लगाना करना चाहिए। लोगों को पानी का प्रयोग उचित रूप से करना चाहिए। इससे न केवल किसान बल्कि श्रमिकों को भी लाभ पहुंचेगा। गैर-सिंचाई वाले क्षेत्रों में दी जाने वाली राशि से अत्यधिक कर्म है। अत: मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं। आठवीं योजना के दौरान हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भूमिगत या उठाऊ सिंचाई जो भी है, की सभी चालू परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है उसकी खोज करनी ही चाहिए। लोहा, सोना, इस्पात, बॉक्साइट जैसी खनिज सम्पदा हमारे देश है। हमें इन वस्तुओं की खोज करनी है। लोग यह कार्य करने के लिए तैयार हैं किन्तु सरकार के पास संसाधन नहीं हैं। अपनी कच्ची सामग्री का निर्यात करने के लिए विदेशों से बात चीत करनी चाहिए हमें खनिज संसाधनों की खोज करनी चाहिए। खनिज संसाधनों के उत्पादन और उनकी खोज के समय इससे न केवल श्रमिक को रोजगार मिलेगा बल्कि ट्रांस पोर्टरों और अन्य बहुत से लोगों को भी काम मिलेगा। हम भविष्य में इस प्रकार की योजना बनायेंग और यह देखेंगे कि ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए।

मैं एक और सुझाव यह देना चाहूंगी कि किसानों को इस बात का आश्वासन दिया जाना चाहिए कि उन्हें लाभकारी कीमतें दी जाएं। लगातार बाढ़ और और सूखे के कारण अधिकांश किसान हतोत्साहित हो गए हैं और उन पर अत्यधिक भार बढ़ गया है। ये विभिन्न प्रयोजनों के लिए गये ऋण का भुगतान नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वे इसका भुगतान करना नहीं चाहते हैं। वे इसका भुगतान करने की इच्छा रखते हैं बशर्ते कि उनकी कुछ मदद की जाए। वे बेईमान लोग नहीं है। वे असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। वे अपने अधिकारों के लिए शोर नहीं मचाएगें। जब ऐसे हालात हों तो सरकार को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। महाराष्ट्र जैसे बहुत से राज्यों ने उनके ऋण माफ करके सराहनीय कार्य किया है। मैं इसकी वकालत नहीं करती। मैं तो यह दलील दे रही हूं कि जहां ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मूलराशि से अधिक हो वहां आप एक मुश मूलराशि को वसूल, करने का प्रयास करें वे अधिकांश राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। बहुत से राज्यों में ऐसा किया जा चुका है। कर्नाटक में भी जिन किसानों ने सरकारी संस्थाओं से ऋण लिया था वे भी एक निर्धारित अवधि के भीतर सारे मूलधन का एकमुश्त भुगतान करने के लिए तैयार हैं और उनका ब्याज तथा

दाण्डिक ब्याज माफ किया जा रहा है। इस राशि को अप्राप्य राशि माना जाना चाहिए। यह अपेक्षा न करे कि कभी न कभी वापिस मिल जाएगा। यह केवल कागजों में ही संचय किया जाएगा और कागजों में ही रहेगा। वस्तुत: ब्याज और दाण्डिक ब्याज सहित ऋण का भुगतान करना संभव नहीं है। सदन में यह बात बहुत बार कही जा चुकी है कि जहां-कहीं ब्याज और दाण्डिक ब्याज मूल धन से अधिक हो तो उसे बट्टे खाते डाल दिया जाना चाहिए और उन्हें इसके बोझ से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। उन पर कर नहीं लगाए जाने चाहिए। मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि दूसरे देशों में पम्प सेटों, बिजली के बिलों और ऐसी ही अन्य बहुत सी चीजों के लिए उन पर कर नहीं लगाया जाता। उन्हें लाभकारी कीमतें दी जानी चाहिए। किसानों का सारा धन बिचौलियों द्वारा हड़पा जा रहा है। उदाहरण के लिये मेरे बाग में अंगूर 6 रुपये प्रति किलो ग्राम के हिसाब से बेचे जाते है किन्तु जब यही अंगूर दिल्ली आते है तो इन्हें 40 रुपये प्रति किलो ग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। किसान इस अन्तर को किस प्रकार पूरा कर रहे है? हम इसका कोई हल नहीं ढूंढ़ पाए है। हमें इन बिचौलियों को हटाना है। मुझे प्रधान मन्त्री की इस बात से बहुत खुशी हुई है कि वे कृषि पर आधारित बहुत से उद्योग शुरु कर रहे हैं। उन्हें खाद्य संसाधन इकाईयों जैसे कृषि पर आधारित उद्योग खोलने वाले सभी लोगों के लिए प्रोत्साहन और सहायता दिए जाने की घोषणा की है ताकि किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। इन उद्योगों के कार्यों में तेजी लायी जानी चाहिए और जहां कहीं कच्ची सामग्री उपलब्ध है वहां कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके।

आवास नीति के संबंध में आवास निर्माण के लिए ऋण देने हेतु एक आवास बैंक खोला गया है। जहां तक खेती हर कामगारों और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों का संबंध है उन्हें आवास उपलब्ध कराना बहुत ही कठिन कार्य है। हम उन्हें उचित दर दुकानों के माध्यम से हमदारी दरों पर खाद्य-पदार्थ उपलब्ध करा रहे हैं। हम उन्हें पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं। अधिकांश समस्या ग्रस्त ग्रामों में अब पीने के लिए अच्छा पानी उपलब्ध है। इसलिए प्रथम और महत्वपूर्ण समस्या उन्हें आवास प्रदान करने की है। यह कार्य हम पहले से ही कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे मकानों के निर्माण के लिए वित्त प्रदान करने हेतु बहुत से राष्ट्रीकृत बैंक सामने आए है। हमने इस योजना का नाम श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखा है। हमारा लक्ष्य यह है कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को आवास उपलब्ध हो। किन्तु इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत धन की मात्रा अपर्याप्त है। और अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि इन गरीब लोगों को यथा संभव शीघ्र आवास उपलब्ध हो सके। अन्यथा ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो लोग झोंपड़ियों में रहते है उनकी अधिकांश झोंपड़ियां जल जाएगी और वे बेघर हो जाएंगे। उन्हें इसका कोई मुआवजा भी नहीं मिलता है। जब हालात ऐसे हों तो आपको आवास समस्या की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए तथा इसके लिए और अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

अनेक सदस्य पहले ही कपड़ा नीति पर बोल चुके है। मुझे अनेक हथ करघा बुनकरों से पता लगा कि उनके पास कच्चे माल की कमी है। इस उद्योग पर आश्रित अनेक हथकरघा से संबंधित लोगों ने कपड़ा बुनना बन्द कर दिया है और वे अब अत्यधिक कठिनाई में है। अत: मेरा अनुरोध है कि सम्पूर्ण नीति की समीक्षा की जाए। हमारी विद्यमान नीति केवल अमीर लोगों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की मदद कर रही है। इस उद्योग पर आश्रित गरीब बुनकर कोई अन्य धन्धा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक दस्तकार है। उसे अपना स्वयं का धन्धा करना है इस स्थिति में सम्पूर्ण कपड़ा नीति की समीक्षा होनी चाहिए।

[श्रीमती बसवराजेश्वरी]

परिवार नियोजन पूर्णतया होना चाहिए अन्यथा अधिक स्कूल, अस्पताल खोलकर तथा अधिक डाक्टर उपलब्ध कराकर हम जो विकास कर रहे है वह व्यर्थ हो जाएगा । हम जो कुछ भी कर रहे है उसे अपर्याप्त पाते हैं और इस कारण हम एक विकसित देश नहीं बन सके हैं । यदि जनसंख्या पर कुछ नियंत्रण हो तो हम एक विकसित देश बन सकते हैं । लेकिन फिर भी हमारे सभी प्रोत्साहनों और अन्य बातों के बावजूद हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके । इस बारे में उचित महत्व दिया जाना चाहिए ।

मैं श्रमिक नीति के सम्बन्ध में मैं समझाती हूं कि श्रमिक नीति कुछ सन्तोषजनक है इस वर्ष हमने श्रमिकों के अनेक कानून पारित किए हैं लेकिन मुझे शका है कि क्या श्रमिकों के कल्याण के लिए पारित होने वाले ये कानून निचले स्तर तक पहुंच रहे है । मैं नहीं समझती कि इनमें से काफी कानून उन तक पहुंचे हैं । श्रमिक कानूनों का पर्याप्त प्रचार नहीं होता है । अनेक लोग तो यह भी नहीं जानते कि हमने यहां उनके लिए क्या किया है । अत: उन्हें ये बातें रेडियों तथा दूरदर्शन के प्रचार माध्यमों से सिखाई जाएं और उन्हें पता होना चाहिए कि श्रमिकों के कल्याण के सम्बन्ध में ससद अथवा राज्य विधानसभाओं ने क्या पारित किया है ।

उद्योगी के सम्बन्ध में, छोटे उद्योग अत्यधिक मात्रा में रुग्ण पड़ रहे हैं । कच्चे माल की कमी के कारण ज्यादातर छोटे सिमेन्ट सयन्त्र तथा रोलिम मिलें बन्द पड़ी हैं । एक तरफ तो उत्पादन लागत अधिक हो रही है और दूसरी तरफ वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से स्पर्धा नहीं कर सकते हैं । हर रोज कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही है । इसलिए ज्यादातर छोटे उद्योग या तो बन्द पड़े हैं या बन्द होने वाले हैं । माल भाड़े की ऊंची दरों और कच्चे माल के मूल्यों में बढ़त के कारण ज्यादातर छोटे उद्योग रुग्ण हो रहे हैं । अत: इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिऐं । हमें उनकी हमेशा उन बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां से तुलना नहीं करनी चाहिए जिन्होंने बहुत बड़े उद्योग लगा रखे हैं । वे अत्यन्त तकनीकी उद्योगों में आगे आएं लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में लगे उद्योग थे जो ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध करेंगे, पर्याप्त सुरक्षा दी जाए । यदि इन् उद्योगों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो हम अपनी औद्योगिक नीति का विकेन्द्रीकरण कैसे करेंगे ? एक बार जब हमने निर्णय ले लिया है कि इस देश में उद्योगों का विकेन्द्रीकरण हो तो हमें यथा संभव यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि दूरदराज के क्षेत्रों में लगे उद्योगों को सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि वे ग्रामीण श्रमिकों की जरूरते पूरी करते हैं । अत: उन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं संसद के संयुक्त सदन को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण का धन्यवाद करती हूं ।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : सभापति महोदय, मैं संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रीय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर श्री वी० एन० गाडगिल द्वारा पेश प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । यद्यपि यह अभिभाषण परम्परागत है, फिर भी यह आवश्यक परम्पर है । यहां मैं अभिभाषण के सम्बन्ध में एक गैर-परम्परागत सुझाव देना चाहूंगा और यह गैर-परम्परागत सुझाव यह है कि मेरे मन में पिछले एक दो दिन से यह विचार आ रहा है कि संसद का यह संयुक्त सत्र एक सार्वजनिक स्थान पर क्यों नहीं आयोजित किया जाता ताकि इस देश के लोग जो रुचि रखते हैं, आएं और भाग लें, भाग लेने से मेरा मतलब है कि इस देश में उनका प्रतिनिधित्व करने वाली संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति को अभिभाषण देते हुए और देखें । यदि ऐसा होता है तो लोगों को पता लगने वाली बातों के संबन्ध में कोई

अन्तर नहीं आएगा लेकिन इसका अर्थ यह होगा कि हम दोनों सभाओं को संबोधित करते राष्ट्रपति के अत्यधिक नजदीक लोगों को बिठा कर उन्हें संसद के अत्यधिक समीप ला रहे हैं। अत: पहला सत्र, एक खुले मैदान में क्यों नहीं आयोजित करते जहां राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण दें ? मैं समझता हूं कि सरकार के अधिकारी तथा अन्य संबंधित व्यक्ति इस पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चाहे कारण जो भी हों, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सदस्य अनुपस्थित है।

5.00 म० प०

लेकिन यह स्पष्ट है कि जब संसद के संयुक्त सत्र में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, तो वे इस चर्चा का बहिष्कार कर रहे हैं और इस पर सभा के माननीय सदस्य गौर करें। जब कभी भी हम उन्हें राष्ट्र विरोधी शक्तियों से जोड़ते हैं तो वे कभी-कभी मामले को महत्ता को समझे बगैर ही बातों को महसूस कर जाते हैं। लेकिन कुछ मामले जो हमने देखे, जिनके बारे में हमने सुना और समाचार पत्रों में पढ़ा वे सभा के समक्ष लाए गए हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि कहा गया है, दूसरी सभा में एक सदस्य खालिस्तान का प्रचार कर रहे थे जबकि उनके सहयोगी, उनके मित्र को उनकी पार्टी से निकाल दिया गया था। क्या इस राष्ट्र विरोधी कार्य के बारे में पूछने पर हम गलत है ? जब आतंकवाद कम करने या रोकने के लिए अध्यादेश या विधेयक आदि पर इस सभा में चर्चा होती है तो क्या कभी भी उन्होंने इस सभा में पेश हुए इन विधेयकों या अध्यादेशों का समर्थन किया है ? जब हाल में प्रधानमन्त्री ने यह बताने के लिए विभिन्न देशों का दौरा किया कि आतंकवाद रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं तो इन लोगों ने हमारी स्थिति में अस्थिरता लाने का प्रयास किया। प्रधानमन्त्री के चीन जाने से पूर्व ही ये लोग विरोध कर रहे थे। उनकी इस प्रस्तावित यात्रा की आलोचना की गई। लेकिन उनकी यात्रा के बाद आप परिवर्तन देख रहे हैं। चीन के लोगों तथा चीनी नेताओं ने भारतीय लोगों तथा भारत सरकार के प्रति लगाव प्रदर्शित किया है। जहां राष्ट्रीय हित का मामला होता है विपक्षी दलों के नेता सदैव ही आलोचना करते है और देश-विरोधी शक्तियों के पक्ष में रहते हैं। उन्होंने सकारात्मक सुझाव पेश नहीं किए हैं। अर्थात उन्होंने इस सभा में केवल अपनी संख्या ही दर्शायी है। यद्यपि एक लोकतांत्रिक देश में यह अच्छी बात है कि विपक्षी सदस्य चर्चा में भाग लें लेकिन यदि वे सत्र के बाकि दिन उपस्थित नहीं होते है तो यह बहुत बुरा नही होगा क्योंकि कांग्रेसजन इस देश के लोगों की भावनाएं समझते हैं। हम जानते है कि इस देश के लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं और हम इन्हें पूरा करेंगे। हम जानते हैं कि इस देश के प्रत्येक आम व्यक्ति की समस्याओं का हल कैसे किया जाए। हम आम आदमी की पीड़ा दूर करना जानते है। हमें विपक्ष से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद नहीं है। अत: उनके यहां उपस्थित होने या न होने से अधिक अन्तर नहीं पड़ता है। लेकिन यदि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस सभा में चल रही इस चर्चा का बहिष्कार नहीं करते तो यह अच्छा होता।

सभापति महोदय, इस देश में हो रही सबसे अच्छी बात सत्ता का विकेन्द्रीकरण है, इस बारे में प्रधानमन्त्री अब सोच रहे हैं . मैं नहीं जानता कि विकेन्द्रीकरण के मुद्दों पर इस कार्यवाही का विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है। आज हमारे देश में जिले प्रशासन का मुख्य भाग है और संविधान में उन्हें मान्यता नहीं मिली है।

इसलिए, हम सब चाहते हैं कि इन जिलों को संविधान द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। प्रत्येक जिले में जिला परिषद है परन्तु इन जिला परिषदों के चुनाव समय से नहीं होते हैं। हमारा

[श्री शांताराम नायक]

आवश्यक है कि इस विषय को संविधान में सम्मिलित करने के लिए प्रावधान किए जायें तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन बिलों को धनराशि आवंटित की जाए। मैं नहीं जानता कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया जिस बारे में प्रधान मन्त्री सोच रहे हैं के सम्बन्ध में विपक्ष का क्या विचार है। हमारे संविधान में तीन सूचियां हैं अर्थात समवर्ती सूची राज्य सूची और संघ सूची हमें संविधान में चौथी सूची भी शामिल करनी चाहिए जिसे जिला सूची कहा जाए और जिससे हम देश की स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रभावी ढंग से प्रशासन चलाने के लिए जिलों को शक्तियां दे सकें। अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैं जहां भी गया तथा आम लोगों को बताया कि इन स्थानीय निकायों को शक्ति प्रदान की जायेगी तो उन्होंने इसकी सराहना की इस विचार का विरोध करने से विपक्ष स्वयं ही पर्दाफाश हो गया है जब मताधिकार की आयु घटाकर कम कर दी गयी तो उन्होंने यह अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। परन्तु प्रधान मन्त्री ने बार-बार कहा है कि उन्हें इस देश के युवकों पर विश्वास है। वास्तव में युवा कांग्रेस तथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने इसकी बार-बार मांग की है। परन्तु जब उन्होंने अनुभव किया कि यह संवैधानिक संशोधन हो रहा है। कानून में संशोधन किया जा रहा है और लागू किया जायेगा तो श्रेय के लिए उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि हमने इसका दस वर्ष पहले सुझाव दिया था। परन्तु दूसरे दलों ने कहा नहीं हमने भी सुझाव दिया था तथा हमने संकल्प भी पारित किया था। जब उन्होंने देखा कि इसे क्रियान्वित किया जायेगा तो उन्होंने इसे कृत्रिम ढंग से कहना शुरू कर दिया जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। इस देश में जहां भी क्षेत्रीय दल हैं उनका कोई उद्देश्य नहीं है तथा वे विकास प्रक्रिया में कोई सहयोग नहीं कर सकते।

क्षेत्रीय दलों के संबंध में मेरा राज्य गोवा अग्रणी है। मैं आपको बताता हूं कि मेरे राज्य में एक क्षेत्रीय दल ने केवल एक नीति के आधार पर 18 वर्षों तक शासन किया अर्थात् वह चाहता था कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए। उन्होंने 18 वर्षों तक केवल एक राजनैतिक विचारधारा का पालन किया। उसे कभी सफलता नहीं मिली और अन्त में उसने अपने संविधान में परिवर्तन किया और कहने लगा कि हम भी गोवा को स्वतंत्र राज्य का दर्जा चाहते हैं। हमने ऐसा कोई राजनैतिक दल नहीं सुना जो इस ढंग से अपनी बुनियादी नीति में परिवर्तन करे तत्पश्चात विगत 8 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में आई है इसके विकास की तुलना 18 वर्षों में क्षेत्रीय दल द्वारा किये विकास से करने पर प्रत्येक को आंकड़े देखने पर तथा क्षेत्रीय दल के कार्यकर्ता को जांच करने पर यह प्रतीत होगा कि उन्होंने आठ वर्षों दोगुनी ही नहीं बल्कि तीन गुनी उन्नति की है। जनता ने यह प्रमाणित कर दिया है। इस प्रकार हमने देखा है कि क्षेत्रीय दल क्या हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम भावुकता के कारण बना है तथा इन क्षेत्रीय दलों की कोई आर्थिक और राजनैतिक विचारधारा नहीं है। वे सर्वत्र भावनाओं पर आधारित हैं। अभी श्री एन० टी० रामाराव ने कहा है कि वह 'ब्रह्मऋषि विश्वामित्र' नाम का चलचित्र बनायेंगे उन्होंने पत्रकारों को बताया कि यह पौराणिक चलचित्र है उस चलचित्र में चुम्बन जैसी अनेक बातें होंगी यह शीघ्र ही मालूम पड़ जायेगा कि क्या वह प्यार करेंगे अथवा अभिनेत्री आंध्र प्रदेश की धूल को प्यार करेगी। हमारी सरकार जैसा सरकार का स्तर होता है, मुझे अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। यह सच है कि आतंकवाद पर बल दिया गया है तथा हम इसे समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं। परन्तु इस देश में अच्छे कार्य

भी होते हैं। जब आप आतंकवाद की बात करते हैं तो पर्यटन के बारे में क्यों नहीं कहते ? लोग यहां आ रहे हैं इसलिए मैं यह कह रहा हूं। लोगों को भय नहीं है वे जानते हैं कि आतंकवाद एक विशेष क्षेत्र तक सीमित है एक सीमित क्षेत्र की समस्या है परन्तु पर्यटन बढ़ रहा है। लोग हमारे देश की यात्रा करते हैं वे वाराणसी, गोवा, कश्मीर तथा अन्य स्थानों पर जाते हैं इस प्रकार पर्यटन भी बढ़ रहा है। इसका तात्पर्य है कि लोग पर्यटन के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। इसलिए पर्यटन तथा पर्यटन संबंधी योजनाएं जैसी बातों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। दूसरे मैंने संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जानना चाहा। यह सच है कि अब गोवा एक राज्य है। परन्तु मेरा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रति अभी भी लगाव है। केन्द्र संघ राज्य क्षेत्रों पर स्वतंत्र तथा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन करता है इसलिए मेरे ख्याल से राष्ट्रपति के अभिभाषण में संघ राज्य क्षेत्रों का कुछ उल्लेख किया जाना चाहिए।

जहां तक मेरे राज्य का संबंध है जब हमारे कृषि राज्य मंत्री गोवा गये तो मैंने और कुछ अन्य मंत्रियों ने उन्हें सुझाव दिया कि हमारे यहां गोवा में प्रत्येक प्रकार के कालेज हैं परन्तु हमारे यहां कृषि कॉलेज नहीं है उन्होंने कृपा करके तुरन्त ही घोषणा की कि ज्यों ही राज्य का प्रस्ताव आयेगा हम तुरन्त ही कृषि कॉलेज की मंजूरी दे देंगे।

अब मैं कृषि, उद्योग और शिक्षा के संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्तर पर हमने कृषि, शिक्षा और औद्योगिक नीति बनाई है। परन्तु राज्य सरकार की आवश्यकताओं के बारे में हमने कभी नहीं सोचा है। हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया है कि वे राष्ट्रीय नीति के ढांचे में अपनी स्वतंत्र नीति बनायें। कभी-कभी वे सर्वत्र एक बात का पालन करते हैं और स्वतंत्र रूप से कुछ योजना बनाते हैं। मैं केन्द्र सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि उसे राज्य सरकारों को निर्देश अथवा सलाह देनी चाहिए कि वे भी अपनी स्वतंत्र पर्यटन, औद्योगिक, कृषि तथा शिक्षा नीति बनायें ताकि केन्द्र द्वारा राज्यों को धनराशि के आबंटन के समय किसी विशेष राज्य के किसी विशेष क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके।

5.12 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अन्त में मैं पर्यावरण के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं। अब हम पर्यावरण पर बल दे रहे हैं और हमें देना भी होगा। परन्तु जैसा कि बार-बार कहा गया है कि पर्यावरण के कारण कुछ सिंचाई योजनाएं लम्बित पड़ी हैं। ऐसा ही मामला मेरे निर्वाचन क्षेत्र की मांडवी सिंचाई परियोजना के बारे में है। यह वर्षों से अधूरी पड़ी है। शुरू में केन्द्र सरकार ने कहा था कि यदि गोवा सरकार यह आश्वासन दे कि जितने वनों की कटाई होगी वह उससे दो गुने क्षेत्र में वनरोपण करेंगे तो राज्य सरकार को मंजूरी दे दी जायेगी। राज्य सरकार ने सब प्रकार के आश्वासन दिए हैं परन्तु केन्द्र ने मांडवी सिंचाई परियोजना को मंजूरी नहीं दी है। इस संबंध में केन्द्र को देखना होगा कि क्या नये राज्य गोवा की सिंचाई संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। यदि इन राज्यों की सिंचाई और उद्योग की मांगें पूरी नहीं होंगी तो वे आत्म निर्भर नहीं हो सकते तथा वे हमेशा केन्द्र से धन मांगते रहेंगे। यदि इसे मंजूरी नहीं दी गई तो इन बातों को ध्यान में रखा जाए।

अनेक माननीय सदस्यों ने पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित नीति का उल्लेख किया है। मैं भी इसका सम्मान करता हूं। श्री गाडविल ने कहा है कि मार्क्स तथा दूसरे नेता असफल रहे

परन्तु जवाहर लाल नेहरु सफल रहे। पूंजीवादी देश भी हमारी तरह आम आदमी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। समाजवादी देशों में स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र उद्योग पर विचार किया जा रहा है। इसलिए कुछ मामलों में ये दोनों जवाहर लाल नेहरु द्वारा निर्धारित रास्ते के बीच में आ रहे हैं। वह लोकतांत्रिक समाजवाद का रास्ता है। यद्यपि हमारा विकासशील देश है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जहां उनकी नीतियों का संबंध है प्रत्येक व्यक्ति हमारी विचारधारा पर चल रहा है। यह हमारी सफलता है और हम इस प्रकार देश को आगे बढ़ायेंगे।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गाडगिल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए जितने उत्साहवर्धक प्रसंगों की चर्चा की है, वह हमें स्व० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद दिलाते हैं। भारत सरकार के कार्यों की समीक्षा करते वक्त राष्ट्रपति जी ने उनको सही परिप्रेक्ष्य में लिया है और उसकी सही प्रशंसा की है। हमारे राष्ट्रपति जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं और अपने गतिशील व्यक्तित्व को अपनी ओर से सारे देश में प्रस्तुत किया है। इसलिए उन्होंने अपनी ओर से जिस भावना को व्यक्त किया है और भारत सरकार के कार्यों की जिस रूप में प्रशंसा की है, वह बिल्कुल स्वाभाविक है और व्यवहारिक भी है। इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति का दोष नहीं लगाया जा सकता।

इस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने मुसीबतों में भी आगे बढ़कर अपनी सरकार को शुरु किया। उस समय अपनी सरकार का कार्य प्रारम्भ किया जबकि देश भयंकर आतंकवाद का सामना कर रहा था, देश में विघटनकारी तत्व सक्रिय थे। विदेश के सामने प्राकृतिक विपदाएं थीं। भीतरी और बाहरी कई प्रकार के खतरे देश के सामने थे। उन्होंने उन सभी खतरों में, विघटनकारी और फूटपरस्ती के वातारण के बावजूद देश को संभाला और आगे बढ़ाया। यह सचमुच में प्रशंसनीय ही नहीं बल्कि विस्मयकारी भी माना जा सकता है।

देश में इतना भयंकर सूखा पड़ा जैसा कि सौ साल में नहीं पड़ा था। उसका मुकाबला सरकार ने बड़ी मुस्तैदी से किया। यही नहीं देश में बाढ़ आई। देश में भूकम्प आया। उत्तरी बिहार में ही नहीं देश के कई हिस्सों में आया। इन सब विपदाओं में हम उम्मीद करते थे कि इनसे देश में गरीबी बढ़ेगी लेकिन इन सब के बावजूद 6.3 परसेंट की वृद्धि हुई। हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, कपास का उत्पादन बढ़ा और बहुत सारी दूसरी चीजों का उत्पादन बढ़ा। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं हम देश में पांच परसेंट सकल वृद्धि की ओर जा रहे है। हमारा लक्ष्य 6 प्रतिशत का है और हम उम्मीद करते हैं कि हम उस टारगेट से भी आगे बढ़ जायेंगे।

हमारी योजनाओं के माध्यम से उद्योगों में 8 परसेंट की वृद्धि हुई है। हमारे देश में उद्योग निरन्तर बढ़ रहे हैं।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब देश का शासन संभाला था तो देश के अन्दर और देश के बाहर एक तनाव का वातावरण था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी खूबी के साथ उसको संभाला। 1985 में हमारे पड़ोस में जो स्थिति थी, पाकिस्तान, बिअगोगार्शिया, चीन, श्रीलंका आदि इन देशों में भारत के

प्रति सन्देह का वातावरण बना हुआ था। तब चीन और पाकिस्तान से हमारी मैत्री नहीं थी। तब छोटे छोटे देश भी अपने स्वर बदलते रहते थे। वे जानते थे कि कभी सहायता की जरुरत पड़ेगी तो चीन और पाकिस्तान से हमें सहयोग मिलेगा और दूसरे अगल-बगल के राष्ट्रों से हमें सहयोग मिलेगा। लेकिन यह श्री राजीव गांधी की प्रतिभा के कारण हुआ कि उन्होंने इतने कम समय में श्रीलंका और आसपास के पड़ौसी देशों में ऐसी छाप डाली कि भारत के प्रति जो इन देशों में सन्देह का वातावरण बना हुआ था वह खत्म हुआ। क्योंकि श्री राजीव गांधी ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत विस्तारवादी देश नहीं है। भारत अपने उपनिवेश बनाना नहीं चाहता बल्कि अपनी सार्वभौमिकता की रक्षा करते हुए दुनिया के देशों की सार्वभौमिकता की रक्षा करने वाला देश है। इसी नीति का परिणाम था जहां श्रीलंका में आतंकवाद फैल रहा था वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुईं। वहां भारत के जवानों और भारत सरकार की जो भूमिका रही है वह दुनिया से छिपी नहीं है। भारत की विदेश नीति के कारण अब भारत के इर्द-गिर्द देशों में भी लोकतंत्र विकसित हो चुका है। भारतवर्ष की वजह से ही पाकिस्तान में लोकतंत्र आया। पाकिस्तान में जनरल जिया जैसे तानाशाह का पतन हुआ और वहां लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित सरकार सत्ता में आई। पाकिस्तान के लोगों को भी भारत की भूमिका से प्रेरणा मिली इसको कहने में हमें संकोच नहीं है। पाकिस्तान के लोग यह जानते हैं कि भारतवर्ष के लोग और सरकार पाकिस्तान में लोकतंत्र की कामयाबी चाहते हैं। वहां भी भारतवर्ष की लोकतांत्रिक पद्धति की तरह श्रीमती बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनीं।

भारत की शुभकामनाओं और इस देश के वातावरण ने दूसरे देशों में भी ऐसा ही वातावरण पैदा किया है, यह मैं कह सकता हूं। पाकिस्तान से आने-जाने वाले लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला, उनसे हमने पूछा कि राजीव गांधी जी के प्रति आपकी भावनाएं कैसी हैं तो उन्होंने बताया कि जब कभी हम लोग राजीव जी को तस्वीर टी० वी० पर देखते हैं तो सब लोग कहते हैं कि यह है किसी देश का प्रधानमंत्री, इन नेतृत्व में देश कितना तरक्की कर रहा है, लेकिन ये सारी बातें विरोधी दल के लोगों की समझ में नहीं आती, वे तो सिर्फ चार्ज लगाना जानते हैं, किसी का चरित्रहनन करना चाहते हैं। विरोधी दल तो बस इसी काम में संलग्न है कि किस प्रकार से नेताओं का चरित्र हनन किया जाए, यह काम कभी रचनात्मक नहीं हो सकते। विरोधी दल के लोग प्रधानमंत्री के चरित्र हनन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, हर तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे इस देश में ये मान्यताएं स्थापित हो रही है कि विरोधी पार्टी की हरकतें, उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, इन पार्टियों का कोई नैतिक स्तर नहीं है, ये लोग उस स्तर से बहुत नीचे चले गए हैं। जिस जनता दल की ये बात कर रहे हैं, कई पार्टियों से मिलकर यह दल बना है, इस पार्टी के चेयरमैन कहते हैं अध्यक्ष से कि तुमको जाना है तो उठ कर चले जाओ और अध्यक्ष उठकर चला जाता है, फिर कहते हैं कि तुमको आना है तो आ जाओ, फिर अध्यक्ष जी वापिस आ जाते हैं। जिस पार्टी की यह तहजीब हो, यह अनुशासन हो, वह दल किस प्रकार से देश को व्यवस्था दे सकता है। जिस पार्टी की विदेश नीति की घोषणा से मित्र देशों में शंका का वातावरण पैदा हो गया है, यू० एस० एस० आर० से हमारी बड़ी पुरानी मित्रता है' दूसरे देशों से भी मित्रता कायम हो रही है, जिन देशों से हमारी मित्रता नहीं थी, जो हमारे विरोधी थे, वहां भी हमने मित्रता कायम की है, लेकिन ये लोग इस वातावरण को विघटित करना चाहते हैं।

अभी हठभाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने पूंजीपतियों से सहयोग लेने, चन्दा लेने की बात कही है, यह अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीपतियों से कहा जा रहा है कि आप

[श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश]

हमें चन्दा दीजिए, इस तरह फासिस्टवादी प्रतिशोध की प्रक्रिया है। ऐसी शक्तियां, जिनका आपस में सैद्धान्तिक मेल नहीं होता, वे पूंजीवादी ताकतें हो सकती हैं, प्रतिक्रियावादी ताकतें हो सकती हैं, समाजवादी ताकतें भी सकती हैं, प्रतिशोध लेने के लिए ये सारी शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं। जिससे इनको प्रतिशोध लेना होता है, उसको दुनिया की नजरों से गिराने के लिए उस पर आरोप लगाए जाते हैं, फासिस्टवाद के अन्तर्गत प्रतिशोध लेने वाली और प्रतिक्रियावादी शक्तियों में संवाद होता है, इनका गठजोड़ होता है और जिस नेता को ये अच्छे कामों से पराजित नहीं कर सकते, अच्छे कामों से जिसके प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, उसको दुनिया की नजरों में गिराने के लिए फासिस्टवादी तरीके अपनाते हैं। इसका सबसे पहला कदम अफवाह फैलाना होता है और उसके माध्यम से शक्तिशाली नेता का चरित्र हनन करना होता है। इसके लिए उनके इंटेलिजेंसियों को पैसे की जरूरत होती है, थैली के बल पर के इंटेलिजेंसियों को, अखबार वालों को खरीदते हो और इसके लिए ही पूंजीपतियों का आह्वान किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि फासिस्टवादी ताकतें, सामंतवादी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें नया दल बनाना चाहती हैं, लेकिन यह सम्भव नहीं होगा। हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में देश को एक दिशा मिल रही है, हम लोकतंत्र का विकास कर रहे हैं, समाजवादी मान्यताओं के प्रति हम समर्पित हैं, गरीबों के हक में इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ-देश बचाओ, वह गरीबी हटाने की दिशा में एक क्रांतिकारी नारा था, लेकिन इन सब चीजों से इन फासिस्टवादी शक्तियों, पूंजीवादी और सामंतवादी शक्तियों का कोई सम्बन्ध नहीं है, आज ये आपस में इकट्ठे हो रहे हैं।

अन्त में मैं पंचायती राज के बारे में कहना चाहता हूं, विरोधी दल के लोग कहते हैं कि इस तरह से राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, उन पर केन्द्र हावी हो रहा है। इनको समझना चाहिए कि यह कोई नई बात नहीं है। हम जिन मान्यताओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इन मान्यताओं को महात्मा गांधी ने 1935 में कांग्रेस सेशन में रखा था कि कौन-कौन सी नीतियों पर हम चलेंगे। उनमें से एक नीति यह थी कि धरती की सारी चीजें, मिनरल्स, सम्पत्ति सब जनता की धरोहर होगी, आज हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं।

उन्हीं बुनियादी उसूलों पर जो महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हिन्दुस्तान देखना है तो शहर में नहीं बल्कि गांव में जाकर देखो। अब गांव में कौन सा भारत दिखाई पड़ता है, दुखी, नग्न, बेचारगी, अशिक्षा और गरीबी का। जिन मान्यताओं के लिए विघटनकारी शक्तियों से इंदिरा जी ने मुकाबला किया, उन्हीं मान्यताओं के लिए आज हम भी लड़ रहे हैं इसलिए पंचायती राज के माध्यम से देश के किसानों को जो हक हमें देना चाहिए, वही हक दे रहे हैं। आज हम देखते हैं कि पोखर, कुओं, नहरों, छोटे इरीगेशन और प्लेटों के एरिया में पचास-सौ गज जमीन पाटने की बात हो तो ऐसी छोटी-छोटी स्कीमों के लिए हमारे पास पैसे उपलब्ध नहीं होते और सही रूप से उनको इम्पलीमेंट नहीं कर सकते इसलिए पंचायती राज के माध्यम से इन मूल समस्याओं की ओर हमारी नजर जानी चाहिए। इसके लिए प्लानिंग का अधिकार उन किसानों और गरीबों को मिलना चाहिए जो खेतों और खलिहानों में काम कर रहे हैं जिनके खून खून-पसीने की कमाई से भारत की बुनियाद मजबूत हो रही है, भारत का लोकतंत्र सशक्त हो रहा है और देश शक्तिशाली हो रहा है। अन्त में राजीव जी प्रशंसा में एक लाईन

सुनाना चाहता हूं : श्री लोंगफैलो का कहना है :

सैल ऑन ओ शिप ऑफ ए स्टेट
सैल ऑन ओ यूनियन स्टॉग एण्ड ग्रेट

राजीव जी की प्रशंसा में यही कहना चाहता था कि भारत प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, प्रेजीडेंट साहब के भाषण पर श्री गाडगिल साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसकी ताईद करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस एड्रेस में सही तौर पर हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार का जो देश से गरीबी हटाने का प्रोग्राम है उसके लिए सरकार ने जो एक्तामाद उठाए हैं उसका बड़े ही अच्छे ढंग से प्रेजीडेंट साहब की ओर से वर्णन किया गया है। यह देखने में आया है कि जहां-जहां भी हमारी सरकार के प्रोग्राम चल रहे हैं चाहे वह आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०, सैल्फ एम्पलायमेंट या इंदिरा आवास योजना; उससे हमारे गरीब भाईयों और गांवों में रहने वाले किसानों को बहुत फायदा हुआ है। इसके लिए मैं अपने नौजवान नेता श्री राजीव गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं। इन स्कीम्स को पूरी तरह से लागू करने के लिए, इसका सही फायदा मिले उसके लिए अच्छे ढंग से सरकारी मशीनरी होनी चाहिए। बैंक्स में इस ढंग से काम होना चाहिए जिससे लोगों को दिक्कत न आएं। देखने में यह आया है कि जितने बैंक्स हैं या दफ्तर हैं वहां जाने से गरीब लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं और कई लोग तो बीच में ही छोड़कर चले आते हैं या तंग आकर इसका फायदा नहीं उठा सकते। सबसे अहम बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पंचायती राज को लागू करना चाहते हैं और पंचायतों को ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं, उससे हमारे गरीब लोगों को फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात पंचायतों को देने चाहिए और यह भी ख्याल रखना चाहिए कि पंचायतों जो अख्तियारात हैं उनका सही ढंग से इस्तेमाल हो, मिस-यूज न हो।

उसका फायदा गरीब आदमी को पहुंचे। पण्डित जी ने कहा था कि अगर मुल्क से गरीबी खत्म करनी है तो सहकारी समितियों को मजबूत करना चाहिए। यह ठीक है कि कुछ रियासतों में सहकारी आन्दोलन ठीक चल रहे हैं लेकिन कुछ राज्यों में सहकारी आन्दोलन बन गया है जहां पर वैस्टेड इंटरेस्ट फायदा उठाते हैं जिनसे आम जनता को फायदा नहीं मिल पाता। सहकारिता आन्दोलन को ऐसा मजबूत करना चाहिए जिससे उसका फायदा किसानों और गरीबों तक पहुंच सकें। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है कि इस देश में सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई मसला है तो वह है बेरोजगारी का। मेरा राज्य जम्मू-कश्मीर भी इस मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। यह मसला लोगों को इस कद्र परेशान किये हुए है कि राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में कहा है कि इसके लिए सरकार कदम उठाना चाहती है। इसके लिए फ्रैश प्रोग्राम बनाने चाहिए जिससे यह मसला हल हो सके और लोगों को फायदा पहुंचे। यह ठीक है कि जो हमारी योजना है कि एक परिवार में से कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जाये, यदि वहां कोई मुलाजिम नहीं है। मैं अपने अनुभव के आधार पर ऐसा समझता हूं कि इससे किसी परिवार को फायदा नहीं होगा। जिस नौजवान या आदमी को आप नौकरी देते हैं और वह कुनबा पांच-सात सदस्यों का है, अगर वह आदमी शादी कर ले तो दूसरे ही दिन घर में दीवार खड़ी हो जाती है और वह अलहदा हो जाता है। बाकी परिवार के सदस्य वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए आपको इसके अलावा भी यह सोचना चाहिए कि बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए भी ऐसा जरिया

[श्री जनक राज गुप्त]

होना चाहिए जो कि सेल्फ इम्प्लायमेंट के तहत हो कि हर आदमी को नौकरी मिले या उसे काम करने के लिए परमूएड किया जाये। यह भी देखने में आता है कि आपका जो सेल्फ इम्प्लायमेंट का प्रोग्राम है, कोई भी नौजवान पढ़ जाता है, मैट्रिक पास करके तो उसे कहा जाये कि अपना काम करो तो नहीं करना चाहता। इसलिए सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि उसको परमूएड करे और कहे कि इसमें क्या फायदा है और नौकरी में क्या फायदा है। आप लोगों को शिक्षित करने के लिए पहले एक कार्यक्रम कह लो या कैंप कह लो वह चलाते थे, अब भी ऐसे कैम्प लगाने चाहिएं जिससे वह अपना काम करने के लिए ज्यादा दिलचस्पी लें। एक और तजवीज मैं देना चाहता हूं इस सिलसिले में, आज से दो साल पहले जो अण्डर मैट्रिक लड़के थे वह फौज में, बी० एस० एफ० या पैरा मिलिट्री में भर्ती हो जाते थे, लेकिन अब सिर्फ मैट्रिक वालों को ही लिया जाता है, जबकि वे नौजवान फिट भी होते हैं उनको नहीं लिया जाता है। इससे भी बेरोजगारी बढ़ रही है। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए और उनको नौकरी देनी चाहिए, जिससे वह भी अपना रोजगार कर सकें और बेरोजगारी दूर हो सके।

जहां तक सरकार की विदेश नीति का सम्बन्ध है, उसमें दो राय नहीं हैं कि हमारी सरकार की विदेश नीति इतनी कामयाब है कि दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, सब उसकी सराहना करते हैं। कई बार मुझे भी विदेश जाने का मौका मिला और मैंने यह देखा कि हर सोचने वाला आदमी हमारी विदेश नीति की सराहना करता है। इससे सारी दुनिया में अमन-चैन कायम होगा और अमन-चैन स्थापित करने के प्रयास जितने हमारे मुल्क ने किये हैं और किसी दूसरे मुल्क ने इतने नहीं किये हैं। हमारी इस नीति की वजह से ही दो बड़ी ताकतें विश्व की, इस एग्रीमेंट तक पहुंच गई हैं कि जो भी फैसला करना हो हम बैठकर करेंगे, और कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा, यह बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी मुबारक बाद के मुस्तहक हैं। इसके साथ-साथ कुछ छोटे-छोटे मुल्कों जैसे मालदीव, श्रीलंका या दूसरे गल्फ कंट्रीज को जरूरत के वक्त मदद करके आपने सारी दुनिया के सामने जो उदाहरण पेश किया उसकी सब जगह सराहना हुई है और हमारे देश का नाम रोशन हुआ है, आगे बढ़ा है।

इस हाउस के मेरे एक फाजिल दोस्त काबूली साहब ने जम्मू-कश्मीर की सिचुएशन के बारे में कुछ कहा। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि वहां जो हालात हैं, वे काफी अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में जम्मू में तो पहली बार हिस्ट्री में ऐसे हालात पैदा हुए। कश्मीर में भी हालत खराब है लेकिन इन हालात से हमें सियासी फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये, उसे एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। इससे कश्मीर में जो एन्टी-नेशनल और सक्सैसनिस्ट फोर्सेज हैं, वे एक्टिव होती हैं और वे कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाल लेती हैं जिससे सरकार के सामने नई समस्या खड़ी हो जाती है, नई उलझन पैदा हो जाती है। मैं कहूंगा कि ऐसी ताकतों का मुकाबला करने के लिए सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए और ऐसे तत्वों को पूरी ताकत से दबा देना चाहिए। उनका सियासी तौर पर मुकाबला करना चाहिए। जम्मू और कश्मीर में हमारी कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस की मिली-जुली वजारत है, जो फारुख अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसी ताकतों को उभरने ही न दिया जाए, सियासी तौर पर दोनों जमायतें उनका मुकाबला करती हैं। वहां कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस दो ही बड़ी जमायतें हैं। इसलिए सरकार को भी पूरी तरह से हिमायत करनी चाहिए और

वहां की सरकार को ज्यादा से ज्यादा इमदाद देनी चाहिए ताकि वह उन ताकतों का मुकाबला कर सके।

वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार-बार जिक्र किया है और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी जिक्र आया है कि ड्राउट और फ्लड अफेक्टिड एरियाज की ज्यादा से ज्यादा मदद की गई है, उस प्रौब्लम को सोल्व करने के लिए उन्होंने जातीय इंटरेस्ट लिया है, विशेष रुचि ली है, आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया, हर जगह प्रधानमंत्री जी खुद गये और जहां-जहां लोगों का नुकसान हुआ, लोग प्रभावित हुए, उन्होंने पूरी मदद की जिसके लिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। काफी लोगों को इससे फायदा हुआ है।

मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर रियासत में आजकल बिजली का बड़ा क्राइसेज है, तीन-तीन या चार-चार दिनों तक बिजली बन्द रहती है। पावर नहीं है। यह ठीक है कि सरकार ने सलाल प्रोजेक्ट को चलाने में हमारी काफी मदद की है, दूसरे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे दुलहस्ती, उड़ी, उनसे भी काफी फायदा होगा लेकिन पिछले 4-5 सालों से वहां ऐसे हालात बने हुए हैं कि हम किसी एग्रीमेंट को फाइनेलाइज नहीं कर पाये, जिससे कि वह प्रोजेक्ट चालू हो। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जम्मू कश्मीर चूंकि एक बोर्डर स्टेट है, टूरिस्टों के लिए आकर्षक स्टेट है, बैकवर्ड स्टेट भी है, आप जानते हैं कि मौसम भी बड़ा अनसरटेन रहता है, इसलिए सेंट्रल ग्रिड से ज्यादा से ज्यादा बिजली वहां सप्लाई होनी चाहिए ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो।

जहां तक हमारे अपोजीशन के दोस्तों का सवाल है, वे आज आये नहीं और कुछ दिन पहले जब भाटिया साहब अपनी तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने उनके कुछ अल्फाज को लेकर बड़ा ओब्जेक्शन किया था, जब उन्होंने कहा कि ये आपस में लड़-लड़ कर मर जायेंगे, मैं भी कहना चाहता हूं कि अपोजीशन के पास न कोई प्रोग्राम है, न उनकी कोई पोलिसी है, देश की बेहतरी या लोगों की बेहतरी का कोई प्रोग्राम नहीं है, सिवाय राजीव गांधी की जातीय मुखालफत करने के, गलत किस्म के बेबुनियाद इल्जाम लगाने के, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलने के, दूसरा कोई प्रोग्राम उनके पास नहीं है।

लोगों ने इनको एक बार आजमा लिया है 1977 में। लोग कहते हैं कि जिसको एक बार अजमा लिया हो उसको बार-बार आजमाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए इनकी आपसी लड़ाई ओहदेदारों की चल रही है, जो झगड़ा इनका ओहदों के बारे में चल रहा है इनकी मौत के लिए वही काफी है। ये सियासी मौत खुद मरेंगे। इसलिए मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं और इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि देश के लोग आज इनके इस एटीट्यूड से परेशान हैं। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। ये देश और लोगों की बहबूदी के लिए क्या करना चाहते हैं, इस बारे में इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। इसलिए ये अपनी मौत खुद मरेंगे।

इस वक्त देश की बहबूदी और इंटरेस्ट अगर किसी के हाथ में सेफ हैं, तो वह सिर्फ हमारे नौजवान नेता राजीव जी के हाथ में सेफ हैं। आज देश की एकता और अखण्डता की हिफाजत अगर किसी के हाथ में हो सकती है, तो सिर्फ हमारे नौजवान नेता राजीव जी के हाथ में और उनकी कांग्रेस पार्टी में हो सकती है।

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज जो पं० जवाहर लाल नेहरू की सेंटेनरी सारी दुनिया में मनाई

[श्री जनकराज गुप्ता]

जा रही है उसका भी स्वागत करता हूं। उन्होंने जो बेसिक फाउण्डेशन दी थी कि हमारा देश नॉन अलाइंड रहेगा, हमारे देश में डेमोक्रेसी रहेगी, सोश्यलिज्म भी रहेगा, यह पोलिटिक्स की एक नई फिलोसोफी थी। यह कामयाब हुई है। नेहरु जी और इंदिरा जी की जो पॉलिसी थी वह आज कामयाब हुई है। दोनों सुपर पॉवर्स से अलग रहकर अपने देश को नॉन-अलाइंड रखने की जो फिलोसोफी थी, डाक्टराइन था, पॉलिसी थी, उसको आज सारी दुनिया के 100 से भी ज्यादा कंट्रीज ने अपनाया है। आज दुनिया में शान्ति हो रही है। डिस-अरमामेंट हो रहा है और डिवेलपमेंट और पीस हो रही है जिसके लिए नॉन-अलाइनमेंट मूवमेंट सबसे इम्पोर्टेण्ट रोल अदा, अदा कर रहा है। इसके कारण आज रूस और अमेरिका का सम्मेलन हो रहा है। आज दिल्ली डेक्लेरेशन दुनिया में शान्ति के लिए नई दिशा दे रहा है। यह कांग्रेस फ्रीडम मूवमेंट का, कांग्रेस पार्टी का, पं० जवाहरलाल नेहरु की फारेन और नॉन अलाइनमेंट पालिसी का नतीजा है।

दूसरी बात यह है कि 4 साल पहले यह महसूस हो रहा था कि एक प्रान्त में, चायना, एक प्रांत में पाकिस्तान और एक प्रांत में बंगला देश है उनसे भारत को खतरा है, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री की यात्राओं से इस दिशा में भी सुधार हुआ है। दियागो गार्शिया और श्रीलंका में जो पोजीशन हो रही थी उससे यह मालूम हो रहा था कि शायद हिन्दुस्तान इंटरनेशनल ग्लोबल सिचुएशन में उभर नहीं सकेगा, लेकिन आज पंडित जी की फारेन पॉलिसी और राजीव जी की उनके प्रति निष्ठा से अपनाए जाने के कारण, डायनैमिक और प्रेक्टीकल एप्रोच के कारण आज चायना से हमारे रिलेशन इम्प्रूव हो रहे हैं और एक नई दिशा इन रिलेशन्स को मिल रही है। इसके कारण ही आज श्रीलंका में जो भयानक समस्या पैदा हो गई थी उसका भी समाधान होकर के वहां भी डेमोक्रेसी उभर रही है।

हिन्दुस्तान के अन्दर आज हम यह मानते हैं कि कुछ पड़ौसी राष्ट्र और दुनिया की जो कोलोनियल फोरसेस हैं उनकी कास्पीरेसी से या फंडामेंटल फोर्सेस के कारण हमारे पंजाब में ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है जिससे स्थिति खराब हो रही है। लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमिड है और वहां जो कार्यवाही हमारे गवर्नर साहब कर रहे हैं, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब की समस्या का भी जरूर हल निकलेगा।

नागालैंड, आसाम और मिजोरम जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं यहां पर कुछ फोर्सेस उनको अलग करना चाहती थीं लेकिन पंडित जी की नीति और राजीव जी की लीडरशिप से यह संकट समाप्त हो गया है। इन्टरनेशनल फोर्सेस जो देश को तबाह करने पर तुली हुई थीं उनको वहां कोई समर्थन नहीं मिला और वहां राजीव जी की नीति को समर्थन मिला है और वह क्षेत्र अब नेशनल सीन में आ गया है। और वह आजकल नेशनल मेनस्ट्रीम में आ गए हैं। ऐसे छोटे-मोटे प्राबलम तो आते रहते हैं, लेकिन जहां एक सिद्धान्त हो, एक दृढ़ सरकार हो और एक-जातीय नेतृत्व हो, वहां समस्याओं का जरूर समाधान होगा। लेकिन हिन्दुस्तान में जो यह समस्या थी, और आज दुनिया में जो लोग यह नहीं चाहते थे कि हिन्दुस्तान इकनामिक फील्ड में सेल्फ रिलायंड हो, इन्टरनेशनल पीस मूवमेंट में फोर-फ्रन्ट में हो और जो हिन्दुस्तान में फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज कैपिटलिस्ट फोर्सेज और फैडरल फोर्सेज मिलकर हिन्दुस्तान में पिछड़ापन पैदा कर रहे थे, जहां हिन्दुस्तान में विविधता में एकता का रूप रहा है वहां जो रीजनलिज्म और फंडामेंटलिज्म की बातें चलाते हैं, अगर आज हिन्दुस्तान में कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो देश की हालत खराब हो सकती थी। अगर देश में जनता दल

जैसी सरकार होती, अभी 1977 का एक्सपीरिएंस हम भूले नहीं हैं, आज भी जनता दल की कोई फरेन पालिसी नहीं है इसलिए यह सारे देश के लिए चिन्ता का विषय है। आज जनता दल की कोई आर्थिक नीति नहीं है, कोई सिद्धान्त नहीं है और जनता दल में जितने लीडर है, आप देखेंगे कि उनमें ज्यादातर वे लोग हैं जिनके नाम पर पहले कमीशन बैठे हैं और उसने उनके खिलाफ राय दी है जिनके खिलाफ हाई-कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स दिए हैं, जिनके प्राइमाफेसी केस हैं। उसके बावजूद वे लोग आज क्लीन पालिटिक्स की बात चला रहे हैं। यह एक ऐसा कम्पोजिशन है जिनका कोई सिद्धान्त नहीं है जिनका आपस में कोई मेल नहीं है। उनकी कोई क्लीअर-कट फारेन पालिसी नहीं है। अगर इस तरह के करप्ट दल के लोग जिनका कोई व्यू नहीं है, इन्टरनेशनल फील्ड में कोई क्लीयर-कट पालिसी नहीं है, वह इस देश का शासन संभालेंगे तो इस देश की क्या दशा होगी? वही हाल होगा जो 77 में हिन्दुस्तान 30 साल पीछे चला गया था। इसलिए हिन्दुस्तान की जनता है कि इन लोगों को अगर क्षमता में लाए, पावर में लाए तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इन्टरनेशनल फील्ड में आज जो हिन्दुस्तान की इज्जत है वह नीचे चली जाएगी। इसलिए हिन्दुस्तान की जनता, जनता-दल को कभी पावर में नहीं लाएगी, ऐसी हमें देश के लोगों से पूरी उम्मीद है।

इकनामिक फील्ड के बारे में मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसके लिए समय नहीं है लेकिन आज हिन्दुस्तान की इकनामी इतनी स्ट्रांग है कि लास्ट ईअर सेंचुरी का सबसे बड़ा ड्राउट होने के बावजूद भी देश की इकनामी में कोई कमी नहीं हुई। अगर किसी और देश में ऐसा ड्राउट होता तो प्रोडक्शन फाल करती और एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में फाल हो जाता और रा-मैटीरियल की समस्या पैदा हो जाती। लेकिन इस देश की इकनामी पर कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि सेंचुरी का सबसे बड़ा सूखा होने के बावजूद भी इंडियन इकनामी में ग्रोथ रेट में कमी नहीं आई बल्कि उसमें बढ़ोतरी हुई है। हम सेल्फ रिलायंट रहे। हमारा 7.7 इंडस्ट्रियल ग्रोथ रहा। आज चाइना में भी 20 परसेंट का इन्फलेशन हुआ है लेकिन हम इन्फलेशन को अपने यहां रोक सके हैं। इससे यह साबित होता है कि हमारी इकनामी कितनी मजबूत है और यह इसलिए कि इस देश मे एक स्टेबल गवर्नमेंट है और एक डायनेमिक लीडरशिप है।

इसके साथ-साथ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के लिए हम कमिटेड हैं। डेमोक्रेसी में रीयल पावर आफ दी पीपल की नई शुरुआत हुई है। आज सारे देश में सेमिनार चल रही हैं। दिल्ली में भी पंचायती राज्य के लिए सेमिनार चल रही है। डिस्ट्रिक्ट तहसील और पंचायतों को पावर दी जाएगी। इस देश में इस पालिसी को इम्पलीमेंट करने के लिए जो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेसी का एटीच्यूड है, उसको कब किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, चुनाव में जो वायदे इस सरकार ने किए थे कांग्रेस पार्टी और श्री राजीव गांधी ने जो वायदे किये थे, एक-एक करके सब पूरे किए गए हैं। राजीव गांधी बोले थे कि अगर कांग्रेस पावर में आएगी तो हम इलैक्टोरल रिफार्म करेंगे और उसी के मुताबिक बिल हम यहां पर लाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी न्यू एजूकेशन पालिसी लाएगी, तो उसके लिए भी हम एक बिल लाए हैं। हमने जो कोई भी वायदा किया है, उसको पूरा किया है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया था कि हम एंटी डिफेक्शन बिल लायेंगे। हमने वह बिल लाकर उसे पास कराया। सारे देश की जनता को यह मालूम है कि हमारी सरकार जो कुछ भी बोलेगी उसको जरूर इम्पलीमेंट करेगी। यह सभी जानते हैं कि इम्पलीमेंटेशन में ब्यूरोक्रेसी आड़े आती है। हम इसके साथ भी सख्ती से निपटे हैं। आज इस दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं।

आज देश को उन ताकतों से भारी खतरा है जो कि इस देश की एकता को बहुत चोट पहुंचाती हैं। हम इनके साथ भी सख्ती से निपट रहे हैं। इतना ही नहीं इस देश में आज कम्युनल फोर्सिज उभर

[श्री जगन्नाथ पटनायक]

उभर रही है और जातिवाद और क्षेत्रवाद इस देश में उभर रहा है। इससे भी हमको लड़ना है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम इनसे लड़ भी रहे हैं। इस देश की गरीब जनता को सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय देने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। इनको ऊपर उठाने के लिए हमने कई प्रोग्राम चलाये हैं और उनको इम्पलीमेंट भी कर रहे हैं।

कॉमन मैन के उपयोग में आने वाली चीजों के दाम जब बढ़ते हैं तो उनका असर उन पर अवश्य पड़ता है। हमें इस दिशा में कोई नया कदम उठाना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि जो असेंशल कमोडिटिज हैं—जैसे राइस, केरोसीन, शूगर उनके दाम पांच साल तक न बढ़ें ऐसी कोई नीति हमें निर्धारित कर देनी चाहिए।

आज हमारे नौजवानों के सामने सबसे बड़ी समस्या अनइम्पलायमेंट की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नवयुवकों को इम्पलायमेंट देने के लिए कई प्रोग्राम भी चलाये हैं। हमें इसमें और तेजी लानी चाहिए। हमारे राजीव गांधी जी ने मद्रास में कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में "बेकारी हटाओ" की बात कही थी। इस दिशा में उन्होंने कदम भी उठाये। हमें विश्वास है कि इससे बेरोजगारी हटेगी।

इसके साथ ही हमको लैंड रिफार्म्स ऐक्ट को भी इम्पलीमेंट करना है। इससे हमारी गरीब जनता ऊपर उठ सकेगी। हमें अपने यहां रीजनल इम्बैलेंस को भी दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिएं। अगर यह दूर नहीं होगा तो उड़ीसा जैसा राज्य नेचुरल रिसोर्सिज होते हुए भी पिछड़ा रह जायेगा। दुख की बात है कि रेल विभाग का उड़ीसा के सम्बन्ध में एटीच्यूड चेंज नहीं हुआ है। उड़ीसा जैसे राज्य को ऊपर उठाने के लिए प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन को उसकी तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। उड़ीसा को ऊपर उठाने के लिए जम्मू-कश्मीर की तरह इसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना चाहिए। उड़ीसा में कालाहांडी एक ऐसी जगह है जहां पर काफी सूखा पड़ा है। हिन्दुस्तान की और जगह में तो अच्छी फसल हुई है लेकिन वहां पर भयंकर सूखा पड़ा है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए और उड़ीसा जैसे राज्य को ऊपर उठाने के लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 371 का इस्तेमाल करके इसे फाइनेंशल असिस्टेंस और टेक्निकल असिस्टेंस देनी चाहिए। इससे रीजनल इम्बैलेंस दूर होगा। अगर आप इसको दूर नहीं करेंगे तो सही मायनों में समाजवाद नहीं आ सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शंकर लाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है और जैसा कि राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में भी इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे देश का नाम पूरे विश्व में बहुत ऊंचा हुआ है।

आज विश्व की जितनी भी बड़ी-बड़ी ताकतें हैं चाहे वह रूस हो, या अमेरिका हो या फिर चीन हो, या पाकिस्तान हो, सबके साथ हमारे सम्बन्ध सुधरे हैं। कहने का मतलब यह है कि विश्व के अन्दर हमारा हिन्दुस्तान उभर कर आगे आया है।

जिस प्रकार की हमारे पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीति थी और जिनके कि हम जन्म शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं, जो कि शान्ति दूत के रूप में सारे विश्व के अन्दर उभरे थे, वही नीति आज हम सार्क के अन्दर और विश्व के अन्दर अपना रहे हैं।

पड़ोसी देशों में चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव की समस्या हो, इसके अन्दर हमारे नेता ने

एक ऐसी नीति अपनाई है कि हिन्दुस्तान का नाम उससे ऊंचा हुआ है। जैसा राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि वही देश मजबूत हो सकता है, जिसके लोकतंत्र के अन्दर पवित्रता और मजबूती होती है। हमारी सरकार के द्वारा जो भी रिफार्म्स लाये गये हैं, चाहे वह 18 साल के नवयुवकों को मतदान का अधिकार देने का हो, चाहे 29ए की धारा जोड़कर उन शक्तियों को रोकने का हो जो कि विधान के अन्दर, संविधान के अन्दर निर्मित सैकुलरिज्म, संविधान के अन्दर निर्मित यूनिटी एण्ड इण्टेग्रिटी, संविधान के अन्दर सोशलिज्म के सिद्धान्त को अपनाने को तैयार नहीं थे लेकिन इसके बाद अब उनका इलैक्शन कमीशन को देखा पड़ेगा कि वह संविधान की धाराओं में विश्वास करते हैं।

हमने देखा था कि विरोध के लोग सोशलिज्म की बात का विरोध करते थे लेकिन एण्टी डिफैक्शन बिल पास होने के बाद जो पवित्रता कायम की गई है और दूसरे बिल लाये गये हैं, वह हिस्टोरिक बात है। हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को पोलिटिक्स से कैसे दूर रखा जाए, उसके लिए हम कानून लाये हैं। डैमोक्रेसी में पवित्रता लाने के बाद हम अपने देश की आर्थिक उन्नति की ओर देखते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं जैसा महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि हमारे देश प्राकृतिक विपदाओं को देखते हुए, इतनी बड़ी प्राकृतिक विपदाओं के बाद भी 3.6 परसेंट की ग्रोथ हुई है। इतना ही नहीं, इण्डस्ट्रियल सैक्टर के अन्दर भी हमने प्रगति की है। अगर हम देखें तो चारों तरफ हमारे देश के अन्दर प्रगति हुई है।

जहां तक किसान की बात आती है, उसमें भी यह कहा गया है कि हमारा 1800 करोड़ रुपये की लेविंग की जगह 2500 करोड़ रुपये का लोन देने का टार्गेट है और एक किसान को 10 हजार रुपये का लोन अब आसानी से मिल सकेगा। खास तौर से किसान की वित्तीय प्रगति करने की बात कही गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश की जनता में, विशेष कर के गरीब जनता है, जिसके लिए हमारी सरकार की नीति है कि चाहे शैड्यूल्ड कास्ट्स हो, चाहे शैड्यूल्ड ट्राइब्स हो, चाहे माइनोरिटीज और बैकवर्ड क्लासेज हों, ये इस प्रकार के तबके हैं कि अगर इन लोगों का उत्थान होता है, अगर किसान का उत्थान होता है तो हमारा देश उससे आगे बढ़ता है। शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, माइनोरिटीज और बैकवर्ड क्लासेज के लिए जो प्रोग्राम बनाये गये हैं, उनके लिए मैं कह सकता हूं कि उनके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है। जहां तक प्रोग्राम की बात है, प्रोग्राम्स बहुत सुन्दर हैं लेकिन उन प्रोग्रामों से जिन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, वह फायदा उन लोगों को नहीं पहुंचता। इसीलिए हमारे नेता श्री राजीव गांधी पंचायती राज के द्वारा इन लोगों को इन योजनाओं का फायदा उठाने की बात करते हैं। इसमें कांस्टीट्यूशन की बात नहीं है, कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद 40 के अन्दर जो पंचायती राज की कल्पना की गई है, उसके अनुसार इनको बढ़ावा देने की बात है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर यह बात कही गई कि विपक्ष का कोई सिद्धान्त नहीं है। मैं कहता हूं कि विपक्ष सिद्धान्तविहीन है। अगर आज का टाइम्स आफ इण्डिया देखें, जनसत्ता देखें, अगर श्री वी० पी० सिंह का बलरामपुर में दिया गया भाषण देखें, अगर कलकत्ता में श्री वी० पी० सिंह के भाषण को देखें तो वह एक ही बात कहते हैं कि इन्दिरा कांग्रेस की सरकार को हटाओ।

इसके अलावा कोई सिद्धान्त नहीं है। उसके लिए वे सारे सिद्धान्तों को ताक में रखने के लिए तैयार हैं। पहले कहते थे कि हम भाजपा से तालमेल नहीं करेंगे, लेकिन अब भाजपा से भी तालमेल करने के लिए तैयार हैं। पहले कहते थे कि बड़े-बड़े हाउसेस से चन्दा नहीं लेंगे, अब कहते हैं कि बड़े-बड़े हाउसेस भी हम चन्दा लेने के लिए तैयार हैं। वी० पी० सिंह ने यहां तक कहा है जैसा कि मैंने जनसत्ता में पढ़ा कि जिस प्रकार से हिटलर का मुकाबला करने के लिए मुसोलिनी और चर्चिल एक

[श्री शंकर लाल]

हो सकते थे, हम सब पार्टियों को भी एक हो जाना चाहिए। यह कोई बात हुई ? इसका तात्पर्य यह है कि आपके पास कोई सिद्धान्त नहीं है। आप केवल यह चाहते हैं कि किसी प्रकार से इन्दिरा कांग्रेस को हटाया जाए। केवल यही सिद्धान्त आपका है। आप देश को किधर ले जाना चाहते हैं ? न तो कोई जनता दल है, न कोई जनता पार्टी अलग-अलग लोगों की अलग-अलग तरह की बातें आती हैं। आज वी० पी० सिंह का कर्तव्य था कि पार्लियामेंट में आकर के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बताते कि वे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन वे तो देश को गुमराह करना चाहते हैं। कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं वे केवल हमारी इन्दिरा कांग्रेस की जो मजबूत नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, इस देश को आगे बढ़ाने की नीतियां हैं, उनके ऊपर एक प्रकार का प्रहार है। उनका केवल यही प्रयास है कि किसी प्रकार से इन्दिरा कांग्रेस को हटाया जाए। इसके अलावा उनका कोई सिद्धान्त नहीं है। लेकिन यह सिद्धान्त कभी सफल नहीं हो सकता है। हमारे देश की जनता जानती है, इन्होंने जिस प्रकार 1977 में सिद्धान्त विहीन लोगों का गठबन्धन करने की कोशिश की थी उसका उत्तर जनता ने दिया था और जल्दी से उनको अपनी कुर्सी से हटना पड़ा था। आज उस प्रकार की गलतियां जनता करने वाली नहीं है।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए हमारी केन्द्रीय सरकार ने और हमारे नेताओं ने जिस प्रकार से गए साल में मदद की, उसके लिए हम धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन आज भी 33 हजार गांवों में से 4500 गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की कठिनाई है और सूखे की स्थिति चल रही है। केन्द्रीय सरकार के पास राजस्थान सरकार ने तार भेजा है, और मैं आशा करता हूं कि राजस्थान प्रान्त को उनकी मांग के अनुसार केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी।

एक बात मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी के सम्बन्ध में कहकर समाप्त करूंगा। पोल्यूशन, पर्यावरण की जहां तक बात है, मजदूरों की जहां तक बात है, आज भी पाली मिल में मजदूर हड़ताल पर हैं। आज भी किसानों के खेत वाटर पोल्यूशन से खराब हो रहे हैं। केन्द्रीय सरकार की जो नीति है, यह अच्छी नीति है, उसका पालन करने के लिए आप राजस्थान सरकार के ऊपर दबाव डालें। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें होकर राजस्थान ऊपर उठ सकता है। राजस्थान ने जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार का साथ दिया है, जिस प्रकार से राजीव गांधी के नेतृत्व में लोकसभा पर भरोसा दिखाया है, उन्हीं नीतियों के ऊपर आगे भी राजस्थान चलने वाला है। हिन्दुस्तान के लोग भी विपक्ष के लोगों की बातों पर ध्यान न देकर, हमारी नीतियों, कांग्रेस की नीतियों का अनुसरण करेंगे।

आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11.00 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.04 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार 28 फरवरी 1989/9 फाल्गुन 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सनलाईट प्रिन्टर्स, 2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6

© 1989 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (छठा संस्करण) के नियम 379 और
के अन्तर्गत प्रकाशित तथा सनलाइट प्रिन्टर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली
द्वारा मुद्रित